खण्ड-368, अंक-4
गुरूवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1906
(13 सितम्बर, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 368 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..
प्रश्नोत्तर	..
प्रदेश के महाविद्यालय में तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 3–81
ग्राम सरना, नैनीताल के सेठ श्री वीरराम की डाकुओं द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 82
प्रदेश के अस्पतालों एवं केन्द्रीय औषधि भंडारों में ग्लूकोज सलाइन की बोतलों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 82–83
जिला बिजनौर की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 83–84
तहसील तिलहर, शाहजहांपुर के निर्बल वर्ग के निवासियों से हाउस टैक्स आदि की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 84
बाढ़ प्रखंड, बस्ती के सहायक अभियन्ता श्री वी० पी० सिंह के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 84
टी० डी० राजकीय होम्योपैथिक कालेज, जौनपुर के दो चिकित्सा अधिकारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 85
लालगंज (आजमगढ़) तहसील के रिकार्ड रूम के जलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 85
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा फलदार वृक्षों के काटने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 86
गोरखपुर जनपद में धान की फसल में कीड़े लगने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 86
जे० के० रेयन मिल, कानपुर के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 86–87
कोसी नदी की बाढ़ से अकबराबाद (रामपुर) की भूमि कटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 87
गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध विद्यालयों में तदर्थ नियुक्त अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 88
नियम 301 की शेष सूचनाओं को लिए जाने की मांग	.. 88–89

विषय	पृष्ठ–संख्या
शासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी श्री मुलायम सिंह यादव, नेता विरोधीदल, विधान परिषद् पर प्राणघातक हमले की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	89–93
उत्तर प्रदेश होम्यो पैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	93
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यतः) विधेयक, 1984 ....(सदन के पटल पर रखा गया) ..	93
श्री राम सागर, विधायक की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना ..	93–94
संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का दशम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) .	94
'आज का एम0 एल0 ए0 राम औतार' फिल्म के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	94
'तरुण राष्ट्र' हिन्दी साप्ताहिक के प्रधान सम्पादक श्री हसनैन जदी, तथा सम्पादक श्री विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध उठाये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	95
कतिपय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं लेने की मांग ..	95–96
राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रस्ताव (स्वीकृत	97
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यता उपलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984..(पुरः स्थापित किया गया)	97
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	97–101
श्री रियाज अहमद के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	101–102
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	103
श्री रियाज अहमद का सदन से निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	103–104
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	104–109
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अनुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984...(पारित) ..	109–119
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 के अनुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत) तथा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1984....(पारित) ..	119–140

विषय	पृष्ठ-संख्या
ओवरा तापगृह में हुए गोलीकांड से राज्य के विद्युत् कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	141–152
प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा..	152
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव..(स्वीकृत) ..	167– 68
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड की वर्ष 1983–84 की परीक्षा के अधूरे एवं गलत परिणाम के प्रकाशन के सम्बन्ध में नियम 54 के अन्तर्गत चर्चा ..	168–174
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	174–175
ग्राम बीरे पुरवा, जनपद रायबरेली के थाना क्षेत्र डीह में हरिजनों को जिन्दा जलाकर मारने विषयक, दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	175–180
नियम 51 के अन्तर्गत आज स्वीकृत सूचना पर वक्तव्य न होने की सूचना ..	181
कतिपयां ..	183–228

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 13 सितम्बर, 1984

विधान सभा की बैठक समा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रूखाबाद)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जंगबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
जय सिंगार, श्री (आजमगढ़)
जनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पुरूषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीम सिंह सीना, श्री (मेरठ)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रूखाबाद)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सैय्यद जफीरउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरनारायन सिंह, श्री (रायबरेली)

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 13 सितम्बर, 1984

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सी0 पी0 एम0 टी0 की द्वितीय बार आयोजित परीक्षा के पेपर आउट हो जाने से पुनः परीक्षा आयोजित किये जाने की मांग

**1--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि वर्ष 1984 की सी0 पी0 एम0 टी0 की द्वितीय बार आयोजित परीक्षा के पेपर परीक्षा होने से पूर्व आउट हो गये थे ? यदि हां, तो सरकार पुनः परीक्षा लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

कुलपति, अवध विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि द्वितीय बार जुलाई, 1984 में आयोजित सी0 पी0 एम0 टी0 के प्रश्न-पत्र लीक आउट होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी लम्बित है जिसमें न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बड़ा गोलमाल है । उसका कारण यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्य से परे है । सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में यह बात आयी कि सी0 पी0 एम0 टी0 के पर्चे आउट हुये और सरकार ने विचारोपरान्त पुनः परीक्षा ली क्योंकि उसमें माननीय मंत्री जी के और उच्चाधिकारियों के छात्र भी थे । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पुनः परीक्षा लेने में जो परचे आउट हो गये थे और अखबारों में भी आपने देखा होगा कि उसमें काफी लिखा-पढ़ी हुई । एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यह मामला उच्च न्यायालय में गया । तो आप पुनः परीक्षा लेने में क्यों कतरा रहे हैं ? क्या आप पुनः परीक्षा लेंगे ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, सी0 पी0 एम0 टी0 की दो परीक्षायें इस वर्ष हुई हैं । किस परीक्षा के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा जो डेढ़ महीने पहले हुई थी उसके बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, जिस सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा का पर्चा आउट हुआ था उसे शासन ने रद्द कर दिया और उसकी पुनः परीक्षा ली गयी ।

कानपुर मेडिकल कालेज के प्रोफेसर डा0 आर0 एन0 टंडन के विरुद्ध पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना लंदन जाने के सम्बन्ध में जांच

**2--श्री मोतीलाल देहलवी,(अनुपस्थित) श्री शंकर सिंह(अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज के प्रोफेसर डा0 आर0 एन0 टंडन बिना अवकाश प्राप्त किये कानपुर निवासी श्री बागला के साथ उनके खर्च पर 10 हजार रुपया फीस लेकर नवम्बर 1982 में लंदन गये थे ? क्या डाक्टर टंडन के विरुद्ध शिकायत की जांच पर श्री एस0 एल0 शुक्ल विशेष सचिव चिकित्सा ने उन्हें निलम्बित करने की सिफारिश की और मंत्री जी ने उनकी सेवा 3 मास की नोटिस देकर समाप्त

करने के आदेश दिये, परन्तु विधिक राय पर नियमानुसार चार्ज शीट देकर कार्यवाही करने की सिफारिश की गयी ? यदि हां, तो अब तक डा0 टंडन को चार्ज शीट न देने और निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री हरि सिंह—

डा0 आर0 एन0 टंडन प्रोफेसर आफ मेडिसिन, मेडिकल कालेज, कानपुर नवम्बर, 1982 में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना श्री बागला के साथ लंदन गये । इस मामले की तत्कालीन विशेष सचिव श्री श्रीलाल शुक्ल ने प्रारम्भिक जांच की और जांच के आधार पर डा0 टंडन को निलम्बित करने की सिफारिश की थी। किन्तु इस मामले में विचारोपरान्त डा0 टंडन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया है कि सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने तक डा0 टंडन को निलम्बित न किया जाय ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उप पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसन्धान शाखा, सहकारिता द्वारा चौदह कर्मचारियों को निलम्बित करने की संस्तुति

*1—श्री भीखा लाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसन्धान शाखा, सहकारिता, लखनऊ क्षेत्र ने अधिशासकीय पत्र संख्या एस0 आई0 जी0, लखनऊ/ए0-2/83, दिनांक 14 नवम्बर, 1983 द्वारा श्री जी0 के0 वर्मा, सामान्य प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई को संस्तुति की है कि पत्र में उल्लिखित चौदह अधिकारियों व कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध गबन के मामले अदालत में भेजे गए हैं, को तत्काल निलम्बित किया जाय? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी निलम्बित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

जी हां । पुलिस विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता ने जिन 14 कर्मचारियों को निलम्बित करने की संस्तुति की थी उनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) सर्वश्री डाल सिंह व हरपाल सिंह समिति के क्रमशः सरपंच एवं खजान्ची थे । श्री डाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा श्री हरपाल सिंह अब उस समिति में कार्यरत नहीं हैं ।

(2) सर्वश्री छोटे सिंह व भगवानदीन, दोनों समिति के एकाउन्टेन्ट थे, जिनको समिति की सेवा से पृथक कर दिया गया है ।

(3) सर्वश्री डोला राम, नत्थू सिंह एवं विजय कुमार सिंह बैंक के कर्मचारी थे, जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं ।

(4) सर्वश्री पुत्ती लाल, दिग्विजय सिंह एवं रामकुमार दीक्षित को विशेष अनुसंधान शाखा की संस्तुति प्राप्त होने के पूर्व ही निलम्बित किया गया था, परन्तु श्री पुत्ती लाल को प्रशासक द्वारा बहाल किया गया । प्रशासक द्वारा दिग्विजय सिंह को दण्डित करके बहाल किया गया तथा श्री रामकुमार दीक्षित को न्यायालय के फैसले तक बहाल किया गया ।

(5) सर्वश्री छोटे लाल प्रजापति व जितेन्द्र कुमार सिंह की सेवाएं समाप्त की गयी थी, जो क्रमशः

श्रम न्यायालय एवं उप निबंधक (केन्द्रीय) सहकारी समितियां, लखनऊ के निर्णयानुसार पुनः सेवा में कार्यरत हैं ।

(ङ) सर्वश्री शिवराज सिंह व राजबहादुर सिंह जमानत पर हैं । इनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था । ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित करने की दशा में ही इनके विरुद्ध कार्यवाही करना उचित समझा गया ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सहकारिता मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि चौदह अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध चार्ज था जिन्हें विशेष अनुसंधान शाखा ने निलम्बित किये जाने के आदेश दिये थे, तो होना यह चाहिये था कि 14 संबंधित लोगों को ही निलम्बित कर दिया जाता । परन्तु हुआ यह कि उन चौदह लोगों के साथ अलग-अलग तरह का ट्रीटमेन्ट किया गया, किसी को निलम्बित किया गया और किसी को उससे मुक्त कर दिया गया तो इस तरह से अलग-अलग प्रकार की कार्यवाही की गयी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके साथ भिन्न-भिन्न प्रकार की कार्यवाही क्यों की गयी, समान कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी ने बिलकुल सही बात कही है कि चौदह आदमियों को विशेष अनुसंधान शाखा ने आरोपित किया । मैंने कल स्वयं अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि 7 आदमियों को जिन्हें निलम्बित नहीं किया गया है, पहले उनको निलम्बित कर दिया जाय, जब तक अदालत से फैसला न हो जाय तब तक उन्हें भी निलम्बित रखा जाय । जब तक अदालत से फैसला न हो जाये, तो जो चार्ज शीटेड व्यक्ति हैं, उनको विभाग में नहीं रखा जा सकता है और सातों व्यक्तियों को विभाग से अलग रखा जाये । इस प्रकार के आदेश मैंने कल ही जारी किए हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कल ही आदेश दिए हैं, कि इन लोगों को सस्पेंड किया जाये, जैसा कि औरों के खिलाफ कार्यवाही की गयी । तो क्या माननीय मंत्री जी आप का विभाग जब आपके आदेशों के अनुरूप कार्यवाही कर के उन लोगों को सस्पेंड कर दे और आप के आदेशों का पालन हो जाये तो क्या आप सदन को सूचना देने की कृपा करेंगे । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आज मेडिकल विभाग के सचिव की रिपोर्ट या संस्तुति के बाद भी विभाग ने उस पर कार्यवाही नहीं की । तो क्या आपने जो आदेश दिए हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो तो जब विभाग उनको सस्पेंड कर दे तो इसकी सूचना सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जो बात माननीय रियासत हुसैन जी ने कही है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे उत्तर को ठीक से पढ़ा नहीं है । आप उत्तर को ठीक से पढ़ लें तो आपको पता चल जायेगा । अनुसंधान शाखा ने जो जांच किया है उस पर कार्यवाही विभाग ने किया है । जांच के पहले ही हमारे विभाग द्वारा कार्यवाही हो चुकी थी, और वह लोग फिर बहाल किए गए । 2-3 आदमियों को लेबर कोर्ट में कर दिया था । जुडीशियल कोर्ट सुपीरियर है, इसलिए जुडीशियल कोर्ट के निर्णय तक उनको निलम्बित रखा जायेगा ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि. . . .

श्री अध्यक्ष--

(श्री स्वामी प्रसाद सिंह, खाद्य मंत्री के सदन में अखबार पढ़ने पर) सदन में अखबार पढने की आज्ञा नहीं है। माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि वह सदन में अखबार न पढ़ें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

सहकारिता विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर घ.टाला है, गबन है और बहुत सी शिकायतें हैं और सहकारिता विभाग की जो मशीनरी है वह सक्षम नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इसको ठीक करने के लिए ठोस और नये कदम उठायेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

हमारे माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने कहा कि सहकारिता विभाग की जो मशीनरी है वह अक्षम है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग की मशीनरी अपराधी लोगों को दन्ड देने के लिए सक्षम है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 15 दिन में जब से मैंने चार्ज लिया है करीब 53 अभियोगों में 59 व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है। सहायक विकास अधिकारी 1, बैंक कर्मचारी 15, सचिव 15, कुर्क अमीन 4, सुपरवाइजर 5, सर पंच 13 और कैशियर 8 लोगों को दण्ड दिया गया है। इन सारे लोगों को बन्दी बनाया गया है। इसके बाद वकील साहब को नहीं कहना चाहिए कि यह विभाग सक्षम नहीं है। जो विभाग 15 दिनों में 59 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, वह विभाग अक्षम कैसे है ?

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जबाब में कहा कि मैंने उसके उत्तर को पढ़ा नहीं है। मैंने जो प्रश्न किया था वह लिखित उत्तर को पढ़कर नहीं किया था। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था कि हमने यह आदेश दिये हैं कि उन लोगों को सस्पैंड किया जाय। इस उत्तर के सन्दर्भ में मैंने प्रश्न किया था। इसलिये इसे मेरे द्वारा न पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

मैं फिर प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी आपने यह कहा कि आपने अपने विभाग में क्या-क्या कार्यवाही की है। जिस पृष्ठभूमि में मैं पूछ रहा हूं, मेरे पास सैकड़ो मिसालें ऐसी हैं जिनमें शासन ने आदेश दिये और आपके विभाग में वे आदेश केरी आउट नहीं हुये। उनकी एक लिस्ट मैं आपके पास भेज दूंगा। उसी संदर्भ में मैं प्रश्न कर रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके खिलाफ आपने सस्पेंशन के आदेश दिये हैं, क्या डिपार्टमेंट ने उनको सस्पेन्ड कर दिया ? यदि इसकी सूचना आप यहां न दे सकें तो कम से कम माननीय भूखालाल जी को देने की कृपा करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोग सस्पेंड अब तक नहीं हुए होंगे तो अब हो गये होंगे और यह समझ लीजिये कि वे सस्पेंड हो गये हैं। आप एक भी उदाहरण दे दें कि जिसमें हमारे एक भी आदेश का पालन नहीं हुआ है, तो मैं तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

[बृहस्पतिवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद मथुरा में मलेरिया नियत्रंण हेतु किये गये प्रयास

*1--श्री सरदार सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है मथुरा जनपद में माह अगस्त, 83

से लेकर दिसम्बर, 1983 तक जिले में भयंकर मलेरिया की बीमारी फैली थी जिसके कारण अनक व्यक्तियों को कालकवलित होना पड़ा था ? यदि हां, तो गत वर्षों की भयंकरता को मद्दनजर रखते हुए शासन इस वर्ष के लिये मलेरिया को रोकन के लिए कौन-कौन से प्रभावी कदम उठा रहा ह ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन वर्षा ऋतु में मलेरिया के डाक्टरों की टीमों के कैम्प देहाती क्षत्रों में लगवाने की व्यवस्था करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह-

वर्ष 83 म अगस्त से दिसम्बर तक जिले में जलभराव की समस्या अत्यधिक थी और इसके कारण मलेरिया का प्रकोप भी रहा किन्तु किसी व्यक्ति की मलरिया द्वारा मृत्यु नहीं हुई थी । इस वर्ष मलेरिया नियंत्रण हेतु जो प्रयास किये गय हैं वह निम्न प्रकार है--

1--जिन क्षेत्रों म गतवर्ष मलेरिया एवं पी0 एफ0 का अधिक प्रकोप रहा, वहां मार्च, 84 में बी0 एच0 सी0 दवा का विशेष चक्र छिड़काव किया गया ।

2--माह अप्रल में कार्यकर्ताओं के दल बनाकर एक विशेष अभियान चलाया गया । जिसमे बुखार ग्रसित रोगियों का उपचार किय. गया और उनकी रक्त पटिटकायें बनायी गयीं । इसी प्रकार के अभियान का दूसरा चक्र 24-8-84 से आरम्भ किया गया हैं जो 5-9-84 तक पूर्ण किया जान था एवं तृतीय अभियान सभी भागों में अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में आरम्भ किया जाएगा ।

3--समस्त जनपद में बी0 एच0 सी0 द्वारा तीन चक्र चलाना अपेक्षित है। प्रथम चक्र । मई, से आरम्भ करके 30 जून, 84 तक पूर्ण किया गया तथा द्वितीय चक्र 16-6-84 से आरम्भ किया गया जो समाप्ति पर है । तृतीय चक्र भी कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1-8-84 से आरम्भ कर दिया गया है तथा 30 सितम्बर, तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

4--इन समस्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद में समस्त चिकित्सा अधिकारियों, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला मलेरिया अधिकारी तथा अन्य मलेरिया स्टाफ को लगाया गया है और सभी लोगों न छिड़काव कार्य व रोगियों के उपचार कार्य को देखा है एवं संचालन किया गया है ।

5--स्वेच्छिक समाज सेवी संस्थाओं, व्यक्तियों स्वास्थ्य प्रदर्शकों को प्रोग्राम के अन्तर्गत लिया गया है और उन्होंने भी रोगियों का उपचार किया है । 2233 व्यक्तियों ने 1, 56, 727 रोगियों का जुलाई, 84 तक उपचार किया है । इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधानों को क्लोरोक्वीन गोलियां उपलब्ध करायी गयी हैं और ये लोग भी अपने ग्रामों में रोगियों का उपचार कर रहे हैं ।

6--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सक बराबर गांवों में उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु जा रहे हैं और कार्य कर रहें है ।

उपरोक्त विशेष प्रयासों के कारण मलेरिया की स्थिति काफी सामान्य है । इस वर्ष जुलाई तक की अवधि में जनपद में कुछ 480 पी0 फेल्सीपेरन केसेज पाये गये हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 905 पी0 एफ0 केसेज पाये गये थे । इस प्रकार इस वर्ष पी0 एफ0 के प्रकोप में पिछले वर्ष की तुलना में 47% की कमी आयी है ।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसका कोई महत्व नहीं दिखाई देता क्योंकि इस साल वर्षा विलम्ब से हुई है और मलेरिया का प्रकोप अब हो रहा है। मथुरा से आज ही कुछ लोग आये हैं बताया है कि वहां पर जलभराव की समस्या हो गयी है और मलेरिया तेजी से फैल रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी यहां से उच्च अधिकारियों की टीम भेजने की कृपा करेंगे जिससे वहां यह काम अच्छी तरह से हो सके और मलेरिया जो फैल रहा है उसकी रोक थाम हो सके ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, हर गांव में ग्राम प्रधानों को क्लोरोक्वीन दवा दे दी गयी है और जिन ग्राम प्रधानों के इलाकों में इसका प्रकोप है उसमें डी0 डी0 टी0 छिड़कने के लिए दे दिया गया है मथुरा के लिए 30 टन डी0 डी0 टी0 पहुंचा दिया गया है।

श्री सरदार सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम प्रधानों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है जिससे मलेरिया का निदान हो सके ? आपका जो इसके लिए स्टाफ है वह क्या कर रहा है क्योंकि ग्राम प्रधानों से तो इसका निदान नहीं हो सकेगा।

श्री लोकपति--

प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ जहां मलेरिया का प्रकोप होगा वह न फैले वहां जायेगा इसकी व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां तराई में मलेरिया फैल रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका प्रकोप हो गया है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो मथुरा के बारे में है।

श्री बिहारी लाल--

मलेरिया का तो सारे प्रदेश में प्रकोप है, पहाड़ों में भी इसका प्रकोप है।

श्री लोकपति--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, कुमायूं कमिश्नरियों में और उत्तरांचल की मलेरिया प्रून एरिया माना गया है।

प्रदेश के अन्य जनपदों में दो छिड़काव इस वर्ष किये जा रहे हैं, जो मलेरिया ग्रसित जिले हैं वहां 3 छिड़काव किये जा रहे हैं और जिस एरिया में घनत्व मलेरिया का अधिक है वहां 4 चक्र चलाये जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम प्रधान को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से कुनैन की गोलियां वितरित करते हैं और जहां लोगों को जूड़ी का ज्वार आता है तो उनको वह गोलियां दी जायं। इसके साथ ही मलेरिया नियंत्रक दल भी समयानुसार विजिट कर रहा है।

श्री रामस्वरूप निम--

अभी मंत्री जी ने कहा कि ग्राम प्रधानों को दवाई देने का प्रबन्ध किया जा रहा है और इस प्रदेश में सल्टी परपज स्कीम चल रही है और हर कार्यकर्ता को हर काम करना है। तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हर कार्यकर्ता के पास में दवाइयां हैं। जबकि मेरी निश्चित जानकारी है कि यह सारी दवाईयां बाजार में बिक रहीं हैं। डी0डी0 टी0 बाजार में बिक रहीं हैं। इसलिये ग्राम प्रधानों की बात को तो

छोड़ें पी0 एच0 सी0 के किसी भी कार्यकर्ता के पास कोई गोली या डी0 डी0 टी0 नहीं है और जहां रिपोर्ट करायी गयी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसलिये जहां महामारी फैलने की आशा है वहां क्या मंत्री जी सुनिश्चित करायेंगे कि प्रधानों को दवाइयां दी गयी हैं ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, शासन की जानकारी में कहीं से, ऐसी कोई घटना नहीं आयी है ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी वह स्कीम सोच रहे थे कि मच्छर रहेगा लेकिन मलेरिया नहीं रहेगी और बहुत बड़े-बड़े पोस्टर और नारे लिखे गये थे। उससे मच्छर और मलेरिया दोनों बढ़ गये । तो क्या ऐसी योजना पर आप विचार करेंगे कि मच्छर ज्यादा से ज्यादा मार दिये जांय ताकि मलेरिया की रोकथाम हो जाये ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, यह मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है । हमने अपनी योजना उनको बना कर भेज रखी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, अब यह प्रश्न मथुरा का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है । तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि मलेरिया तराई के क्षेत्रों में अधिक है और मलेरिया मच्छर का भारत-नेपाल और चीन की तरफ से हमला होता है, वह हमला शुरु हो गया है, तराई में देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोंडा आदि में कोई घर ऐसा नहीं है जो मलेरिया से पीड़ित न हो, तो क्या मंत्री जी मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई और योजना चलाने पर विचार कर रहे हैं, कि तराई में मौजूदा व्यवस्था मलेरिया को रोकने में असमर्थ है ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, ऐसी कोई भयंकर स्थिति नहीं है । परन्तु सत्य है कि भारत के पड़ोसी देशों से मच्छर आते हैं मई, 1984 में पूर्वी प्रदेशों जैसे बिहार, आसाम और बंगाल प्रदेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था जिसमें नेपाल देश के प्रतिनिधि भी आये थे, भारत सरकार के लोग भी उसमें आये थे, तो यूनाइटेड हेल्थ आर्गनाइजेशन के तहत यह सम्मेलन हुआ था, जिसमें एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है कि भारत सरकार नेपाल सरकार के माध्यम से उस बेल्ट में किस तरह मलेरिया की रोकथाम की जाय ।

श्री विवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में मलेरिया है वहां 4 छिड़काव और जहां नहीं है वहां दो छिड़काव के आदेश दिये गये हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सूचना देते हुये कि बस्ती में जब बाढ़ आयी थी तो बस्ती के उन गांवों में जो बाढ़ से प्रभावित थे वहां छिड़काव का प्रस्ताव किया था, तो उत्तर यह दिया गया कि छिड़काव केवल उन्हीं स्थानों पर होगा, जहां कम से कम तीन वर्षों तक मलेरिया डिटेक्ट हुआ है और जहां पर बाढ़ आती है वहां पर गांवों में केवल दवा डाली जाती है और वह डाली जाएगी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे यहां जहां बाढ़ आ गयी है, किन्तु वहां कहने के बावजूद छिड़काव नहीं किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि शासन से ऐसे निर्देश नहीं हैं, वहां पर प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है, तो जो मंत्री जी ने अभी कहा है, उसके आधार पर मेरे क्षेत्र के सब गांवों में छिड़काव कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति--

जहां-जहां पर बाढ़ है, वहां पर सर्वेक्षण कराने के बाद छिड़काव कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद हरदोई के सान्डी नगर में अनियमित ढंग से मिट्टी के तेल को वितरण की शिकायत

*2--श्री सन्तबख्श रावत--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई के सांडी नगर में इस समय कितने फुटकर मिट्टी के तेल के विक्रेता हैं तथा उन्हें जुलाई, 83 से माह जनवरी, 84 तक प्रतिमाह कितना मिट्टी का तेल वितरण हेतु दिया गया ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गत 4-5 माह के दौरान वितरण में अनियमितताओं की शिकायत जनता द्वारा जिलाधिकारी को दी गयी ? यदि हां, तो जांच से क्या अनियमितताओं पाई गयी ? क्या सरकार अनियमितताएं बरतने वालों के विरुद्ध 3/7 की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्रीमती प्रेमवती तिवारी)--

हरदोई के सान्डी नगर में वर्तमान समय में कुल 9 फुटकर मिट्टी के तेल के विक्रेता हैं। माह फरवरी, 1984 के पूर्व 13 फुटकर मिट्टी के तेल के विक्रेता थे तथा उन्हें जुलाई, 83 से जनवरी, 84 तक प्रत्येक माह में आवंटित मिट्टी तेल की मात्रा का विवरण संलग्न है।

माह दिसम्बर, 1983 में केवल श्री राजभजन पाठक मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेता, सान्डी के विरुद्ध अनियमित ढंग से मिट्टी का तेल वितरित किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई।

शिकायतों की जांच करने पर यह पाया गया कि उक्त विक्रेता ने माह अक्तूबर, 1983 से माह जनवरी, 1984 तक 30,000 लीटर मिट्टी तेल विभिन्न थोक विक्रेताओं को दुकान से उठाया, परन्तु केवल 8,500 लीटर मिट्टी का तेल ही अपने व्यापार स्थल पर वितरण हेतु ले गये। इस प्रकार विक्रेता द्वारा 21,500 लीटर मिट्टी के तेल का दुरुपयोग किया गया।

अनियमितता के आरोप में विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दिनांक 8-8-84 को सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा सान्डी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गयी।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 183 पर।)

श्री सन्त बख्श रावत--

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में यह बताया है कि माह दिसम्बर, 83 में जनता की शिकायतें प्राप्त हुई थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें दिसम्बर, 83 में प्राप्त हुई थीं, उसके जांच के आदेश कब और किसको दिये गये थे और जांच कब पूरी हुई ? क्योंकि मेरी जानकारी है कि जनता की शिकायतों पर कोई कार्यवाही शासन द्वारा--जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई, लेकिन जब मैंने प्रश्न किया 2/6 को तो उसके बाद ही यह जांच हुई है और उसके सन्दर्भ में ही 3/7 का मुकदमा रामभजन पाठक के विरुद्ध कायम किया गया है। तो पहले जांच क्यों नहीं की गई और 3/7 के मुकदमें में इस समय क्या कार्यवाही हो रही है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

यह तो उत्तर में कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन मुलजिम एबस्कान्ड कर रहे हैं, अब यह आगे पुलिस का काम है, अब विभागीय कोई काम नहीं है। उसका चालान कर दिया गया है। उसका लाइसेन्स कैंसिल करके उसको तेल नहीं दिया गया है।

श्री सन्त बख्श रावत--

जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की सांठ-गांठ से ही यह ब्लैक का काम होता है और नागरिकों को जरूरी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, जिन्होंने इतने दिनों तक जनता की शिकायतों के बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और इतने विलम्ब से मुकदमा दर्ज हुआ ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

शिकायतें जो थीं, वह दिसम्बर, 1983 में आई थीं और उनकी जांच करीब अगस्त में हुई है। इस कमी के लिए मैंने जांच के आदेश दे दिये हैं, नेग्लीजेंस आफ सुपरविजन किस पर है, इसे निश्चित करने के लिए आदेश दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि एक फुटकर तेल बिक्रेता को इतनी अत्यधिक मात्रा में तेल किन परिस्थितियों में दिया गया। मैं भी खाद्य समिति का सदस्य हूं, विधायक होने के नाते फुटकर बिक्रेता दो प्रकार के होते हैं एक तो जो कार्ड धारकों को तेल देते हैं और दूसरे फुटकर लोगों को तेल देते हैं। इतनी मात्रा में किसी विक्रेता को तेल दे दिया गया यह अप्रत्याशित मालूम होता है। क्या आपने इस बिन्दु पर जांच करायी कि कार्यालय में कोई ऐसा रैकेट तो नहीं बन गया है जो कोटेदारों को अत्यधिक मात्रा में तेल दे रहा है और वह मौके पर बांटते नहीं हैं, ब्लेक में बेच देते हैं। क्या इस बिन्दु पर जांच करायी गयी। यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आये ? आप खुद सांडी गये थे और दूकानदारों के यहां छापे मारे थे। उसके बाद आपकी, पार्टी में बड़ी प्रताड़ना और लानत मलामत की गयी। क्या इसकी कोई जानकारी है, और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, दूसरा प्रश्न तो कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, एक कोटेदार को इतना तेल कैसे मिल गया तो उसने डिफरेंट थोक विक्रेताओं से भी लाइसेंस लिया था। अगर आपको ऐसे कोई रैकेट की जानकारी है तो आप सूचित कर दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा।

नया बाजार, लखनऊ के संचालक मण्डल के सदस्य श्री सालिग राम गुप्ता को हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*3--श्री कुबेर भण्डारी (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नया बाजार के संचालक मण्डल के सदस्य (श्री सालिगराम गुप्ता) जो कि दौलतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ से प्रतिनिधि के रूप में आकर संचालक मण्डल के सदस्य बन गए हैं, बाजार खाला उपभोक्ता सहकारी समिति के भी सदस्य हैं जबकि एक व्यक्ति दो समितियों का सदस्य नहीं हो सकता ? यदि हां, तो क्यों तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी हां, श्री सालिगराम गुप्ता दौलतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ से नया बाजार, लखनऊ के लिए प्रतिनिधि चुने गये थे। तदुपरान्त वह नया बाजार के संचालक मण्डल के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री गुप्ता बाजार खाला उपभोक्ता सहकारी समिति के भी सदस्य हैं।

उपभोक्ता सहकारी समितियों की उप विधियों में यह प्राविधान है कि वही व्यक्ति सदस्य बनने का पात्र होगा जो समिति के कार्य क्षेत्र में रहता हो। चूंकि श्री गुप्ता दौलतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं रहते थे अतः समिति द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी। फलस्वरूप वह नया बाजार के संचालक मण्डल के सदस्य भी नहीं रह सकते।

नया बाजार के सचिव/अध्यक्ष को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह श्री गुप्ता को संचालक मण्डल से हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करें।

डा0 वी0 एन0 सिंह, प्रवक्ता द्वारा प्रयोगिक परीक्षा में की गयी अनियमितताओं के विषयक शिकायती पत्र

*4—श्री मोतीलाल देहलवी

(अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गणेश चन्द्र मिश्र, बी0एम0एस0 अन्तिम वर्ष, राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ का डा0 बी0 एन0 सिंह प्रवक्ता द्वारा प्रयोगिक परीक्षा में की गयी अनियमितता विषयक प्रधानाचार्य का शिकायती-पत्र दिनांक 1-6-83 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

ऐसा कोई पत्र प्रधानाचार्य से शासन अथवा निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है। स्वयं श्री गणेश चन्द्र मिश्र का एक दिनांक रहित शिकायती-पत्र माननीय विधायिका श्रीमती धनेश्वरी देवी के पत्र दिनांक 22-11-83 के द्वारा होम्योपैथी निदेशालय में प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी की जांच हेतु भेजा गया है। जिलाधिकारी से अभी जांच आख्या प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री मूल चन्द्र शर्मा, प्रशासक, एवं उनके परिवार के सदस्यों पर साधन सहकारी समिति पिपाला का बकाया ऋण

*5—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मूलचन्द्र शर्मा पुत्र श्री खजान सिंह, निवासी पिपाला, जनपद व तहसील बुलन्दशहर तथा उनके परिवार के सगे सम्बन्धियों द्वारा साधन सहकारी समिति, पिपाला का लगभग सत्तर हजार रुपया (70,000 रु0) के घोटाले से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 19-4-84 मिला था? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कोई जांच कराई गयी? जांचोपरान्त उक्त घोटाला प्रमाणित होने के बाद क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां। मामले में जांच करायी गयी। जांच में किसी प्रकार का घोटाला नहीं पाया गया, परन्तु श्री मूल चन्द्र शर्मा, प्रशासक, एवं उनके परिवार के सदस्यों पर समिति का ऋण बकाया होना पाया गया। बकायादार होने के कारण श्री शर्मा को उक्त समिति के प्रशासक पद से हटा दिया गया है।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, डिफाल्टर को प्रशासक बनाया गया। मैंने सवाल किया तो उसकी जांच के बाद हटाया गया। मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि कोई घोटाला नहीं पाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि बाबू राम के नाम पर कितना रुपया है और वह कहां का

रहने वाला ह ? मेरा आरोप है कि बाबूराम नाम का आदमी इक्विजस्ट ही नहीं करता है । दूसरी बात हुकुम चन्द के नाम के व्यक्ति पर कितना कर्ज है । क्या यह सरकारी अधिकारी हैं. सरकारी अधिकारी सोसायटी से यह कर्ज ले सकता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय किरनपाल सिंह ने जो बातें कही हैं वह सही है । उनके परिवार के लोगों ने मिलकर कर्जा लिया था इसलिये उनके ऊपर आर्बिट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है । उनकी सारी जो चल-अचल सम्पत्ति है उससे कर्जे की वसूली की जायगी ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, परिवार के सदस्यों के नाम और सरकारी अधिकारी जो पुलिस और चकबन्दी में हैं उनके साथ-साथ कर्ज उन व्यक्तियों के नाम भी हैं जो इक्विजस्ट ही नहीं करते हैं । आपने जवाब दिया कि घोटाला नहीं पाया गया । आप पुराने मन्त्री जी से अच्छे हैं इसलिये उम्मीद है कि आप कार्यवाही करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि कितना कर्जा है, इसको कब तक वसूल करवा देंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह कुल करीब-करीब 49,000 रुपया है ।

श्री किरनपाल सिंह--

सूद सहित 70,000 रुपया है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

हां, सूद सहित 70,000 रुपया है । यह श्री हुकुम चन्द्र शर्मा पुत्र खजान सिंह, ओमदत्त शर्मा, निरंकर शर्मा, नरेन्द्र कुमार, खजान सिंह, बाबूराम के नाम हैं । इसमें 5-6 आदमी एक ही परिवार के हैं । इसमें 8 हजार की वसूली हो गई है और शेष वसूली की कार्यवाही हो रही है । जितना कानून में दण्ड देने की प्रक्रिया हो सकती है, सब अपनाई जायगी ।

श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि जब समिति का पैसा गलत ढंग से दूसरे लोगों को दिया गया, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने यह पैसा गलत ढंग से ऋण के रूप में दिया, क्या उनसे विरुद्ध भी उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 65 या 68 के अन्तर्गत उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, कर्जा लेने के लिए अभी तक जो तरीके सहकारिता विभाग में बने हुए हैं, अंगूठा लगा कर लेते हैं, अभी तक जो कायदे-कानून हैं, उसमें गलत तरीके से कर्जा लेने की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है । विधान सभा अगर कोई कानून बना दे, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी । अभी तो हम आर्बिट्रेशन बैठाते हैं और जांच कराते हैं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

आपको अधिकार है कि नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा मांग सकते हैं ।

जनपद मेरठ के ग्राम मटौर के रवीन्द्र कुमार की चाकू लगने से मृत्यु तथा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

*6--श्री मंजूर अहमद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-11-83 को जनपद मेरठ के थाना दौराला के अन्तर्गत ग्राम मटौर के रवीन्द्र कुमार पुत्र शेर सिंह चौहान, आयु 22 वर्ष की मृत्यु चाकू लगने से हो गई थी, जिसका चाकू

पुलिस द्वारा समस्त जनता के सामने मौके पर मृतक की छाती के बांयें हिस्से से निकाला गया था ? क्या यह भी सत्य है कि मृतक का पोस्ट मार्टम नं0 696/83, दिनांक 11-11-83 को मेडिकल कालेज प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ के किसी डाक्टर द्वारा किया गया था और उस डाक्टर ने चाकू लगने से मृत्यु न दिखाकर दिल की पुरानी बीमारी दिखाकर दिल फटने से मृत्यु दिखाई है ? यदि हां, तो किन कारणों से चाकू को छिपाया गया ? वह डाक्टर कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? समस्त कार्यवाही सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

पूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, पोस्ट मार्टम की और पुलिस की रिपोर्ट अलग-अलग क्या हैं ?

श्री लोकपति—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट डाक्टर ने थाने को भेज दिया है । वह मेरे पास नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, तीन महीने पहले यह सवाल मैंने डाला है और आज तक आप कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरा कहना है कि रवीन्द्र कुमार मृतक के जिस्म से चाकू पब्लिक के सामने एस0 पी0 (देहात) ने निकाला है और डाक्टर ने उसकी मृत्यु हार्ट के दौरे की बतायी, जबकि जिस्म पर चोटें मौजूद हैं । अगर यह बात सही है, तो आप उस डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट मैंने मांगी है, वह तो आपके पास होनी चाहिए, इतना तो बता दें और डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और कितने दिन में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मिल जायगी ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट हमारे पास तो नहीं है, जो सूचना आयी है, उस सूचना के अनुसार उस व्यक्ति पर छुरे के या चाकू के घाव नहीं थे ।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*7—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—(अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम में कार्यरत कुष्ठ कार्यकर्त्ताओं की कोई सेवा नियमावली बनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सेवा नियमावली तैयार हो चुकी है । अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

जनपद लखनऊ स्थित गोसाईगंज विकास क्षेत्र की साधन सहकारी समिति लि0, बहरौली के सचिव, श्री रामदीन के विरुद्ध चोरी व कार्य के प्रति उदासीनता का आरोप

*8—श्री प्रदीप कुमार यादव—(अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ स्थित गोसाईगंज विकास क्षेत्र की साधन सहकारी समिति लि0, बहरौली में सन् 1980 में कार्यरत तत्कालीन सचिव के विरुद्ध फर्जी नामों से लगभग 17 हजार रुपए की हेराफेरी करने का मामला प्रकाश में आने के कारण उसे निलम्बित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन शाखा प्रबन्धक व सचिव, बहरौली ने कोई रिपोर्ट दिनांक 25-6-81

अथवा उसके आस-पास ए0डी0ओ0(सी) को भेजी गयी ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गबन और चार सौ बीस सम्बन्धी मामले की बगैर जांच कराए ही उक्त निलम्बित सचिव को दिनांक 27-3-84 को जिला शाखा प्रबन्धक सहकारी बैंक लि0, शाखा नगराम, लखनऊ द्वारा बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है और क्या माननीय मन्त्री जी न्याय के हित में उक्त बिन्दुओं की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराकर दोषी व्यक्ति को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी नहीं ।

लखनऊ जनपद में गोसाईगंज विकास क्षेत्र की साधन सहकारी समिति लि0, बहरौली के सचिव श्री रामदीन को मु0 17 हजार रु0 के हेरा-फेरी का मामला प्रकाश में आने के कारण नहीं, अपितु समिति में हुई चोरी व कार्य के प्रति उदासीनता के आरोप में दिनांक 12-1-81 को निलम्बित किया गया था । वर्तमान सचिव, श्री राम नारायण गुप्ता ने दिनांक 25-6-81 को एक रिपोर्ट शाखा प्रबन्धक तथा ए0 डी0 ओ0 (सी) को की थी । शाखा प्रबन्धक द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी । जी नहीं । जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट आरोपित कर्मचारी के स्पष्टीकरण एवं आश्वासन तथा वसूली को दृष्टि में रखते हुए जिला प्रशासनिक कमेटी ने अपनी बैठक दिनांक 23-2-84 में सचिव को निलम्बन अवधि का 2/3 वेतन देकर इस प्रतिबन्ध के साथ बहाल किया कि 30-5-84 तक विवादग्रस्त धनराशि की वसूली न होने पर उसे पुनः निलम्बित कर दिया जायेगा ।

न्याय के हित में उक्त बिन्दुओं की जांच अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी से करायी गयी और जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर समिति से तत्कालीन अध्यक्ष, श्री बेचा लाल व सचिव, श्री रामदीन के विरुद्ध दिनांक 22-7-84 को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई तथा सचिव को दिनांक 5-9-84 को निलम्बित कर दिया गया ।

आयुर्वेदिक एवं यूनी कालेजों के कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली

*9--श्री पंचानन राय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए कोई सेवा शर्तें तथा सेवा नियमावली बनाई गयी हैं ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरि सिंह--

राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों के (1) शिक्षकों, (2) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा नियमावली लोक सेवा आयोग को अनुमोदन हेतु भेजी गयी है । वैयक्तिक सहायकों की सेवा नियमावली शासन के विचाराधीन है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, प्रश्न के प्रथम भाग के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि शिक्षक और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा नियमावली शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को कब भेजेगी और कब तक उसके अन्तिम रूप से प्रकाशित होने की सम्भावना है दूसरे वैयक्तिक सहायकों की सेवा नियमावली शासन के विचाराधीन है और शासन कब तक इस पर निर्णय लेगा ?

श्री लोकपति--

5-10-1982 को लोक सेवा आयोग को सूचना भेजी गयी थी, उसके बाद तीन रिमाइंडर भी लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं । 83 के फरवरी में,

84 के फरवरी में जून में और जुलाई में तीन बार भेजे जा चुके हैं और प्रधानाचार्य और अधीक्षक तथा वैयक्तिक सहायकों की नियमावली शासन के विचाराधीन है, 1984 से। अभी कुछ सूचनायें निदेशालय से 31 जुलाई, 1984 को मांगी गयी हैं जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं।

जनपद रामपुर में गेहूं की खरीद

*10--श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में गेहूं क्रय केन्द्रों पर खाली बोरा उपलब्ध न होने और राष्ट्रीय खाद्य निगम के पास भण्डारण हेतु गोदाम न होने की वजह से गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है ? जिसके कारण बाजार में गेहूं के दाम 140 रुपया प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं और क्या यह भी सच है कि खाद्य एवं रसद विभाग तथा राष्ट्रीय खाद्य निगम के गेहूं खरीद केन्द्रों पर बिचौलियों द्वारा ही गेहूं लिया जा रहा है जिससे किसान परेशान हैं ? क्या यह भी सच है कि खाद्य एवं रसद विभाग और राष्ट्रीय खाद्य निगम द्वारा प्रान्तीय सहकारिता फेडरेशन को जान-बूझकर खाली बोरे उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

जी नहीं, रामपुर जनपद में कृषकों से गेहूं की सीधी खरीद की गई है और खरीद अवधि में उक्त जनपद में गेहूं का मूल्य रु0 150 से 152 प्रति कुन्तल से कम नहीं रहा है। कोई ऐसा मामला भी प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह कह सके कि खरीद बिचौलियों से की गई है।

यह भी सही नहीं है कि प्रान्तीय सहकारी संघ को जान-बूझ कर बोरे उपलब्ध नहीं कराए गए। तथ्य यह है कि प्रान्तीय सहकारी संघ के पास पूरी खरीद अवधि में बोरों की उपलब्धता नियमित रूप से बनाई रखी गई।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

जनपद रामपुर में गेहूं क्रय केन्द्रों पर खाली बोरा उपलब्ध न होने और राष्ट्रीय खाद्य निगम के पास भंडारण हेतु गोदाम न होने की वजह से गेहूं की खरीद नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी बात थी तो मेरे पास एक दरख्वास्त लिखकर भेज देते मैं फौरन व्यवस्था करवाता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा माननीय सदस्य की जिज्ञासा है माननीय सदस्य ने 13-6-1984 को सूचना दी कि रामपुर में गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरे नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख को पहली बार इन्डेन्ट गेहूं जमा करने के लिये एफ0 सी0 आई0 की गोदाम पर पहुंचा वह तारीख बता दें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य बोरे का चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

15-6-1984 को माननीय सदस्य ने सवाल किया था कि किस तारीख को क्रय केन्द्र से गेहूं जमा होने हेतु गोडाउन में पहुंचा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

किस तारीख को 50 हजार बोरे थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

किस तारीख को नहीं थे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

50 हजार बोरे पुराने पड़े थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

किसानों के शोषण का बड़ा ताजा उदाहरण है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी कोई और उत्तर दे रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस सवाल में एक ही बिन्दु है माननीय सदस्य की जो शिकायत है वह 13-6-1984 की है, कि गेहूं खराब हो रहा है बोरे नहीं हैं। मान्यवर, आपको भी जानकारी होगी कि शासन का आदेश पांच महीनों में हो गया। अब 13-6-84 तारीख आ गई । माननीय मंत्री जी तारीख बता दें, मंत्री जी तारीख बता देते हैं तो उससे मालूम हो जाएगा सच्चाई क्या है ? मान्यवर, मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, 55 हजार बोरे इस संस्था के पास थे । मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह बोरे कब खत्म हुए ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं ।

जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर श्री गोवर्धन लाल को गोरखपुर में बनाये रखने का कारण

*11--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र --

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०-149 के सम्बन्ध में क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री सुनील शास्त्री, श्रम मन्त्री, राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं बलवीर सिंह, विधायकों के शिकायती-पत्रों के मिलने के पश्चात् सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर श्री गोवरधन लाल को अब तक गोरखपुर में बनाए रखने का क्या कारण है ? पुलिस प्रकोष्ठ की जांच में कौन से तथ्य आए तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

श्री गोवर्धन लाल, जिला पूर्ति अधिकारी नें गोरखपुर से उत्त काशी को हुए स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है । पुलिस प्रकोष्ठ की एक जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हुई । दूसरी जांच के आधार पर श्री लाल का स्पष्टी-करण प्राप्त किया गया जिसके तारतम्य में अग्रेतर सूचना प्रतीक्षित है । एक अन्य बिन्दु हर जांच आख्या शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के लिए आप का संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, आपके संरक्षण में माननीय खाद्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर से उत्तर काशी को हुए स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आये लेकिन प्रशासनिक ढंग से उसको निष्प्रभावी रखने में मंत्री जी को क्या दिक्कत है । मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-97 के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न संख्या-61 के उत्तर को देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस जिला पूर्ति अधिकारी को संरक्षण दिया जा रहा है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

आपका प्रश्न है कि गोबरधन लाल का ट्रांसफर क्यों नहीं किया । उसका उत्तर मिल गया कि हाई कोर्ट से स्टे है । चाहे यह गलत हो चाहे यह सही हो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है । इसमें जो जांच थी वह चल रही है कुछ पेंडिंग भी है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, माननीय श्रम मन्त्री, माननीय राजेन्द्र कुमार जी और मेरी

शिकायत ह, इसको ध्यान में रखते हुए क्या यह इनको निष्प्रभावी ढंग से रखने पर विचार करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, जो माननीय सदस्यों की शिकायत आई थी उसम जांच चल रही ह 10 शिकायत थी उनम आठ में वह निर्दोष साबित हुए हैं। दो शिकायतों की जांच चल रही है।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि शिकायती पत्रों की जांच पुलिस प्रकोष्ठ से अ.गे उनकी जांच चल रही ह वह शिकायतकर्ता कौन थे, उनका क्या नाम है, और जो शिकायतकर्ताओं की जांच हो रही है, उनके नाम क्या हैं ? शिकायतें क्या हैं। यदि माननीय विधायकों के अतिरिक्त और भी शिकायकर्ता हैं तो उनके नाम क्या हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, शिकायतकर्ता हैं सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, बलवीर सिंह सुनील शास्त्री और दुर्गा प्रसाद मिश्र। जो शिकायतें हैं उनका लब्बो लुआब यह है कि फर्जी परमिट बनाकर फर्जी बिक्री दिखाकर ब्लक किया, तीन सेल के सीमट के सत्यापन में देर की जिससे काफी सीमेंट खराब हो गई। स्टाकिस्टों को परेशान करने के लिए छापे मारे गये, सीमेंट और लोहे के स्टाकिस्टों पर छापे मारे गये लेकिन लोहे की बिक्री की गलती के कारण सीमेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया, सीमेंट का परमिट अधिक का न देने के शासनादेश के बावजूद 20-25 और 100 बोरी सीमेंट का परमिट दिया आदि आदि।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम प्रतिपक्ष के विधायकों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन जब श्री सुनील शास्त्री, जो संयोग से जो गोरखपुर के विधायक हैं और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी शिकायत पर किया गया ट्रान्सफर रोक दिया गया तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब एक माननीय मंत्री जी ने एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की और प्राग्दर्शन में शिकायत सही पायी गयी और उसको हटा दिया गया तो फिर हाईकोर्ट का बहाना लेकर उसको क्यों रोक रखा गया है। यदि उसको सस्पेंड करने में दिक्कत है तो ऐसी व्यवस्था करने म क्या दिक्कत है कि उससे और सब काम लिया जायगा। लेकिन उससे कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं लिया जायगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य इतने समझदार सदस्य ह, फिर भी ऐसी बात पूछ रहे हैं। शासन ने तो उसका ट्रान्सफर कर दिया, लेकिन उसका हाईकोर्ट से स्टे हो गया। हम एतराज लगा रहे हैं लेकिन वह तारीखें बढ़वाता जा रहा ह। ट्रान्सफर तो हम कर ही चुके ह लेकिन वह रुकवाए ह।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस संदर्भ में माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि श्री गुप्त जी ने कहा कि आपने ट्रान्सफर कर दिया, उसने स्टे ले लिया, कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, ठीक है आदर होना चाहिये। लेकिन उससे प्रशासनिक अधिकार छीनने में क्या परेशानी है ? उससे प्रशासनिक अधिकार छीन लिया जाय और उसको वहीं रहने दिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जो स्टे है, उसके बाद उससे कोई अधिकार छीन लिया जाय तो इस पर यह प्रश्न आता है कि क्य

उसके अधिकार छीनने से डी0 एस0 ओ0 न रखने के

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कोई नई बात नहीं कही है । यह मामला शासन के विचाराधीन चल रहा है, लीगल एडवाइस लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या हम उस अधिकारी से विभाग छीन सकते हैं कि नहीं । कहीं विभाग छीनने से हाईकोर्ट के कन्टेम्प्ट का प्रश्न न आ जाय ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसका बाजार, बस्ती में उपलब्ध चिकित्साधिकारी

*12--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, उसका बाजार, बस्ती में पिछले कई महीने से कोई डाक्टर अस्पताल पर नहीं रहता है, जिससे सम्बन्धित जनता को दवा आदि के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसका बाजार, बस्ती में सामान्यतः चिकित्साधिकारी उपलब्ध रहे हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर नगर स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर में आग लगने से क्षति

*13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर में हाल में ही आग लगने से लाखों रुपयों की दवा तथा रिकार्ड सभी जल गये ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री हरि सिंह--

जी हां ।

आग से नष्ट हुई औषधियों का अनुमानित मूल्य लगभग 6.75 लाख रुपये था ।

अग्निकाण्ड के कारणों के विषय में मैजिस्टीरियल जांच हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अग्निकाण्ड का यह बहुत ही गम्भीर मामला है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 6·75 लाख रुपये का नुकसान हुआ है । स्थानीय स्तर पर जब इसका आकलन किया गया था, तो यह लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान था । माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैजिस्टिरियल जांच की जा रही है । मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विभाग द्वारा इसकी जांच की गई है और आयुक्त स्तर पर भी इसकी जांच हुई है, यदि हां, तो इन दोनों की रिपोर्ट क्या है और उन रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है और या फिर कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है, यदि है तो माननीय मंत्री जी उसे बताने का कष्ट करें ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, जिस दिन गोदाम पर आग लगी है, उस दिन उसमें 14 लाख 45 हजार रुपये की दवाइयां थीं । आग लगने से 6·75 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और 7 लाख 70 हजार रुपए की दवाइयों पर मैजिस्टीरियल जांच प्रारम्भ हुई, उनकी आज्ञा लेकर, सील खुलवाकर उन दवाइयों का आकलन करके, उन्हें निकाल दिया गया । पहले जांच ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, लखनऊ द्वारा की गई थी, उसके बाद इसे मैजिस्टीरियल जांच के लिए दे दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरा प्रश्न यह था कि लोकल स्तर पर विभागीय जांच हुई और आयुक्त स्तर पर भी इसकी जांच हुई, तो इन दोनों की रिपोर्ट क्या है और उन रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, आयुक्त स्तर पर कोई जांच नहीं हुई है । जहां तक विभागीय जांच का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा कि ज्वाइन्ट डाइरेक्टर महोदय को वहां से भेजा गया कि वह वहां जाकर यह देखें कि आग कैसे लगी और दवाइयों को अपने सामने सील करवा दें । मैजिस्टीरियल रिपोर्ट अभी नहीं आयी है ।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो लोग स्टोर के कर्मचारी नहीं थे, या जिनका स्टोर से कोई सम्बन्ध नहीं था, पिछली बार भी नियम 301 के अन्तर्गत यह मामला उठाया गया था, खानापूरी करने के लिए उन्हें दण्डित किया गया है । क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार जिन कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे रोकेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, एक डिप्टी सी0 एम0 ओ0 और उनके अधीनस्थ दो फार्मेसिस्ट को दण्डित नहीं किया गया है, अपितु उनका ट्रान्सफर किया गया है । एक चौकीदार था, जिसने आग लगने की सूचना देर में दी थी, इसलिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो यह स्टोर था, इसमें 5 डिपार्टमेंट्स अलग-अलग थे, जिनकी दवाइयां वहां पर रखी गयी थीं । उनके प्रभारी अधिकारी जो हैं, विभागीय जांच के दौरान क्या यह तथ्य सामने आया कि दवाइयों का इन्डेन्ट, दवाइयों की स्वीकृति आदि का कार्य केवल सी0 एम0 ओ0 व बड़े बाबू करते थे, इसके अलावा और कोई नहीं करता था । तो जो फैमिली प्लानिंग स्टोर है, यहां के लोगों की जानकारी के हिसाब से अग्निकाण्ड का उत्तरदायित्व सी0 एम0 ओ0 साहब पर ठहराया गया है और जिन लोगों का सम्बन्ध इससे दूर-दराज तक का नहीं था उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है और जो वास्तविक रूप में इस काण्ड के जिम्मेदार हैं उनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, ऐसे कोई तथ्य आपके सामने आये हैं ।

श्री लोकपति—

ऐसे कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आये हैं ।

*14—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[8वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नया बाजार, लखनऊ में पाम आयल एवं रेपसीड आयल की चोरबाजारी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*15—श्री बलवीर सिंह (फर्रुखाबाद)--

(अनुपस्थित)

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नया बाजार में 2 ट्रक पाम आयल एवं रेपसीड आयल की चोरबाजारी के सम्बन्ध में श्री राम रतन शर्मा, सचिव, दौलतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ का एक लिखित शिकायती-पत्र अध्यक्ष नया बाजार तथा जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मार्च, 1984 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस0 के0 सिंह यादव, सहायक आयुक्त खाद्य एवं रसद के विरुद्ध जांच

*16--श्री मोहन सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने श्री एस0 के0 सिंह यादव, सहायक आयुक्त खाद्य एवं रसद के विरुद्ध कोई जांच कराई थी और उन्हें मार्च/अप्रैल, 1983 में सीमेंट के वितरण, मिटटी के तेल के आबंटन, वनस्पति के लाइसेन्स देने में अनियमितता, पाम आयल एवं रेपसीड आयल के वितरण में अनियमितताएं बरतने सम्बन्धी कोई जवाब तलब उनसे किया गया था ? यदि हां, तो श्री एस0 के0 सिंह यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण के उपरान्त शासन ने अभी तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

जी हां । श्री एस0 के0 सिंह यादव के स्पष्टीकरण प्राप्त हो गये हैं । जिनका परीक्षण हो रहा है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह मामला भी गोरखपुर का ही है । इसमें एस0 डी0 एम0 खाद्य (आपूर्ति) के प्रति यह शिकायत हुयी कि इन्होंने सीमेंट वितरण, मिट्टी के तेल के आबंटन, वनस्पति के लाइसेन्स देने में अनियमितता की तथा रेपसीड व पाम आयल आदि में भी इन्होंने अनियमितता बरती । इन आरोप पर शासन ने ही अपनी जांच बैठायी और जांच में सारे आरोप सत्य पाये गये तब उन्हें चार्जशीट देकर उनका स्पष्टीकरण मांगा गया । इस स्पष्टीकरण के मांगे हुए डेढ़ साल लगभग हो गये परन्तु उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी से भ्रष्ट अधिकारी के प्रति, इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, उस अधिकारी ने स्पष्टीकरण का जवाब देने में अत्यन्त देर की, अब यह देरी उसने किन कारणों से की, बीमारी के कारण या कोई अन्य कारण रहा है, यह नहीं बताया गया, परन्तु स्पष्टीकरण का उत्तर देर से आया, इस कारण कार्यवाही में भी देरी हुई ?

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी के यह जानना चाहता हूं कि जो उसके खिलाफ चार्जशीट लगायी गयी है, उसमें क्या-क्या चार्जेज हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जो जांच कमिश्नर ने की है, उसमें जो भी आपने शिकायतें की हैं, वह सब जांच में सही पायी गयीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो आरोप उन पर लगाये गये थे वह कमिश्नर जांच में सब सही पाये गये तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फिर उन्हें तत्काल निलम्बित क्यों नहीं किया गया, उनका निलंबन किन कारणों से रुका हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

स्पष्टीकरण आने के बाद उनका निलंबन तत्काल कर दिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका स्पष्टीकरण आ जाने के बाद उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जायेगा, सवाल यह नहीं है, जब आरोप सारे सत्य पाये गये तो आरोप सही पाये जाने और चार्जशीट देने की बीच की स्थिति निलंबन है तो अब तक शासन ने उसके निलंबन की कार्यवाही किन कारणों से रोकी हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

उसका स्पष्टीकरण मांगा गया, वह स्पष्टीकरण के आने में देरी हुई, जिस वजह से निलंबन की कार्यवाही नहीं हो सकी, अब इसी चीज की जांच हो रही है कि स्पष्टीकरण में देरी किन कारणों से हुई इसकी रिपोर्ट आते ही आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि स्पष्टीकरण उनका कब प्राप्त हुआ और उसका परीक्षण कब से इन्होंने शुरू किया था । अनुशासनात्मक कार्यवाही की बाबत जहां तक निर्धारित प्रक्रियाओं का सवाल है, मान्यवर, अगर प्राग्दर्शन में किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसको निलम्बित करके, जांच कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिये । इसमें उनका निलम्बन न करने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, उनसे स्पष्टीकरण 8 अप्रैल, 1983 को मांगा गया था और उन्होंने फरवरी, 1984 को भेजा अपना जवाब । अब 1 फरवरी, 1984 से परीक्षण हो रहा है ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति में भेज दीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो सूचना माननीय मन्त्री जी ने उपलब्ध की है, मान्यवर, उसी से स्पष्ट है कि आरोप कितना गम्भीर है और आरोप स्वयं में सिद्ध है । मण्डलायुक्त ने उसको सिद्ध कर दिया है लेकिन उसके बाद भी उस अधिकारी का निलम्बन नहीं हुआ है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मन्त्री जी आज ही उसको निलम्बित किये जाने के आदेश जारी कर देंगे और पूरे प्रकरण की जांच फिर से करायेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्यों की जो भावना है, मैं अभी जाकर उनके निलम्बन का आदेश कर दूंगा और इसका भी जवाब तलब करूंगा कि इसमें देरी क्यों हुई ?

विकास क्षेत्र भनवापुर, जनपद बस्ती की तत्कालीन सहकारी समिति, गंगापुर के सचिव श्री गंगा राम के विरुद्ध गबन के मामले की जांच

*17--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-66 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि तत्सम्बन्धी जांच कौन से विभागीय अधिकारी करने गये और किस-किस से मिले ? क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता ने उन्हें इस सम्बन्ध में कई पत्र लिखे हैं कि जांच बस्ती जिले के किसी अधिकारी से न कराई जाय और गबन के मामले के लिए जो सहकारिता पुलिस सेल गठित किया गया है, उससे करायी जाय ? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

उक्त जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी, बस्ती करने गए थे और 59 सदस्यों से मिले ।

(सूची संलग्न है)

ऐसा कोई पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें बस्ती जिले के किसी अधिकारी से जांच न कराए जाने का उल्लेख किया गया हो ।

चूंकि गबन सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया अतः मामले की जांच पुलिस सेल को नहीं सौंपी गयी ।

विवादित मामले में समिति को आर्बीट्रेशन की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ।

*18--श्री बलबीर सिंह (रामपुर)-

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के सर्जरी विभाग में लेक्चरर पदों के चयन में अनुसूचित जाति का आरक्षण

*19--श्री भीखा लाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 29-5-1984 को उनको प्राप्त हुआ था जिसमें वर्ष 1984 में के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के सर्जरी विभाग में लेक्चरर पदों के चयन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रभावी समस्त शासनादेशों के उल्लंघन की शिकायतें की गयी ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

जी हां, शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये एक कठिनाई है, मैंने 4 प्रश्न इस सन्दर्भ में दिये थे लेकिन एक तारांकित में स्वीकार किया गया और 3 अतारांकित में चले गये । उत्तर चारों का आज है । अतारांकित प्रश्न की बाबत पूरक तो कर नहीं सकते । 4 बातें मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । पहली बात यह है कि क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी में है कि शासन की ओर से एकीकरण विभाग की ओर से, 1976 में आरक्षण की नीति को स्पष्ट करते हुए आदेश जारी किया गया था, उसमें यह उल्लेख है कि अगर दो रिक्त स्थान हो, तो एक हरिजन के लिये आरक्षित किया जाय । दूसरे, क्या यह भी जानकारी में है कि के0 जी0 मेडिकल कालेज में 6 पद स्वीकृत हैं, उनमें एक भी हरिजन नहीं है । तीसरा, क्या अप्रैल में कोई साक्षात्कार हुआ था, तीन पदों के लिये, जिसमें एक हरिजन अभ्यर्थी था और जो सभी शर्तें पूरी करता था, लेकिन उसका चयन नहीं किया गया । चौथे, क्या सर्जरी के लेक्चरर का अभी एक पद रिक्त है ? उस रिक्त पद को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि चूंकि यह जो आरक्षण की नीति है उसका पालन ठीक तौर से नहीं हुआ है, इसको ठीक करने के लिये, उस रिक्त पद पर, अप्रैल में जो साक्षात्कार हुआ था और जिसमें एक हरिजन अभ्यर्थी था जो कि सभी शर्तें पूरी करता था, उसको नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, जो आरक्षण की नीति है, उसका पालन हो रहा है, एम0 बी0 बी0 एस0 में पढ़ाई के लिये जो आरक्षण की नीति है, उसका पालन हो रहा है । सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की नीति है, उसका पालन हो रहा है । मेडिकल कालेज में यह पहली घटना है, जब कि कोई अनुसूचित जाति से मेडिकल कालेज में लेक्चरर पद के लिये प्रत्याशी बना । जो शासन की नीति है 18 प्रतिशत आरक्षण की, उसके अन्तर्गत 6 व्यक्ति अगर चयनित होने हों, तो उसमें एक अनुसूचित जाति का हो । मगर कहीं 3 पद या 5 पद की संख्या जब आयेगी, तो यह अभी कोई मानक नहीं बना कि उसमें अनुसूचित जाति आयेगा अथवा नहीं आयेगा । यह अवश्य है कि नौकरियों में अगर 2 स्थान रिक्त हैं और उस विभाग में अगर 18 प्रतिशत

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 184 पर ।)

हरिजन नहीं हैं, तो एक स्थान हरिजन को दे दिया जाय ।

श्री लोकपति--

यह एक विशद प्रश्न है मेडिकल कालेज में लेक्चरर के पदों में आरक्षण का अभी तक उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसे आरक्षण को मान्यता नहीं है, मगर मैं इस पर एक कमेटी का गठन करता हूं । जो हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी हैं उनको अध्यक्षता में, भीखा लाल और गौरी शंकर जी को सदस्य बना देता हूं, डायरेक्टर मेडिकल एजूकेशन, दो मेम्बर्स मेडिकल कालेज के, 4 हेड आफ डिपार्टमेन्ट उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजेज के और सचिव, मेडिकल एजूकेशन । यह निर्णय लेकर एक रूप-रेखा बना दें, जिसका भविष्य में पालन किया जा सके ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

वैसे तो स्वास्थ्य मन्त्री जी ने आश्वस्त कर ही दिया है और हम आश्वस्त हैं । गत वर्ष भी ऐसा ही प्रश्न आया था, उसका अनुपालन कराते हुए कार्यवाही कर दी है । जैसा कि भीखालाल जी ने कहा है, क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि जो एक पद अभी भी रिक्त है, जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जायगी, तब तक उसे नहीं भरा जायगा ? जैसी कि आशंका है कि यदि 6 पद होंगे तो एक पद मिलेगा । यह जो जी० ओ० है राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का 15/135/76, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 का, इस जी० ओ० में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि किसी वर्ष विशेष में केवल दो रिक्तियां भरी जानी हैं तो एक ही आरक्षित मानी जायगी । ऐसी स्थिति में क्या जो एक रिक्त स्थान पड़ा हुआ है, उसको खाली छोड़ दिया जायगा, जब तक कि समिति की रिपोर्ट न प्रस्तुत कर दी जाय ?

श्री लोकपति--

क्लास-1 और क्लास-2 में यह नीति नहीं है । मेडिकल आफीसर्स या लेक्चरर्स क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारी हैं । यह तो चूंकि समिति का निर्माण हो रहा है, राज्य मन्त्री जी रहेंगे, यह भी समिति देखेगी । इतना अवश्य प्रयास करूंगा कि अगर कोई जगह रिक्त है मेडिकल विभाग में तो वह निर्णय तक रुकी रहे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में उन्होंने मूल प्रश्न से हटकर नीतिगत बात कही है । उन्होंने कहा है कि आरक्षण का परिपालन हो रहा है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं गोरखपुर में मेहतर की नियुक्ति हुई, लेकिन उसमें उच्च वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गयी है । यह नियुक्ति की गयी है । यह भी आरक्षण की एक प्रक्रिया है कि स्वीपर की जगह पर पंडित की नियुक्ति की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि 10-10 हजार रु० लेकर जो नियुक्तियां की गयी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखा लाल--

आरक्षण की नीति जो शासन की है, वह क्लास 1 और क्लास 2 के लिए नहीं है । अगर यूनीवर्सिटीज में यह लागू नहीं है तो हो सकता है कि वह डाइरेक्ट गवर्नमेन्ट के अन्डर में नहीं हैं लेकिन मेडिकल कालेज तो गवर्नमेन्ट के अन्डर में है । यह ठीक है कि अभी तक कैन्डीडेट नहीं मिलते थे इसलिये इस पर विचार नहीं किया गया लेकिन अब कैन्डीडेट मिल गया है, तो इस पर विचार करना जरूरी हो गया है । इसलिए जो समिति आप बनाने जा रहे हैं, उसको आप जल्दी बनाइये और तब

तक वह स्थान जो है क्या उसे रिक्त रख जायेग ?

श्री अध्यक्ष--

इसका तो उत्तर दे दिया गया है ।

श्री राम स्वरूप निम --

क्या यह सही है कि जो चयन समिति है उसने उसे नहीं लिया जिसकी वजह से मान्यवर, उसने अब डिग्री प्राप्त कर ली है और अब वह एम0 एस0 है, उसको ही समिति ने फेल कर दिया था तो क्या इसके अन्तर्गत भेदभाव की नीति नहीं बरती गयी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह गलत बात है । यह माननीय नेता विरोधी दल, आप अपने सदस्यों को ऐसी बातें करने से रोकें ।

श्री रजपाल सिंह भदौरिया, सुपरवाइजर, प्रभारी बीज भण्डार, सजेता द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

*20--श्री धनीराम वर्मा--(अनुपस्थित)

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि श्री रजपाल सिंह भदौरिया, सुपरवाइजर, प्रभारी बीज भण्डार, सजेती, तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर देहात में अगस्त, 1983 से कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि इन्होंने संस्था का लगभग 1 लाख 18 हजार 727 रु0 36 पैसे का उर्वरक एवं उपभोक्ता व्यवसाय का सामान बेंच कर समिति के खाते में पैसा नहीं दिखाया है और न ही संस्था का दृष्टिबन्धक ऋण बैंक में जमा किया है और स्वयं हड़प कर गये हैं जिसकी एफ0 आई0 आर0 थाना घाटमपुर में 14 अप्रैल, 1984 को शाखा प्रबन्धक श्री आर0 के0 वैश्य द्वारा लिखाई गयी ? क्या यह भी सच है कि इतनी गम्भीर अनियमितताओं के बावजूद श्री भदौरिया की प्रोन्नति नौरंगा किसान सेवा सहकारी समिति लि0, नौरंगा, तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर देहात में प्रबन्ध निदेशक के पद कर दी गयी ? यदि हां, तो श्री भदौरिया की प्रोन्नति का आधार क्या है तथा सजेती संघ का चार्ज अभी तक उसके पास क्यों है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्री रजपाल सिंह भदौरिया, सहकारी सुपरवाइजर सजेती बीज भण्डार पर दिनांक 6-8-82 से कार्यरत थे न कि अगस्त, 1983 से ।

श्री रजपाल सिंह भदौरिया सहकारी सुपरवाइजर ने 1,18,727.36 रु0 का नहीं अपितु 48,243.48 रु0 का उर्वरक एवं उपभोक्ता का विक्रय मूल्य समिति के अभिलेखों में दिखाया है किन्तु उक्त धनराशि को जिला सहकारी बैंक लि0 शाखा घाटमपुर के सम्बन्धित खाते में जमा नहीं किया है अपितु संघ की चहारदीवारी के निर्माण में व्यय कर दिया है जो नियमित नहीं था ।

श्री आर0 के0 वैश्य शाखा प्रबन्ध जिला सहकारी बैंक शाखा घाटमपुर ने दिनांक 14 अप्रैल, 1984 को नहीं अपितु 18/19 अप्रैल, 1984 को थाना घाटमपुर में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी थी ।

श्री रजपाल सिंह भदौरिया, सहकारी सुपरवाइजर को उक्त अनियमितताओं के लिए निलम्बित कर दिया गया है श्री भदौरिया की यह पदोन्नति नहीं थी अपितु समेस्तर पद पर इन्हें नौरंगा किसान सेवा सहकारी लि0 में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था ।

श्री भदौरिया ने सजेती संघ का चार्ज दे दिया है ।

साधन सहकारी समिति परतुपुर, जनपद फैजाबाद के सेल्स मैन के विरुद्ध जांच

1--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति परतुपुर, वि0 खं0 जहांगीरागंज, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद के सेल्समैन के विरुद्ध एक वर्ष पूर्व एस0 डी0 एम0 द्वारा जांचोपरान्त 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट का मुकदमा दर्ज कराय गया था और सेल्समैन जमानत पर छूटा है ? क्या यह भी सही है कि जुलाई, 1983 से सचिव के स्थानान्तरित होने के बाद वह सचिव का कार्यभार भी देख रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शासन उक्त सचिव को निलम्बित करने पर विचार करेगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां, एस0 डी0 एम0 द्वारा तो नहीं अपितु उनके ही निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक टांडा, फैजाबाद द्वारा दिनांक 4-9-81 को प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी है ।

जी हां ।

अन्तरिम व्यवस्था के अनुसार विक्रेता दिनांक 29-9-83 से दिनांक 23-3-84 तक कार्यवाहक सचिव रहा है ।

तत्कालीन सचिव/सेल्समैन निलम्बित है तथा अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री शोक निवारण सिंह, टेक्नोलाजिस्ट (यांत्रिक), विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल, लखनऊ की पदोन्नति के सम्बन्ध में पत्र

2--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, सदस्या, विधान सभा का दिनांक 11-10-1983 का पत्र, जो श्री शोक निवारण सिंह, टेक्नोलाजिस्ट (यांत्रिक), विद्युत् एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को पदोन्नति के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां । प्रश्नगत विषय इस समय लोक सेवा अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है । अतः उक्त पत्र पर अलग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

सहकारी बैंक लि0, उन्नाव की शाखा हसनगंज में अधिकारियों द्वारा रोकड़ की जांच

3--श्री भीखालाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि सहकारी बैंक लि0, उन्नाव की शाखा हसनगंज में अधिकारियों द्वारा दिनांक 3-11-83 तथा 7-11-83 को रोकड़ की जांच करने पर कुछ धन कम पाया गया था ? यदि हां, तो दोनों दिनांक को कितना-कितना धन कम था ? उस सम्बन्ध में क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर जांच पुलिस सेल को सुपुर्द की गई ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां ।

दिनांक 3-11-83 को 600 रु0 तथा दिनांक 7-11-83 को 399 रु0 की धनराशि कम पायी गई थी, जो उसी समय जमा करा दी गयी ।

पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी बल्कि जांच विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) को सुपुर्द की गयी थी ।

जांच में कैशियर तथा शाखा प्रबन्धक दोषी पाये गये । अतः उक्त दोनों कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

जनपद मिर्जापुर के चुनार एवं राबर्ट्सगंज तहसील में एलोपैथिक व राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त स्थान पर नियुक्ति

4--श्री रामचरण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के चुनार एवं राबर्ट्सगंज तहसील में कितने एलोपैथिक व आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सालय हैं उनमें जनवरी, 1984 तक चिकित्सकों के कितने स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार चिकित्सकों की नियुक्ति तत्काल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जनपद मिर्जापुर के चुनार तथा राबर्ट्सगंज तहसीलों में कुल 20 राजकीय एलोपैथिक तथा 14 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत हैं, जिनमें जनवरी, 1984 तक एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी का केवल एक पद रिक्त है । उपरोक्त रिक्त पदों के विरुद्ध 15 एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं । शेष रिक्त स्थानों पर शीघ्र नियुक्तियां करने की कार्यवाही की जा रही है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

5--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले गुरु0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 78 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कार्यरत छः लिपिक वर्गीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक महोदय द्वारा कोई आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कार्यरत प्रश्नगत छः दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति वस्तुतः आकस्मिक श्रमिक हैं । अतः स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने इनके नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये हैं ।

6--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 79 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कार्यरत एक कनिष्ठ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का विनियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो अन्य छः दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण उक्त कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं किया गया ?

श्री लोकपति--

जैसा कि उल्लिखित अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर में बताया जा चुका है, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन अनुभाग में कार्यरत एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का विनियमितीकरण किया गया है । अन्य छः व्यक्ति केवल आकस्मिक श्रमिक हैं । विनियमितीकरण केवल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का किया जाता है । अगर कार्य के हित में इन आकस्मिक श्रमिकों को दैनिक वेतन कर्मचारी बनाना आवश्यक समझा गया तभी इनके विनियमितीकरण का प्रश्न उठेगा ।

श्री वी0 डी0 शर्मा, सदस्यों, सचल दल, लखनऊ द्वारा संग्रह किए गए नमूनों का विवरण तथा जांच

7--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 डी0 शर्मा, सदस्य, सचल दल, लखनऊ जुलाई, 82 से मार्च, 83 तक कुल कितनी बार व कब-कब इटवा बाजार, तहसील डुमरियागंज, तेतरी बाजार, तहसील नौगढ़, बढ़नी बाजार, तहसील डुमरियगंज, शोहरतगढ़ बाजार, रुधौली बाजार तथा बांसी बाजार में जांच करने हेतु गये और इन्होंने किसके-किसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्री लोकपति--

श्री वी0 डी0 शर्मा, खाद्य निरीक्षक कथित अवधि में दिनांक 8-1-83 को बढ़नी बाजार, दिनांक 10-1-83 को तेतरी बाजार (नौगढ़) एवं शोहरतगढ़ बाजार तथा दिनांक 16-1-83 को इटवा बाजार अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के नमूने संग्रह करने गये थे। इस अवधि में श्री शर्मा द्वारा संग्रह किये गये तीन नमूनों के विवरण निम्नवत् हैं :--

(1) दिनांक 8-1-83 को बढ़नी बाजार में फकीर मुहम्मद द्वारा निर्मित खुर्दनी तम्बाकू जर्दा सीलबन्द का नमूना श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री हुकुम चन्द्र की दुकान से लिया गया जो जांच उपरान्त अपमिश्रित पाया गया। सम्बन्धित दुकानदार व फर्म के विरुद्ध अभियोजन दिनांक 30-4-84 को न्यायालय, बस्ती में दायर करा दिया गया है।

(2) दिनांक 10-1-83 को तेतरी बाजार (नौगढ़) में श्री हरद्वार प्रसाद पुत्र श्री सुकदेव प्रसाद की दुकान से काली मिर्च का नमूना लिया गया जो जांच पश्चात् विशुद्ध पाया गया।

(3) दिनांक 10-1-83 को शोहरतगढ़ बाजार में श्री भण्डारी पुत्र श्री देवी प्रसाद की दुकान से सफेद जीरे का नमूना लिया गया जो जांच उपरान्त विशुद्ध पाया गया।

(4) दिनांक 16-1-83 को इटवा बाजार में हलवाई की दुकान से नमूना लेते समय झगड़ा हो गया और श्री शर्मा को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इस सम्बन्ध में विवाद की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0 खण्ड, गोरखपुर द्वारा की जा रही है।

श्री शर्मा उक्त अवधि में नमूना लेने रुधौली बाजार एवं बांसी बाजार नहीं गये थे।

सहकारी संघ लि0, अन्जान शहीद, जनपद आजमगढ़ के भवनों पर अनधिकृत अध्यासियों को भवन खाली करने एवं बकाया किराया वसूली करने हेतु पंजीकृत नोटिस

8—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 2रे गु0 के अता0 प्र0 सं0 130 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ, अन्जान शहीद, आजमगढ़ के विभिन्न भवनों पर जिन लोगों का अनधिकृत कब्जा है उनसे कब तक खाली करा लिया जायेगा ? बकाये किराये की वसूली के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

सहकारी संघ लि0, अन्जान शहीद, जनपद आजमगढ़ के भवनों के अनधिकृत अध्यासियों को भवन खाली करने एवं बकाया किराया अदा करने हेतु पंजीकृत नोटिस दिनांक 12-4-84 को दिया गया था। चूंकि अनधिकृत अध्यासियों द्वारा अभी तक भवन खाली नहीं किय,

गया है । अतः भवन खाली कराने के लिए अन्य वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

श्री चन्द्रिका सिंह बनाम सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, आजमगढ़ से सम्बन्धित वाद पर निर्णय

9—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 1ले गुरु0 के अता0 प्र0 सं0 161 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय में वाद कब प्रस्तुत किया गया है तथा क्या न्यायालय का निर्वाह भत्ता न देने के सम्बन्ध में कोई आदेश है ? यदि नहीं, तो निर्वाह भत्ते का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

श्री चन्द्रिका सिंह बनाम सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, आजमगढ़ से सम्बन्धित वाद मुंसिफ शहर, आजमगढ़ के न्यायालय में दिनांक 25-1-83 को वाद संख्या 43/83 द्वारा दाखिल किया गया । माननीय न्यायालय का एक-पक्षीय आदेश दिनांक 28-9-83 में श्री चन्द्रिका सिंह को जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान एक माह के अन्दर करने के सम्बन्ध में हुआ था । इस आदेश के विरुद्ध बैंक द्वारा उसी तिथि को दरखास्त दाखिल कर दी गई थी जिसके संदर्भ में न्यायालय ने बैंक के उपस्थिति रजिस्टर को प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये । बैंक द्वारा न्यायालय में उपस्थित रजिस्टर प्रस्तुत कर दिया गया है और प्रश्नगत प्रकरण इस समय न्यायालय मे विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णयोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहम्मद अहमद के हसनगंज, उन्नाव के हलर कारखाने पर जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव द्वारा मारा गया छापा

10—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-1-82 को खाद्य एवं पूर्ति विभाग, उन्नाव के अधिकारीगण ने ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के मुहम्मद अहमद पुत्र श्री अब्दुल गफूर की चक्की पर छापा मार कर माल उठा ले गये ? यदि हां, तो उक्त माल कहां और किसके संरक्षण में दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ? इसके कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? माल की सूची क्या है, कृपया यह भी बताने का कष्ट करें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 5-1-82 को तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव श्री गोवर्धन लाल ने अन्य विभागीय निरीक्षकों के साथ श्री मोहम्मद अहमद पुत्र श्री अब्दुल गफूर, हसनगंज, उन्नाव के हलर कारखाने (धान मशीन) पर छापा डालकर मौके पर 34 बोरा धान तथा 29 बोरा चूड़ा का अवैध स्टाक बरामद किया, जिसके क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में अभियुक्त के पास कोई लाइसेन्स नहीं था । अभियुक्त द्वारा समय से अभिलेख प्रस्तुत न करने पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17-1-82 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हसनगंज में दर्ज कराई गई जिसके विवेचन के पश्चात् चार्जशीट दिनांक 18-2-84 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया और मामला न्यायालय के विचाराधीन है । थाना हसनगंज की रिपोर्ट के अनुसार 34 बोरा धान तथा 29 बोरा चूड़ा श्री अहमद की सुपुर्दगी में दिया गया था जो उनके पास है उक्त माल के सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा आवश्यक वस्तु

अधिनियम की धारा 6-ए के अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही कर ली गई है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न में पूछी गई शेष अन्य बातों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के निलम्बित सहकारी सुपरवाइजर, श्री मनोहर दत्त विष्ट को जीवन निर्वाह भत्ता

11—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी सुपरवाइजर, जनपद अल्मोड़ा (श्री मनोहर दत्त विष्ट) को वर्ष 1972 से निलम्बित किया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें जीवनयापन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी हां ।

जिला सहायक निबन्धक, अल्मोड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनोहर दत्त विष्ट, सहकारी सुपरवाइजर को दिनांक 23-5-72 से 31-7-84 तक के जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा चुका है ।

वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र भदोही की समितियों द्वारा वितरित मध्यकालीन ऋण पर अनुदान

12—श्री बनवारी राम—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र भदोही में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में जो मध्यकालीन ऋण समितियों द्वारा सदस्यों को वितरित हुआ है उसका अनुदान 33 प्रतिशत ही मिल पाया है ? 17 प्रतिशत अनुदान सदस्यों को नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या 17 प्रतिशत अनुदान सदस्यों को शीघ्र दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में जनपद वाराणसी के विकास खंड क्षेत्र भदोही में समितियों द्वारा वितरित मध्यकालीन ऋण की स्थिति निम्नवत् है—

(रु0 लाखों में)

विवरण	वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83
1—कुल वितरित मध्यकालीन ऋण	3·18	8·95
2—कुल सदस्यों की संख्या	129	330
3—उपर्युक्त क्रम सं0 1 में से अनुसूचित जाति के सदस्यों को वितरित ऋण	2·60	3·34
4—उपर्युक्त क्रम सं0 2 में अनुसूचित जाति की संख्या	74	85
5—दिया गया अनुदान (हरिजनों को)	0·86	1·67
(क) जिला विकास अभिकरण से 33 1/3 प्रतिशत की दर से (50% की दर से)		
6—(ख) हरिजन विकास निगम से 16-2/3 प्रतिशत की दर से	0·44	

गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों को अधिकतम अनुदान केवल 33-1/3% की दर से ही देय होता है। अत गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों को शेष 16-2/3 प्रतिशत अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता। अनुसूचित जाति के उक्त सदस्यों को 50% की दर से अनुदान दिया जा चुका है।

गोरखपुर जनपद की टाउन एरिया मुन्डेरा बाजार में राशन कार्डों का परिवर्तन तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का जांच

13--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया मुन्डेरा बाजार में आज से लगभग 10 साल पूर्व बने राशन कार्डों में अधिकांश फटकर नष्ट हो गए या गायब हो गए और बीच में कभी बदले भी नहीं गए जिसके फलस्वरूप बीच चीनी, चावल व सूजी आदि को बचाकर पूर्ति निरीक्षक बराबर अवैध धन कमा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस पर जांच कराकर दोषी व्यक्ति दंडित किया जायेगा और शीघ्र नये कार्ड बनवा दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया मुन्डेरा बाजार में बने पुराने तथा फटे एवं गायब हुए राशन कार्डों के स्थान पर नये नीले रंग के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जारी कर दिए हैं जिन पर खाद्यान्न, चीनी, मिटटी का तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कार्ड पर उपभोक्ताओं को किया जा रहा है।

प्रश्न में लगाये गए अन्य कथित आरोपों की जांच भी परगनाधिकारी से करायी गयी। जांच में आरोप सही नहीं पाये गए।

थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ की पुलिस द्वारा पकड़ा गयी नियंत्रित मूल्य की अभ्यास पुस्तिकाओं से सम्बन्धित अभियुक्तों तथा बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लि0 के निलम्बित सचिव श्री सुभाष चन्द्र जैन का नया बाजार, लखनऊ के संचालक मंडल की सदस्यता

14--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ के सचिव (श्री सुभाष चन्द्र जैन) द्वारा दिनांक 9-2-82 को नियंत्रित मूल्य की 60 हजार अभ्यास पुस्तिकाएं (कापियां) चोरबाजारी द्वारा तस्करी करके नैपाल भेजी जा रही थी ? उसे नाका थाना, लखनऊ द्वारा दिनांक 9-2-82 को श्री राम को ट्रांसपोर्ट कम्पनी गुरुद्वारा रोड, लखनऊ में पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

नाका थाना से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 9-2-82 को 60 बंडल नियंत्रित मूल्य की कापियां थाना नाका के द्वारा पकड़ी अवश्य गयी थीं और पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 भी अंकित की गयी थी जिसके अनुसार श्री जानकी प्रसाद तिवारी पुत्र श्री हीरा लाल तिवारी, निवासी 919/232, दर्शन-पूरवा, कानपुर एवं श्री योगेन्द्र कुमार, शुक्ला पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शुक्ला, निवासी 357-सी, श्याम नगर बाबूपुरवा, कानपुर अभियुक्त हैं, परन्तु उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में बशीरतगंज, लखनऊ उपभोक्ता सहकारी समिति लि0, के सचिव श्री सुभाष चन्द्र जैन का नाम नहीं है। चूंकि श्री जैन पुलिस की रिपोर्ट

के अनुसार अभियुक्त नहीं हैं अतएव उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जांच जारी है।

15—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष चन्द्र जैन, सचिव, बशीरतगंज, उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ जोकि अभ्यास पुस्तिका कन्ड में दिनांक 20-4-83 से सचिव के पद से निलम्बित हैं, अभी तक नया बाजार, लखनऊ में संचालक मंडल के सदस्य हैं तथा कार्यवाही में बराबर भाग लेते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनको नया बाजार, लखनऊ के संचालक मंडल की सदस्यता से निलम्बित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी हां।

चूंकि इस मामले की जांच जारी है और बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति ने उनका प्रतिनिधित्व वापस नहीं लिया है अतः श्री सुभाष चन्द्र जैन संचालक मंडल के सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह नहीं हैं। अतएव उन्हें संचालक मंडल की सदस्यता से हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश में किंग जार्ज मेडिकल कालेज के सर्जरी विभाग के लिए लेक्चरर पद हेतु चयन तथा चयन समिति में अनुसूचित जाति की सदस्यता

16—श्री भीखालाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में सर्जरी विभाग में कितने लेक्चरर के पद स्वीकृत है और उसमें अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत आरक्षण पूरा हो चुका है तथा वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं ?

श्री लोकपति—

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में सर्जरी विभाग में 6 लेक्चरर के पद स्वीकृत हैं और उनमें अनुसूचित जाति का कोई लेक्चरर नहीं है। इस समय एक लेक्चरर का पद रिक्त है परन्तु उस पर नियुक्ति के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

17—श्री भीखालाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ० प्र० में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, सर्जरी विभाग के लिये मार्च अप्रैल/मई, 1984 में लेक्चरार पद के लिये कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो कितने रिक्त पदों के लिये साक्षात्कार हुआ था और उनमें कितने पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित थे और साक्षात्कार में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध थे अथवा नहीं ? यदि हां, तो कितने और क्या आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

लेक्चरर के तीन रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार हुआ था जिसमें अनुसूचित जाति का एक अभ्यर्थी उपलब्ध था। आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया। इसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

18—श्री भीखालाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 15/25/73-रा० एकी०, दिनांक 10 मई, 1976

के अनुसार चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0 प्र0 में माह अप्रैल, मई, 1984 में लेक्चरर पद हेतु हुए साक्षात्कार की चयन समिति में किसी अनुसूचित जाति के अधिकारी को समिति का सदस्य बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

साक्षात्कार के लिए गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं था। इसके औचित्य पर परीक्षण किया जा रहा है।

19--श्री भीखालाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी में धन के अपहरण के दोषी कर्मचारी व अधिकारी

20--श्री भीखालाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी में वर्ष 1977-78 के स्पेशल आडिट के अनुसार अठानवे हजार रुपये का गबन पाया गया और जिसकी पुष्टि रीजनल आडिट आफिसर, फैजाबाद ने भी की है ? यदि हां, तो इस गबन के लिये कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी में वर्ष 1977-78 के स्पेशल आडिट रिपोर्ट में 8,38,772·10 पैसे के धन के अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके लिए निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध बैंक प्रशासन द्वारा आवश्यक विभागीय कार्यवाही की गयी :--

1--श्री लालजी वर्मा, शाखा प्रबन्धक।

2--श्री गोमती प्रसाद, खजांची।

3--श्री मोहम्मद खां, शाखा प्रबन्धक।

4--श्री कृष्ण गोपाल भटनागर, शाखा प्रबन्धक।

5--श्री श्याम प्रकाश बंसवार, शाखा प्रबन्धक।

6--श्री नागेन्द्र प्रताप सक्सेना, खजांची।

7--श्री गंगा प्रसाद मिश्र, खजांची।

8--श्री बिलाल मंजूर किदवई, शाखा प्रबन्धक।

9--श्री सुरेश प्रकाश सिंह।

10--श्री अनवार अहमद सिद्दीकी।

11--श्री श्याम कुमार श्रीवास्तव, सचिव कम-सामान्य प्रबन्धक।

उपर्युक्त कर्मचारी/अधिकारियों में से श्री गोमती प्रसाद, श्री कृष्ण गोपाल भटनागर, श्री गंगा प्रसाद मिश्र एवं श्री सुरेश प्रकाश सिंह को सेवा से पृथक किया जा चुका है।

जनपद बरेली में सहकारी समितियों को आवंटित किये गये मिट्टा के तेल और चीनी के कोटे को न उठाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

21--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सहकारिता मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे गुरुवार दिनांक 15-3-84 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 स0 102 के उत्तर के

संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वह क्या कारण है कि उत्तर में क्रम सं0 71 से 78, 80, 82 से 86, 88 से 113, 115, 116, 118, 126 व 129, 130 पर दी गई समितियों ने उन्हीं परिस्थितियों, जैसे कि ऋण वसूली आदि में व्यस्तता, में मिट्टी के तेल का अपना पूरा अथवा लगभग पूरा कोटा लगभग प्रत्येक माह उठा लिया और उन्हीं परिस्थितियों में अन्य समितियों ने 3 माह से लेकर सारे साल का कोटा नहीं उठाया ? क्या मन्त्री जी उन समितियों के सचिवों, जिन्होंने मिट्टी के तेल का कोटा नहीं उठाया, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और भविष्य में कोटा उठाने के लिये व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि विकास बैंक लि0, मथुरा से श्रीमती रेशम, निवासी ग्राम मकेहरा के नाम से लिये गये फर्जी ऋण की वसूली तथा मामले की जांच में दोषी पाए गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

22--श्री सरदार सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रेशम कौर विधवा स्व0 गोवर्धन, निवासी ग्राम मकेहरा, थाना मगोर्रा, जिला मथुरा के नाम पर भूमि विकास बैंक लि0 मथुरा से 10 हजार रुपये का ऋण किसी अन्य व्यक्ति को पेश करके निकाल लिया गया था और इस घटना की श्रीमती रेशम ने थाना मगोर्रा में प्राथमिकी दर्ज कराने पर ऋण से निकाले गये इंजन को मगोर्रा पुलिस ने गांव रसूलपुर से बरामद किया था ? यदि हां, तो उक्त ऋण मय ब्याज के बैंक में किसने जमा किया ? अपहृत धन के लिये बैंक के कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा पुलिस द्वारा बरामद इंजन का क्या हुआ ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी हां ।

ऋण की धनराशि किसी जयराम नामक व्यक्ति द्वारा ब्याज सहित दिनांक 15-9-83 को जमा की गई । प्रारम्भिक जांच से तथा कथित अपहृत धन के लिये बैंक के कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये । बरामद किया गया इंजन पुलिस द्वारा श्री चन्द्र पुत्र श्री सरदार सिंह, निवासी रसूलपुर, थाना मगोर्रा को सुपुर्द कर दिया गया ।

23--श्री सरदार सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि शासन ने इस केस की जांच बैंक और सतर्कता विभाग (सहकारिता) से भी करायी थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को सम्बन्धित मामले में प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र अप्रैल, 1984 के तृतीय सप्ताह में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ;

श्री काशी नाथ मिश्र--

शासन ने इस केस की जांच भूमि विकास बैंक द्वारा कराई । जांच में श्रीमती रेशम कौर के नाम से बोरिंग व डीजल पम्पसेट हेतु 10 हजार रुपये का ऋण प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें श्री श्रीचन्द, निवासी रसूलपुर, श्री गिरिराज किशोर कटारा, ग्राम विकास अधिकारी, गोवर्धन, श्री बी0 के0 शर्मा, सहायक विकास अधिकारी (अ0 सि0), गोवर्धन एवं द्वारिकेश मशीनरी स्टोर्स, मथुरा दोषी पाये गये ।

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 24-4-84 प्राप्त हुआ था। उसकी जांच भूमि विकास बैंक द्वारा कराई गई तथा दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभाग को लिखा गया है, एवं विक्रेता फर्म की मान्यता स्थगित कर दी गई है।

बांदा जनपद के टाउन एरिया तिन्दवारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अर्धनिर्मित भवन

24--प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के टाउन एरिया तिन्दवारी स्थित अर्धनिर्मित प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा क्या है ? यदि नही तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिन्दवारी के भवन को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओ द्वारा अर्धनिर्मित भवन की नीवं की उपयुक्तता के बारे में तकनीकी दृष्टि से जांच पड़ताल की जा रही है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध मे लिये गये निर्णय पर उक्त भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना आधारित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्रश्नगत भवन को पूरा कराये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

बुलन्दशहर जनपद के ग्राम सुजापुर धमेड़ा क्रय केन्द्र में सहकारिता विभाग द्वारा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

26--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सुजापुर धमेड़ा क्रय केन्द्र जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष से सहकारिता विभाग द्वारा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण नही हुआ है क्या यह सही है ? कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने जिलाधिकारी, बुलन्दशहर तथा सहायक निबन्धक बुलन्दशहर से अनेक बार लिखित तथा मौखिक शिकायतें की है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी नहीं।

गत जनवरी, 1984 से वितरण नहीं हुआ है।

जी हां।

सम्बन्धित संस्था के सचिव को निलम्बित किया जा चुका है :

बुलन्दशहर जनपद के बालराझाल तथा जहांगीराबाद गेहूं क्रय केन्द्रों में ठेकेदारों की नियुक्ति में अनियमितता सम्बन्धी कथित शिकायती पत्र

26--श्री किरनपाल सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने 16-4-84 को क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक मेरठ को जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत स्थापित बालराझाल तथा जहांगीराबाद के गेहूं क्रय केन्द्रों के ठेके दिये जाने के सम्बन्ध में

बरती गई अनियमितता की लिखित रूप से शिकायत की थी ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या थी तथा उस विषय में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बुलन्दशहर जनपद के वालराझाल [पलडा झाल] एवं जहांगीराबाद गेहूं क्रय केन्द्रों पर वर्ष 84–85 में ठेकेदारों की नियुक्तियों में अनियमितता किये जाने के विषय में सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ को प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 16–4–84 का शिकायती–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

साधन सहकारी समिति लि0, शिवनगरा, लखीमपुर खीरी के गोदाम के निर्माण का मांग

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0 ग्राम शिवनगरा ब्लाक मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी के ग्रामीण गोदाम, शिवनगरा में ही बनवाने हेतु ग्राम प्रधान व समिति के सदस्यों का कोई आवेदन पत्र शासन को वर्ष 83–84 में प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी हां।

आवेदन–पत्र पर जांच कराने पर जानकारी हुई कि समिति के प्रस्ताव के अनुसार गोदाम का निर्माण दिलावरपुर गांव में किया जा रहा था, जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच गया था। ऐसी दशा में प्राप्त आवेदन पत्र के अनुसार शिवनगरा में गोदाम बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था।

28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0, शिवनगरा, ब्लाक मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण गोदाम का निर्माण कार्य समिति के मुख्यालय, ग्राम शिवनगरा में चल रहा था, जिस कार्य में लगभग रु0 23,000 (तेइस हजार रुपया) व्यय हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को अभी तक पूरा न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी हां।

इस गोदाम के निर्माण में 18,074·40 रु0 व्यय हुआ था, परन्तु लिण्टल स्तर तक निर्माण कार्य होने के बाद निर्माण स्थल का विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। समिति का प्रस्ताव अन्तिम रूप से दिलावरपुर गांव में गोदाम निर्माण हेतु हुआ।

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ अराजक तत्व उस गोदाम को दिलावरपुर में निहित स्वार्थ वश बनवाना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके ग्राम शिवनगरा में ही समिति के हित की दृष्टि से गोदाम बनवाने के आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कुछ अराजक तत्व निहित स्वार्थवश उक्त गोदाम दिलावरपुर में बनवाना चाहते हैं। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता। समिति के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार दिलावर नगर में गोदाम बनकर पूर्ण हो चुका है। इस लिए शिवनगरा में गोदाम बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय, बांदा का भवन निर्माण

30--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मत्री कृपया बतलायेंगे कि बांदा नगर में महिला चिकित्सालय भवन निर्माण वर्ष 1984-85 में करा दिय जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्र. लोकपति--

महिला चिकित्सालय, बांदा के निर्माण के लिए गत वर्ष पांच लाख रुपया स्वीकृत दिय गया था। इस वर्ष और धन को व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संघ के बिक्री के अयोग्य स्टाक का वितरण तथा हो रही हानि का विवरण

31--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 उपभोक्ता संघ में किन-किन प्रबन्ध निदेशकों के कार्यकाल में कितना ऐसा सामान खरीदा गया है जो अभी तक नहीं बिक पा रहा है ? यदि हां, तो इससे हर वर्ष संघ को कितना ब्याज आदि का नुकसान हो रहा है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के विभिन्न प्रबन्ध निदेशकों के कार्यकाल में क्रय किया गया ऐसा सामान जो अब तक नहीं बिक पा रहा है, का विवरण संलग्न है।

विवरण के अनुसार अवशेष स्टाक में लगी धनराशि पर ब्याज आदि से होने वाली हानि का विवरण भी संलग्नक में दिया गया है।

(देखिये मत्थो 'ग' आगे पृष्ठ 187 पर।)

जिला सीतापुर के चिकित्सालय भवन के निर्माण की योजना

32--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के चिकित्सालय के भवन निर्माण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या भूमि का चयन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जिला सीतापुर के चिकित्सालय के भवन निर्माण की फिलहाल कोई योजना जिला नियोजन समिति से प्राप्त नहीं हुई है। अतः भूमि के चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी व घोसी तहसील में मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्रों तथा आवास सहित उप केन्द्रों का निर्माण

33--श्री पंचानन राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 48 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन 13 उप केन्द्रों तथा 7 आवास सहित उप केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था ? इनमें से किन-किन पर कार्य 31 मई, 1984 तक प्रारम्भ करा दिया गया है ?

श्री लोकपति--

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी एवं घोसी तहसील के निम्न 13 उप केन्द्रों तथा 7 एल0 एच0 वी0 आवास सहित उपकेन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था :--

उपकेन्द्रों का नाम :--

कांखभार, चंगईपुर, तेरही जमीन, भगतपुर, जुल्हापुर, मूंगेसर, मूंगमास, घमंपुर किशुनपुर, सहरोज, धवरिया-साथ, करौली, करौन्दी नारायणपुर पिटसुई अभिलासपुर ।

एल0 एच0 वी0 आवास सहित उपकेन्द्र :--

भुवना बुजुर्ग, पचखोरा माधुरी, मझवार, दुबारी, लउवासाथ, कमलसागर, इन्दारा ।

उपरोक्त में से निम्नलिखित स्थानों पर 31 मार्च, 1984 तक कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था :--

उपकेन्द्र का नाम :--

कांखभार, चंगईपुर, मूंगमास, सहरोज, करौली, करौन्दी नारायणपुर ।

एल0 एच0 वी0 आवास सहित उपकेन्द्र --

भुवना बुजुर्ग, पचखोरा माधुरी, दुबारी लउवा साथ ।

राजकीय चिकित्सालय, महुला (आजमगढ़) के भवन निर्माण का प्रस्ताव

34--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के 7वें गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय महुला के भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित किये जाने हेतु उनके विभाग द्वारा जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1984-85, छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण राजकीय चिकित्सालय महुला भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष नहीं रखा गया । प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कोई निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीत गृह संघ लि0 के मुख्य अभियन्ता श्री मित्रा का त्याग पत्र

35--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 के मुख्य अभियन्ता ने अप्रैल-मई, 1984 में त्याग पत्र दे दिया है ? यदि हां, तो दिनांक 8-4-84 को अपने द्वारा लिखे पत्र में मुख्य अभियन्ता श्री मित्रा ने प्रबन्ध निदेशक को क्या-क्या तथ्य लिखे थे ? और प्रबन्ध निदेशक ने उस पत्र पर क्या कार्यवाही की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां ।

श्री मित्रा ने संघ के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक को अपने पत्र दिनांक 8-4-84 में तत्कालीन सहकारिता मन्त्री द्वारा किये गये निरीक्षण एवं उससे सम्बद्ध कार्यवाही की सूचना दी । प्रबन्ध निदेशक ने निबन्धक, सहकारी समिति, को इसकी जानकारी देते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया ।

श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल की श्रम संविदा सहकारी समिति, लखनऊ नया तथा बाजार, लखनऊ के संचालक मंडल की सदस्यता

36--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नया बाजार में श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल

जो सर्वोदय श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में आकर नया बाजार, लखनऊ के संचालक मंडल के सदस्य बन गये हैं जबकि श्रम संविद में केवल श्रमिक ही सदस्य बन सकता है ? क्या यह सही है कि श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल जो कैलाश जनरल स्टोर, आई0 टी0 कालेज, लखनऊ के मालिक हैं तथा प्रतिवर्ष आय कर तथा बिक्रीकर सरकार को देते हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल को निदेशक मंडल से निकलवाने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र---

जी हां, श्री अग्रवाल श्रम संविदा सहकारी समिति, लखनऊ में सहानुभूतिकर सदस्य के रूप में सदस्य हैं ।

जी हां, नया बाजार, लखनऊ के कार्यक्षेत्र में समान व्यवसाय करने के फलस्वरूप श्री अग्रवाल नया बाजार, लखनऊ के संचालक मंडल के सदस्य बने रहने हेतु अनर्ह हैं, अतः उन्हें नियमानुसार संचालक मंडल की सदस्यता से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती सुशीला सिन्हा को लखनऊ के नया बाजार के संचालक मंडल की सदस्यता

37--श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नया बाजार में श्रीमती सुशीला सिन्हा जो सत्येन्द्र श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में आकर नया बाजार के संचालक मंडल की सदस्या बन गयी हैं वे बाराबंकी जिले में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं जो असंवैधानिक है क्योंकि श्रम संविदा में श्रमिक ही सदस्य बन सकता है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी श्रीमती सिन्हा को निदेशक मंडल से निकलवाने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काश: नाथ मिश्र---

जी हां, श्रम संविदा सहकारी समिति में श्रमिक के अतिरिक्त सहानुभूतिकर सदस्य भी बनाये जाते हैं। श्रीमती सिन्हा सहानुभूतिकर सदस्य हैं । अतः उन्हें हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद के विकास खंड बिलरियागंज एवं हरैया की सस्ते गल्ले की दुकानों को निर्गत चावल क विवरण

38--श्री पंचानन राय---

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बतायेंगे कि वि0 खं0 बिलरिया गंज एवं हरैया, जनपद आजमगढ़ की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को अप्रैल, 1983 से अप्रैल, 1984 तक प्रत्येक माह में अलग-अलग कितना चावल दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज एवं हरैया विकास खंड में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को अप्रैल, 1983 से अप्रैल, 1984 तक प्रत्येक माह में अलग-अलग निर्गत की गयी चावल की मात्रा का दुकानवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 190 पर ।)

श्री चन्द्रिका सिंह, सुपरवाइजर, दीदारगंज, जनपद आजम-गढ़ के विरुद्ध अनु-शासनात्मक कार्यवाही

39--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 3रे गुरु के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 133 के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रिका सिंह को आरोप-पत्र किस-किस दिनांक को दिया गया तथा उसमें कौन-कौन से आरोप हैं, उनके सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण क्या है ? इसके सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री काशीनाथ मिश्र --

सचिव, जिला सहकारी बैंक आजमगढ़ एवं जिला सहायक निबंधक, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री चन्द्रिका सिंह के विरुद्ध की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण आरोप-पत्र एवं स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में विवरण देना सम्भव नहीं है ।

श्री चन्द्रिका सिंह के विरुद्ध धना-पहरण सम्बन्धी मामला पुलिस के विवेचन धीन है ।

श्री सिंह को अनन्तिम रूप से बहाल कर दिया गया है तथा इनके मामले में शीघ्र जांच अधिकारी नियुक्त करके अन्तिम निर्णय लेने हेतु जिला सहायक निबन्धक, आजमगढ़ एवं उप निबन्धक, गोरखपुर को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद राय, सेल्समैन, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार आजमगढ़ के विरुद्ध आरोप-पत्र एवं दिये गए निर्देश

40--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे गुरु के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 166 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जनार्दन राय की सेवा समाप्त करने के पूर्व क्या उन्हें आरोप-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या थे तथा उनके सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण क्या था ?

श्री काशीनाथ मिश्र --

जी हां । सचिव, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि०, आजमगढ़ के रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 23-8-1978 एवं 24-8-78 द्वारा आरोप-पत्र एवं निर्देश दिए गए ।

आरोप-पत्र के प्रमुख बिन्दु निम्न थे :--

(1) प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने से कतराना ।

(2) अभिलेखों का चार्ज न देकर अपहरण की गयी धन-राशि को छिपाने का प्रयास करना ।

(3) बिना छुट्टी लिए भण्डार से गायब रहना ।

(4) स्टाक में भारी कमी करना ।

(5) निर्देशों के उपरान्त भी अपहरण की गयी धनराशि को जमा न करना ।

श्री राय का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रदेश के राजकीय यूनानी कालेजों में कार्यरत प्रधानाचार्य

श्री पंचानन राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के 12 राजकीय यूनानी कालेजों में वर्तमान में नियमित रूप से चयनित

प्रधानाचार्य कार्य कर रहे हैं ? यदि नहो, तो नियमित प्रधानाचार्य नियुक्त न करने के क्या कारण है ? शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही को गयी है ?

श्री लोकपति--

प्रदेश में कुल दो यूनानी कालेज हैं। यूनानी महाविद्यालय इलाहाबाद में अधिग्रहण के समय नियुक्त प्रधानाचार्य कार्यरत हैं । लखनऊ स्थित यूनानी कलेज के प्रधानाचार्य/अधीक्षक के चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है ।

स्वर्गीय श्री लक्ष्मी विश्वकर्मा, सचिव, सहकारी समिति चकलाल चन्द्र आजम-गढ़ को पत्नी को बकाया वेतन तथा बीमा की धन-राशि का भुगतान

42--श्री राज कुमार राय--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें पतिराजो देवी विधवा लक्ष्मी विश्वकर्मा (मृतक), सचिव सहकारी समिति, चकलाल चन्द्र, विकास खण्ड हरैया, जिला आजमगढ़ का पत्र दिनांक 30-1-1984 प्रश्नकर्त्ता के उपरिवत दिनांक 10-2-1984 के साथ स्वर्गीय लक्ष्मी विश्वकर्मा के 3 माह के बकाया वेतन व बीमा की धनराशि भुगतान किये जाने हेतु मिला है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां ।

श्री विश्वकर्मा के सामूहिक बीमा की धनराशि रु0 12,000 रु0 दिनांक 3-8-84 को जिला सहकारी बैंक में प्राप्त हो गयी है, किन्तु सचिव, जिला प्रशासनिक कमेटी, आजम-गढ़ द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भुगतान इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि श्री विश्वकर्मा के जिम्मे रु0 23,403·04 समिति का बकाया दर्शाया गया है । इस पावना के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, सगड़ी से जांच करायी जा रही है । जांच शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश जिला सहायक निबन्धक को भेज दिये गये हैं ।

खीरी जनपद के गोला गोकरन नाथ के पुरुष चिकित्सालय का अधिग्रहण तथा दवाइयों आदि का व्यवस्था

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के गोला-गोकरन नाथ में पुरुष अस्पताल को जिला परिषद् से गत वर्षों में शासन ने अपने अधिकार में ले लिया है ? यदि हां, तो उसके लिए दवाई तथा अन्य सामान का पूरी व्यवस्था शासन द्वार कर दी गयी ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

इस अस्पताल को जून, 1978 में शासन ने अपने अधिकार में लिया था । इसमें दवाइयों व अन्य सामान का व्यवस्था अन्य राजकीय चिकित्सालयों की तरह शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कर दी गयी है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमंडा, सीतापुर में कार्यरत फार्मेसिस्ट श्री राधारमण मिश्र के यात्रा भत्ता आदि का भुगतान

44--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वाथ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्प्रति प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कसमंडा, जिला

सीतापुर में कार्यरत फार्मेसिस्ट (श्री राधा रमण मिश्र) ने अपने हरदोई जिले के कार्यकाल का विभिन्न मदों (यात्रा तथा ड्यूटी वेतन भत्ता आदि) का अवशेष धन रु0 7434.30 पैसे प्राप्त करने हेतु प्रभारी चिकित्सा धिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भरखनी, जिला हरदोई सहित विभाग के अधिकारियों को 26-8-1981 से अब तक 33 अनुस्मारक दिये ? अन्तिम अनुस्मारक प्रा0 स्वा0 केन्द्र, भरखनी, हरदोई के चिकित्साधिकारी को 21-2-84 को दिया गया परन्तु अभी तक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

जी हां, परन्तु श्री राधारमण मिश्र ने अपने हरदोई जिले के कार्यकाल का विभिन्न मदों हेतु रु0 6434-33 पैसे के दावे प्रस्तुत किये जिसमें से उन्हें नियमानुसार केवल रुपये 4061-63 पैसे का ही भुगतान अनुमन्य है। श्री मिश्र को अनुमन्य धनराशि के शीघ्र भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

45--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ जनपद के याहियागंज क्षेत्र के निजी कोटेदारों द्वारा कथित अनियमितता सम्बन्धित शिकायतों की जांच

46--श्री किरनपाल सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि दिनांक 12-4-84 को श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य, विधान सभा का पत्र जो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी याहियागंज, लखनऊ के निजी कोटेदारों द्वारा की जा रही चोरबाजारी से सम्बन्धित था, श्रीमती प्रेमवती तिवारी, राज्य मंत्री, खाद्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो राज्य मंत्री खाद्य के आदेश क्या थे तथा उसकी जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), लखनऊ द्वारा कराई गई ? उक्त जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी पाये गये निजी कोटेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिस पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), लखनऊ ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, याहियागंज, लखनऊ के माध्यम से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में कोई फर्जी राशनकार्ड नहीं पकड़े गये हैं और प्रश्नगत निजी कोटेदारों के विरुद्ध राशन, चीनी, खाद्य तेल की चोरबाजारी का कोई मामला भी प्रकाश में नहीं आया है। अतः दुकानदारों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद की तहसील महाराजगंज में खाद्य तस्करी व अवैध संचरण की शिकायतों की जांच

47--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के विभिन्न स्थानों से तस्करी व अवैध संचरण की शिकायत शासन एवं आर0 एफ0 सी0, गोरखपुर को माह दिसम्बर, 1983 से माह मार्च, 10, 1984 तक अनेक बार किया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय विधायक द्वारा की गयी शिकायत के सन्दर्भ में प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा जांच करायी गयी। शिकायत में लगाये गये आरोप जांचोपरान्त सिद्ध नहीं पाये गये।

48—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद.

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

गोरखपुर जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जन प्रचार एवं सेवा अभियान अधिकारी का पद

49—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मल्टी मीडिया कम्पेन आफिसर के सृजित पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा कोई प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में कार्यरत 56 जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं मास मीडिया में डिप्लोमा प्राप्त अनुभव के आधार पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

वर्तमान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में जन प्रचार एवं सेवा अभियान अधिकारी (मल्टी मीडिया कम्पेन आफिसर) नामक कोई पद नहीं सृजित है । अतः विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु कोई प्रक्रिया अपनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद में जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी श्री शिव शंकर शुक्ल को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति

50—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर जनपद में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रशासनिक अधिकारी होते हुये श्री शिव शंकर शुक्ल जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में मण्डल स्तर के अन्य जनपदों में भी जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

जी हां । स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं दक्ष बनाये जाने के उद्देश्य से सेवाओं के विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों को मंडलीय संयुक्त निदेशकों के कार्यालयों से सम्बद्ध किया गया है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर की संस्तुति एवं स्थानीय व्यवस्था के आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी का कार्य (आहरण एवं वितरण कार्य छोड़कर) सौंपा गया है ।

अन्य जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई संस्तुति नहीं की गई है ।

बाराबंकी के ग्राम तिन्दोला में सरकारी अस्पताल (पुरुष) बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

51—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के ग्राम तिन्दोला में एक सरकारी अस्पताल (पुरुष) बनवाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम कृष्ण, चौकीदार, साधन सहकारी समिति लि0, बेहटा बुजुर्ग, हरदोई के सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी सहायक निबन्धक के निदेश

52--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, हरदोई, उ0 प्र0 ने अपने पत्रांक संख्या 578/जि0 स0 अधि0/सह0--चौकीदार--वेतन, दिनांक 29-11-1983 व दिनांक 27-1-1984 द्वारा प्रशासक, साधन सहकारी समिति लि0, बेहटाबुजुर्ग व सहायक विकास अधिकारी (सह0), बिलग्राम को श्री राम कृष्ण, चौकीदार को निर्दोष करार करते हुए उसकी सेवा निवृत्ति के आदेश रद्द करके बहाली व वेतन भुगतान के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो क्या रामकृष्ण को सेवा निवृत्ति के आदेश रद्द करके उनका पद पर योगदान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनके सम्पूर्ण वेतन का भुगतान आदेशानुसार कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी हां ।

सहायक निबंधक द्वारा प्रशासक, साधन सहकारी समिति, बेहटा बुजुर्ग को निम्न निदेश दिये गये थे :--

(1) श्री राम कृष्ण चौकीदार के सेवानिवृत्त आदेश निरस्त कर दिये जायं, तथा

(2) श्री राम कृष्ण का वेतन भुगतान कर दिया जाये ।

जी नहीं ।

समिति के प्रशासक द्वारा श्री राम कृष्ण के योगदान नहीं कराया गया ।

जी नहीं ।

क्योंकि श्री राम कृष्ण के स्थान पर समिति के प्रशासक द्वारा दूसरे व्यक्ति श्री बालकराम को नियुक्त कर के योगदान करा दिया गया है ।

समिति के प्रशासक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी0 ए0 वी0 कालेज, देहरादून के दो छात्र श्री वीरेन्द्र बहुगुणा तथा श्री रामेश्वर कुकसाल की मृत्यु

53--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार को जानकारी है कि 20 जनवर, 1983 को देहरादून के डी0 ए0 वी0 कालेज के दो छात्र नेताओं श्री वीरेन्द्र बहुगुणा और कुकसाल की देहरादून अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही से मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या शासन ने इस मामले की जांच की और क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा दोषी डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

श्री वीरेन्द्र बहुगुणा और श्री रामेश्वर कुकसाल की मृत्यु दिनांक 12-1-1884 को सस्पेक्ट पोइजिनिंग से हुई थी न कि डाक्टरों की लापरवाही से । जांचोपरान्त उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आए। अतः किसी डाक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर परिसर में फार्मेसिस्ट आवास गृह का आवंटन

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर के

परिसर में बने फार्मेसिस्ट आवास गृह को शासनादेश संख्या 5231/5-7-2504 80, दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के विरुद्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर ने फार्मेसिस्ट के बजाय मेडिकल अटेन्डेन्ट को आवंटित किया है ? यदि हां, तो शासनादेश के विरुद्ध कार्य करने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

आवास कार्यवाहक फार्मेसिस्ट को आवंटित किया गया था परन्तु बाद में आवंटन आदेश निरस्त कर दिये गये । आवंटन निरस्त करने के आदेशों के विरुद्ध वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं । शेष प्रश्न अभी नहीं उठते ।

श्री बद्री प्रसाद वर्मा, जिला प्रतापगढ़ द्वारा साधन सहकारी समिति, गम्भीरा में अवैध नियुक्ति के सम्बन्ध में दिया गया आवेदन पत्र

5\5—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बद्री प्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम छिटाई, जिला प्रतापगढ़ का आवेदन-पत्र दिनांक 6-9-1983 इस आशय का प्राप्त हुआ है कि सचिव, साधन सहकारी समिति, गंभीरा, वि0खं0 मान्धाता, जिला प्रतापगढ़ ने अपने अवयस्क पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह को उक्त समिति का सेलमैन नियुक्त कर दिया जबकि आवेदक उक्त पद पर पहले से कार्यरत सक्षम प्रत्याशी था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और अवैध नियुक्ति को रद्द किया गया अथवा नहीं ? अवैध नियुक्ति करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी नहीं, किन्तु इससे सम्बन्धित अन्य पत्र प्राप्त हुआ है अवयस्क श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह को तत्कालीन संचालक मंडल की अनुमति से समिति के सचिव द्वारा विक्रेता के पद पर रखा गया । आवेदक समिति में लिपिक के पद पर कार्यरत था । समिति के प्रशासक को सम्बन्धित विक्रेता को हटाने हेतु निदेशित कर दिया गया है एवं सचिव को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

डा0 श्री कान्त शुक्ला, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उरई के जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के भुगतान में विलम्ब का कारण

56—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र (1983) के चौथे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 25 तथा 26 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी तथा पेंशन के कागजात भेजने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का होता है ? डा0 श्रीकान्त शुक्ला के पेंशन तथा फंड के कागजात 5 वर्ष विलम्ब से क्यों प्राप्त हुये, इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत दायित्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का है । डा0 शुक्ला के विरुद्ध उनके कार्यकाल की कतिपय आडिट आपत्तियां लम्बित थीं जिसके कारण उनके पक्ष में अदेयता प्रमाण-पत्र आदि नहीं दिया जा सकता था । इसी परिप्रेक्ष्य में उनके सेवा निवृत्तिक प्रकरणों के निस्तारण में समय लगा ।

57—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या यह सही है कि स्वास्थ्य सेवा के किसी उच्च अधिकारी द्वारा मुख्य

चिकित्सा अधिकारी, जालौन को यह आदेशित किया गया था कि डा० शुक्ला के पेंशन तथा फंड के कागजात न भेजे जायें ? यदि हां, तो क्या फंड के कागजात रोकने का अधिकार उसको था ? क्या यह भी सही है कि महा-लेखाकार को स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा यह लिखा गया था कि डा० शुक्ला की ग्रेच्युटी से रु० 7,313.55 पैसा काटकर शेष का भुगतान कर दिया जाये ? डा० शुक्ला पर कारण बताओ नोटिस 31 जनवरी, 1982 को तामील हुआ जबकि वे फरवरी, 1976 में सेवा निवृत्त हो गये थे ? क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस नोटिस को देने में इतना विलम्ब क्यों हुआ और उसके लिए कौन दोषी है ?

श्री लोकपति--

डा० शुक्ला के कार्यकाल से सम्बन्धित सम्प्रेक्षा आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तत्कालीन लेखा अधिकारी ने सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के आधार पर प्रकाश में आयी अनियमितताओं के लिए दोषी सभी सरकारी सेवकों, जो सेवा निवृत्त हो रहे थे, को अदेयता प्रमाण-पत्र सम्प्रेक्षा आपत्तियों के निरा-करण न होने तक जारी न करने तथा उनके पेंशन, ग्रेच्युटी तथा फंड आदि के मामलों को फिलहाल लम्बित रखने के लिए लिखा था । डा० शुक्ला से प्रश्नगत रु० 7313.55 की वसूली का अनन्तिम निर्णय होने के बाद निदेशक ने उनकी ग्रेच्युटी से वह धनराशि रोक कर उन्हें पेंशन एवं शेष ग्रेच्यूटी का भुगतान करने हेतु महालेखाकार से संस्तुति की । डा० शुक्ला को उनके विरुद्ध प्रकाश में आयीं अनियमितताओं के कारण सरकार को हुई उपर्युक्त हानि के लिए उनकी पेंशन से कटौती करने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस देने के पूर्व समस्त अभिलेखों आदि की जांच, सम्बन्धित सरकारी सेवकों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा विभिन्न स्तरों पर उस सम्पूर्ण मामले का विधिवत रूप से सम्यक परीक्षण करने में समय लगना स्वाभाविक था । अतः उसमें विलम्ब के लिए किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है ।

साधन सहकारी समिति जनपद देवरिया हेतु स्वीकृत की गयी ऋण सीमा

58--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति लि०, सकरापार अरईपार, वि० खं० बैतालपुर, जनपद देवरिया की पी० डी० एस० की वर्ष 1983 की ऋण सीमा जिला सहकारी बैंक को स्वीकृति हेतु कब प्रेषित की गई थी तथा इसकी स्वीकृत कब हुई थी ? क्या स्वीकृति के पश्चात भी ऋण सीमा बैंक द्वारा रोकी गई थी ? यदि रोकी गई थी तो क्यों तथा कब समिति को दी गई ? क्या ऋण सीमा किसी शर्त के साथ स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो किस शर्त के साथ ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जिला सहायक निबन्धक, कार्यालय से दिनांक 5-4-1983 को प्रेषित की गयी थी ।

दिनांक 5-6-1983 को उक्त ऋण सीमा बैंक द्वारा स्वीकृत की गई ।

जी हां ।

विक्रेता द्वारा वित्तीय अनियमितता करने के कारण उक्त सुविधा रोकी गयी । परन्तु 15-11-1983 को समिति को पुनः दे दी गयी ।

जी, ऋण सीमा के लिये आपरेशन हेतु निम्न शर्तें लगायी गयी थीं :--

स्टाक की स्थिति सहायक विकास अधिकारी (सह०) से प्राप्त किया जाय । बैंक में लगे ऋण एवं स्टाक मौजूदा के मूल्य में अन्तर होने पर कारण दिया जाय । वितरण का कार्य सचिव से कराया जाय ।

श्री गोवरधन लाल, जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत एवं जांच

59--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 से 25-3-1984 तक श्री गोवरधन लाल, जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध किन-किन विधायकों के शिकायती पत्र मिले और उनकी जांच में कौन से तथ्य पाये गये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत अवधि में प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त सर्वश्री सुनील शास्त्री, राजेन्द्र कुमार गुप्त, बलबीर सिंह, रियासत हुसैन, मुख्तार अनीस, रवीन्द्र किशोर शाही, माधव प्रसाद त्रिपाठी, सरजू पाण्डेय एवं मुलायम सिंह यादव के शिकायती पत्र मिलें । सीमेन्ट से सम्बन्धित शिकायतों पर खाद्य विभाग के पुलिस प्रकोष्ठ से जांच कराई जा रही है । अन्य शिकायतों की जांच में पुष्टि नहीं हुई हैं ।

जनपद देवरिया के संयुक्त चिकित्सालय में दवाओं के भ्रष्टाचार की जांच

60--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के संयुक्त चिकित्सालय में 1982-83 से 1983-84 के मध्य दवाओं के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है ? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1982-83 से 1983-84 के मध्य जनपद देवरिया के संयुक्त अस्पताल में दवाओं के भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है । अतः किसी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर श्री गोवरधन लाल के विरुद्ध शिकायतों की जांच

61--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रेतर जांच में कौन से तथ्य प्रकाश में आये ? सिद्ध तथ्यों के आधार पर उसे निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अग्रेतर जांच के सम्बन्ध में पुलिस सेल की आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 के0 सी0 गुप्ता, एम0 ओ0, लक्ष्मीपुर, गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट

62--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्सम्बन्धित जांच रिपोर्ट क्या है जिसके आधार पर सभी आरोपों को निराधार बताया गया है ?

श्री लोकपति--

जैसा पहले बताया जा चुका है, जांच में सभी आरोप निराधार पाये गये । जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 194 पर ।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भागलपुर, देवरिया के चिकित्साधिकारी, श्री एम0 एम0 सिंह के विरुद्ध ग्राम प्रधानों का शिकायती-पत्र

63—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनः मूलपत्र के आधार पर जांच कराने का कष्ट करेंगे ? क्या यह सत्य है कि मूल पत्र ही कार्यालय से गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति—

माननीय सदस्य से शिकायती-पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1983 की दूसरी प्रतिलिपि उपलब्ध न होने के फलस्वरूप जांच नहीं हो सकी, यद्यपि माननीय सदस्य को दिनांक 13 फरवरी, 1984 को पत्र लिख कर दूसरी प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। मूल शिकायती-पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1983 मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया के कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ। अतः गायब होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री घनश्याम पांडेय, चिकित्सा अधिकारी, जनपद हमीरपुर के स्थानान्तरण के आदेश निरस्त

64—श्री भीखा लाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री घनश्याम पांडेय, चिकित्सा अधिकारी, महोबा, जनपद हमीरपुर का स्थानान्तरण जनपद बांदा को हो जाने के बावजूद भी उनको कार्य से मुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां।

जनहित में स्थानान्तरण आदेश बाद में निरस्त कर दिए गए।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, समइन, जिला इटावा का किराये पर लिया गया भवन तथा भुगतान

65—श्री भीखा लाल—

प्रथम सत्र 83 के 6ठें गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस किराये के मकान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र समइन, जिला इटावा चलाया जा रहा है वह कितने मासिक किराये पर लिया गया है और उसका किराया पिछले 8 साल से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, समाइन, जिला इटावा के लिए भवन 25 रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया गया है। इसका किराया बराबर दिया जा रहा है। पिछले सालों का कोई किराया अवशेष नहीं है।

जिला बस्ती के ककरहवा बाजार तथा लोटन चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी की मांग

66—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के ककरहवा बाजार तथा लोटन चिकित्सालयों में कब से चिकित्सा अधिकारी नहीं है तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में शीघ्र चिकित्सा अधिकारी भेजने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति--

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, ककरहवा बाजार, बस्ती में चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। लोटन नाम का कोई चिकित्सालय जनपद बस्ती में नहीं है।

भूमि विकास बैंक, करबी के मैनेजर श्री राम स्वरूप सिंह चौहान के विरुद्ध धोखाधड़ी व रुपयों के गोलमाल किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

67--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के गांव बराड़माफी निवासी वसूल पुत्र बिशनाथ, जाति कोल आदिवासी ने परगनाधिकारी, करवी और जिलाधिकारी, बांदा आदि को प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-5-83 को देकर शिकायत की थी कि भूमि विकास बैंक करवी के मैनेजर श्री राम स्वरूप सिंह चौहान ने बकरियों के लिये ऋण देने के बहाने डीजल पम्प सेट के कागजात पर हस्ताक्षर करा लिये थे और उसके घर उक्त डीजल पम्प सेट भिजवा दिया था ? इस प्रकार धोखाधड़ी करके काफी रुपयों का गोलमाल किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार शिकायतकर्त्ता का परगनाधिकारी, करवी और जिलाधिकारी, बांदा को संबोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-5-83 भूमि विकास बैंक में नहीं प्राप्त हुआ। परन्तु संदर्भित शिकायत से सम्बन्धित शिकायत-कर्त्ता का पत्र दिनांक 29-4-83 बैंक में प्राप्त हुआ था। शिकायत की प्रारम्भिक जांच कराई गई। जांच के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं।

भूमि विकास बैंक, कर्वी के मैनेजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा उसकी जांच

68--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के करवी तहसील के ग्राम मडैयन के आदिवासी कोल श्री चतुर पुत्र जानकी व मिठुला पुत्र चौआ तथा ग्राम प्रधान शिवफूल सिंह आदि ने दिनांक 5-5-83 को जिलाधिकारी, बांदा तथा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को एक प्रार्थना-पत्र भेजकर भूमि विकास बैंक, कर्वी के मैनेजर के विरुद्ध अनेकों शिकायतें की थी जिसमें ऋण देने में मनमानी, घपलेबाजी और सरकारी धन के दुरुपयोग व धांधली के आरोप हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

शिकायतकर्ताओं का दिनांक रहित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराई गई। जांच के उपरान्त शाखा प्रबन्धक एवं सहायक शाखा अंकिक का स्थानान्तरण कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जनपद बस्ती के नौगढ़ तहसील के मिट्टी के तेल के दुकानदारों के लाइसेन्स

69--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के जिलाधिकारी ने मई, 1984 में नौगढ़ तहसील की मिट्टी के तेल की अधिकतर दुकानों का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिनके लाइसेन्स जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा निरस्त किये गये हैं उनको लाइसेन्स किस आधार पर दिये गये थे और किस आधार पर निरस्त कर दिये गये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद बस्ती के जिलाधिकारी द्वारा मई, 1984 में नौगढ़ तहसील के मिट्टी के तेल के दूकानदारों के लाइसेन्स निरस्त नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि विकास बैंक, जनपद बुलन्दशहर की शाखा को पुनः चालू किये जाने की मांग

70—श्री छत्तर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983–84 में भूमि विकास बैंक की एक शाखा, विकास खंड स्याना, जनपद बुलन्दशहर में खोली गयी थी ? यदि हां, तो उसको क्यों बन्द कर दिया गया था तथा उसे पुनः कब तक चालू करा दिया जायेगा ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ?

पिछड़ी जाति के मुस्लिम मलेरिया निरीक्षकों की उच्च पदों पर की गयी नियुक्तियों की जांच

71—जनार्दन प्रसाद ओझा—

प्रथम सत्र 84 के 5वें गु०0 को उत्तरित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन पैंतीस लोगों की नियुक्तियां की गयी हैं और किन-किन पदों पर की गयी हैं ? जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वास्थ्य सहायकों को उच्चतम वेतनमान न दिये जाने के शासनादेश की उपेक्षा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

72—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक (स्वा0), गोरखपुर ने विभागीय निदेश के संदर्भ में 15 अप्रैल, 1983 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को स्वास्थ्य सहायकों को उच्चतम वेतनमान न देने हेतु कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त आदेश को दो माह बाद 15 जून, 1983 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्यान्वयन हेतु निर्गत किया और इसी बीच स्वास्थ्य सहायकों को उच्चतम वेतनमान दे दिये गये ? यदि हां, तो जानबूझकर शासनादेश की उपेक्षा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

मामले में छानबीन की जा रही है ।

73—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह भी सच है कि जनपद में कुल 124 स्वास्थ्य सहायक कार्यरत हैं एवं 25 प्रतिशत को ही उच्चतम वेतनमान दिया जाना है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 75 स्वा0 सहायकों को उच्चतम वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

जनपद देवरिया स्थित बाबा राघौदास कुष्ठ सेवाश्रम को लिप्रोसी रिलीफ एसोसियेशन द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग तथा इमारत का निर्माण

74--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया स्थित बाबा राघौदास कुष्ठ सेवाश्रम को लिप्रोसी रिलीफ एसोशियेशन, स्वीटजरलैंड द्वारा वर्ष 1980-81 में 2,63,000 रु0 का अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि किन-किन कामों में कब-कब और कितनी-कितनी खर्च की गई और वर्ष 80 से लेकर वर्ष 1983 तक हर वर्ष कितने कुष्ठ रोगी दाखिल होकर लाभान्वित होते रहे हैं ?

श्री लोकपति--

इस संस्था को वर्ष 1980-81 में स्वीटजरलैंड से 2,65,000 रु0 का अनुदान अनाथ बच्चों के रेजीडेन्स-कम-स्कूल के भवन निर्माण हेतु मिला था जिसका उपयोग प्रमाण पत्र अनुदान देने वाली संस्था को भेजा जा चुका है ।

वर्ष 1980 से 1983 तक दाखिल होकर लाभान्वित होने वाले कुष्ठ रोगियों का विवरण इस प्रकार है--

	80-81	81-82	82-83
वर्ष के आरम्भ में रोगी संख्या	49	56	47
वर्ष म नये भर्ती रोगी संख्या	117	113	128
वर्ष में डिस्चार्ज रोगी संख्या,	110	122	127
वर्ष के अन्त में शेष रोगी संख्या	56	47	48

75--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त कुष्ठ सेवा केन्द्र की इमारत का निर्माण कब और किस भूमि खंड पर किया गया और उसकी जमीन कितने में है और किस पैसे तथा किससे की गई और वह पैसा कहां से आया ?

श्री लोकपति--

इमारत का निर्माण 1962 से 1967 के मध्य हुआ। यह श्री रामलखन यादव से क्रय की गयी भूमि और श्री विजय नाथ तिवारी द्वारा जनहित में दान दी गई भूमि पर बना है। भूमि के क्रय हेतु सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया। इसे संस्था के अपने स्त्रोतों से ही क्रय किया गया है ।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को औषधि अनुज्ञा-पत्रों को अपने हस्ताक्षरों से जारी किये जाने का शासनादेश

76--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उपमुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासनादेश द्वारा औषधि अनुज्ञापत्रों को अपने हस्ताक्षरों से जारी किये जाने के अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसी के अनुपालन में फैजाबाद जनपद के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य का सम्पादन सन् 1977 से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या वहां के वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए औषधि अनुज्ञापत्रों को जारी करने का काम स्वयं अपने हाथों में ले लिया है ? यदि

हों, तो क्या सम्बन्धित मामले की जांच कराकर उक्त अधिकार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति—

अधिसूचना संख्या 1022/सोलह-10-12 (69)-76, दिनांक 24 मार्च, 1977 द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स रूल्स के नियम 60 के उपबन्धों के अनुसरण में उन्हें अपने नियंत्रण में कार्यरत समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों या नगर महापालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को औषधि अनुज्ञा-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रतिनिहित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसके अनुसार यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने नियंत्रण में कार्यरत उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को औषधि अनुज्ञा-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रदान करता है तभी वह कार्य उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किया जा सकता अन्यथा नहीं ।

तद्नुसार तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद ने अपने आदेश दिनांक 4 मई, 1977 द्वारा अपने नियंत्रण में कार्यरत समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को औषधि अनुज्ञा-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रदान किया था, जिसके अनुसार जनपद फैजाबाद में औषधि अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाते रहे ।

तत्पश्चात तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद ने दिनांक 1 मार्च, 1984 को यह आदेश जारी किए कि औषधि अनुज्ञा-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार उनके नियंत्रण में कार्यरत समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाता है कि उनकी लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही यह अधिकार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद का उक्त आदेश दिनांक 1 मार्च, 1984 चूंकि अस्पष्ट प्रकृति का था अतएव शासन द्वारा यह निर्देशित किया गया कि इस प्रसंग में स्वतः स्पष्ट आदेश जारी किये जायं जिसके अनुपालन में वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 1984 का यह आदेश जारी किये गये कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्रों को ही उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी कर सकते हैं ।

शासकीय अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 1977 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त अधिकार का प्रतिनिधान करने के लिए बाध्य नहीं है अतः यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अपने तक ही सीमित रखता है तो ऐसा करने में उक्त अधिसूचना तथा एतद्सम्बन्धी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अस्पताल, मथुरा के महिला वार्ड के पुनर्निर्माण की मांग

77—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा में आश्वासन के बावजूद भी जिला अस्पताल, मथुरा का खंडित महिला वार्ड अभी तक नहीं बन पाया है और जनता को न बनने से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब उक्त वार्ड को निर्मित करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जिला चिकित्सालय, मथुरा में महिला वार्ड को विशेष मरम्मत हेतु 2.95 लाख (दो लाख पंचानबे हजार) रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

मथुरा जनपद के कतिपय गेहूं खरीद केन्द्रों पर भ्रष्टाचार के आरोप एवं संख्या

78—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में गेहूं खरीद केन्द्रों पर

भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में कुछ खरीद केन्द्रों के प्रभारी ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमें माह मई, 84 में कायम किये गये थे ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से खरीद केन्द्र थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के क्या-क्या आरोप थ ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 197 पर)

स्वास्थ्य निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा लैब टेक्नीशियन तथा एक्सरे टेक्नीशियन के चुनाव में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

79—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा लैब टेक्नीशियन तथा एक्सरे टेक्नीशियन के प्रशिक्षण में भेजे जाने हेतु अभ्यर्थियों के चयन में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में किसी विधायक द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र उन्हें फरवरी, 84 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमे अंकित सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 14-2-84 शासन को दिनांक 17-2-84 को प्राप्त हुआ था । चयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

80—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[अरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक निबन्धक, उपभोक्ता सहकारी समिति, लखनऊ मंडल, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

81—श्री संत बख्श रावत—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र सहायक निबन्धक, उपभोक्ता सहकारी समिति, लखनऊ मंडल, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के शिकायतों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, जिसकी प्राप्ति संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र संख्या एम0 1/11-221-सी0 एम0-2-84, अनुभाग-2 मुख्य मंत्री कार्यालय, दिनांक 26 मई, 84 द्वारा की गयी है ? उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गई है तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच श्री डी0 एन0 शुक्ल, अपर निबंधक, सहकारी समितियां द्वारा करायी गयी जांच अधिकारी ने सभी शिकायतों को निराधार बतलाया है और शिकायती मामले को समाप्त किये जाने की संस्तुति की है ।

जनपद बस्ती, तहसील नौगढ़ में सोहांस अस्पताल के भवन निर्माण की मांग

82—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के सोहांस अस्पताल के भवन बनाने के लिये जमीन छूटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सोहांस अस्पताल का भवन कब तक बनवा देगी ।

श्री लोकपति—

उक्त ग्राम में चकबन्दी पूर्ण होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अस्पताल के भवन निर्माण हेतु कुछ भूमि छूटी है या नहीं ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, बस्ती ही उक्त अस्पताल के भवन निर्माण हेतु जिला योजना में धन की व्यवस्था करने के लिए सक्षम है। चालू वित्तीय वर्ष में इस निर्माण कार्य हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी दशा में अब यह कहना कठिन है कि भवन कब तक बनेगा।

जनपद बस्ती, तहसील नौगढ़ के कतिपय न्याय पंचायतों के दुकानदारों को मिट्टी के तेल का आवंटन

83—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के न्याय पंचायत बोहली, धनौरा मुस्तहकम, पिपरसन, बर्डपुर नं0 6, दुल्हा शुमाली के मिट्टी के तेल के दुकानदारों को तारीख 1-3-83 से तारीख 15-3-84 तक प्रत्येक को कितना-कितना मिट्टी का तेल दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 198 पर)

जनपद बस्ती के कतिपय न्याय पंचायतों के दुकानदारों को मिट्टी के तेल के आवंटन

84—श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के न्याय पंचायत बर्डपुर नं0-8, बर्डपुर नं0-10, शिवपयिनगर, बेलटीकर, पटनी जंगल के मिट्टी के तेल के दूकानदारों को तारीख 1-3-1983 से तारीख 15-3-1984 तक प्रत्येक को कितना-कितना मिट्टी का तेल दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 199 पर)।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय थल, जनपद पिथौरागढ़ हेतु किराये पर लिया गया मकान तथा किराये में वृद्धि किये जाने की मांग

85—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में थल नामक स्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, थल श्री गोपाल दत्त पाठक (निवासी थल) के मकान में क्रमशः कितने क्षेत्रफल के कितने कमरों में किस तिथि से, कितने किराये पर लिया गया था ? इस मूल किराये पर किन-किन तिथियों को कितनी बढ़ोत्तरी किस-किस आधार पर की गयी ? स्थान की महत्ता, बढ़ती महंगाई पर बार-बार निवेदन करने पर भी किराया न बढ़ाये जाने या उसे खाली न करने का क्या कारण है ? सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, थल, जिला पिथौरागढ़ के लिए श्री गोपाल दत्त पाठक के मकान के पांच कमरे जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 208, 156, 448, 208 एवं 156 वर्ग फुट है, दिनांक 1-2-1961 से रुपया 45 प्रतिमाह किराये पर लिया गया था।

मकान मालिक के अनुरोध पर किराये में दिनांक 1-5-61 से रुपया 25 एवं 1-9-1966 से रुपया 5 की और वृद्धि की गई। उक्त भवन का उचित किराया दिया जा रहा है। भवन की वर्तमान दशा को देखते हुए किराया बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

जिला सहकारी बैंक, अल्मोड़ा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या एवं नियमित किये जाने की मांग

86—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक में जनवरी, 1976 से 10 मार्च, 1984 तक कितने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दैनिक मजदूरी में कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को नियमित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा में जनवरी 1976 से 10 मार्च, 1984 तक दैनिक मजदूरी पर तृतीय श्रेणी के 21 तथा चतुर्थ श्रेणी के 7 कर्मचारी समय-समय पर कार्यरत रहे ।

जी नहीं । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने का कोई नियम नहीं है ।

इलाहाबाद के विकास खण्डों में ए0 एन0 एम0/बी0 एच0 डब्लू0 के सृजित पद

87—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सभी विकास खंडों में कितने ए0 एन0 एम0 तथा बी0 एच0 डब्लू0 के पद सृजित हैं तथा कितनी की नियुक्ति हुई है ? नियुक्त ए0 एन0 एम0 तथा बी0 एच0 डब्लू0 में कितनों को नगर के विभिन्न अस्पतालों में सम्बद्ध किया गया है ?

श्री लोकपति—

इलाहाबाद के सभी विकास खण्डों में ए0 एन0 एम0/बी0 एच0 डब्लू0 के कुल 441 पद सृजित हैं । इन सभी पदों पर उक्त महिला स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं ।

कुल छः महिला कार्यकत्रियों को नगर के विभिन्न अस्पतालों / परिवार कल्याण केन्द्रों से सम्बन्ध किया गया था । इन्हे पुनः उनके मूल नियुक्ति स्थान पर वापिस भेज दिया गया है ।

जनपद इलाहाबाद के आमगोंदर होम्योपैथिक अस्पताल में नियुक्त डा0 रामचन्द्र यादव के स्थानान्तरण की मांग

88— श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के आमगोंदर होम्योपैथिक अस्पताल में नियुक्त डा0 रामचन्द्र यादव अगस्त, 1983 से आमगोदर अस्पताल में नहीं गए और उन्होंने मई, 1984 तक इसी अस्पताल से वेतन आहरित किया है ? इन्हें किन परिस्थितियों में पूरे वर्ष भर अन्य अस्पताल में सम्बद्ध रखा गया ? डा0 यादव इलाहाबाद जनपद में कितने वर्षों तक कार्यरत रहे हैं ? इतनी लम्बी अवधि के बाद में भी इन्हें जनपद से बाहर क्यों नहीं स्थानान्तरित किया गया ? क्या श्री यादव को स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जनहित में डा0 रामचन्द्र यादव को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद से सम्बद्ध रखा गया ।

डा0 यादव इलाहाबाद जनपद में वर्ष 1974 से तैनात हैं । इस अवधि के बीच उन्हें समय-समय पर अनेक स्थानों पर तैनात किया गया । स्थानान्तरण और तैनातियां प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित के आधार पर की

जाती है । आवश्यकता पड़ने पर डा0 यादव का स्थानान्तरण उक्त जनपद से बाहर भी किया जा सकता है ।

इलाहाबाद जनपद में स्वीकृत राजकीय एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक अस्पताल एवं डाक्टर कम्पाउन्डर तथा स्टाफ की व्यवस्था

89--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83--84 में जो राजकीय एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक अस्पताल, इलाहाबाद जनपद में स्वीकृत हुये थे, वे किन-किन तारीखों को स्वीकृत स्थानों पर स्थापित हो गये हैं ? उनकी सभी सामग्री क्रय कर ली गई है और किराये पर स्थान ले लिये गये हैं तथा उक्त अस्पतालों में किन-किन में डाक्टर तथा किन किन में कम्पाउन्डर, तथा किन-किन वार्ड ब्वाय व चपरासी अभी तक नियुक्त नहीं हुये हैं इनके नियुक्त न होने का क्या कारण है विभाग इनमें कब तक पूर्ण स्टाफ की व्यवस्था करेगा ? या नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 201 पर ।)

इलाहाबाद जनपद के कतिपय विकास खण्डों में राजकीय एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा महिला अस्पताल एवं कार्यरत डाक्टर एवं वेतन का आहरण

90--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के शंकरगढ़, जसरा, कोंधियारा तथा चाका विकास खंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजकीय एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा महिला अस्पतालों में अलग-अलग कितने महिला तथा पुरुष डाक्टरों के पद सृजित हैं ? इनके विपरीत कितने डाक्टर कार्यरत हैं तथा किन-किन नियुक्त डाक्टरों को किस अवधि से अन्य अस्पतालों में क्यों सम्बद्ध करके वेतन आदि उसी अस्पताल से आहरित किया जा रहा है ? क्या भविष्य में यह सम्बद्धता की प्रक्रिया बन्द होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

याचिका संख्या 1182/82, श्री एस0 एन0 झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के स्थगन आदेश को निरस्त कराने के के सम्बन्ध में कार्यवाही

91--श्री सैय्यद जकीउद्दीन--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद-लखनऊ की खण्ड पी0 संख्या 176/82 स्थगन मोहन लाल शर्मा बनाम राज्य सरकार अन्य को विभाग द्वारा बेकेट कराये एक वर्ष से अधिक हो रहा है परन्तु इसी न्यायालय में रिट संख्या 1182/282, एस0 एन0 झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के स्थगन आदेश को बेकेट कराने को विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की ? क्या यह सह है कि श्री झा की स्थानीय आदेशों के प्रतिकूल की गई प्रोन्नति को केवल जाति विशेष के कारण विभाग द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और उन्हें अनुचित लाभ पहुंच रहा है ? क्या यह भी सही है कि इसके पूर्व भी इन्होंने पूर्ति निरीक्षक के होते

हुए भी वरिष्ठ निरीक्षक के पद की ज्येष्ठता अनियमित रूप से हासिल की और उक्त अवधि का वेतन प्राप्त किया ? यदि हां, तो क्या शासन उनकी रिट याचिक को तुरन्त बैकेट करने एव उन्हें अबैध प्रोन्नति के रूप में दिये गये वरिष्ठ निरीक्षक एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पदों के वेतनों की रिकवरी करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

याचिका संख्या 1182/82 श्री एस0 एन0 झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में श्री झा द्वारा किये गये दावे का प्रति उत्तर न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। न्यायालय का निर्णय अभी प्रतीक्षित है श्री झा की कोई अनियमित वरिष्ठता प्रदान नहीं की गयी है ; स्थगन आदेश का निरस्त (वेकेट) होना न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल में लिपिकों के वेतनमान के सम्बन्ध मे कार्यवाही

92--श्री कुबेर मण्डारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ आगरा मन्डल में कितने लिपिक हैं जो पूर्व में स्वास्थ्य सहायक थे ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि स्वास्थ्य सहायक से लिपिक होने पर कितनों को वहीं स्वास्थ्य सहायक का वेतन मिला है और कितनों को लिपिक का न्यूनतम वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो यह दो प्रकार की नीति क्यों अपनायी गयी है ? क्या मन्त्री जी इसमें एकरूपता लाने के लिए कोई कारगर कार्यवाही शीघ्र कराने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले में सीमेन्ट वितरण में तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किये गये घपले की जांच

93--श्री मोहन सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-3-82 को तत्कालीन राज्य मन्त्री श्री जयराज गौतम ने सीमेन्ट स्टाकिस्ट चौरी-चौरा का निरीक्षण किया और उसमें यह आरोप लगाया कि गोरखपुर जिले में सीमेन्ट वितरण में तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी (श्री एन0 के0 सिंह यादव) ने घपले किये और राज्य मन्त्री के निर्देश के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में भी गड़बड़ी करके एफ0 आई0 आर0 को ही बदल दिया ? यदि हां, तो इस संबन्ध में शासन ने तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां।

विषय पर जांच खाद्य एव रसद विभाग में कार्यरत फूड सेल को दी गयी है। जांच प्रगति पर है।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गाजीपुर में कार्यरत श्री बाल चन्द्र एवं श्री परशु राम के अवशेष वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

94--श्री मोहन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गाजीपुर में विगत फरवरी, 82 से दो माली श्री बालचन्द्र एवं श्री परशुराम बिना वेतन कार्यरत हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति--

प्रश्नगत दोनों माली होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गाजीपुर में कार्यरत थे जिनको विधिक कठिनाइयों के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका उसके अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही विचाराधीन है।

सहकारी संघ, पचपेड़वा, जनपद गोंडा के प्रशासक के विरुद्ध आरोपों की जांच

95--श्री अकबाल हुसैन--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ, पचपेड़वा, जनपद गोंडा के प्रशासक का नाम क्या है और इनकी नियुक्ति की संस्तुति किसने की? क्या यह सही है कि इस व्यक्ति के ऊपर सहकारी सहकारिता क्षेत्र समिति, पचपेड़वा की डिग्री है और यह सहकारिता विभाग का बकायेदार है ? इन्हें हटाने के लिए प्रश्नकर्त्ता ने कोई पत्र सहकारिता मंत्री को मार्च, 84 में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

सहकारी संघ, पचपेड़वा, जनपद गोंडा के प्रशासक, खंड विकास अधिकारी, विकास खंड पचपेड़वा है। उनकी नियुक्ति की संस्तुति किसी ने नहीं की।

जी नहीं।

जी हां।

पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी तथा श्री अब्दुल रऊफ खां को सहकारी संघ, पचपेड़वा के प्रशासक पद से हटा दिया गया।

पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा भत्ता आवंटन हेतु नीति

96--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि पर्वतीय (विशेषकर सीमान्त जनपद) क्षेत्र में यात्रा भत्ता आवंटन हेतु क्या नीति बनायी गयी है ? इस भत्ते के भुगतान के लिये क्या-क्या मापदंड अपनाये गये हैं ? इन भत्तों को लम्बे समय तक लम्बित रहने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

97--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, इन्द्रपुर, जिला गोरखपुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

98--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र नायक, भू0 पू0 उपाध्यक्ष, गोरखपुर विश्वविद्यालय, प्रा0 व पो0 इन्द्रपुर, जिला गोरखपुर ने अपने पंजीकृत पत्र संख्या 1029, दिनांक 4 जनवरी, 1984 द्वारा जो शिकायती-पत्र, उनको राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, इन्द्रपुर, जिला गोरखपुर के सम्बन्ध में भेजा था उसमें जांचोपरान्त कौन-कौन सी बातें सही पायी गयीं और दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। परन्तु पूछतांछ किये जाने पर शिकायतकर्त्ता, श्री वीरेन्द्र नायक ने लिखित रूप में यह सूचित किया है कि न तो प्रश्नगत शिकायती-पत्र उनके द्वारा लिखा गया है और न ही उन्हें प्रभारी चिकित्साधिकारी अथवा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, इन्द्रपुर के विरुद्ध कोई शिकायत है। अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अनुकुष्ठ निवारण समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश शाही के नेतृत्व में मांगों के समर्थन में अनशन तथा कृत कार्यवाही

99--श्री केदार नाथ सिंह--

प्रथम सत्र 83 के 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 172 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांगों की सूची के किन-किन बिन्दुओं की जांच पूरी हो चुकी है और किन-किन बिन्दुओं पर अभी भी जांच चल रही है ? जांच के पश्चात डा० गोयल के अतिरिक्त किन-किन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा सम्बन्धित कर्मचारियों से तथाकथित धनराशि वसूल की गई अथवा नहीं ?

श्री लोकपति--

मांगों की सूची में अंकित बिन्दुओं की जांच तत्कालीन विशेष सचिव डा० वी० एन० श्रीवास्तव द्वारा की जा चुकी है । जांच के पश्चात डा० गोयल के अतिरिक्त श्रीमती बेचुरा (सिस्टर) डा० एस० के० श्रीवास्तव, श्री एम० पी० सिंह, श्री ए० एस० श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । श्रीमती बेचुरा से धनराशि की वसूली की जा चुकी है तथा शेष से वसूलयाबी करने की कार्यवाही जारी है ।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, स्टेट फार्मेसी, मोहान रोड, लखनऊ में च्यवनप्राश के निर्माण पर संबंधित कर्मियों को ओवर टाइम के भुगतान के संबंध में कार्यवाही

100--श्री ललू सिंह चौहान--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला स्टेट फार्मेसी मोहान रोड, लखनऊ में च्यवनप्राश के निर्माण पर विगत 3-2-65 को संबंधित कर्मियों को ओवर टाइम का भुगतान किया गया था ? यदि हां, तो वर्ष 83-84 में 3 कर्मियों को जिन्होंने क्रमशः 217, 103 तथा 32 घंटे उपयुक्त औषधि के निर्माण में कार्य किया था, को ओवर टाइम भुगतान क्यों नहीं किया गया ? क्या उक्त फार्मेसी फैक्ट्री ऐक्ट से अवमुक्त कर दी गयी है ? संबंधित कर्मियों द्वारा अधीक्षक को प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 14-2-84, 21-2-84, 28-2-84, 7-4-84 तथा 17-5-84 के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में श्री यमुना प्रसाद, एम० एल० ए० का पत्र दिनांक 21-5-84 अधीक्षक, स्टेट फार्मेसी, निदेशक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उ० प्र० मा०, स्वास्थ्य मंत्री तथा उप सचिव स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

जी हां । ओवर टाइम के भुगतान पर आडिट आपत्ति होने के कारण बाद में ओवर टाइम के बदले प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था की गयी । वर्ष 83-84 में प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था लागू थी । अतः इन तीन कर्मियों को ओवर टाइम दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रत्यावेदन प्राप्त होने के पहले व प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर इन तीन कर्मियों को मौखिक यह बता दिया गया था कि वे ओवर टाइम के बदले प्रतिकर अवकाश ले सकते हैं ।

श्री यमुना प्रसाद विधायक जी का 21-5-84 का पत्र अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, मोहान रोड, लखनऊ को प्राप्त हुआ ।

अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, मोहान रोड, लखनऊ अपने पत्र 7-6-84 द्वारा श्री यमुना प्रसाद विधायक को वस्तुस्थिति से अवगत करा चुके हैं ।

मेडिसिन विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, डा0 ओ0 पी0 टंडन द्वारा सरकारी आवास खाली कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

101—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 मेडिकल कालेज में मेडिसिन विभाग के भू0 पू0 विभागाध्यक्ष डा0 ओ0 पी0 टंडन, 2 नवम्बर, 1983 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त भी अभी तक चिकित्सा अवकाश पर चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या डा0 ओ0 पी0 टंडन ने अभी तक सरकारी आवास भी खाली नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

डा0 ओ0 पी0 टण्डन ने सरकारी आवास दिनांक 15 अगस्त, 1984 को खाली कर दिया है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुफ्तीगंज के भवन का निर्माण तथा मुर्तजाबाद में चिकित्सा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव

102—श्री प्रभूनारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 3रे गुरु के अता0 प्र0 सं0 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि क्या उक्त केन्द्र के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिला चिकित्सा सलाहकार समिति, जौनपुर का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उसे प्राप्त कर लिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

जिला स्वास्थ्य एवं पेयजल सलाहकार समिति, जौनपुर ने अपनी दिनांक 9-8-84 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये हैं :—

"प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुफ्ती-गंज को मुर्तजाबाद स्थानान्तरित न किया जाय बल्कि मुफ्तीगंज में ही उसका भवन निर्माण कराकर मुर्तजाबाद में कोई अन्य चिकित्सा केन्द्र खोला जाय" ।

क्षेत्र समिति के प्रतिनिधि के निर्वाचन में प्रशासकों द्वारा दिया गया मतदान

103—श्री प्रभूनारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 3रे गुरुवार के प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 8 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त सभी 11 सहकारी कृषि समितियों के प्रशासक सरकार द्वारा नामित हैं ? यदि नहीं, तो इन बहुसंख्यक नामित प्रशासकों को उक्त क्षेत्र समिति के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मतदान से क्यों वंचित किया गया ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी नहीं ।

क्षेत्र समिति के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मतदान से प्रशासकों को वंचित नहीं किया गया है । मतदाता सूची में उनके नाम सम्मिलित हैं ।

ग्राम रूरूखास, फैजाबाद में सहकारी गोदाम का निर्माण तथा व्यय किया गया धन

104—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करगे कि रूरूखास, फैजाबाद में बन रहा सहकारी गोदाम कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और इस पर कितना धन व्यय होना है ? अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ? क्या यह सत्य है कि इसे अन्यत्र लगाया जा रहा है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जनपद फैजाबाद की साधन सहकारी समिति लि0, रजौरा का ग्रामीण गोदाम रूरूखास ग्राम में बनाने का कार्य समिति के पूर्व पारित प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 5-11-83 को प्रारम्भ किया गया था। निर्माण कार्य लगभग छत स्तर तक पहुंचने पर निर्माण कार्य फरवरी, 1984 में बन्द करा दिया गया। निर्माण स्थल के मामले में समिति के प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार विचार कर गोदाम समिति के मुख्यालय रजौरा में बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा माननीय सिविल जज, फैजाबाद में न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया, जिस पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। अतः इस समय निर्माण कार्य न तो रूरूखास में हो रहा है और न रजौरा में। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा। ऐसी दशा में यह बताना सम्भव नहीं है कि गोदाम कब तक पूर्ण हो सकेगा। जो निर्माण रूरूखास में हुआ है, उस पर लगभग 58,000 रु0 व्यय हुये हैं।

कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत नान-मेडिकल सुपरवाइजरों तथा सोशल वर्करों को आरक्षण सुविधा की मांग

105—श्री कुबेर भंडारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की है ? यदि हां, तो कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत नान-मेडिकल सुपरवाइजरों मेडिको सोशल वर्करों को यह सुविधा निदेशक के आदेश सं0 XI/एफ लिप/3857/2871, दिनांक 13-2-78 एवं XI-एफ 1 कुष्ठ/1348-72, दिनांक 31-10-83 में क्यों नहीं दी गयी ? क्या शासनादेशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां। पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नति नहीं की गयी। जनपदों से अपेक्षित सूचनायें मांगी गयी हैं जिनके प्राप्त होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति की जायेगी। उनके लिए पद आरक्षित रखे गये हैं।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देवदत्त तिवारी, पूर्ति निरीक्षक, वजीरगंज तथा श्री शम्भूनाथ झा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हसनगंज/वजीरगंज के विरुद्ध शिकायतों की जांच

106—श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टी के तेल के थोक

विक्रेता महेश्वरी ट्रेडर्स एवं गोमती टेडर्स, लखनऊ तथा श्री शम्भू नाथ झा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, वार्ड वजीर गंज, हसन गंज, व श्री देवदत्त तिवारी, निरीक्षक वजीर गंज, लखनऊ के विरुद्ध कई माननीय सदस्यों के पत्र उन्हें अप्रल, 1984 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां । प्रश्नगत विषय पर माह अप्रैल, 1984 के प्रथम सप्ताह में दो शिकायती-पत्र माननीय विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त हुये थे ।

उक्त शिकायती-पत्रों में जो शिकायतें की गई हैं उनका सारांश संलग्न है ।

इन दोनों शिकायती-पत्रों पर पहले अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), लखनऊ से जांच करायी गयी जिन्होंने जांचोपरान्त अपनी आख्या दिनांक 12 अप्रैल, 1984 को प्रेषित की जिसमें उक्त शिकायती-पत्रों में लगाये गये सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाये गये । तत्पश्चात् प्रश्नगत गम्भीर आरोपों को देखते हुए इस मामले को उप पुलिस महानिरीक्षक, फूड तेल, को जांच हेतु दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को सौंपा गया और उनकी जांच आख्या शासन को दिनांक 17 जुलाई, 1984 को प्राप्त हुई । पुलिस सेल द्वारा की गयी जांच से भी कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ ।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 202 पर ।)

परिवार नियोजन कार्य में अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा नसबन्दी केस कराने पर विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के आदेश

107—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्य में प्रोत्साहन स्वरूप अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा 12 नसबन्दी केस कराने पर एक विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये थे ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि उक्त शासनादेश कर्मचारियों पर ही लागू होता था अधिकारियों पर नहीं या दोनों पर समान रूप से लागू होता था ?

श्री लोकपति—

वर्ष 1976 में आदेश पारित किया गया था, वर्ष 1977 में निरस्त कर दिया गया । वर्ष 1977 में जारी शासनादेश के अनुसार उक्त सुविधा केवल कर्मचारियों के लिए ही थी, अधिकारियों के लिए नहीं । वर्ष 1976 में जारी आदेश की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 203 पर ।)

साधन सहकारी समिति अजमेरी बादशाहपुर, जनपद फैजाबाद में भवन-निर्माण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

103—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मो0 नूशेर खां, प्रशासक,

साधन सहकारी समिति,अजमेरी,बादशाहपुर ब्लाक बसखारी, जनपद फैजाबाद द्वारा उक्त साधन सहकारी समिति भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र रजि0 डाक संख्या 3528, दिनांक 24-3-84 को भेजा है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायती-पत्र का पूर्ण विवरण बिन्दुवार क्या है तथा बिन्दुवार जांच रिपोर्ट क्या रही तथा क्या जांच के दौरान में सम्बन्धित शिकायतकर्त्ता से लिखित बयान लिया गया है ? जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में निम्नलिखित मुख्य शिकायतें की गयी थीं —

बालू व सीमेन्ट का निर्धारित अनुपात न लगाने के कारण प्लास्टर कई स्थानों पर खराब है ।

रोशनदान नहीं लगे हैं ।

शौचालय नहीं बनाया गया ।

रंगाई पुताई नहीं की गयी ।

सहायक अभियन्ता, फैजाबाद द्वारा विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) व समिति के सचिव के साथ गोदाम का निरीक्षण दिनांक 26-3-84 को किया गया, जिसमें निम्न कमियां पायी गयीं :—

(1) रोशन दान नहीं लगे थे ।

(2) रंगाई पुताई शेष थी ।

(3) गोदाम के बाहरी भाग व सचिव निवास के कुछ भाग में कहीं-कहीं प्लास्टर खराब था ।

(4) गोदाम के पीछे की ओर ऐप्रन कहीं-कहीं टूट गया था ।

निरीक्षण के दिन शिकायतकर्ता को बुलवाया गया, पर वे बाहर गये हुए थे, जिसके कारण उनके बयान नहीं लिये गये । अतः सहायक विकास अधिकारी तथा सचिव की उपस्थिति को पर्याप्त समझा गया, क्योंकि सचिव समिति का मुख्य कार्यपालक कर्मचारी होता है । कमियों को ठीक कराने हेतु समिति के सचिव को अधिकृत किया गया था कि वे कार्य करा दें जिसके लिए धनराशि परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी । दिनांक 2-7-84 को समिति के सचिव ने सूचित किया कि परियोजना स्तर से ही कमियां ठीक करायी जाय । इस बीच वर्षा चालू हो गयी, जिस कारण रंगाई पुताई का कार्य कराना उचित न पाते हुये कमियों को ठीक नहीं कराया जा सका । अब वर्षा के पश्चात उक्त कार्य यथाशीघ्र करा दिये जायेंगे ।

चौरी चौरा मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र में कार्यरत मिडवाइफ श्रीमती श्यामा देवी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

109—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक सरदार नगर के स्थान चौरी चौरा मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र पर आज से लगभग 6 माह पूर्व श्रीमती श्यामा देवी, मिडवाइफ की नियुक्ति की गयी, क्या यह सत्य है कि इसके विरुद्ध अनेक शिकायतों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने भी इस महिला के आचार विचार के विरुद्ध अपनी टिप्पणी दिया है तथा क्षेत्रीय विधायक श्री पन्ने लाल एवं श्री भास्कर पाण्डेय व श्री राज मंगल पाण्डेय विधायकों ने भी इसके विरुद्ध शिकायतें स्थानीय अधिकारी एवं शासन को भेजा था जिसके आधार पर श्रीमती श्यामा देवी का स्थानान्तरण भी इसी जनपद के ब्लाक रतनपुरा में किया जा चुका है ? यदि हां, तो अब तक

नये स्थान पर योगदान कराने से संबंधित कितने आदेश निर्गत किये गये और अब तक नये स्थान पर योगदान क्यों नहीं कराया गया ? क्या यह सच है कि बिना कार्य के श्रीमती श्यामा देवी को आज तक अनियमित रूप से वेतन दिलाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

श्रीमती श्यामा देवी परिवार कल्याण कार्यकत्री उप केन्द्र चौरी चौरा में जून, 1983 से कार्यरत थीं । इनके आचरण के बारे में कई एक शिकायतें प्राप्त हुयी थी, तथा पुलिस अधीक्षक गोरखपुर ने भी इनके स्थानान्तरण के लिए लिखा था ।

माननीय विधायकों के जो पत्र मिले थे उनमें से श्री पन्ने लाल ने श्रीमती श्यामा देवी के स्थान पर श्रीमती अतिराजी के तैनाती की संस्तुति की थी, श्री शाष्कर पाण्डेय ने श्रीमती श्यामा देवी को चौरी चौरा में बने रहने की संस्तुति की थी एवं श्री राजमंगल पाण्डेय ने केवल श्रीमती अतिराजी के ही चौरी–चौरा स्थानान्तरण हेतु संस्तुति की थी ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के आदेश दिनांक 29–7–83 द्वारा श्रीमती श्यामा देवी का चौरी चौरा से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुरा स्थानान्तरण कर दिया तदुपरान्त प्रशासनिक आधार पर जून, 1984 तक यह स्थानान्तरण रोक दिया गया था ।

श्रीमती श्यामा देवी को केवल कार्य अवधि का ही वेतन नियमानुसार भुगतान किया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

110—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती श्यामा देवी मिडवाइफ क्षेत्रीय विधायक, ब्लाक प्रमुख सांसद आदि की मोहर बनवाकर फर्जी ढंग से हस्ताक्षर कर अपने स्थानान्तरण रुकवाने में प्रयोग करती आ रही है . यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर प्रशासनिक व ठोस कार्यवाही करायी जायेगी ?

श्री लोकपति—

इस तरह की कोई शिकायत शासन में प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी बैंकों से बांटे गये रणों पर छूट देने का प्राविधान

111—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साधन सहकारी समितियों में सहकारी बैंकों से बांटे गये रिणों पर कितने दिनों बाद छूट देने का प्राविधान है . क्या श्री हीरा लाल पुत्र बिहारी ग्राम तौरा, उन्नाव ने साधन सहकारी समिति धूरखेत, वि0 खं0 बिछिया, जनपद उन्नाव से वर्ष 1976–77 में 1,000 रुपया में बैल खरीदे थे और उन्हें वर्ष 1982–83 में उक्त कर्जे पर छूट प्राप्त हुई ? यदि हां तो छूट में बिलम्ब का कारण क्या था तथा इस कार्य में शिथिलता के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है . क्या सरकार कर्जे पर छूट समय से न मिलने के कारण पूरे कर्जे पर लगाये गये ब्याज को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक . यदि नहीं, तो क्यों .

श्री काशीनाथ मिश्र—

वर्ष 1976–77 में सहकारी बैंकों से मध्यकालीन रिण पर अनुदान (छूट) उस समय दिये जाने का प्राविधान था, जब रिण प्राप्त कर्ता द्वारा रिण का सही उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिया जाता था । ऐसी दशा में सरकारी अनुदान की धनराशि ए0 डी0 एम0 (पी) द्वारा आहरित कर बैंक के खाते में लाभार्थी के नाम डाल दी जाती थी ।

वर्ष 1976-77 में श्री हीरा लाल पुत्र बिहारी, ग्राम तौरा, जनपद उन्नाव को साधन सहकारी समिति, धूर खेत विकास क्षेत्र बिछिया द्वारा 1,000 रु० का बैल खरीदे जाने का ऋण दिया गया था और दिनांक 24-11-82 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त उपयोग प्रमाण-पत्र अन्तिम रूप से प्राप्त होने पर ही अनुदान की धनराशि लाभार्थी के खाते में दिनांक 3-12-82 को जमा करायी गयी। विकास खण्ड कार्यालय बिछिया व डी० आर० डी० ए० कार्यालय उन्नाव द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण कराने के प्रयास मे समय लग। सदस्य को ब्याज में छट दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम में एक्सरे, दन्त रूजालय व भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

112--श्री हरीशंकर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जिला समन्वय समिति हरदोई द्वारा बिलग्राम में प्रा० स्वा० केन्द्र में एक्सरे दन्त रूजालय व भवन मरम्मत हेतु चार लाख रुपये स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

बिलग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये ही नहीं बल्कि दो तहसील स्तरीय चिकित्सालय बिलग्राम तथा शाहाबाद में एक्सरे दन्त रूजालय एवं भवन मरम्मत हेतु 4.33 लाख रुपये वर्ष 1983-84 में उक्त कार्यों हेतु जिला समन्वय समिति हरदोई द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। चूंकि इतनी धनराशि उन सभी कार्यों के लिये पर्याप्त नहीं पाई गई है अतः वर्ष 1984-85 में पुनः परिव्यय बढ़ाने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई को निर्देश दिये गये हैं पर्याप्त धन आवंटित हो जाने पर ही इस पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

टाउन एरिया सुरियावां, जिला वाराणसी में एक ही परिवार के व्यक्तियों को सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन की जांच

113--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थान सुरियांवा बाजार तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में एक ही परिवार रामचन्दर सुरियांवा व बेचूलाल के नाम वार्ड नं० 7 व 8 में सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस दिया गया है ? क्या यह सही है कि राम चन्दर के लड़के कन्हैया लाल व श्यामालाल के नाम अलग-अलग मिट्टी के तेल की दुकान भी दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

टाउन एरिया सुरियांवा में श्री बेचू-लाल राम नरायन के नाम से एक सस्ते गल्ले/चीनी की दुकान दिनांक 20-12-83 को स्वीकृत की गयी है जो एक ही परिवार के नहीं हैं। इनकी बल्दियत अलग-अलग है।

श्री बेंचूलाल श्री शीतला प्रसाद के तथा श्री राम नरायन श्री जोखू के पुत्र हैं। श्री राम चन्दर के नाम कोई सस्ते गल्ले/चीनी की दुकान नहीं है और न ही इनके लड़के श्री कन्हैयालाल के एवं श्री श्याम लाल के नाम कोई मिट्टी तेल की दुकान है, बल्कि श्री राम नरायन के पुत्रों श्री कन्हैया लाल व श्याम लाल के नाम अलग-अलग मिट्टी तेल की दुकानें सुरियांवा उपनगर में हैं। उक्त दोनों व्यक्ति अपने पिता से अलग रहते हैं तथा

इनका निवास, खानपान एवं कारोबार भी अलग-अलग हैं । श्री कन्हैयालाल को मिट्टी के तेल का लाइसेन्स दिनांक 3-4-79 को जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी द्वारा तथा दिनांक 20-1-83 को श्री श्यामलाल को परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, द्वारा जारी किये गये हैं ।

जांच कराना प्रस्तावित नहीं है ।

सुरियांवा टाउन एरिया, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आवेदकों को दिया गया सीमेन्ट का परमिट तथा जांच

114--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982-83 व 1983-84 की फरवरी तक भगौती प्रसाद माता गुलाम श्री राम चन्द श्यामलाल रामजी, सुरियांवा, टाउन एरिया तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को कई सौ बोरियां सीमेन्ट का परमिट देकर दिया गया है ? क्या सरकार पूरी लिस्ट दोनों वर्षों की सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां । सन् 1982-83 व 1983-84 की फरवरी तक श्री भगौती को 25 बोरी सीमेंट श्री श्यामलाल को 20 बोरी सीमेंट तथा श्री राम जी को 25 बोरी सीमेंट का परमिट परगनाधिकारी कार्यालय से निर्गत किया गया । श्री माता गुलाम तथा श्री राम चन्दर के नाम का कोई परमिट प्रश्नगत अवधि में नहीं दिया गया है । प्रश्नगत अवधि में सुरियांवा टाउन एरिया, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में जिन आवेदकों को सीमेन्ट का परमिट दिया गया है उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 205 पर ।)

115--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान सुरियांवा पट्टी अचल सिंह व जोरावर सिंह, पट्टी सुरियांवा, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में सन् 1982-83 में कितने बोरी सीमेंट का परमिट किन-किन लोगों को दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुयी थी कि फर्जी परमिट सीमेंट का लेकर ब्लैक किया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ड्रास शिवालिक ड्रग्स कनखल हरिद्वार एवं देश रक्षक फार्मेसी, कानपुर के विरुद्ध शिकायती ज्ञापन

116--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ड्रास शिवालिक ड्रग्स कनखल हरिद्वार एवं देश रक्षक फार्मेसी, कानपुर ने जनवरी, 1980 से लेकर दिसम्बर, 1983 तक कितने रुपये की एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाइयां दोनों विभागों को अलग-अलग सप्लाई किया है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों फर्मों के बारे में फरवरी, 1984 में माननीय मुख्य मंत्री व माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मुरहरी गुरुदत्त ने शिकायती ज्ञापन भेजा है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी और शिकायतें क्या हैं ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति --

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला वाराणसी के पिंडरा ब्लाक में गांव सभायें तथा सीमेंट को आपूर्ति अधिक किये जाने की मांग

117--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा ब्लाक, जिला वाराणसी में एक सौ बाइस गांव सभायें हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सीमेंट की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार इस ब्लाक के लिए सीमेंट का कोटा दुगुना करेगी और स्थान पिंडरा, मंगारो, सिंघोरा ब्लाक पिंडरा में तीन और लेवी की सीमेंट हेतु लाइसेंस देने पर विचार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिला वाराणसी के पिंडरा ब्लाक में 114 गांव सभायें हैं ।

शासन स्तर से जनपद को लेवी सीमेंट आवंटित की जाती है और जनपद में विकास खण्डों में आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर लेवी सीमेंट का आवंटन होता है । तद्नुसार जनवरी-मार्च त्रैमास, 1984 के लिये उक्त ब्लाक को 136 म.0 टन लेवी सीमेन्ट का आवंटन दिया गया था जिसके विरुद्ध 111 मी0 टन लेवी सीमेंट की आपूर्ति हुई ।

पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार जनसंख्या पर एक सीमेन्ट लांइसेन्सी नियुक्त किया जाता था जब कि सीमेंट पर पूर्ण नियंत्रण था । सम्प्रति पिंडरा विकास खण्ड में लेवी सीमेन्ट के दो लाइसेन्सी कार्यरत हैं और अधिक लेवी सीमेंट के लाइसेन्सी नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सहकारी संघ फूलपुर, जिला वाराणसी में सीमेंट का क्रय

118--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ फूलपुर, जिला वाराणसी को सीमेंट का लाइसेंस दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि सन् 1980 से लेकर 20 मार्च, 1984 तक प्रत्येक वर्षों में कितने टन सीमेंट उक्त संघ द्वारा लाकर बेचा गया है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी हां ।

वर्ष 1980 से 20 मार्च, 1984 तक सीमेंट का व्यवसाय का विवरण निम्न है :--

1--1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक 12 टन (240 बोरी) का व्यवसाय किया गया है ।

2--1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक व्यवसाय शून्य ।

3--1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक 24 टन (480 बोरी) का व्यवसाय किया गया है ।

4--1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक व्यापार शून्य ।

5--1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक व्यापार शून्य ।

119--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सहकारी संघ फूलपुर, वाराणसी को कई बार सीमेन्ट न उठाने में पांच-पांच सौ रुपया जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लाइसेंस

को वापस खाद्य विभाग को करने पर विचार कर रही है ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

120—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में यूनानी चिकित्सालय खोलने के विषय में दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही

121—श्री अकबर हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे वर्मा, विधायक का दिनांक 14 सितम्बर, 1983 को कोई पत्र ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में यूनानी चिकित्सालय खोलने के विषय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना जिला सेक्टर के अन्तर्गत आती है । श्री राम आसरे वर्मा का उक्त प्रार्थना-पत्र निदेशक, आयुर्वेद द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को भेज दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122—श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

उप निदेशक, यूनानी चिकित्सा के सृजित पद पर नियुक्ति की मांग

123—श्री मसरूर जाफरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने कई वर्षों से यह सुनिश्चित कर दिया है कि यूनानी चिकित्सा के भी डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो किन कारणों से आज तक नियुक्त नहीं किये गये ?

श्री लोकपति—

उप निदेशक (यूनानी) का पद वर्ष 1982 में सृजित किया गया है । इस पद को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बरेली के ब्लाक शेरगढ़ में सहकारी समितियों एवं निजी डीलरों को चीनी एवं मिट्टी के तेल का आवंटन

124—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य और रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के ब्लाक शेरगढ़ में सहकारी समितियों एवं निजी डीलरों को जनवरी, 1984 से मई, 1984 तक प्रत्येक को प्रत्येक माह कितनी चीनी और मिट्टी का तेल का आवंटन किया गया और प्रश्नगत माहों में कितने-कितने कार्ड इन पर लगे हुए थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 206 पर ।)

ब्लाक मीरगंज, जनपद बरेली में सहकारी समितियों एवं निजी डीलरों को चीनी एवं मिट्टी के तेल का आवंटन

125—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य और रसद मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के ब्लाक मीरगंज में सहकारी समितियों एवं निजी डीलरों को जनवरी, 1984 से मई, 1984 तक प्रत्येक को प्रत्येक माह कितनी चीनी और मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया और प्रश्नगत माहों में कितने-कितने कार्ड इन पर लगे हुए थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 214 पर ।)

बिलग्राम, जिला हरदोई में पी0 सी0 एफ0 द्वारा प्रस्तावित सहकारी शीतगृह के निर्माण की मांग

126—श्री हरीशंकर—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि बिलग्राम, जिला हरदोई में पी0 सी0 एफ0 द्वारा एक सहकारी शीत गृह का निर्माण किया जाना है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

बिलग्राम, जिला हरदोई में पी0 सी0 एफ0 द्वारा एक शीतगृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है परन्तु प्रशासक समिति ने एक समिति गठित की है जो गुण-दोष के आधार पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । उक्त समिति की आख्या प्राप्त होने पर समिति की संस्तुति के अनुरूप इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा ।

127—श्री हरी शंकर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के जिला परिषद् प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रान्तीयकरण की मांग

128—श्री हरी शंकर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 6 जिला परिषद् प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रान्तीयकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति—

जिला परिषद् हरदोई द्वारा संचालित चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा एक पुरुष चिकित्सालय के तथा एक महिला चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है किन्तु जिला परिषदों द्वारा संचालित चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किए जाने विषयक योजना के सम्बन्ध में नीति विषयक निर्णय शासन के विचाराधीन होने के कारण अभी उपर्युक्त प्रस्तावों पर अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

देवरिया अस्पताल में दवाओं के लिए नित्य एल0 पी0 की जाने वाली धनराशि एवं दवाओं का वितरण

129—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया अस्पताल में नित्य कितने रुपए की दवा का एल0 पी0 किया जाता है ? इसे कौन लेता है ? गरीबों को दवा नहीं दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति—

देवरिया अस्पताल में औसतन 175 रुपये की दवा प्रतिदिन एल0 पी0 किया जाता है। यह दवा आवश्यकता अनुसार गरीब मरीज, वर्तमान व भूतपूर्व सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार तथा उन सबके परिवारों को दी जाती है। अस्पताल में उपलब्ध दवायें तथा एल0 पी0 द्वारा क्रय की गयी दवायें गरीब मरीजों को भी आवश्यकतानुसार दी जाती है। अत गरीबों को दवा न दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

न्यायिक दन्डाधिकारी नं0 3 फैजाबाद, द्वारा डा0 श्री कृष्ण त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के कथित आदेश

130—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायिक दन्डाधिकारी नं0 3, फैजाबाद द्वारा मुकदमा संख्या 198/82 राज्य बनाम मोतीराम में दिनांक 20-9-83 को डाक्टर श्रीकृष्ण त्रिपाठी के विरुद्ध स्टेक्चर के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप चिकित्सा निदेशक को विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। मुकदमा नं0 198/82 में दिनांक 29-9-83 को उक्त न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं जारी किए गए हैं।

जनपद हरदोई, ब्लाक अहिरोरी अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0, ब्रहमना खेड़ा द्वारा लघु कृषकों को उर्वरक में प्रदान की गयी छूट

131—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1982-83 के अन्तर्गत लघु कृषकों को उर्वरक (खाद) में शासन द्वारा छूट प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो जनपद हरदोई के ब्लाक अहिरोरी के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0 ब्रहमना खेड़ा द्वारा अनुसूचितजाति अनुसूचित जनजाति के किन-किन कृषकों को छूट का लाभ मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

लघु अथवा सीमान्त कृषकों को उर्वरक अनुदान उपलब्ध कराने हेतु ब्रहमना खेड़ा समिति द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है।

गोरखपुर के कौड़ीराम नामक स्थान पर श्री दयाशंकर दूबे व श्री हरेन्द्र दुबे को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति का लाइसेन्स देने का औचित्य

132—श्रीमती गौरी देवी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में श्री दयाशंकर दूबे व हरेन्द्र दूबे, निवासी ग्राम माहेपार, थाना गंगहा, तहसील बासगांव के नाम से गोरखपुर के कौड़ीराम नामक स्थान पर मिट्टी के तेल, वनस्पति घी, सीमेन्ट तथा साहबगंज में

सीमेन्ट, वनस्पति घी और पूरे जिले में मैदा वितरण करने का लाइसेन्स दिया गया है ? यदि हां, तो एक ही गांव में एक ही परिवार के दो व्यक्तियों के नाम पूरे जिले की विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति का लाइसेन्स प्रदान करने का औचित्य क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर, 1982 में पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्न के सन्दर्भ में गोरखपुर के कौड़ीराम नामक स्थान पर श्री दया शंकर दूबे व श्री हरेन्द्र दूबे के पास निम्नलिखित लाइसेन्स हैं--

श्री दयाशंकर दूबे (1) वनस्पति का थोक लाइसेंस।

(2) मिट्टी तेल का फुटकर लाइसेन्स ।

श्री हरेन्द्र दूबे नान लेवी सीमेन्ट का लाइसेन्स जनपद के नगर महापालिका, क्षेत्र में उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों के नाम से निम्नलिखित लाइसेन्स हैं--

श्री दया शंकर दूबे--

मेसर्स विन्दवासिनी ट्रेडिंग कं0 प्रोपराइटर दया शंकर दुबे, मोहल्ला इस्माइलपुर निकट साहबगंज, गोरखपुर के नाम से वनस्पति का फूटकर लाइसेन्स, लेवी सीमेन्ट का लाइसेन्स एवं खाद्यान्न का थोक लाइसेन्स ।

श्री हरेन्द्र दूबे--

मोहल्ला इस्माइलपुर निकट साहबगंज, गोरखपुर में वनस्पति का थोक लाइसेन्स तथा मोहल्ला लाल डिग्गी निकट साहब गंज में खाद्यान्न का थोक लाइसेन्स ।

केवल श्री दया शंकर दूबे वर्ष 1983 तक जिलाधिकारी द्वारा नामित मैदा नामिनी थे। वर्तमान में वे मैदा नामिनी नहीं हैं ।

श्री दयाशंकर दुबे पुत्र राजेन्द्र दूबे व श्री हरेन्द्र दूबे पुत्र इन्द्रासन दूबे की वल्दियत अलग है और इन दोनों व्यक्ति का परिवार अलग है ।

सम्बन्धित विषय में माननीया सदस्या का दिसम्बर, 1982 का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी, आपूर्ति एवं रसद के पद की कथित समाप्ति

133--श्रीमती गौरी देवी--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त जिलाधिकारी आपूर्ति एवं रसद के पद समाप्त कर दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (खाद्य एवं रसद) के पद समाप्त किये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या कुल हानि-लाभ का विवरण

134--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में क्रमशः कितनी सहकारी समितियां इस समय कार्यरत हैं ? इनमें क्रमशः कुल कितना हानि-लाभ विगत तीन वर्षों में हुआ है ? क्या सरकार इस प्रकार की समितियों में हानि के कारणों की जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि

हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

जनपद पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में इस समय क्रमशः 197 एवं 195 विभिन्न प्रसार को सहकारी समितियां हैं। विगत तीन वर्षों के इनकी हानि एवं लाभ का ब्यौरा संलग्न है।

सहकारी समितियों का प्रति वर्ष सम्प्रेक्षण मुख्य लेखा सम्प्रेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 द्वारा किया जाता हैं, जिसमें हानि लाभ की भी समीक्षा की जाती है। अतः हानि के कारणों की अलग से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 220 पर)।

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में कतिपय न्याय पंचायतों को मिट्टी के तेल का आवंटन

135--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के न्याय पंचायत बोहली धनौरा-मुस्तहकम-पिपरसन-बर्डपुर नं0 6 दुल्हाशुमाली के दुकानदारों को दिनांक 1-3-1983 से दिनांक 31-3-1984 तक प्रत्येक दूकानदारों को कितना-कितना मिट्टी का तेल दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 221 पर)।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के दुकानदारों की मिट्टी के तेल का आबंटन

136--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के न्याय पंचायत बर्डपुर नं0 8, बर्डपुर नं0 10, शिवगति नगर बेलटीकर पटनो जंगल के दूकानदारों को 1-3-1983 से 31-3-1984 तक प्रत्येक दूकानदारों को कितना-कितना मिट्टी का तेल दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ट 222 पर)।

जनपद बस्ती के नौगढ़ तहसील में न्याय पंचायतों में कार्यरत सस्ते गल्ले के दुकानदारों के नाम

137--श्री मथुरा प्रसाद पन्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में किन-किन न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दूकान किसके-किसके नाम से हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के विभिन्न न्याय पंचायतों में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के नाम संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'द' आगे पृष्ठ 223 पर)

साधन सहकारी समिति लि0 विपवल, जनपद उन्नाव के प्रशासक व सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

138--श्री भीखालाल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंग कि प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र दिनांक

14-10-1983 तथा 9-11-1983 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह शिकायत की गयी है कि साधन सहकारी समिति लि0 दिपवली जनपद उन्नाव के प्रशासक व सचिव न मिल कर 48,540 रुपये की खाद, शकर व मिट्टी के तेल का गोलमाल किया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी ओर कौन व्यक्ति दोषी पाया गया तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवही की गयी ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां । जांचोपरान्त खाद, शकर व मिट्टी के तेल में मु0 19197 रु0 का तथा 46237-76 रुपये अन्य प्रकार का गोलमाल पाया गया जिसमें तत्कालीन सचिव श्री बृजमोहन, तत्कालीन सचिव श्री गंगा सेवक पांडे एवं तत्कालीन विक्रेता श्री रामकुमार सिंह दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गयी —

(1) उपरोक्त तीनों कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किन्तु श्री बृजमोहन ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

(2) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस को संदर्भित कर दिया गया है ।

केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार व डी0 सी0 डी0 एफ0, हरदोई द्वारा अपनी शाखाओं में प्रतिमास शकर क्रय हेतु धनराशि देने और वापस लेने की तिथि

139—श्री हरीशंकर

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार व डी0 सी0 डी0 एफ0, हरदोई अपनी शाखाओं को महीने की किस तिथि को शकर क्रय हेतु धनराशि देती हैं और किस तिथि को वापस लिया जाता है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

शकर से आवंटन की प्रतिमास कोई तिथि निश्चित नहीं है अतएव धनराशि देने और बिक्रोय की धनराशि वापसी की भी कोई तिथि निश्चित नहीं है ।

जनपद हरदोई में केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार व डी0 सी0 डी0 एफ0 की कार्यरत शाखाओं की संख्या एवं प्रतिमास क्रय हेतु दिया जाने वाला धन

140—श्री हरीशंकर—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार व डी0 सी0 डी0एफ0 की कितनी शाखायें आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर रही हैं ? इन शाखाओं को कितना धन प्रतिमाह हरदोई केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार व डी0 सी0 डी0 एफ0 के मुख्य कार्यालय द्वारा शकर क्रय हेतु दिया जा रहा है ?

श्री काशी नाथ मिश्र —

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0, हरदोई द्वारा जनपद में 16 शाखाएं तथा डी0 सी0 डी0 एफ0 की 15 शाखाएं आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही हैं । प्रतिमाह अवंटन की मात्रा एवं तिथि निश्चित न होने के कारण शकर क्रय हेतु धन देने की सीमा निर्धारित नहीं है ।

किसान सेवा सरकारी समिति अलीगंज, विकास खंड बांके-गंज, जिला लखीमपुर खीरी में कार्यरत सहकारी अमीन की सेवा अवधि, समिति के बकायादार सदस्यों की संख्या एवं वसूली न किये जाने के विरुद्ध जांच की मांग

141—श्री अकबर हुसैन—

क्या सहकारित मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अलीगंज, विकास खंड बांकेगंज, जिला लखीमपुर खीरी की किसान सेवा सहकारी समिति अलीगंज नें सहकारी अमीन कितने समय से कार्यरत हैं और क्यों ? समिति के कितने ऐसे सदस्य हैं जिनके ऊपर समिति का बकाया है और उन्होंने बंधक भूमि की बिक्री कर ली है तथा कितने ऐसे सदस्य हैं जिनके ऊपर असल के बराबर व्याज हैं ? कितने ऐसे सदस्य हैं जो सन् 1980 से पूर्व के बकायेदार हैं ? क्या यह सत्य है कि वे वर्तमान अमीन समिति की पुरानी बकाया की वसूली के प्रति पूर्णतया उदासीन हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र —

श्री बनवारी लाल शर्मा, सहकारी अमीन, किसान सेवा सहकारी समिति लि0, अलीगंज, विकास खंड बांके गंज, जिला लखीमपुर खीरी में वर्ष 1978 से कार्यरत हैं। इनका कार्य संतोषजनक होने के कारण उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया। दिनांक 1-7-1984 को समिति में 436 बकायादार सदस्य थे। समिति के पक्ष में किसी भी सदस्य की भूमि बन्धक नहीं है। 65 सदस्यों में से किसी भी सदस्य ने भूमि नहीं बेची है। समिति में 31 सदस्य ऐसे हैं, जिनके ऊपर मूलधन के बराबर ब्याज हो गया है। दिनांक 1-7-1980 को वर्ष 1980 के पूर्व 161 सदस्य बकायादार थे, जिनकी संख्या, अब घटकर 65 रह गयी है। चूंकि 96 बकायादारों से उक्त अमीन द्वारा वसूली की जा चुकी है, अत पुरानी बकाया वसूली के प्रति उसके उदासीन होने तथा जांच आदि का प्रश्न नहीं उठता।

142—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

किसान सेवा सहकारी समिति लि0, मऊरानीपुर, मडरा, भटपुरा, मा कुआं, जनपद झांसी में बकायादार काश्तकारों की संख्या एवं वसूली न हो सकने के कारण

143—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सेवा सहकारी समिति लि0, मऊरानीपुर, मडरा, भटपुरा, मारकुआं, जिला झांसी में वित्तीय वर्ष 1981-82 व 1932-83 और 1983-84 के बीच कितने काश्तकार बकायेदार हैं ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रुपये 4,000 अथवा रुपया 5,000 किन किन काश्तकारों पर बकाया है और उनकी वसूली किन परिस्थितियों में अभी तक नहीं की गयी है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

किसान सेवा सहकारी समिति लि0, मऊरानीपुर, भन्डरा, भटपुर एवं मारकुंवा में वित्तीय वर्ष 1981-82 व 1982-83

तथा 1983-84 में बकायेदार काश्तकारों की संख्या निम्नवत् हैं :

वर्ष	नाम	कर्जदारों की संख्या
1981-82	मऊरानीपुर	1485
	भण्डरा	1294
	भटपुरा	1218
	भारकुंवा	1236
1982-83	मऊरानीपुर	1549
	भण्डरा	1382
	भटपुरा	1306
	भारकुवां	1952
1983-84	मऊरानीपुर	1565
	भण्डरा	1552
	भटपुरा	1415
	भारकुंवा	1916

उपर्युक्त समितियों के 4000 अथवा 5000 रुपये के बकायेदारों की समितिवार सूची संलग्न† है ।

बकायादारों से उक्त कर्ज की वसूली के लिए नियमों के अनुसार कार्यवाही के प्रयास किये गये, किन्तु विगत दो वर्षों से झांसी जनपद को सूखा एवं बाढ़ग्रस्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण धनराशि वसूल करना सम्भव नहीं हो सका ।

जिला सहकारी बैंक लि0, वाराणसी में क्लर्क/कैशियर पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

144--श्री पंचानन राय -

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 वाराणसी में नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल से क्लर्क/कैशियर के पद पर नियुक्ति हेतु कितने अभ्यर्थियों के चयन का परिणाम 17 जनवरी, 1984 को घोषित किया गया हैं ? इनमें से किनको-किनको कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है और किनको-किनको कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया हैं । कार्य भार ग्रहण न कराने के क्या कारण है और कार्यभार कब तक ग्रहण करा दिया जायेगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जिला सहकारी बैंक लि0, वाराणसी के क्लर्क/कैशियर के पदों पर नियुक्ति हेतु संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा 19 अभ्यर्थियों के चयन की घोषणा दिनांक 12-1-84 को की गयी । चयनित अभ्यर्थियों की सूची बैंक में दिनांक 14-1-84 को प्राप्त हुई । सभी 19 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश दिनांक 7-8 84 को निर्गत कर दिये गये । (सूची संलग्न)-(1) चयनित अभ्यर्थियों में से दिनांक 22-8-84 तक बारह (12) अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया हैं । (सूची संलग्न)-(2) जो अभ्यर्थी योगदान करने आये उन सभी को योगदान करा लिया गया । 7 अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया है ।

अतः कार्यभार ग्रहण न कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सात अभ्यर्थियों ने नियुक्ति आदेश के बावजूद योगदान नहीं किया हैं । योगदान करने की अन्तिम तिथि 22-8-84 थी । एक अभ्यर्थी ने योगदान हेतु अतिरिक्त समय मांगा हैं तथा शेष अन्य 6 से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 226 पर)

†छापी नहीं गयी ।

श्री एस0 पी0 मिश्रा, भूतपूर्व अपर जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

145--श्री मित्रसेन--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या यू0 ओ0 60/26-1-84, दिनांक 23-4-84 जो श्री एस0 पी0 मिश्रा, भूतपूर्व अपर जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताएं वर्ष 1982-83 के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के सचिव श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां ।

श्री एस0 पी0 मिश्रा, भूतपूर्व अपर जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव, सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा की गयी उक्त जांच के आधार पर श्री मिश्र को आरोप-पत्र तामील करके उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्रीय सहायक निबन्धक (उप0) सहकारी समितियां, उ0 प्र0, फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।

146--श्रीमती पुष्पा चौहान--

[माननीय सदस्य के अनुरोध पर निरस्त]

अकबरपुर, जनपद फैजाबाद स्थित डा0 गणेश कृष्ण जेतली, स्मारक महिला एवं पुरुष चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, उपकरणों की अपूर्ति तथा कमियों को दूर करने का उपाय

147--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जनपद फैजाबाद स्थित डा0 गणेश कृष्ण जेतली, स्मारक महिला एवं पुरुष संयुक्त चिकित्सालय में कितने विभाग स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उक्त अस्पताल के समुचित रूप से चलने हेतु विभागों के आवश्यक सभी उपकरणों की व्यवस्था व अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति हो गयी है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से उपकरणों की पूर्ति होनी है और कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त होने हैं ? यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री लोकपति--

डा0 गणेश कृष्ण जेतली स्मारक संयुक्त चिकित्सालय, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के लिये कोई विभाग स्वीकृत नहीं है, किन्तु उक्त चिकित्सालय को चलाने के लिये वर्तमान में निम्नलिखित स्टाफ कार्यरत है :

1--चिकित्सा अधिकारी (एक बालरोग विशेषज्ञ तथा एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ)	..	2
2--फार्मेसिस्ट	..	2
3--स्टाफ नर्स	..	2
4--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	..	9

उक्त चिकित्सालय के लिये औषधि एवं आकस्मिक व्यय हेतु 19,176 रु0 तथा साज-सज्जा एवं उपकरण हेतु 24,000 रु0 स्वीकृत है ।

उक्त चिकित्सालय के लिये कुछ अतिरिक्त स्टाफ तथा साज-सज्जा स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, किन्तु इस प्रकार की योजना अब जिला सेक्टर की योजना हो जाने के कारण इसको स्वीकृति प्रदान करना तब तक सम्भव नहीं है, जब तक आवश्यक धन का आबंटन करते हुए, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, फैजाबाद का प्रस्ताव पारित न हो जाय तथा नियोजन विभाग द्वारा अतिरिक्त परिव्यय विभाग को उपलब्ध न कर दिया जाय ।

148--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित डा0 गणेश कृष्ण जेतली, स्मारक महिला एवं पुरुष संयुक्त चिकित्सालय के उद्घाटन के समय स्थानीय विधायक द्वारा उक्त अस्पताल के भवन-निर्माण में निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य न करने के सम्बन्ध में गंभीर कमियों की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो ये कमियां क्या-क्या बतायी गयी थीं और क्या निर्माण इकाई द्वारा उन कमियों की पूर्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उक्त कमियां कब तक पूरी हो जायेंगी ?

श्री लोकपति--

जी हां । डा0 गणेश कृष्ण जेतली स्मारक संयुक्त चिकित्सालय, अकबरपुर, जिला फैजाबाद के उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय विधायक ने नवनिर्मित चिकित्सालय भवन में निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था :--

(1) चिकित्सालय भवन में एक्जास्ट फैन नहीं लगाये गये हैं ।

(2) रोगी कक्ष एवं वेटिंग हालों में पूरे सीलिंग फैन नहीं लगे हैं ।

(3) बिजली और पानी के कनेक्शन में जो जो खराबियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए ।

(4) शल्य कक्षों में खुलने वाला शीशे की खिड़कियां लगा दी गयी हैं जब कि शील्ड अपारदर्शी शीशे की खिड़कियां होनी चाहिये तथा इन खिड़कियों पर रेनशेड न लगने के कारण बरसात का पानी शल्य कक्षों में आ जाता है ।

(5) भवन के दरवाजों में स्प्रिंग भी लगना शेष रह गया है ।

2--उक्त कमियों को दूर करने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है ।

साधन सहकारी समिति, देवलहा ग्रान्ट के सेल्समैन के विरुद्ध की गयी शिकायत पर जांच

149--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के अदालत पंचायत पकड़ी, ब्लाक बाजार में साधन सहकारी समिति देवलहा ग्रान्ट के तेल व चीनी की दुकान का लाइसेन्स साऊंखोर ग्राम के नाम से है परन्तु सम्बन्धित सेल्समैन साऊंखोर ग्राम में दुकान न रख कर ग्राम कोल्हुआ में दुकान चला रहा है और इस सम्बन्ध में अधिकांश ग्राम प्रधानों ने हाकिम परगना, नौगढ़ को लिखकर शिकायत की है परन्तु हाकिम परगना नौगढ़ ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया तो क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां, बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के अदालत पंचायत पकड़ी, ब्लाक उस्का बाजार में साधन सहकारी समिति

देवलहा ग्रान्ट के तेल व चीनी की दुकान का लाइसेन्स स ऊंखोर ग्राम के नाम से है परन्तु सम्बन्धित सेल्समैन उसे साऊंखोर ग्राम में न चलाकर ग्राम कोल्हुआ में चला रहा था ।

हाकिम परगना, नौगढ़ से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध में उनको कोई लिखित शिकायती-पत्र ग्राम प्रधानों से प्राप्त नहीं हुआ है । अतः हाकिम परगना नौगढ़ द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । समिति के सम्बन्धित प्रशासक/सचिव के आपत्ति पर अपर जिला सहकारी अधिकारी, नौगढ़ द्वारा जांच कराई गई जिस पर श्री फारूक खां, भूतपूर्व सेल्समैन को दोषी पाया गया तथा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं ।

150—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य भण्डारागार निगम मेरठ की हत्या से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कृत कार्यवाही एवं उनके परिवार को प्रदान की गयी धनराशि

151—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि छः वर्ष पूर्व मेरठ के क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य भण्डारागार निगम की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो हत्या किन लोगों ने की थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि हत्या के उपरान्त इनके परिवार को केवल 25,000 रुपये की राशि दी गयी है ? क्या इनको अधिक धनराशि देने के बारे में शासन विचार करेगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जी हां ।

इस केस में 6 अभियुक्त हैं :—

1—श्री कृष्ण पाल उर्फ के0 पी0 ।

2—श्री कृष्ण बाबू उर्फ पोपट ।

3—श्री प्रदीप कुमार ।

4—श्री वीरेन्द्र सिंह ।

5—श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ।

6—श्री विचित्र नारायण शर्मा ।

अंतिम तीन अभियुक्त राज्य भण्डारागार निगम के कर्मचारी हैं, जिन्हें सेवा से निलम्बित कर दिया गया है । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध मामला सत्र न्यायाधीश, मेरठ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

मृतक के परिवार को 25,000 रु0 की धनराशि अनुग्रह भुगतान के रूप में निगम द्वारा दी गयी है । इसके अतिरिक्त निगम द्वारा उनके परिवार को 18,718 रुपया की धनराशि ग्रेच्युटी के रूप में और दी गई है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर के स्वीकृत स्थलों पर भवन निर्माण की मांग

152—श्री रामधनी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर, जनपद गाजीपुर में उप केन्द्र, होलीपुर डहन, नगरीय कल्याण केन्द्र सैदपुर एवं बहुरा के भवनों का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भवन निर्माण हो जायगा ।

श्री लोकपति—

जनपद गाजीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुर के स्वीकृत 11 स्थलों में होलीपुर, बहुरा तथा नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र सैदपुर के भवन निर्माण का कार्य सम्मिलित नहीं था । अतः भवन निर्माण के कार्य पूर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता । डहन नामक किसी स्थान पर उप केन्द्र नहीं है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र खानपुर, जनपद गाजीपुर का भवन निर्माण की मांग

153—श्री रामधनी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र खानपुर, जनपद गाजीपुर का भवन बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और भवन का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

चयनित स्थान की भूमि अधिक क्षतिग्रस्त पाये जाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ की अन्वेषण शाखा से भूमि की उपयुक्तता के बारे में आख्या अपेक्षित है । उनकी आख्या पर ही वहां निर्माण कराये जाने की कार्यवाही निर्भर होगी ।

जनपद आजमगढ़ में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रसार शिक्षकों की संख्या एवं उनके स्थानान्तरण की मांग

154—श्री रामधनी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में परिवार नियोजन के अन्तर्गत कितने प्रसार शिक्षक हैं जो जनपद आजमगढ़ के ही निवासी हैं और पिछले 5 वर्षों से अधिक से उसी जनपद में कार्यरत हैं ? क्या इनके लिए स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रतिबन्धों से छूट है ?

श्री लोकपति—

जनपद आजमगढ़ में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत 31 प्रसार शिक्षकों में से 9 प्रसार शिक्षक जनपद आजमगढ़ के निवासी हैं और वे पिछले 5 वर्षों से उसी जनपद में कार्यरत हैं। इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

155—श्री जंगबहादुर—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सहकारी समितियां एवं सहकारी संघ, ब्लाक पिंड़रा, जिला वाराणसी में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जांच की मांग

156—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियां एवं सहकारी संघ, ब्लाक पिंड़रा, जिला वाराणसी के आवश्यक वस्तुओं का वितरण इधर 3-4 माह से ठीक नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार अप्रैल से लेकर 15 जून, 1984 तक के वितरण की पूरी जांच करायेगी ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड पिंडरा में सहकारी समितियों एवं संघों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण ठीक ढंग से हुआ है । इस सम्बन्ध में कोई शिकायत भी नहीं प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फूलपुर सहकारी संघ, वाराणसी द्वारा उठाया गया सीमेन्ट का कोटा, सक्षम सहकारी संस्थाओं द्वारा लाइसेन्स बनवाने हेतु निर्देश

157—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी को फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी ने पिछले तीन वर्षों से अब तक सीमेन्ट का कोटा नहीं उठाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके लाइसेन्स को निरस्त करके दूसरों को लाइसेन्स दिलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी नहीं, फूलपुर सहकारी संघ, वाराणसी ने वर्ष 1981–82 में 480 बोरी सीमेन्ट उठाया था । इसका लाइसेन्स 31–3–82 तक बंध था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सक्षम सहकारी संस्थाओं के लिए ही लाइसेन्स बनवाने हेतु निर्देश दिए गये हैं ।

जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों का आवंटन न किये जाने का कारण

158—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंग कि जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों हेतु जो आवेदन–पत्र क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के द्वारा माह नवम्बर, 1983 में मांग गये थे उनमे केवल उन्हीं को प्राथमिकता दी गई जिनके पास दुकानें उपलब्ध थीं ? क्या यह सही है कि जांचोपरान्त अब तक कोई भी दुकान आवंटित नहीं की गई है ? क्या मन्त्री जी जिन आवेदनकर्त्ताओं ने नवम्बर, 1983 से किराये पर दुकान ली थी उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन नहीं हुआ है, क किराया जिलापूर्ति अधिकारी/अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ द्वारा वापस दिलाने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन हेतु माह नवम्बर, 1983 में कोई आवेदन–पत्र नहीं मांगे गये थे । अतः उन पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवंटित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें

159—श्री सन्तबख्श रावत—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कितनी सहकारी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा राशन की दुकान आवंटित किये जाने हेतु नवम्बर, 83 में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के माध्यम से प्रार्थना–पत्र दिए गए थे तथा उनमें से कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अब तक आवंटित की गयी ? यदि नहीं, की गयी तो किसके आदेश से ? क्या मन्त्री जी 20–सूत्रीय कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु तुरन्त उपभोक्ता सहकारी समितियों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित करने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माह नवम्बर, 83 में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के माध्यम से सहकारी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा राशन की दुकानें आवंटित किये जाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिये गये । अतएव शेष अंश के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता, वैसे विगत वर्ष में लखनऊ जनपद में 5 सहकारी समितियों को जिसमें 4 उपभोक्ता सहकारी समिति हैं सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें आवंटित की गयी ।

उपभोक्ता समितियों की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति जारी रखने का कारण

160—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित समस्त प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियों को उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड,

नयाबाजार, पी0 सी0 एफ0 तथा आवश्यक वस्तु निगम से बिक्री हेतु मिलने वाला समस्त सामान उप निबन्धक (केन्द्रीय) के आदेश दिनांक मई, 1984 से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उपभोक्ता समितियों की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति जारी रखने का क्या कारण है जो उसी उपभोक्ता सहकारी समिति की दुकान है ?

श्री काशी नाथ मिश्र---

जी नहीं ।

इसका कारण यह है कि ये समितियां खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करती हैं ।

जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों द्वारा पाम आयल/रेपसीड आयल के स्पेशल परमिट देने का आधार

श्री सन्त बख्श रावत—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलापूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों लखनऊ द्वारा जनवरी 1984 से जून, 1984 तक कितने टिन पाम आयल/रेपसीड आयल का स्पेशल परमिट सरकारी सस्तें गल्ले की दुकानों को दिया गया ? इन दुकानदारों को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की लिस्ट द्वारा आवश्यक वस्तु निगम/पी0 सी0 एफ0 तथा नया बजार से पाम आयल/रेपसीड आयल दिया जाता है ? यदि हां, तो उन्हें स्पेशल परमिट देने का आधार क्या है ? क्या मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे तथा दोषी अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों/जिला पूर्ति अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (आपूर्ति) लखनऊ के माध्यम से जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक 250 टिन पाम आयल एवं 280 टिन रेपसीड आयल का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को किया गया । उक्त आवंटन उपभोक्ताओं की मांग तथा शादी विवाह आदि अवसरों पर राशन कार्डो/स्पेशल परमिटों पर वितरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को संस्तुति/अनुमति से समय-समय पर दिया गया था । स्पेशल परमिट देने का आधार शासनादेश संख्या 962/उन्तीस-अनुभाग-9-02 (ओ0 एस0)-78, दिनांक 4 मार्च, 1982 है । दुकानो पर स्टाक लान एवं नियमानुसार वितरण का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के माध्यम से कराया गया । इस सन्दर्भ में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । अतः अग्रेतर जांच कराने अथवा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महाविद्यालयों में तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्वर्गत 33 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें मैंने श्री मोहन सिंह, श्री बिहारी लाल, श्री सत्यपाल सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री थम्मन सिंह गहलौत, श्रीमती किशोरी शुक्ला, श्री प्रभू नारायण सिंह, श्री दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री केदार नाथ सिंह, श्री भूधर नारायण मिश्र तथा श्री बलबीर सिंह (रामपुर) की सूचनाओं को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस प्रदेश में डिग्री कालेजों के हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । गत वर्ष प्रदेश के हजारों शिक्षकों ने इस बात के लिए आंदोलन किया कि विगत तीन वर्षों से तदर्थ रूप में नियुक्त और तीन वर्षों से कार्यरत डिग्री कालेज के शिक्षकों की सेवायें नियमित की जाय, फरवरी 83 में डिग्री शिक्षक संघ के साथ प्रदेश सरकार ने इनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए एक समझौता भी किया किंतु अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई । विगत 13 मार्च को इसी विधान सभा मे तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने आश्वासन दिया कि विधेयक पेश कर इन तदर्थ शिक्षकों की सेवायें नियमित कर दी जायेंगी लेकिन आज तक भी प्रदेश के लगभग 5 हजार शिक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं । कई दर्जन शिक्षक विधान भवन के समक्ष क्रमिक अनशन पर बैठे हैं । इनकी सेवाओं के विरुद्ध सैकड़ों शिक्षकों की नियुक्ति करके उच्च शिक्षा आयोग ने विभिन्न महाविद्यालयों में शिक्षकों को भेज भी दिया है, जिससे अब वे नौकरी विहीन हो रहे हैं । एक दर्जन रिट याचिकायें हाई कोर्ट में दाखिल करके निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिया है । शासन से हमारी मांग है कि महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवाय नियमित की जायं ।

ग्राम सरना नैनीताल के सेठ श्री वीर राम की डाकुओं द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिहारी लाल--

महोदय, जिला नैनीताल की तहसील नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम सरना, लोक भालू खोपा एवं आस पास के क्षेत्रों में गत कुछ महीनों से डाकुओं का भयंकर आंतक फैला हुआ है । लगभग दो माह पूर्व दिनांक 8-8-84 को ग्राम सरना के सेठ वीर राम की डाकुओं द्वारा गोली मार कर हत्या की गयी है । हजारों रुपये के जेवरात व 55 हजार रुपया नकदी ले जाने में सफल हुये तथा उनके परिवार की दो महिलायें एवं बच्चे गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। इस क्षेत्र में निरन्तर डकैतों द्वारा घटनायें घटित हो रही हैं । इस क्षेत्र के पटवारी एवं परगनाधिकारी की मिली भगत एवं निष्क्रियता के कारण डकैतों को नहीं पकड़ा जा रहा है । जिससे लोगों में घोर असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है । रैंवेन्यू पुलिस की प्रभावहीनता को देखते हुए मांग है कि इस क्षेत्र में डकैतों के उन्मूलन हेतु रेगुलर पुलिस की तैनाती की जाय । इस मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की जाय ।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन के इस क्षेत्र में डाकुओं के तत्काल उन्मूलन की मांग करता हूं तथा क्षेत्र के पटवारी, परगनाधिकारी एवं अन्य दोषी अधिकारियों के तत्काल स्थानान्तरण की मांग करता हूं ।

प्रदेश के अस्पतालों एव केन्द्रीय औषधि भण्डारों में ग्लूकोज सलाइन की बोतलों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश के अस्पतालों तथा केन्द्रीय औषधि भण्डारों में अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणरक्षक औषधि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्लूकोज सलाइन की बोतलें उपलब्ध नहीं हैं। सीतापुर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में कालरा के प्रकोप की शिकायत है। कल मैं स्वयं सीतापुर जिला अस्पताल में भर्ती कालरा के रोगियों को देखने गया। गरीब रोगी जो अपने पसे से ग्लूकोज की बोतलें नहीं ला सकते हैं उनके ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जा सका। वहां के जिला अस्पताल तथा केन्द्रीय औषधि भण्डार में एक भी बोतल उपलब्ध नहीं है। ग्लूकोज बोतलों के अभाव से अस्पताल में रोगियों का उपचार किस प्रकार होता होगा इसकी कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मान्यवर, गरीब के इलाज सम्बन्धी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति में भी शासकीय विफलता पर चिंता व्यक्त करते हुए उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय कम है।

मेरी मांग है कि मान्यवर, सीतापुर जिला अस्पताल तथा केन्द्रीय औषधि भण्डार में अविलम्ब ग्लूकोज सलाइन की बोतलें उपलब्ध करायी जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की राय लेना चाहता हूं कि क्या नियम 301 की जो सूचनायें पढ़ने को बाकी रह गयी हैं उनको पढ़ा हुआ माना जाय। वे उसी तरह से प्रोसीडिंग की पार्ट होंगी जैसे पढ़ी हुई होती है, उसी प्रकार उन पर कार्यवाही होगी जिस प्रकार पढ़ी हुई पर होती है, इससे समय बच जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम औचित्य के प्रश्न को लेते हैं।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जो आपने व्यवस्था दिया कि नियम 301 की सूचनायें पढ़ी हुई मानी जांय, तो इसमें मेरा अनुरोध है और मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यदि आपको यह व्यवस्था देना था तो शुरू में देते किन्तु तीन लोगों के पढ़ने के बाद में हम लोगों को क्यों छोड़ दिया, इसलिये जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं उनकी सभी को पढ़वायें और कल से नियम 301 में जो सूचनायें आयें उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

मैं ऐसा समझा था कि जो मैंने व्यवस्था दिया उस पर सर्वसम्मति हो गयी लेकिन आपत्ति है, तो ठीक है, मैं पढ़वाये देता हूं।

जिला बिजनौर की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मपाल सिंह गहलोत—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन तथा सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जिला मुजफ्फरनगर एवं जिला बिजनौर की सीमा गंगा नदी बनाती है। गत दो माह से मुजफ्फरनगर जिला के गंगा किनारे के ग्राम सभा के प्रधान श्री आशाराम अपने जिले के लोगों को पट्टे करके उन्हें गंगा के इस पार जिला बिजनौर की भूमि में जबरदस्ती बसा रहे हैं। कई वर्ष पूर्व जिला बिजनौर के भूमिहीनों एवं हरिजनों को नियमानुसार पट्टे देकर इस भूमि पर बसाया गया था। उनके पट्टे निरस्त नहीं किये गये हैं। आशा राम की सहायता मुजफ्फरनगर की पुलिस कर रही है। जिला बिजनौर के लोग उजाड़ दिये गये हैं वह बेघरबार व बेरोजगार होकर भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। बिजनौर की जनता में इससे भारी रोष पैदा हो गया है। प्रदर्शन और सभायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रही हैं । शांति भंग-होने का खतरा पैदा हो गया हैं ।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त अतिक्रमण को रोका जाय और जिला बिजनौर के जिन लोगों को उजाड़ दिया गया हैं उन्हें फिर से बसाया जाये ।

तहसील तिलहर शाहजहांपुर के निर्बल वर्ग निवासियों से हाउस टैक्स आदि की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक-महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।

तिलहर नगरपालिका, जिला शाहजहांपुर के नागरिकों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स अनधिकृत व गैर-कानूनी तरीके से जबरिया वसूल किया जा रहा हैं । यह टैक्स झोपड़ियों टूटे-फूटे मकानों पर भी असंगति पूर्ण तरीकों से अनधिकृत लोगों द्वारा कानूनी प्रक्रिया बगैर अपनाये लगाया गया है । इस टैक्स का इस्टीमेट क्लर्कों व मुंशियों द्वारा बनाया गया हैं जबकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही स्टीमेट तैयार होने चाहिए थे और नोटिस के साथ भवन का मानचित्र भी बनाया जाना चाहिए था, परन्तु मानचित्र नहीं बनाये गये । उपरोक्त कारणों से तिलहर के नागरिकों में भीषण आक्रोश व असंतोष व्याप्त हैं ।

अतएव, उपरोक्त टैक्स को समाप्त कर नये सिरे से कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए टैक्स दुरुस्त करा के ही वसूल कराने की व्यवस्था करायें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाढ़ प्रखण्ड, बस्ती के सहायक अभियन्ता श्री वी0 पी0 सिंह के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती किशोरी शुक्ला--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्नलिखित अति-महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहती हूं ।

मान्यवर, बाढ़ प्रखण्ड बस्ती में सिंचाई विभाग में तैनात श्री वी0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा बाबू करमैनी बेलौगी बांध हर साल काट दिया जाता हैं जिससे हमारा सहजनवां विधान सभा क्षेत्र का पाली ब्लाक तथा जंगल कौड़िया ब्लाक की लाखों जनता तबाह हो जाती हैं । श्री वी0 पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता के द्वारा 1682-83 में 28 लाख रुपये का फर्जी भुगतान किया गया जिसमें मस्टर रोल के ऐसे व्यक्तियों के नाम दिये गये जो मर चुके हैं और जो सरकारी नौकरी में हैं । मृतकों के नाम निम्न प्रकार से हैं :--

लालदेव पुत्र हीरा (मृतक), भागीरथी पुत्र साहब सिंह, पी0 ए0 सी0 में कार्यरत हैं । छोटे लाल पुत्र साहबली, जूनियर इंजीनियर हैं, अवधेश शरण जूनियर इंजीनियर हैं । ऐसे लोगों का नाम मस्टर रोल में अंकित है ।

मान्यवर, पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी व्यक्तियों को सेवा समाप्त किया जाए । ऐसे लोगों को सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं हैं जो शासन को धोखा दे । इसमें आर0 पी0 सिंह अधिशासी अभियन्ता की साजिश हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टी0 डी0 होम्योपैथिक कालेज, जौनपुर के दो चिकित्साधिकारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रभुनारायण सिंह--

तिलकधारी राजकीय होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय जौनपुर में दो चिकित्साधारी डा0 संतोष कुमार सिंह एवं डा0 चन्द्र प्रताप सिंह दिनांक 6 जनवरी, 1981 से कार्यरत हैं। उक्त पत्र पर इनकी नियुक्ति विधिवत की गई है। नियुक्ति की तिथि से अब तक ये लोग उक्त पद पर कार्यरत हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से मार्च, 1983 से इन दो आवासीय चिकित्साधिकारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। गत 17 महीने से अधिक समय से वेतन न मिलने के कारण उक्त दोनों कार्यरत चिकित्साधिकारी और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन और शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि इन दोनों चिकित्साधिकारियों की सेवाएं नियमित कर अविलम्बतम इनके वेतन का भुगतान कराया जाय।

लाल गंज (आजमगढ़) तहसील के रिकार्ड रूम के जलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण---

माननीय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार के संज्ञान में एक लोकमहत्व की घटना लाना चाहता हूं।

तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के रिकार्ड रूम में दिनांक 2/3-9-1984 को रात्रि लगभग 12 बजे पश्चिमी तरफ से सेंध खोदकर आग लगा दी गई, जिसमें तहसील भर के समस्त सुरक्षित कागजात जल गये। जो बचे भी वह फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाये जाने से पानी से भीग कर खराब हो गये। आग लगने के करीब 2 घंटे बाद अर्थात् 2 बजे फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझायी। जो कागजात सील करके पहले से आलमारियों में बन्द थे वे सब बच गये। इस अग्निकाण्ड के देखने से यह मालूम होता है कि यह काम तहसील के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से फर्जी कागजात में इन्ट्री करने वाला आवांछित तत्वों द्वारा किया गया है। यह कार्य फर्जी लिखापढ़ी को सिद्ध करने की गरज से मूल कागजातों को जलाने का प्रयास हुआ है।

जनपद आजमगढ़ की लालगंज तहसील में कागजातों में गलत लिखापढ़ी करके गांव समाज की भूमि का अवैधानिक तरीके से हड़प लेना एक साधारण सी बात हो गयी है। ऐसे हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे सम्पूर्ण तहसील में कुहराम सा मचा हुआ है।

अतः इस सरकार से मांग करते हैं कि उक्त अग्निकाण्ड की जांच विशेष शाखा (इन्टेलेजेन्स विभाग) द्वारा कराने की कृपा करें तथा सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित करके तहसील में हो रहे फर्जी कार्यों को पकड़ने का प्रयास किया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा फलदार वृक्षों को काटने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऐतिहासिक विश्वविद्यालय इलाहाबाद अमरूद स्थान अबूबकरपुर, उमरपुर, नीबा हरवारा, इलाहाबाद के परिक्षेत्र में स्थित कृषकों के गहरे असन्तोष की अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन व शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। 4 वर्ष पूर्व 60 एकड़ इलाहाबादी अमरूद बागभूमि को बन्जर दिखाकर अध्याप्ति कार्यवाही करने पर किसानों ने घोर विरोध किया। केन्द्रीय कृषि मन्त्री के 26-9-1983 के आदेश पर कृषि उद्यान भूमि को अध्यापित नहीं किया जायगा। अधिकारियों, नेताओं द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनके बागों को नहीं काटा जायगा।

18-8-1984 को बिना पूर्व सूचना के इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बर्बतापूर्वक 2000 हरे फलदार वृक्षों को कटवाया गया है। घटना से उत्तेजित किसानों के जी0 टी0 रोड को चार घंटे जाम रखने से स्थित भयंकर हो गयी। जिले के समस्त उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए फलदार वृक्षों को देखा तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में हरे फलदार वृक्षों को नहीं काटा जायेगा। शासन के नेतागण भी मौके पर निरीक्षण करके किसानों को आश्वासन दिया।

मैं मांग करता हूं कि इलाहाबादी बागों को सुरक्षा, क्षतिपूर्ति एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय, उक्त क्षेत्र को प्राधिकरण से मुक्त किया जाय। दिनांक 18-8-1984 को काटे गए हरे फलदार वृक्षों की संख्या निम्न-लिखित है।

गोरखपुर जनपद में धान की फसल में कीड़े लगने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केदार नाथ सिंह

माननीय, आज सुबह जनपद गोरखपुर से यह सूचना मिली है कि धान की फसलों को सैनिक कीट भयंकर रूप से क्षति पहुंचा रहे हैं। इस वक्त धान की फसलों में बालें निकल आयी हैं जिसे सैनिक कीट काट दे रहे हैं और सारी बालें खेत में गिर जा रही हैं। अगर यही स्थिति रही तो सम्पूर्ण खरीफ की फसलें बरबाद हो जायेंगी और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे। साथ ही इससे कृषि उत्पादन पर भारी कुप्रभाव पड़ेगा। सनिक कीटों का सबसे ज्यादा प्रभाव विकास खंड भटहट, पिपराइच व परतावल आदि में सबसे ज्यादा है।

विभाग द्वारा अभी तक इसका कोई कारगर उपाय नहीं निकाला गया और न ही कीट नाशक दवायें ही उपलब्ध हैं।

अतः ऐसे लोक महत्व के अविलम्बनीय संकट की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए आपके माध्यम से युद्ध स्तर पर इसकी रोकथाम की मांग करता हूं।

जे0 के0 रेयन मिल, कानपुर के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भूधर नारायण मिश्र--

माननीय, मैं आपके माध्यम से जे0 के0 रेयन मिल, कानपुर, जो बन्द पड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं, में 2300 मजदूरों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं :—

जे० के० रेयन मिल 16 मई, 1983 से गैर कानूनी ढंग से मिल प्रबन्धकों ने श्रमिक अशान्ति तथा बेरोजगारी की समस्या फैलाने हेतु जानबूझ कर बन्द कर दी है। इस मिल में लगभग 2300 श्रमिक कार्यरत थे। इनके परिवार आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं जिससे बेरोजगार श्रमिक विभिन्न श्रमिक संगठनों के माध्यम से आंदोलनरत हैं। यदि अब जे० के० रेयन मिल शीघ्र न खुली तो मजदूरों में उत्तेजना फैल सकती है और मजदूर किसी भी तरह के आन्दोलन की ओर अग्रसर हो सकते हैं और उनको किसी अप्रिय कार्य हेतु गुमराह किया जा सकता है।

अतः मैं चाहता हूं कि स्थिति के बद से बदतर होने से पहले बन्द मिल को शासन की ओर से किसी भी तरह खुलवाने की व्यवस्था की जाय जिससे श्रमिकों की बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या का समाधान हो सके।

कोसी नदी की बाढ़ से अकबराबाद (रामपुर) की भूमि कटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, 25 सितम्बर तथा 25 जुलाई, 1984 में आई बाढ़ से ग्राम अकबराबाद में कोसी नदी में कटान कर सैकड़ों एकड़ भूमि की फसल नष्ट कर दी और नदी ग्राम के बिल्कुल नजदीक बहने लगी। एक साल बीत जाने पर भी बंध नहीं बनवाया गय। इसी तरह धूमा बांध तहसील स्वार में भी 1983-84 में दोबारा टूट गया लेकिन उसमें भी भीषण बाढ़ के आये पानी के अनुसार निकासी के द्वार 4 से बढ़ाकर 16 नहीं किये गये। इसी प्रकार स्वार बिलासपुर मार्ग पर बने पीलाखार नदी के पुल के समीप 400 मीटर सड़क बह गयी थी। बाढ़ के अनुसार उसमें भी पुल के दर नहीं बढ़ाये गये और न ही धूमा नाले पर स्वार बिलासपुर मार्ग पर पीलाखार नदी के बराबर पुल बनाया गया जब कि यह भी 1983-84 की बाढ़ में 200 मीटर सड़क बह गयी। इसी प्रकार मुंशीगंज स्वार-मार्ग तहसील स्वार की सड़क तथा कटान नहीं भरे गये हैं। इन सब बिन्दुओं को लेकर जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है आन्दोलन की राह पर है।

मैं शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त सभी क्षतिग्रस्त पुलों, बंधों और सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाय तथा दढ़ियाल से अकबराबाद तक नया बंध बनवाकर अकबराबाद ग्राम की सुरक्षा की जाय।

गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बन्द्ध विद्यालयों में तदर्थ नियुक्त अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में हजारों तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां विगत वर्ष में हुई थीं जिनका कार्यकाल 30 जून, 1984 तक समाप्त हो गया। उन तदर्थ शिक्षकों के कार्यकाल बढ़ाने के लिये सरकार को कई बार लिखा गया परन्तु सरकार से स्पष्ट निर्देश न मिलने से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षण कार्य महाविद्यालयों एवं विश्व-विद्यालयों में सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। अध्यापकों एवं छात्रों में असंतोष है, स्थिति गम्भीर है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से तदर्थ नियुक्ति वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के सम्बन्ध में शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग करती हूं।

नियम 301 की शेष सूचनाओं को लिए जाने की मांग

श्री अध्यक्ष--

यह औचित्य के प्रश्न की मुझको सूचना प्राप्त हुई है...

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने भी सूचना दिया था, क्या हुआ ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, पांच दिन का सत्र है, सभी 301 की सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जायं।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, नियम 301 में मैंने भी लिख कर दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो आपने मुझको अधिकार दे रखा है।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, 301 की जो सूचनाएं बची हुई हैं, उनको पढ़ी हुई मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठिये आप।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रेवती रमण सिंह जो बैठिये आप।

(व्यवधान)

33 माननीय विधायकों ने लिखकर दिया है, यह मेरे लिए सम्भव नहीं है कि 33 को लूं।

(व्यवधान)

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह ने जब यह प्रश्न उठाया था कि 90 दिन विधान सभा की बैठक होनी चाहिए, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसे असम्भव बताया। मान्यवर, विधायकों को अपनी बात रखने का समय मिलता नहीं है, इसलिए नियम 301 के अन्तर्गत कितने माननीय सदस्य जानकारी चाहें, उनको उठाने की अनुमति दी जाय, जिससे कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकारी धन खा-खा कर मोटे हो रहे हैं, उन पर कुछ अंकुश लगा सके। इसलिए आप जितनी भी सूचनाएं आयें, सभी को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया करें, जिससे कि 3 महीने तक चुनावी काम के साथ-साथ जनता का भी काम करने का मौका मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नियम 301 की सूचना पढ़े देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, मैं आज्ञा नहीं देता हूं ।

(श्री पंचानन राय द्वारा नियम 301 की सूचना पढ़ना आरम्भ करने पर)

माननीय पंचानन राय, आप बैठिये । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

शासन द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद श्री मुलायम सिंह यादव, नेता विरोधी दल, विधान परिषद्, पर प्राण घातक हमले की जांच सी० बी० आई० द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दिया है, जो इस आदरणीय सदन के संज्ञान में और आपके भी संज्ञान में है । मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि पिछले सत्र में यहां पर प्रश्न उठा था कि हमारे विधान परिषद् के प्रतिपक्ष के नेता तथा लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रदेशीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर मैनपुरी जिले में प्राण घातक हमला हुआ था । उसको जब यहां पर चर्चा हुई, तो इधर और उधर के सभी सदस्यों की यह मांग हुई थी कि इसकी जांच सी० बी० आई० से करा दी जाय । जो प्राण घातक हमला हुआ था, उसमें मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य की साजिश का संदेह पैदा हुआ था । सब लोगों ने कहा सी० बी० आई० से जांच करा दें । पिछले महीने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी मिली, सत्य प्रकाश मालवीय ने सवाल किया और एक तथ्य उजागर होकर सामने आ गया । उत्तर यह था कि सी० बी० आई० ने जांच करने से मना कर दिया है और यह भी कहा गया कि जांच स्थानीय पुलिस से कराई जाय । मेरी जानकारी है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की साजिश का पर्दाफाश हो रहा था इसलिए तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जांच के लिए मसौदा भारत सरकार को भेजा वह दोषपूर्ण था जिसके कारण सी० बी० आई० ने कह दिया जांच नहीं करेंगे । औपचारिक रूप से तो भेज दिया गया लेकिन अनौपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह दबाव डाला गया कि सी० बी० आई० मना कर दें । यह फैसला हम लोगों ने मिलकर लिया था। हम अपेक्षा करते थे कि राज्यसभा से जानकारी मिलने के बजाय नेता सदन स्वयं सदन को सूचित करते कि इस मामले में सी० बी० आई० ने जांच करने से मना कर दिया है अब आगे क्या विकल्प निकाला जाय । इसलिए मैं यह बात सदन के सामने लाना चाहता हूं कि जानबूझकर तथ्यों को दबाने तथा प्रतिपक्ष के नताओं को आतंकित करने का यह दूसरा घृणित कार्य किया जा रहा है । अब इसकी जांच स्थानीय पुलिस से करायी जा रही है । मैनपुरी का आई० ओ० करेगा । पुलिस के ऊपर राज्य सरकार का दबाव है । इसलिये सही तथ्य नहीं आ सकते हैं ।

मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या कार्यवाही हो रही है । मेरी एक यह भी जानकारी है कि सी० बी० आई० को मामला जांच के लिए सन्दर्भित करने के बाद भी स्थानीय पुलिस को मना नहीं किया गया और उसने अपनी जांच एक दिन के लिए भी बन्द नहीं किया । मेरे आरोपों की पुष्टि इससे भी होती है कि शासन चाहता था कि सी० बी० आई० जांच न करें इसलिए स्थानीय पुलिस को मना नहीं किया गया । मेरी जो सामान्य जानकारी है हम लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मंत्री के पास किसी मामले को लेकर जाते हैं और मामला सी0 आई0 डी0 को जांच के लिए भेजा जाता है तो आदेश होने के बाद ही स्थानीय पुलिस की जांच रुक जाती है। लेकिन सी0 बी0 आई0 का मामला सन्दर्भित होने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने अपनी जांच बन्द नहीं किया, इससे भी यह बात स्पष्ट होती है कि राज्य सरकार का इरादा साफ नहीं थी। यह बात मैं आपके सामने लाकर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस गम्भीर मामले का जांच जिस गम्भीरता से हम लोग कराना चाहते थे उसकी जांच अब किसी एजेन्सी से कराई जाय ताकि तथ्य उजागर होकर सामने आये और जो प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्या की एक साजिश चल रही है, उसका पर्दाफाश हो सके।

*श्री किरनपाल सिंह--

मैंने लिखकर दिया है, 6 मार्च को इस सदन में इस घटना को...

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैंने गुप्ता जी से कह दिया था जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है। सबको एक साथ आप बोल लीजियेगा और आपस में बात कर लीजियेगा। बात हुई, आपकी कि नहीं हुई ?

श्री किरनपाल सिंह--

मेरी बात नहीं हुई। मैं नये तथ्य देना चाहता हूं। 6 मार्च, को सरकार ने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष--

जो बात गुप्ता जी ने कही है उसको दोहरायेंगे नहीं।

श्री किरन पाल सिंह--

सदन में कहा गया था कि 12 मार्च, तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगी तो सी0 बी0 आई0 को जांच हेतु भेज दिया जायेगा। 12 तारीख के शाम तक सी0 बी0 आई0 को नहीं भेजा गया तो 13 तारीख को मजबूर होकर मैंने इस मामले को उठाया। 13 मार्च को संसदीय कार्यमंत्री श्री अम्मार रिजवी ने कहा था कि आज ही केन्द्रीय सरकार को लिखा दूंगा। लिख तो दिया लेकिन गुप्ता जी ने जैसा कहा उसका मसौदा त्रुटिपूर्ण किया गया और केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया। मान्यवर, मैं एक अन्य बिन्दु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज तक जो भी 2-4 या 5-7 केस में सदन के अन्दर सी0 बी0 आई0 की जांच के आश्वासन हुए थे उसको केन्द्रीय सरकार ने गम्भीरता से लिया है और आज तक एक भी विषय में सी0 बी0 आई0 से जांच कराने पर इन्कार नहीं हुआ है। मान्यवर, यह पहला विषय है। सदन के अन्दर इतना गम्भीर मामला उठाया गया है सरकार ने आश्वासन दिया था सी0 बी0 आई0 की जांच का, मान्यवर, लीडर अपोजीशन पर हमला हुआ और इस पर जांच की मांग की की गई लेकिन इसको गम्भीरता से नहीं लिया गया। मान्यवर, तीन मंत्री दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कोशिश की कि सी0 बी0 आई0 की जांच नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, जब सदन के अन्दर इतना गम्भीर विषय उठा और सी0 बी0 आई0 से जांच के आदेश मिल गये तो इसमें दुबारा क्यों नहीं लिखा गया। इसमें नैतिक तकाजा था कि सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाये।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन जी, आपका उसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो गलत परिपाटी पड़ जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने प्रश्न उठाया है, इसमें जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सदन में जो घोषणा कर दी गयी थी उस घोषणा के मुताबिक कार्यवाही नहीं हुई। माननीय, मेरा निवेदन है कि 301 के अन्तर्गत जो माननीय गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया है, इसमें व्यवस्था देने से पहले फाइल को मंगाकर आप स्वयं देख लें। घोषणा के मुताबिक केस में देरी की गई है या नहीं, उसके बाद आप जैसा उचित समझें निर्णय दें कि 301 में जो गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया है इसमें कहां तक वजन है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

माननीय, एक बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना नहीं है।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय, मैंने कहा था कि हमारे तरफ के किसी माननीय सदस्य की जिस परिपेक्ष्य में जैसी जांच आप कराना चाहें खुली जांच करवा लें इन्होंने हमारा चैलेन्ज स्वीकार नहीं किया। माननीय, सरकारी पक्ष से ये बात आई थी कि अमुक तारीख तक इसकी जांच पूरी न हुई और अपराधी नहीं पकड़े जायेंगे तो हम सी० बी० आई० को जांच सौंप देंगे। आश्वासन आपकी तरफ से था। वह भूतपूर्व मंत्री जी ने स्वीकार कर ली। माननीय, अब दायित्व सरकार पर इस बात का है कि सदन में जब कोई बात आये, आपकी तरफ से आश्वासन हो जाये, सी० बी० आई० से आप जांच की स्वीकृति दे दें तो, इसमें जांच होनी चाहिये। जब वहां से रिजेक्ट हो गया तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसमें सरकार की कोई गलत मंशा साबित होती है। माननीय सदन की गरिमा इस बात में है जो सरकार की तरफ से चीज आ गयी है उसका परिपालन हो। मैं इस सन्दर्भ में चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वे इस चीज को देखें कि सदन में जो बात कही जा चुकी हो उसका पालन हो। हम आपसे यही चाहते हैं।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

आपने जो शक यहां पर कहा उसको ध्यान में रखते हुये मैं पूरी तरह यह कोशिश करूंगा कि आपके शक की कोई गुन्जाइश न रहे। जो परिस्थिति आज सामने है कि सी० बी० आई० ने इंकार किया और आपने मांग की कि उसके लिये फिर से कहा जाय तो मैं फिर से कहने के लिये तैयार हूं। इसके लिये मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने पत्रावली दिखाने की मांग की, मैं पत्रावली दिखा दूंगा और आप जिस निश्चय पर पहुंचेंगे और जिस तरह से कार्य करने की संस्तुति करेंगे, उसको पूरा करने के लिये मैं हर समय तैयार हूं। हम चाहते हैं पक्ष और विपक्ष की बातों में जो सदन की मर्यादा रही है और जो आश्वासन दिये गये हैं, वे पूरे किये जायं और उनके लिये पूरा प्रयास किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जो बैठे हैं, उनसे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके शक की कोई गुन्जाइश न रहे। आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी क्या इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उन्हें पहले पहल इस बात की जानकारी कब मिली कि सी0 बी0 आई0 ने जांच से मना कर दिया और उसके बाद अपने पुनः जांच के लिये क्या प्रयास किया, ताकि सी0 बी0 आई0 जांच शुरू करती ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, आपके माध्यम से आज पहली बार यह बात मेरे संज्ञान में आई और इसी समय मैंने निर्णय लिया है कि जैसा कि आपने कहा कि इसके लिये फिर से प्रयास करूंगा और आपको पत्रावली भी दिखा दूंगा और आप जो सुझाव देंग आपको सन्तुष्ट करने के लिये वैसा करूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

पत्रावली मेरे पास भेज दी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, असली मुद्दा तो अपनी जगह बना ही हुआ है । हमारा आरोप अपनी जगह है कि सरकार यदि जागरूक होती तो जैसे ही पता चला कि सी0 बी0 आई0 ने मना कर दिया है, इसके लिये तुरन्त प्रयास करती । इस सम्बन्ध में सरकार तुरन्त पत्र लिखती । पत्र न लिखने के कारण हमारी आशंका की पुष्टि होती है । मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री पर दया आती है । हम तीन घंटा पहले यह सूचना आपको देते हैं । क्या आपने मुख्य सचिव या गृह सचिव से इस बारे में जानकारी चाही, उन लोगों में से किसी से सम्पर्क किया । आपने कोई चेष्टा नहीं की । इसलिए हमारा आरोप अपनी जगह सही है कि सरकार की साजिश के कारण ही उन्होंने जांच के लिए कोई प्रयास नहीं किया । माननीय मुख्य मंत्री जो बैठे हैं । मैं उनका आदर करता हूं । उनके मन में इस समय जरूर कोई बात उठी होगी । वह यदि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी दे दें तो कृपा होगी कि इस सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है यह गृह मंत्रालय से सम्बन्धित मामला है । कृपया इस पर प्रकाश डाल दें ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, सहिष्णुता ही प्रजातन्त्र की राजनीति का आधार है । राजनीतिक शत्रुता और प्रतिद्वंदिता की राजनीति तो राजनीतिक जीवन का अंग है । राजनीति में प्रजातन्त्र को निभाने के लिये यह आवश्यक है कि परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दलों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता अथवा जन प्रतिनिधि आपस में इस प्रकार का सम्बन्ध रखें अगर यथोचित न भी हो, तो उसमें किसी प्रकार से शत्रुता का कोई अंश भी आभासित न हो । इसी दृष्टिकोण से प्रजातन्त्र चलता भी है । हमारे शासन की नीति भी यही है कि हम इसी आधार पर चलें । अगर कोई राजनैतिक दल या कार्यकर्ता कोई विरोध करता भी है, तो उसकी भावना अमर्यादित व अनुचित नहीं होनी चाहिये । वैयक्तिक भावना से और वैयक्तिक कलुष से उसे ओत-प्रोत नहीं होना चाहिये । इसी नीति को मद्दे नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने सी0 बी0 आई0 से जो आग्रह किया था, उसे स्वीकार करने में उसने असमर्थता जाहिर की । मेरा सम्मानित नेता विरोधीदल व अन्य नेताओं से निवेदन है कि हमारा इसमें कोई ऐसा प्रयास नहीं है, जो गलत हो। मेरे पूर्ववर्ती यशस्वी मुख्य मंत्री और शासन ने अपनी कर्तव्यपरायणता में कहीं कमी दिखाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है ।

मान्यवर, यह कोई पहला मामला सी0 बी0 आई0 को सौंपे जाने का नहीं है, पूर्व में भी ऐसे कितने ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मामले आ चुके ह, जिन पर कई मामलों में तो सी0 बी0 आई0 ने असमर्थता जाहिर की हं और कई मामलों को स्वीकार भी किया है, शायद माननीय नेता विरोधदल भी इसे स्वीकार करेंगे। मैं पुनः स्वयं गृह मंत्री जी को लिखूंगा। मेरे सहयोगी मंत्री जो भी मुझसे मिले, वह भी चाहते हैं कि इस मामले पर सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच हो।

मान्यवर, आज इस अवसर पर मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के कई जिलों में कई ऐसे तत्व विद्यमान हो चुके हं जो क्रिमनल तत्व हैं, जो राजनैतिक क्षेत्र में पदार्पण करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनैतिक जीवन को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को यह प्रयास करना चाहिये कि ऐसे तत्वों से हम सदैव सचेत रहें। जिन उद्देश्यों को लेकर हम सभी लोगों ने र जनैतिक जीवन में प्रवेश किया है, हमें असत्य और काल्पनिक विरोध के नाम पर राजनतिक जामा पहनने वालों से सावधान रहना होगा। ताकि हमारा राजनैतिक जीवन कलुषित, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, न हो। माननीय नेता विरोधी दल भी इससे सहमत होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास पत्रावली आयेगी, तो आप स्वयं देख लेंगे कि हमारी क्या भावना हं। मैं चाहूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य किसी प्रकार की वैयक्तिक दुर्भावना से कलुषित न हो। हम तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की दुर्भावना न सताये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं, जिनको असलहे दिये गये हैं और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, जिनके असलहे निरस्त किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री गौरी शंकर जी मैंने आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी ह, कृपया आप बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश होम्यपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश होम्यापैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तरप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) विधेयक, 1984 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राम सागर, विधायक की गिरफ्तार एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

परगना मजिस्ट्रेट, नवाबगंज, जनपद बाराबंकी ने अपने पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1984 जो इस सचिवालय में दिनांक 12 सितम्बर, 1984 को प्राप्त हुए, में सूचित किया है कि श्री राम सागर, सदस्य, विधान सभा को 10 सितम्बर, 1984 को 14-30 बजे दिन में उक्त न्यायालय के प्रांगण में धारा 228 आई0 पी0 सी0/34 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया एव

जिन्हें न्यायालय उठने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था, को न्यायालय उठने के बाद उसी दिन मुक्त कर दिया गया ।

संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का दशम् प्रतिवेदन†

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मैं, प्रभाकर नाथ द्विवेदी, सदस्य, संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का दशम् प्रतिवेदन, जो संसदीय पद्धति की सफलता के विषय पर है, प्रस्तुत करता हूं ।

आज का एम0 एल0 ए0 राम औतार, फिल्म के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा ने फिल्म "आज का एम0 एल0 ए0 राम औतार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा है कि इस फिल्म से पूरे प्रदेश, देश तथा समाज में विधायकों तथा इस आदरणीय सदन के प्रति अनादर एवं घृणा का वातावरण बन रहा है ।

प्रश्नगत मामले का परीक्षण करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त सूचना निश्चित एवं स्पष्ट नहीं कही जा सकती है क्योंकि इसमें यह उल्लेख नहीं है कि विशेषाधिकार अवहेलना अथवा सदन की अवमानना की शिकायत संदर्भित फिल्म से सम्बद्ध किस व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध है। यद्यपि किसी फिल्म आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार के किसी मामले का सुनिश्चित दृष्टांत उपलब्ध नहीं है तथापि समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित सदन या उसके सदस्यों के प्रति आक्षेपात्मक लेखों के सम्बन्ध में कई दृष्टांत उपलब्ध हैं, जिसके अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संसदीय प्रणाली में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि सदन की विशेषाधिकार सम्बन्धी शक्ति को इस ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि स्वतन्त्र रूप से विचार प्रकट करने या आलोचना करने में बाधा पड़े या उसके लिए व्यक्ति निरुत्साहित हो अथवा गैर जिम्मेदाराना बातों को महत्व मिले । इस सिद्धान्त का प्रश्नगत मामले में भी अनुसरण किया जाना उचित होगा, क्योंकि पत्र-पत्रिकाओं की भांति फिल्म भी किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की अभिव्यक्ति का मात्र एक साधन है । इसके अतिरिक्त दिनांक 27 मार्च, 1984 की उ0 प्र0 विधान सभा की कार्यवाही को भी मैंने देखा है । उसमें अनेक माननीय सदस्यों ने श्री मुहम्मद आजम खां के उक्त विचारों से असहमति प्रकट की है और प्रश्नगत मामले को सदन की अवमानना के रूप में स्वीकार करने का विरोध किया है । इस प्रकार इस विषय में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं प्रतीत होता है ।

अतः मैं उपयुक्त सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा संज्ञान में लाये गये उक्त प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं और मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

† छापा नहीं गया ।

"तरुण राष्ट्र हिन्दी साप्ताहिक के प्रधान सम्पादक श्री हसनैन जैदी तथा सम्पादक श्री विश्व नाथ सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री श्याम लाल बाजपेयी, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1984 को लखनऊ से प्रकाशित "तरुण राष्ट्र, हिन्दी साप्ताहिक के प्रधान सम्पादक श्री हसनैन जैदी तथा स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक श्री विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। उक्त साप्ताहिक के अंक 29-3-84 में 'प्रदेश सरकार का उर्दू विधेयक एक फ्राड है, शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया गया है और माननीय सदस्य के अनुसार उस लेख से सम्पूर्ण विधान सभा की अवमानना हुयी है।

मैंने प्रश्नगत लेख को देखा है। इसमें इस आदरणीय सदन को रंगमंच तथा कतिपय सदस्यों को कठपुतली बताया गया है जिसे स्वस्थ पत्रकारिता का प्रतीक नहीं माना जा सकता। फिर भी इस महत्वहीन मामले को अनावश्यक महत्व देना इस सदन की मर्यादा और परम्परा के अनुरूप न होगा।

उपर्युक्त कारणों से मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं और इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

कतिपय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं लेने का मांग

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने आज एक नोटिस दी है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सदन में गलत बयानी की थी, उसी सिलसिले में दी है विशेषाधिकार की नोटिस। उस सम्बन्ध में एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी तक हमारे यहां जो पद्धति है, उसके अनुसार स्थिति यह है कि आपने नोटिस दी है, हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, उनसे जवाब मांगेंगे, आपको भी बुलायेंगे, उसके बाद में उस वक्त जो निर्णय हो सकेगा, होगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, सदन को कम से कम जानकारी तो हो जाय कि वह सूचना क्या है? आप मुझे ही पढ़ने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं होता आर्या है।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, वह यह है कि सात नं0 के आइटम की बाबत आपको एक सूचना मिल चुकी है तो कम से कम आप उस सूचना की घोषणा तो कर दें कि 7 नं0 आइटम की सूचना हम को दी गयी है, हमको एक सूचना मिली है।

श्री अध्यक्ष--

आप तो काफी पुराने सदस्य हैं, इस प्रकार की घोषणा कहां होती है। जो निर्णय थे, वह दे दिये।

श्री रियासत हुसैन--

7 नं0 आइटम के बारे में जजमेंट दिये हैं, फैसला सुनाया। यदि आपको कोई सूचना मिली है 7 नं0 के मद से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बन्धित, तो कम से कम आपको पीठ से यह बताना चाहिये कि हमको एक सूचना मिला है, इसको पढ़ने के बाद, कार्यवाही करने के बाद हम निर्णय देंगे। अभी इसका परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन, यह बात तो कही हो जा सकता है कि हमको एक सूचना मिलो ह, उसको तो कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करूंगा कि न तो इस तरह की कोई परम्परा रही है और न नियमों में है। नयी परम्परा कोई डलवाना चाहते हैं, तो बात अलग है। आज तक इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, ऐसा हुआ है अगर कोई सूचना प्राप्त हुई है तो सूचना को सदन में सूचित किया गया है कि हमको फलां मेम्बर को एक सूचना प्राप्त हुई ह। लेकिन, आपने तो इसका जिक्र ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इससे पहले ऐसा कभी हुआ हो, तो कृपया आप मुझे कक्ष में आकर उसकी जानकारी दे दो दीजियेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार उठाने की बात कही है, मैं उस विशेषाधिकार को स्वीकार करता हूं। लेकिन, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मुझे जानकारी उस समय उपलब्ध हुई थी, उसी के आधार पर सदन को सूचना दी थी। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मुझे यह भी सूचना देते हुए प्रसन्नता होती है कि श्री जार्ज फर्नाण्डीज को रिहा करने के आदेश कर दिये गये हैं। आज सम्भवतः किसी भी समय वे रिहा हो जायेंगे।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, कम से कम माननीय मुख्य मन्त्री जी क्षमा याचना तो कर लें, सदन का जो अवमान किया है।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

किस बात की क्षमा याचना कर लें।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने श्री जार्ज फर्नाण्डीज व दूसरे अन्य जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में यहां एक घोषणा की। यहां श्रीमन्, मैं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को मदद करना चाहता हूं कि शासन के कब्जे में प्रशासन नहीं आ रहा है यह उसका उदाहरण है। प्रशासन ने माननीय मुख्य मन्त्री जी को किस तरह से गलत सूचना दी, जिसकी वजह से माननीय मुख्य मन्त्री जी को, यह हम लोग विशेषाधिकार लाये हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है। हम लोग तो माननीय मुख्य मन्त्री जी की मदद कर रहे हैं ताकि आप अपने प्रशासन के अधिकारियों पर कंट्रोल रखें, ताकि भविष्य में इस तरह की अधिकारी लोग पुनरावृत्ति न कर सकें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

खेद प्रकाश कर दें माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री अध्यक्ष--

बैठें आप।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य निराश्रित सहायता समिति के सदस्यता हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश भिक्षावृति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य निराश्रित सहायता समिति को सदस्यता के लिये उत्तर प्रदेश भिक्षावृति प्रतिषेध नियमावली, 1975 के नियम 4 के खंड (5) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश भिक्षावृति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अधीन गठित राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता के लिये उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975 के नियम 4 के खंड (5) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और) पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को पुनः स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है, दूसरी सूचना श्री रियासत हुसैन, श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री फखरे आलम आदि की है, तीसरी सूचना श्री गोपी नाथ वर्मा की है, चौथी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह मंडारी की है, पांचवीं सूचना श्री मोहन

†दिनांक...1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है

सिंह की है, छठीं सूचना श्री गौरी शंकर मंडया, सातवीं सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, आठवीं सूचना श्री सरदार सिंह, नवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की है, दसवीं सूचना श्रीमती गौरी देवी की है, ग्यारहवीं सूचना श्री राम स्वरूप निम की है, बारहवीं सूचना श्री शंकर सिंह तथा श्री किरन पाल सिंह की है, तेरहवीं सूचना श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन की है, चौदहवीं सूचना श्री कुबेर भंडारी की है, पन्द्रहवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह तथा सोलहवीं सूचना श्री रियाज अहमद की है।

अब माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप फहिए, आपको क्या कहना है ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कार्य-स्थगन के माध्यम से उजागर करने की चेष्टा की है कि इस सरकार के द्वारा सेवायोजकों को, पूंजीपतियों को किस प्रकार से समर्थन दिया जा रहा है। उसका जिन्दा सबूत है सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री। यह एक नई फैक्ट्री है, जिसमें डेढ़ हजार से दो हजार तक मजदूर काम करते हैं। वहां पर आज तक सरकार द्वार घोषित न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुआ है। मैं सुनील शास्त्री जी से भी मिला था। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो गयी। उनको दैनिक मजदूरी 11.50 रु0 प्रति दिन और महंगाई-भत्ता तथा स्थायी वेतन और महंगाई-भत्ता मिलना चाहिये। इसको काफी समय हो रहा है, लेकिन आज तक उनको शासन द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। उनको मात्र 7 रु0 रोज मजदूरी दे रहे हैं। दस-दस साल से काम करने वाले मजदूर भी 7 रु0 रोज पर काम कर रहे हैं। उस फैक्टरी में कोई भी श्रमिक कानून लागू नहीं है। डेली वेजेज वाले मजदूरों को आइडेन्टटी कार्ड नहीं दिये जाते हैं, फार्म 15 नहीं भराया जाता है और उनके उपस्थिति कार्ड भी नहीं है। सेवायोजक की बात तो समझ में आती है कि उनका दृष्टिकोण मजदूरों के शोषण का है, किन्तु विचार की बात यह है कि सरकार का श्रम विभाग, जिसके पास मजदूर, क्षेत्रीय विधायक होने के नाते में स्वयं बार-बार दौड़ कर जाते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं।

(10 बजकर 20 मिनट)

लेकिन श्रम विभाग द्वारा कोई प्रभावशाली भूमिका देखने को नहीं मिली। मजदूर लोग क्षुब्ध होकर आन्दोलन का रास्ता अपना रहे हैं। आज भी विधान सभा के सामने मजदूर धरना देने के लिये बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि हमारी फैक्ट्री में श्रमिक कानून लागू किया जाय, कानून व्यवस्था का प्रासीक्यूशन किया जाय। जिस प्रकार से रेवेन्यू की वसूली की जाती है उसी प्रकार से यहां भी रेवेन्यू की वसूली की जाय।

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने के लिये ग्राह्यता की कुछ शर्तें हैं उसी के अन्तर्गत यह हमारा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आया है। दो हजार मजदूरों के क्षोभ को हमने यहां सदन में उजागर करने का प्रयत्न किया है। महीना पूरा हो गया है फिर भी उन्हें अभी तक वेजेज नहीं मिले हैं। शासन इसके प्रति कोई कार्यवाही करे और उनको सही समय पर वेतन दिलाने की कोशिश करे।

*श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, जहां तक न्यूनतम वेतन का सवाल है, प्लाईवुड उद्योग में न्यूनतम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वेतन अधिसूचना 6 अगस्त, 1984 को जारी कर दी गयी थी । यह सही है कि अब तक प्रदेश में केवल 47 ऐसे व्यवसाय थे जो कि न्यूनतम वेतन अधि-नियम के अन्तर्गत आते थे और जिनका विधिवत् वेतन निर्धारित किया गया था। बहुत से संगठनों में असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल पाता था क्योंकि उनका सेवायोजक शोषण करता था, इसलिये न्यूनतम वेतन अब बढ़ा करके 65 व्यवसायों के लिये हो गया है, इसमें प्लाइवुड भी एक है । जब माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में मुझे अवगत कराया, उसके बाद तुरन्त ही वहां का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि वहां पर जो 505 दैनिक वेतन के कर्मचारी थे, उन्हें वे न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे थे । इस सम्बन्ध में सेवायोजकों के खिलाफ निदेश दाखिल कर दिया गया है । 668 ऐसे केसेज हैं जिनमें छानबीन की जा रही है । 7 सितम्बर तक वहां पर वेतन देने की आखिरी तिथि है इसलिये 8 तारीख को फिर निरीक्षण कराया गया है । नियमानुसार सात दिन का समय सेवायोजक को दिया जाता है । जब सात दिन की अवधि समाप्त हो जावेगी उसके तुरन्त बाद उनके सम्बन्ध में निदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसमें कोई सेवायोजकों पर दबाव डालने की प्रक्रिया होनी चाहिये । जब आप इसे स्वीकार कर रहे हैं तो फिर कोई प्रक्रिया तो ऐसी होनी ही चाहिये कि आप उन पर दबाव डालेंगे जिससे सेवायोजक मजदूरों को जल्दी वेतन का भुगतान कर सकें ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, 9 अगस्त, 1984 से लेकर 14 अगस्त, 1984 तक उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के निर्णयानुसार प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया गया और उसी के अनुसार बाराबंकी में आन्दोलन चलाया गया । 14 अगस्त, 1984 को हमारे नेतृत्व में परगनाधिकारी द्वारा रामसनेहीघाट से 525 सत्याग्रहियों को भेजा गया । रात में उन सत्याग्रहियों को बहुत खराब खाना कच्ची रोटी और कच्ची खिचड़ी दी गयी । उसमें से बहुत से लोग बिना खाये ही सो गये । सुबह होते ही 15 अगस्त को उन लोगों को नाश्ता और चाय नहीं मिली तो उसमें से कुछ सत्या-ग्रहियों ने नारे लगाने शुरू कर दिये । इस बात को जेल कर्मचारियों ने अच्छा नहीं महसूस किया । इस बात को लेकर एक कर्मचारी ने सीटी बजायी और फायर की गयी और फायर करने के बाद सभी जेल कर्मचारी तथा जो खास कैदी थे, उनको बाहर लाकर सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया गया । इन कैदियों में कुछ ऐसे लोग थे, जो बाराबंकी जेल में बन्द थे, 7 साल के कैदी हैं । यह बाराबंकी जेल में नहीं रखे जा सकते हैं । इनके नाम हैं शैलेन्द्र और दूसरे का नाम है रफी । यह दोनों शातिर बदमाश हैं और उन पर संगीन केसेज हैं, बहुत गम्भीर मामले चल रहे हैं । यह दोनों कैदी लखनऊ जेल में भी रह चुके हैं, वहां पर इन्होंने अपना दूसरा नाम बताया था और बाराबंकी में दूसरे नाम से हैं और दिल्ली में दूसरे नाम से थे । इन लोगों ने सभी सत्याग्रहियों को, जेल कर्मचा-रियों से साथ-साथ जमकर पीटा है । जेल कर्मचारियों ने इन दोनों अभि-युक्तों के साथ सत्याग्रहियों की जमकर पिटाई की । यहां तक कि अंधे सत्या-ग्रहियों को भी नहीं छोड़ा । इस लाठी चार्ज में लगभग 65 लोगों को चोटें आयीं । उनका डाक्टरी मुआइना भी नहीं हो पाया । सवा सौ लोगों का सामान भगदड़ में छूट गया । जो जेल के कर्मचारी थे और जो अभियुक्त थे उन लोगों ने उस सामान को उठा लिया । यह घटना बड़ी गम्भीर है । जेल कर्मचारियों की साजिश से इतनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बड़ी घटना हुई है । इस सिलसिले में भूतपूर्व विधायक श्री अशर्फी लाल यादव ने अधीक्षक जेल को लिखकर एक प्रार्थना-पत्र दिया और इस बात की मांग की कि उनका प्रार्थना-पत्र थाना कोतवाली को रपट लिखने के लिए भेज दिया जाये । इतने दिन हो गए, न कोई जांच हुई और न जख्मी लोगों को आज तक जांच-पड़ताल की गयी । जिन लोगों की घड़ियां, जूते, चप्पल और कपड़े वगैरह रह गए थे, आज तक नहीं मिले हैं । जेल कर्मचारी मस्ती से घूम रहे हैं । इस बात को लेकर पूरे शहर में और सत्याग्रहियों में एक अजीब माहौल पैदा हो गया है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना बहुत ही गम्भीर है । कल इसी सदन में माननीय श्री बदन सिंह के ऊपर लाठी चार्ज का मामला आया था । जेल कर्मचारी मद मस्त हैं । इतनी छूट किसी सरकार में नहीं थी । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें । अगर नहीं करायी जायेगी तो सारे तथ्य सदन में नहीं आ पायेंगे और जांच में दिक्कत पड़ेगी । इसलिए इस सम्बन्ध में घटना की जांच आज ही करायी जाये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आपको कुछ कहना है ।

(मंत्री जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

आप सुनने की कोशिश करें । जैसा कि आपने कहा है इसकी जांच करवा ली जायेगी ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, टांडा, जिला फैजाबाद में 440 मेगावाट क्षमता का एक थर्मल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है । विद्युत परिषद द्वारा उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 14 कंपनियों को ठेका दिया गया है । जिसमें 4 हजार मजदूर कार्यरत हैं । मान्यवर, श्रमिक अधिनियम के मुताबिक इन कम्पनियों के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को न तो मजदूरी दी जा रही है और न अन्य सुविधायें दी जा रही हैं

(व्यवधान)

इस मामले को लेकर वहां पर श्रमिकों में काफी असन्तोष व्याप्त है । जिसके कारण वहां पर श्रमिकों ने अपना एक श्रमिक संगठन बनाने की घोषणा की है । इस संगठन बनाये जाने की घोषणा के बाद प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों का उत्पीड़न किया जाने लगा । वेस्टर्न इंडिया कंपनी भी उस प्रोजेक्ट में काम करती है । इसमें 400 मजदूर कार्यरत हैं । श्रमिकों ने प्रबन्धक को 20-7-1984 को एक मांग-पत्र देकर आग्रह किया । जायज मांगों को मानने का आग्रह किया और जो सुविधायें उनको दी जाने वाली हैं, जैसे उनकी मजदूरी है अन्य देय भुगतान दिये जाने की मांग थी । श्रमिकों से वार्ताकर समझौते हेतु समय मांग परन्तु प्रबन्धकों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इसके पूर्व ही 7-8-1984 को प्रबन्धकों ने श्रमिकों को निकालना शुरू कर दिया। श्रमिकों के विरुद्ध थाने इब्राहीमपुर में फर्जी मुकदमा दायर कराया जिससे पूरी परियोजना में कार्यरत श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त हो गया है । दोनों के विवाद पर उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त के कार्यालय में एक समझौता हुआ और समझौता में श्रमिकों द्वारा कहा गया कि हम इंजीनियरिंग लाइन के हैं उक्त ट्रेड में जो मजदूरी निर्धारित की गई है वह दी जाय । प्रबन्धकों का कहना था कि ये रोडस एण्ड बिल्डिंग्स के अन्तर्गत आते हैं उसके हिसाब से मजदूरी भुगतान किया जायेगा।

प्रबन्धकों से श्रमायुक्त ने इन्जीनियरिंग ट्रेड के मुताबिक मजदूरी हेतु कहा गया उक्त निर्णय को प्रबन्धक ने मानने से इंकार कर दिया। जिसके उपरान्त दिनांक 9-9-1984 को परगनाधिकारी टांडा द्वारा एक बैठक बुलायी गयी। समझौते के पूर्व ही प्रबन्धकों ने वेस्टर्न इंडिया कम्पनी ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी जिससे 4 सौ मजदूर बेकार हो गये और उनको बकाया मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। पूरी परियोजना में असन्तोष का वातावरण बना हुआ है और आक्रोश है। 3/4 दिन के बाद श्रमिकों द्वारा परियोजना का घेराव किया जाने वाला है, पुलिस को साजिश से श्रमिकों पर लाठी चार्ज करने की योजना चल रही है। स्थिति यह हो गई है कि यदि सरकार इसमें कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है तो वहां पर ओबरा जैसी घटना हो जायेगी और मजदूरों को गोली से उड़ा दिया जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और सरकार को श्रमिक अधिनियम के मुताबिक उन्हें जो मजदूरी और अन्य सुविधायें मिलनी चाहिए वह दी जानी चाहिये मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में इंचार्ज मुख्य परियोजना प्रबन्धक हैं वे गुंडई करवा रहे हैं। इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय, मैंने माननीय सदस्यों की बातों को सुना। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विद्युत मंत्री जी के स्तर पर एक बैठक शीघ्र ही मजदूरों के सिलसिले में बुलाई जायेगी और जो भी निर्णय उसमें लिया जायेगा, उस पर कार्यवाही होगी।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मजदूरों की मजदूरी का क्या होगा? प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी है।

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि हम मीटिंग इसके बारे में बुलायेंगे।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

4 हजार मजदूर बेकार हैं। ये एक महीने के बाद मीटिंग करेंगे? तब मजदूर क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इस मामले में शीघ्रता करें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक प्रस्ताव हमारा भी है उसे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहुतों के हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मेरे मामले में व्यवस्था दिला दीजिये वर्ना वहां भी ओबरा जैसी स्थिति हो जायेगी।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में विरोधी दलों के लोगों को सत्ता दल के लोगों के इशारे पर पुलिस द्वारा चुन-चुन कर मारा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री रियाज अहमद के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री रियाज अहमद—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

दो मिनट हमारी बात सुन लीजिये।

(श्री रियाज अहमद मेज पर खड़े हो कर बोलने लगे) ।

श्री मोहन सिंह--

सिर्फ दो मिनट दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

दो-दो मिनट सब को देने होंगे ।

श्री मोहन सिंह--

दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर आप यहां आ जाइये ।

श्री मोहन सिंह--

केवल दो मिनट दे दीजिये । आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे) ।

श्री रियाज अहमद--

हमारी बात सुन लीजिये, जो मैंने नियम 56 में दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियाज अहमद सदन छोड़िये

(व्यवधान)

आप बैठिये, यह गलत तरीका है

(व्यवधान)

इस प्रकार मैं आज्ञा नहीं दूंगा । आप सदन छोड़िये

(व्यवधान)

माननीय रियाज अहमद सदन छोड़िये या बैठिय ।

(व्यवधान)

आप सदन छोड़िये ।

(व्यवधान)

आप बैठिये या फिर सदन छोड़िये । (श्री रियाज अहमद के न बैठने पर) मैं इनको इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना--)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रियाज अहमद को तीन दिन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री रियाज अहमद को तीन दिन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री रियाज अहमद--

मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल इनको बाहर करें ।

(व्यवधान)

(श्री रियाज अहमद के साथ कई सदस्यों के सदन के मध्य आकर व्यवधान उपस्थित करने पर) ।

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 38 मिनट पर सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया । 1 बजकर 53 मिनट पर मार्शल ने सदन के 30 मिनट और स्थगित रहने की सूचना सदन को दी मार्शल ने 2 बजकर 23 मिनट पर सदन को सूचित किया कि सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए श्री अध्यक्ष ने और बढ़ा दिया है । 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई) ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

माननीय गोपीनाथ वर्मा के संबंध में माननीय श्रम मंत्री जी आप कुछ बताना चाहेंगे ।

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, इस संबंध में 21 सितम्बर, को एक बठक में अपने स्तर पर आहूत कर लूंगा और उसमें जो कार्यवाही करनी होगी शीघ्र कर ली जायगी ।

श्री रियाज अहमद का सदन से निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी जिस समय सदन थोड़ी देर के लिए एडजर्न हुआ उसके पहले जो स्थिति यहां पर पैदा हुई वह सबके लिये दुखद है । इस सदन की एक गरिमा है, एक सम्मान है । यहां की जो परम्परा है उसके अनुसार आचरण करना अत्यंन्त महत्वपूर्ण है । हम आज हैं कल नहीं रहेंगे लेकिन हमारा जो व्यवहार और आचरण है और सदन की गरिमा है वह सदा सर्वदा के लिये हमारा मार्गदर्शन करेगी । लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिससे सदस्य ऐसा व्यवहार करने के लिये मजबूर हो जाते हैं जो वांछनीय नहीं समझा जाता । मैं विवाद में नहीं जाना, जो थोड़ी देर पहले परिस्थिति पैदा हुई उस संबंध में मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि एक तो बहुत दिनों के बाद सदन की बैठक हो रही है और 2–3 दिन बाद सदन की बैठक समाप्त हो जायगी, सत्रावसान हो जायगा । इसके बाद कब सदन बुलाया जायगा यह कोई नहीं जानता । हमारे क्षेत्र की बहुत सी समस्यायें हमारे सामने हैं जिनको हम मुखरित करना चाहते हैं । इसलिए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये मैं नहीं कहता कि आप नियम बना दें, आपको इस सदन को चलाने का पूरा-पूरा अधिकार दिया गया है तो विशेष परिस्थितियों में हमें अवसर दे दिया करें जिससे हम सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और अनुशासन बना रहे । तो मेरी पहली प्रार्थना आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि जो घटना घटित हुई वह हो गई । माननीय सदस्य पीलीभीत का जो निलंबन किया गया है, मैं चाहूंगा कि उस प्रस्ताव को आप वापस कर लें और वह सदन में आ जायं क्योंकि सदन 2–3 दिन और चलने वाला है और हम लोगों को बहुत सी बातें यहां रखनी हैं । दूसरी प्रार्थना मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि यह सही है आपकी व्यवस्था भी रही है, हमारे नियमों में भी इस बात का उल्लेख है कि आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर 3 या एक आध अधिक लोगों को सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही की तरफ इशारा करके) आप सदन से बाहर जायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह वह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

शक्ल एक सी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हम सब एक जैसे आपको दिखाई देते हैं यह अच्छी बात है ।

श्री अध्यक्ष—

इसका मुझे खेद है कि मैंने उनको गलत समझा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप नियमों को शिथिल करते हुए डेढ़ या दो दो मिनट प्रत्येक सदस्य को दे दें जिन्होंने कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिससे वह संक्षेप में सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकें। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, आपके आग्रह को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां का वातावरण ठीक से चले इसको आप भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं। अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। उनको इसका अहसास है। मैं उनके प्रस्ताव को मानता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्ताव कीजिए।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रियाज अहमद के निलंबन को वापस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि श्री रियाज अहमद के निलंबन को वापस ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

अगर यह हुआ तो मान्यवर, रोज ऐसा ही होगा।

श्री मोहन सिंह--

हम आभारी होंगे यदि रोज ही यह अवसर माननीय काशीनाथ जी के प्रयास से हमको मिल जाय।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काशी विद्यापीठ इस प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसका निर्माण स्वयं पूज्य बापू महात्मा गांधी ने 1921 में किया था और जिस काशी विद्यापीठ में कुलपति की हैसियत से आचार्य नरेन्द्र देव, बाल कृष्ण केशकर और रघुकुल तिलक जैसे महान पुरुष ने सुशोभित किया और आज उस विद्यापीठ का कुलपति एक मिडिल स्कूल का अध्यापक बना दिया गया। वह मान्यवर, शिक्षा जगत के लिए शर्म की बात है। 56 ऐसे विभाग खोल दिये जिनकी मान्यता न तो विश्वविद्यालय आयोग से है और न उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त है। 20 डिग्री के पाठ्यक्रम और 32 डिप्लोमा के पाठ्यक्रम और इस तरह से 52 ऐसे विभाग खोल दिये गये जिसका कोई आय-व्ययक पिछले डेढ़ वर्षों से वहां के परिषद् और वहां की सभा के सामने रखा नहीं गया। वहां पर इक्जीक्यूटिव कौंसिल की बैठक नहीं होती कोर्ट की बैठक नहीं होती अकेडेमिक कौंसिल की बैठक नहीं होती। जो नये पाठ्यक्रम खोले गये हैं, उसमें उन्होंने ऐसी पुस्तकों को अनिवार्य कर दिया है, जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, जिससे उनकी बिक्री हो सके। तो ऐसी महत्वपूर्ण संस्था जो न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की बल्कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन का केन्द्र थी, आज वह भ्रष्टाचार से एक व्यक्ति विशेष के कारण लुप्त होते चली जा रही है। वहां के कुलपति डाक्टर डी0 एन0 चतुर्वेदी को हटा कर वहां के भ्रष्टाचार के बारे में एक कमीशन मोकर्रर होना चाहिए, ताकि पूज्य बापू की यह संस्था नष्ट होने से बच सके। अगर चर्चा और वक्तव्य इस पर नहीं होगा तो मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन की जो प्रतिमा है वह भ्रष्ट हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री भोला पान्डेय--

माननीय सदस्य मोहन सिंह ने जो काशी विद्यापीठ के संबंध में कहा है, यह गलत है । वहां पर 15 अगस्त, को दो झंडा फहराया गया । वहां पर अराजक तत्व मिल कर गड़बड़ कर रहे हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इनको पार्टी में यह अनुशासन है कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी खड़े हैं और माननीय भोला पान्डेय क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, विद्यापीठ स्वतंत्रता आन्दोलन में ज्योति का काम करता रही है वहां के कुलपति के भ्रष्टाचार से वहां अव्यवस्था फैल गयी है । वह हाई कार्ट का निर्देश नहीं मानता है, गवर्नर की बात नहीं मानता है, सरकार का निर्देश नहीं मानता है यू० जी० सी० का निर्देश नहीं मानता है । वह सबके निर्देश का उल्लंघन करके मनमानी कर रहा है । एक डाक्टर रघुनाथ गिरि हैं उनको विइस चांसलर ने निलंबित किया, गवर्नर ने बहाल किया, उसको कुलपति नहीं मानता है । राज्य सरकार ने मेरिट प्रमोशन स्कीम के संबंध में शिक्षा सचिव द्वारा निर्देश दिया और इस योजना को वह मनमाने ढंग से लागू करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के विपरीत कुलपति ने 37 नये विभागों का गठन कर लिया है । उच्च न्यायालय ने श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव को सेवा समाप्ति के संबंध में स्थगन आदेश दिया उसको भी वह नहीं मान रहा है और 37 विभागों से 26 लाख रुपया शुल्क आदि के रूप में वसूल कर अपने निजी फन्ड में जमा कर लिया है । यू० जी० सी० ने कुलपति द्वारा 37 अस्वीकृत विभागों के प्रारम्भ करने पर विद्यापीठ को अनुदान देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दुर्गति कांग्रेसी कर रहे हैं, उसी प्रकार से काशी विद्यापीठ की दुर्गति इस भ्रष्ट कुलपति के जरिये कराई जा रही है । इसी प्रकार अस्वीकृत विभागों की मान्यता न होने के कारण लगभग 5 हजार छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । कुलपति की मनमानी, भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त हो गया है । अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सबन का कार्य रोक कर चर्चा की अनुमति चाहता हूं ।

इस प्रकार का भ्रष्टाचार विश्व-विद्यालय के अन्दर वह आदमी कर रहा है कि हाईकोर्ट में कोई जाता है, तो वह आदमी हाई कोर्ट के निर्देश की अवज्ञा करता है, चान्सलर निर्देश देता है, तो उसकी अवज्ञा करता है, सरकारी निर्देशों का अवज्ञा करता है । जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की दुर्गति कर दी है उसी प्रकार से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के नाम से बने इस विद्यापीठ की भी दुर्गति करवाना चाहती है । मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस पर अविलम्ब चर्चा स्वीकार करें और बहस की इजाजत दें ताकि तथ्य सामने आ जायं ।

श्री मोहन सिंह --

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री मुख्तार अनीस—

हिम्मत नहीं पड़ रही है ।

श्री लोकपति--

आपकी तरह से दलबदलू नहीं हूं कि चार वर्ष में 4 दल बदले। काशी विद्यापीठ के बारे में मोहन सिंह ने कहा लेकिन उससे कोई नाता गौरी शंकर का नहीं है, वह बलिया के हैं, जहां बिजली पानी से बुझाई जाती है। काशी विद्यापीठ में जो विभाग खुले हैं, जिनकी पढ़ाई हो रही है, झगड़ा इसका नहीं है। झगड़े का विषय यह है कि काशी विद्यापीठ में जब से यह वर्तमान कुलपति आये हैं, दोनों वर्ष की परीक्षायें कायदे से हुई हैं, जिसकी मोहन सिंह को फिक्र नहीं करनी चाहिये। विरोध का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि जो चीज चल रही है, उसको लुढ़का दें। जहां तक काशी विद्यापीठ की गरिमा का सवाल है, वह गरिमा अपनी जगह है। मैं खुद काशी विद्यापीठ का छात्र रहा हूं, जो उसकी गरिमा है वह है। आज जैसा वातावरण है, सदन में माननीय सदस्यों को जिस प्रकार से मत व्यक्त करना चाहिए नहीं हो रहा है। छात्र स्कूल, कालेज और यूनीवर्सिटीज को राजनीति का मुद्दा न बनने दें। जब उत्तर प्रदेश और भारत गुलाम था तब उत्तर प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय चलते थे, चौथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ब्लेकलिस्टेड था। उत्तर प्रदेश का पूरा बजट ढ़ाई करोड़ का था और तब केन्द्रीय सर्विसेज में उत्तर प्रदेश का अंश-दान 39-41 प्रतिशत था। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा का बजट 6 करोड़ का है और आज 23 विश्वविद्यालय चल रहे हैं और केन्द्रीय नौकरियों में हमारा प्रतिशत 1-14 हो गया है। मात्र यही कारण है जो सदन में बैठकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका योगदान उत्तर प्रदेश के नागरिक, छात्र और प्रदेश के विकास में होना चाहिए न की वहां राजनीति खेली जाय। मैं माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव का शुरू से अन्त तक विरोध करता हूं।

श्री मोहन सिंह--

जो बिन्दु मैंने उठाया था उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक कमेटी जांच के लिए आयी थी और उसने अपनी टिप्पणी दी कि 20 डिग्री के पाठ्यक्रम और 32 डिप्लोमा के पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के खोल दिया है, क्या यह सही नहीं है। मैं काशी विद्यापीठ की प्रगति का पक्षधर हूं लेकिन अगर कोई कार्य कानून के विरोध में किया जाय, आज वहां कोई रजिस्टार नहीं है, वित्त अधिकारी नहीं है, अगर किसी मंत्री के आशीर्वाद से, स्नेह से काशी विद्यापीठ को लूट का अड्डा बनाया जाय तो राजनीति है या सही बात कहने से।

श्री लोकपति--

काशी विद्यापीठ को मंत्री का आशीर्वाद है।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

देवरिया में गन्डक नहर के आ जाने से जल-भराव हो गया है। सीपेज हो रहा है। मान्यवर, जलस्तर ऊंचा होने से जो फसल होने वाली थी वह भी नहीं हो पा रही है। मान्यवर, नहरों में पानी नहीं आया और पानी के अभाव में कुछ नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, पहले लम्बे समय तक नहरों में पानी नहीं आया। अप्रैल में पानी नहीं आया, मई में पानी नहीं आया। कहां तो फसल का मुआवजा देते हैं और इतने समय तक नहरों में पानी नहीं आया। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन में चर्चा कराई जाए। इससे ज्यादा महत्व का प्रश्न कोई हो नहीं सकता है। हजारों परिवार और लाखों एकड़ भूमि का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

शंकर सिंह जी, आपको डेढ़ मिनट का समय देता हूं । डेढ़ मिनट में आप बोलें ।

*श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कार्य-स्थगन की सूचना दी है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए माननीय मंत्री जी ने भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि राजनीति में जो अपराधीतत्व घुस आए हैं, विशेष रूप से सत्तादल में हैं, उनकी हमें सफाई करनी है। मान्यवर, उनका खमियाजा विरोधी दल को भुगतना पड़ रहा है । प्रदेश में निर्दोष लोगों की हत्यायें हो रही हैं । मान्यवर, जब से उप चुनाव में यह हारे हैं, तब से सुनियोजित रूप से विरोधी दल के सदस्यों को षड़यन्त्र करके मारा जा रहा है । प्रदेश में ही नहीं मान्यवर, अनेक जगहों पर यह घटनायें हो रही हैं । हमारे कार्यकर्ताओं ने महानिदेशक और मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखकर, सूचित भी किया कि हमारी जान का खतरा है लेकिन फिर भी यह सरकार उनकी सुरक्षा नहीं करती है। मान्यवर, लोकदल किसान सम्मेलन के अखिल भारतीय नेता लखपति सिंह यादव की पहली जून को हत्या हुई, 12 मार्च को मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के लोकदल के अध्यक्ष हैं उन्होंने महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा था, कि उनकी हत्या होने को है । पुलिस इनके खिलाफ है । लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हत्या का प्रयास किया गया । मान्यवर, विपक्षी विधायक स्व0 पन्नालाल गुप्त जी ने तत्कालीन गृह मंत्री जी को पत लिखा कि पुलिस उनकी हत्या की षड़यंत्र बना रही है । इसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा नहीं की गयी । इसी तरह से मान्यवर, फर्रुखाबाद के सदस्य श्री सत्यपाल यादव की हत्या कर दी गयी ।

(शोर)

2 मई को इन्होंने पत्र लिखकर दिया था कि इनकी हत्या करोगा करने जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मसला है । हमारे नेताओं की हत्यायें हो रही हैं और आप समय समाप्त कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । अब मैं नहीं सुनूंगा ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, जालौन में 7-9-84 को लोकदल के अंगद सिंह की....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

(शोर)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, जो विपक्षी सदस्य हैं और 'संजय विचार मंच' के जो विधायक थे उनकी भी यही शिकायत है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आप इसपर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष--

जो नियम 56 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं सभी अस्वीकार की जाती हैं । इनमें श्री रियासत हुसैन और श्री रेवतीरमण सिंह जी की सूचना जिसकी ग्राह्यता पर श्री प्रदीप कुमार यादव ने अपने विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्त किए हैं, को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। श्री गोपीनाथ वर्मा की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। सर्वश्री हरिवंश सहाय और श्री नन्द किशोर सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। श्री कुबेर भण्डारी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है और बाकी की अस्वीकार किया है। श्री शंकर सिंह और श्री किरन पाल सिंह की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। एक शब्द नहीं लिखा जायगा।

(श्री शंकर सिंह, श्री यदुनाथ सिंह और श्री राधेश्याम वर्मा सदन के फ्लोर पर आ गए)।

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी सीट पर जाइये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय मोहन सिंह जी आप इनको समझाइये।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह के प्रयास से श्री शंकर सिंह, श्री यदुनाथ सिंह और श्री राधेश्याम वर्मा अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शंकर सिंह--

पुलिस कर्मियों द्वारा रोज हत्यायें की जा रही हैं, आप इस विषय पर वक्तव्य दिलवाइए।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

माननीय, शंकर सिंह जी ने जो विषय उठाया है, उसके आवश्यक बिन्दुओं की ओर आपका और शासन का ध्यान आकर्षित किया है। लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद भी उनकी सुरक्षा न होकर उनकी हत्यायें कर दी गई। इसलिए लोकदल के साथियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि पुलिस को पूर्व सूचना होने के बावजूद भी पुलिस ने अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं किया। ऐसी स्थिति में उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक है।

माननीय, मेरा निवेदन है कि अब सिर्फ दो दिन का हाउस रह गया है और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप इस पर 17 तारीख को वक्तव्य दिलवा दें और अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें। या फिर कल के लिए आप इसे स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यूं नहीं तो यूं कर लिया जाय। इस प्रकार हर माननीय सदस्य का अधिकार है। इस प्रकार शोर कर अध्यक्ष को मजबूर किया जा रहा है, जो बिलकुल गलत है, परम्परा के खिलाफ है और नियमों के प्रतिकूल है।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

माननीय, पुलिस द्वारा राजनैतिक लोगों की हत्यायें की जा रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय शंकर सिंह जी जो रिकार्ड हुआ है, उसे मैं देख लूंगा पढ़ने के बाद, मैं उस पर अपना निर्णय दूंगा । कृपया आप बैठ जायं ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यह तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पढ़कर आय, यदि आप पढ़कर नहीं आते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, इसमें जो विवाद है और आपको जो कठिनाई हो रही है, वह यह है कि माननीय सदस्यों ने जो नोटिस दिया है, उसकी भाषा ऐसी नहीं है, जिसमें किसी विशिष्ट चीज की ओर इंगित किया गया हो ।

(व्यवधान)

इसलिए इसे लेकर इसमें आप कोई विशिष्ट बिन्दु रख दें, जिसके ऊपर सूचना ली जा सकती हो, इसलिए पुनः संशोधित करके कल आप इसे दे दें ताकि एक चीज बन जाए और उसके ऊपर वक्तव्य दिया जा सके ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, "मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इस प्रदेश में सदैव से दुर्भाग्य रहा है या इसे संयोग कहे कि यहां पर दो तरह के कानून शराब बिक्री के सम्बन्ध में बने रहे ।

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए ।)

एक कानून तो यह रहा कि देशी शराब नीलाम होगी और उसके ठेके नीलाम किये जायेंगे और जो विदेशी शराब है उसके लाइसेन्स दिये जायेंगे । मान्यवर, यह क्यों है, इसको सरकार ने आज तक नहीं बताया कि दो तरह के कानून क्यों बने हुए हैं, तो क्यों ऐसा किया जाता है जब हमने इस सिलसिले में पता लगाया तो यह मालूम हुआ कि देशी शराब गरीब लोग पीते हैं और उसमें मिलावट भी की जाती है, लेकिन जो विदेशी शराब है, उसे सिर्फ महत्वपूर्ण व्यक्ति पीते हैं, इसलिए इसमें मिलावट न होने पावे, अगर इसमें भी मिलावट करेंगे तो महत्वपूर्ण व्यक्ति मरेंगे । तो हमारे प्रदेश का यह कानून है कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी चाहे कितना मरे परन्तु महत्वपूर्ण व्यक्ति न मरने पाये, गरीब लोगों के मरने का इंतजाम तो इन्होंने कर दिया है और दुहाई देते हैं जनतंत्र की और दो कानून इस तरह के चला रहे हैं । उस पर तुर्रा यह कि विदेशी शराब के जो पहले लाइसेंस दिये जाते थे, फिर उनका रिन्यूवल हो जाया करता था लेकिन अब इन्होंने यह कह दिया कि रिन्यूवल नहीं होगा बल्कि नये सिरे से लाइसेंस दिये जायेंगे । इससे साफ स्पष्ट है कि ऐसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है और यहां नहीं जब यह पैसा भी कम पड़ा तो इनको इल्हाम हुआ कि अधिसूचना जारी कर दी जाए जिससे पैसा और अधिक आ जाए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो उसके टैक्स और बढ़ा दिये जो इस प्रकार हैं :—

1—विदेशी शराब लाइसेन्स नं0 1—
5,000 रु0 प्रति वर्ष ।

विदेशी शराब लाइसेन्स नं0 2—
25,000 रु0 प्रति वर्ष ।

विदेशी शराब लाइसेन्स नं0 2-क—
2,500 रु0 प्रति वर्ष ।

विक्रय के आधार पर निर्धारित फीस :—

2—(क) सभी प्रकार की स्प्रिट, वाइन, लिक्योर कार्डियल आदि—5 रु0 प्रति मान्य क्वार्ट बोतल ।

(ख) बियर स्टाउट और अन्य किण्वित शराब—60 पैसे प्रति मान्य क्वार्ट बोतल ।

इस तरह की पाबन्दी आपने लगा दी है तो मेरा इस ओर यह कहना है कि जब आप देशी शराब नीलाम करते हैं तो विदेशी शराब भी नीलाम होनी चाहिए क्योंकि दो कानून इस प्रदेश और देश में न चलने चाहिए और फिर बड़ी मासूमियत से यह सरकार कहती है कि जब हमने उनसे पैसे ले लिये हैं तब उनको लाइसेन्स दिये हैं । इतना सब कुछ होने के बाद इतना पैसा वसूलने के बाद फिर सरकार को एक बार इल्हाम होता है कि पैसा और आना चाहिए । पैसा उन्होंने दिया नहीं, एक अधिसूचना जारी की गयी कि रेट बढ़ा दिये गये हैं इतना पैसा और दे दो । तर्क यह लिया गया कि थोक का लाइसेन्स दिया गया था । मान्यवर, फुटकर बिक्री जो देशी शराब की होती है, फुटकर बिक्री का कानून था नहीं । दो तरह के कानून इस देश में चल रहे हैं । महत्वपूर्ण आदमियों के लिये तो कोई कानून होता नहीं, वे तो कानून से ऊपर होते हैं । ध्यान हुआ कि फुटकर बिक्री पर नहीं लगा सकते हैं तो उसके नाम पर अधिसूचना जारी कर दी गयी कि कुछ पैसा आना चाहिये । इस गलत काम को जो इन्होंने किया है, हाईकोर्ट में उस पर रोक लगायी गयी कि जब लाइसेन्स दिये थे, इसके बाद पीछे से शर्तें नहीं लगा सकते, शर्तें लगेंगी तो वह उसी वक्त लगेंगी । यह अधिसूचना 25 मई को है, इसमें दिया हुआ है । अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय में अवैध घोषित कर दी गयी । सरकार ने बाधित होकर इन लाइसेन्स होल्डर्स से कहलाया कि अधिसूचना को भूतलक्षी बनाना चाहते हैं यह माना जाय कि पहली अप्रैल से चालू थी और पैसा लिया जाय । मान्यवर, अदालत का कोई फैसला होता है, उस फैसले की मान्यता होनी चाहिये ।

मान्यवर, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, या सरकार इस अध्यादेश को वापस लेती या कोई सरकार की ओर से बयान आता विश्वसनीय जो हमें यह आश्वस्त कर दें कि इसमें कोई पक्षपात नहीं है, बेइमानी नहीं है । पर, मान्यवर, कोई इसमें ऐसी बात नहीं दी हुई है । यह जाहिर किया गया है कि हम बेवकूफ हैं, गलती हुई, हमारी गलती माफ कर दी जाय । विभाग ने पहले हिसाब नहीं लगाया, बाद में हिसाब लगाया गया, तो हाई कोर्ट में यह रद्द कर दिया गया । मान्यवर, अब यह जो रहा है इससे प्रकट है कि यह कितनी गलत बात है । अब मैं चाहता हूं कि सरकार इस अध्यादेश को वापस ले ले । हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान में, मुझे तो कोई ऐसा धर्म नहीं मिला, जिसमें शराब जायज हो, शराब कहीं जायज है ही नहीं । लेकिन, चूंकि आपका राज्य है, बहुमत है, इसलिए आप चला रहे हैं । एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप चलाइये, क्योंकि आपका बहुमत है लेकिन इसको चलाने में एकरूपता ला दीजिये । जिस तरह से देशी ठेके नीलाम हों, उसी तरह से अंग्रेजी शराब को भी नीलाम कीजिये । और अगर

यह नहीं कर सकते, तो देशी शराब का लाइसेन्स दीजिये, विदेशी शराब का लाइसेन्स दीजिये, कानून दोनों का एक कर दीजिये । क्योंकि मान्यवर, जो लोग शराब पीने से मरते हैं, वह देशी शराब की वजह से मरते हैं । कभी नहीं सुना गया कि विदेशी शराब पीने से कोई मरा । मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि यह उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको यह सदन मान्यता दे । जो चीज हो गयी, हो गयी । सरकार कहती है हम कानून नहीं बना पाये, देशी शराब की बिक्री का कानून नहीं बना पाये, फिर आपने इतनी जल्दी लाइसेन्स क्यों दे दिये । लाइसेन्स आपने दे दिये, तो फिर उसे भूतलक्षी प्रभाव से अपनी गलती को पूरा करने के लिये दबाव डाल रहे हैं, यह तो अनुचित है ।

मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के सदस्यों का आभारी हूंगा यदि वे उस पर सम्यक् विचार कर पहले कानून इसका बनवा लें, एक चीज तय करा करा लें कि एक-सा कानून चलेगा । अगर यह नहीं होता है तो जैसा कानून चल रहा है चले । अदालत के फैसले को सम्मान देते हुए यह अध्यादेश वापस किया जाना चाहिए । यही हमारी इस सदन के सदस्यों से प्रार्थना है । मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे और सरकार अध्यादेश को वापस ले लेगी ।

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

उत्तर प्रदेश में विदेशी शराब की थोक बिक्री के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1983 के पहले यह प्रणाली थी कि दुकानों का नीलाम किया जाता था और आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार उन लाइसेन्सधारियों से जिनको नीलाम में दिया था, उनसे लाइसेन्स फीस के अलावा निर्धारित फीस उनसे वसूल की जाती थी । कुछ कठिनाइयां शासन ने महसूस की । शासन ने यह निर्णय किया कि इस प्रणाली में परिवर्तन किया जाय और यह निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल, 1983 से ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको 25,000 रु0 लाइसेंस फीस के रूप में और 15,000 रु0 उन्हें जमानत के रूप में जो दाखिल करेंगे उन्हें थोक विक्रेता के रूप में लाइसेंस दिया जायगा । यह व्यवस्था 1 अप्रैल, 1983 से करने का निर्णय लिया गया था । इसके अनुसार जिन लोगों ने 25 हजार रु0 लाइसेंस फीस के रूप में और 15 हजार रु0 जमानत के रूप में जमा किया, उन्हें लाइसेंस दिया गया और जो लाइसेंसधारी थे उनका निबंधन और शर्तों के अनुसार उन्हें लाइसेंस दिया गया । शर्तों के अन्तर्गत जो शर्त नं0 20 है उसमें यह प्राविधान है कि लाइसेंसधारी को जो निर्धारित फीस होगी, उसे भुगतान करना पड़ेगा । उसी के लिए सरकार ने 23 मार्च, 1983 को अधिसूचना जारी की । इसके लिए आवश्यकता पड़ी कि शर्त नं0 20 में जो निर्धारित फीस भुगतान की शर्त है, चूंकि समय कम था, उसके लिए नियम बनाना आवश्यक था । उस समय नियम बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिये 23 मार्च, 1983 को अधिसूचना जारी की गई कि आबकारी अधिनियम की धारा 41 में, जिसके अन्तर्गत नियम बने हुए हैं, उन नियमों की छूट दे दी जाय, उनको शिथिल कर दिया जाय । इसके लिए 23 मार्च, 1983 को अधिसूचना जारी की गई थी और उसी के अनुसार लाइसेन्स दिये जा रहे थे । फिर 25 मई, 1983 को दूसरी अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी की गयी थी कि जो लाइसेन्सी हैं उनके लिये नियत फीस 25 हजार रुपए की देनी पड़ेगी और निर्धारित फीस के रूप

से विदेशी शराब, बियर को छोड़कर, अन्य शराब को 5 रु0 प्रति बोतल की दर पैसे, बियर पर 60 पैसे की दर से निर्धारित फीस देनी पड़ेगी। यह प्राविधान उस अधिसूचना में किया गया था।

इसके अनुसार 25 मई, 1983 के पहले के जितने लाइसेन्सी थे जिन्होंने लाइसेन्स ले लिया था, वास्तविकता यह रही कि तमाम सारे लाइसेन्स इस तिथि के पहले के थे और उन लाइसेन्सधारियों ने इस बात पर आपत्ति की कि हम निर्धारित फीस नहीं देंगे। इसके बारे में 76 लाइसेन्सधारियों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी कि हम 25 मई के पहले के लाइसेन्सधारी हैं, हम यह निर्धारित फीस नहीं देंगे। 25 मई, 1983 को अधिसूचना को तात्कालिक प्रभाव से लागू करने का प्राविधान था परन्तु उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि 25 मई, 1983 के पहले जिनको लाइसेन्स दिया गया है, वे लोग निर्धारित फीस देने के देनदार नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील दायर कर दी गई है।

अधिकांश लोगों को लाइसेन्स जो दिया गया था उनसे निर्धारित शुल्क के रूप में लगभग 3 करोड़ रु0 की वसूली की आशा थी जो लोक राजस्व के रूप में प्रदेश को मिलना था, परन्तु उसके वसूली की सम्भावना नहीं रही। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम की धारा 77 में संशोधन किया जाय कि 25 मई की अधिसूचना को 1 अप्रैल, 1983 के दिनांक से लागू माना जाय जिससे कि निर्धारित शुल्क जो करीब तीन करोड़ रु0 के हैं, राजस्व के रूप में जो प्रदेश को मिलना है, उसकी वसूली हो सके। इस दृष्टि से जबकि सत्र नहीं चल रहा था 20 मई, 1984 को महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यह अध्यादेश लाया गया था और उसी के स्थान पर यह नये विधेयक का माननीय सदन में प्रस्ताव किया गया है जिससे कि धारा 77 में संशोधन करके 25 मई, 1983 की अधिसूचना को 1 अप्रैल, 1983 से ही लागू मान लिया जाय जिससे कि निर्धारित शुल्क की वसूली हो सके और उससे प्रदेश को लाभ होगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

इससे जो वसूली होगी उससे कितना रुपया आयेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी बतलाया तो है।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, इससे करीब 3 करोड़ रुपये के प्राप्ति की आशा है। जिससे कि हम प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में मदद कर सकते हैं और प्रदेश के विकास कार्यों को पूरा कर सकते हैं और उसमें धन देकर अपना योगदान दे सकते हैं। यह जो तीन करोड़ रुपए की वसूली होगी यह लोक राजस्व में आयेगी, इससे प्रदेश के विकास के कार्य होंगे इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह विधेयक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्रदेश के हित में है। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे पारित किया जाये और माननीय सदस्य राम स्वरूप वर्मा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह उसे वापस ले लें, क्योंकि वह इस प्रदेश के हित में नहीं है और शासन की नीतियों के अनुकूल नहीं है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे तथा जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

श्रीमन्, मेरे पहले माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने अननुमोदन के प्रस्ताव पर जो मुख्य बातें थीं, उनको बड़ी मजबूती के साथ सदन में रखा और जो इनकी नीयत है उसको उन्होंने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया और सदन का ध्यान आकृष्ट किया । श्रीमन्, मैं अनुरोध करता हूं और हमारी जनता पार्टी की नीति रही है कि शराब बन्द हो । हिन्दुस्तान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी इस बात का हवाला दिया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं, मादक पेयों का जो इस्तेमाल होता है, उसको धीरे-धीरे समाप्त करें । यह सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों की अवज्ञा कर रही है । इन सब बातों के होते हुए भी वह 5 लाइन का प्रस्ताव लाकर उसको पास कराना चाहती है । यह सरकार जनता को और अधिक शराब पिलाने के फेर में है माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे 3 करोड़ रुपये के राजस्व की आय होगी, आमदनी होगी । माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतना रुपया आ जायेगा तो उससे उत्तर प्रदेश का काफी विकास होगा, उस रुपए को विकास के काम में लगाया जायेगा । मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी अखबारों में निकला था कि कई करोड़ रुपया माननीय मन्त्रियों के कमरों में चमचे और पायेदार आते हैं, उनको चाय पिलाने में खर्च हो गया। तो इतना रुपया चाय पिलाने में खर्च हो गय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप भी जब जाते होंगे तो आपको भी चाय मिलती होगी ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर आपको राजस्व की आय को ही बढ़ाना है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो फुटकर शराब बनते हैं आप उनको लाइसेन्स दे दीजिए तो आपकी आमदनी 30 करोड़ रुपया हो जायेगी । [***] कुछ आदमी गिरफ्तार भी हुये थे, तो अगर आप लाइसेन्स जारी कर दें तो तीन करोड़ की बात आप करते हैं, उससे 30 करोड़ रुपया मिल जायेगा । गांव-गांव में शराब बिकवाना आपकी नीति है और आप लाखों रुपया मद्य-निषेध विभाग पर खर्च कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि आप इस मद्यनिषेध विभाग को बन्द कर दें । गांधी जी के सिद्धांतों को दुहाई देने वाली यह सरकार है, लेकिन वह गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलती नहीं है । आपको गांधी जी के निर्देशों के अनुसार शराब बन्द करने की घोषणा करना चाहिये । राजनैतिक और नैतिक मान्यतायें बनाये रखना चाहिये, अनुशासन कायम रखना चाहिए तथा गांधी जी के सिद्धान्तों के आधार पर शराब बन्द कर देना चाहिये । तो श्रीमन्, अगर आप इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको शराब बन्दी की दिशा में कदम उठाने चाहिये । हाई कोर्ट के निर्देशों की अवज्ञा करना हमारी मान्यता बनती जा रही है । आदमी हाईकोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है । आप उन मान्यताओं को तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए बार-बार इस सदन से इजाजत लेते हैं । अरबों रुपये के खर्चे में तीन करोड़ रुपये कोई माने नहीं रखता है । तीन करोड़ रुपये में कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है । शराब पर टैक्स और लाइसेन्स बढ़ा देने से शराब बनाने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा । जो पांच रुपये की बोतल निकालते थे वे 50 रुपये की बोतल निकालेंगे, उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । लेकिन जो शराब के लाइसेन्सदार हैं, उनकी ओर भी आप देखें । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कल तक छोटे-छोटे ठेकेदार थे, ठेला लगाते थे वे आज एयर कंडीशन्ड कारों में चल रहे हैं और उसका एक मात्र कारण यह है कि इस सरकार के

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विभाग और पुलिस गांवों में खुलेआम शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं ।

माननीय, जब हम कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो मैंने यहीं के एक उदयगंज चौराहे का उदाहरण दिया था । वहां पर एक सीताराम का मन्दिर है और दूसरे दरवाजे पर दारू की दुकान है । उसकी बगल में लड़कियों का स्कूल है और सामने लड़कों का स्कूल है । इस सरकार ने मन्दिरों, मस्जिदों के पास मयखाने खोल रखे हैं । इसलिए जब तक आप सख्ती से इस ओर कदम नहीं उठायेंगे, शराब बन्द होने वाली नहीं है । आपकी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अधिकतर दारुलसफा में रहते है । मैं नहीं जानता कि आप भी वहां रहते हैं या नहीं लेकिन माननीय, अगर आप वहां कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दारुलसफा से पश्चिम की तरफ एक रास्ता निकलता है । माननीय मन्त्री जी ने वहां पर एक दारू की दुकान खुलवा रखी है ताकि माननीय सदस्यों को दूर न जाना पड़े और एकदरवाजे से निकल कर गेट तक जायं और दारू की बोतल लेकर चलें आवें । इसलिए यह सरकार निषेध की तरफ नहीं बल्कि उसे बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है । इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय, मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि माननीय मन्त्री जी ने जो अपनी वकालत की इस अध्यादेश को लागू करने की, वह बहुत ही कमजोर थी । तीन करोड़ रुपये सरकार के पास आ जाय, इसके अलावा सरकार के पास कोई तर्क नहीं है । सरकार तो बाप की तरह है, सब का पोषक है और इसे अपने स्वार्थ में जनता का विदोहन कर रही है तो वह बात नहीं रह जायेगी तर्कपूर्ण बात होती, जनता की भलाई की बात होती तो ठीक होता लेकिन सरकारी खजाने में यह राशि आ जाय, एक-एक दो-दो लाख रुपये को चाय पी जायं, दो-दो लाख का भत्ता बना लें, इस काम के लिए 3 करोड़ रुपये आ जायं, इससे देश की भलाई होने वाली नहीं है । मैं मन्त्री जी से तह अपेक्षा करता था कि वे इस बात के लिए जरूर कहेंगे कि दो प्रकार की जो व्यवस्था है—एक नीलामी की और दूसरी लाइसेन्सदारी की—यह क्यों चल रही है, इसका वे जवाब देंगे तो सदन आश्वस्त हो जाता । इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया । तो माननीय, हम इससे आश्वस्त नहीं हो सकते हैं । किस तरह से इस अध्यादेश का अननुमोदन किया जाय उसका अननुमोदन तो अपने आप माननीय मन्त्री जी ने कर दिया ।

(3 बजकर 45 मिनट)

तो यह उस व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहते हैं । आज रोज अखबारों में देखते हैं कि इतने आदमी देशी शराब पीने से मर गए । क्योंकि उसकी नीलामी बोली जाती है और नीलामी बोलने वाला उस वक्त ऊंची बोल बोल देता है, उसके बाद उसमें मिलावट करता है, जिससे मौतें होती हैं । इस प्रकार जो लोग मरते हैं वे बेजुबान होते हैं उनकी बात अखबारों में आती नहीं है और न यहां सदन में उनकी बात आती है कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई । ब 0 आई0 प 0 लोगों को देशी शराब नहीं मिलती है उनके लिए तो विदेशी शराब के लाइसेन्स दिए जाते हैं । इन्होंने पहले लाइसेन्स दे दिए फिर बीच में पैसा उनसे ले लिया और कुछ लेना चाहते थे, वह नहीं मिला तो जो पुराने लाइसेन्स होल्डर थे, उनको न देकर नये सिरे से लोगों को दे दिया । उनसे भी नहीं पटी तो यह अधिसूचना आ गई और यहां पर तीन करोड़ रुपये की बात कह दी गई । क्योंकि उनसे चुपके से रुपया नहीं मिला । आप हमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसा कोई धर्म बता दें, जिसमें शराब पीना लिखा हो। आप तो पिलाने के आदी हैं आप धर्म का काम करेंगे नहीं अधर्म से काम करेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त--

महर्षि चार्वाक् को पढ़ लीजिए।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया है, वह तो एक दार्शनिक थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप तो चार्वाक् को ही लेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

किसी धर्म की बात बतायें, जिसमें इसे पीने की बात कही गई हो। चार्वाक् ने भी यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्--कहा है मद्यम् पिवेत् नहीं लिखा है।

श्री ब्रह्मदत्त--

मैं वर्मा जी से कहना चाहूंगा कि हर धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है तो उसमें शराब पीने से भी लिखा है :--

पीत्वा पीत्वा, पुनर्पीत्वा यावत् पतति भूतले,

पुनरुत्थाय पुनर्पीत्वा, पुनर्जन्म न भविष्यति।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

दुनियां के कोई धर्म, इसाई, बौद्ध, जैन या दूसरे धर्म किसी में भी शराब पीने को ठीक नहीं बताया है। आज आप डंके की चोट पर लोगों को पिला रहे हैं। रोज जो घटनायें घट रही हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। पैसा कमाने के नाम पर देश को कुरीति की ओर ले जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इसका क्या हक है। अगर आप एक को लाइसेन्स देते हैं तो देशी ठर्रे के लिये भी लाइसेन्स दीजिए। दो तरह के कानून क्यों बनाते हैं? आप जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं तो सब नागरिकों के लिये एकसमान नियम लागू होना चाहिये। मैं आशा करता था मन्त्री जी से कि वह एक जैसी व्यवस्था सब के लिये करेंगे। धर्म से आपका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जनतन्त्र में तो विश्वास करते हैं। यदि जनतन्त्र में विश्वास करते हैं तो सब के लिए एक-सा कानून लागू करिये। सामान्यजन के लिये जो कानून हो वह उन विशिष्ट आदमियों के लिये भी लागू हो, इसके बारे में माननीय मन्त्री जी बतायें। तो वह सदन में नहीं बता पाये। इसलिए आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस अध्यादेश का अननुमोदन करेंगे।

श्री सीताराम निषाद--

माननीय, हमारी सरकार की पिलाने की कतई नीति नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को पीने का शौक रखते हैं तो उसके लिए इंतजाम है। शासन की मद्य-निषेध नीति आज भी लागू है।

माननीय, अवैध शराब बनाने का लाइसेन्स दे दिया जाये इस पर विरोध पक्ष की तरफ से काफी जोर दिया जा रहा है। गलत चीज का इस तरह समर्थन करना विरोध पक्ष की ही हिम्मत हो सकती है, हम सत्ता पक्ष की तरफ से इस अवैध कार्य का समर्थन करना संभव नहीं है। जिस सम्बन्ध में यह संशोधन विधेयक लाया गया है कि धारा 77 आबकारी ऐक्ट संशोधन के सम्बन्ध में कि निर्धारित फीस जो है वह कोई हम नई फीस नहीं लगा रहे हैं बल्कि जो पुराना ऐक्ट है उसमें 1976 में एक अधिसूचना द्वारा यह निर्धारित फीस जो 5 रुपये अंग्रेजी शराब की प्रति बोतल और बियर पर 60 पैसे प्रति बोतल निर्धारित की गई है, यह शुल्क हमारी सरकार आज नहीं निर्धारित कर रही है बल्कि यह इक्साइज मैनुअल की धारा

246 में अवलोकन करें तो उसमें पहले से ही यह निर्धारित किया गया है और वही वसूल हो रही है, कोई क्या भार लाइसेन्सधारियों पर नहीं लगाया जा रहा है जिसके लिये श्री रामस्वरूप वर्मा जी, जो लाइसेन्सधारी पूंजीपति ठेकेदार हैं, उनके लिए चिन्तित हैं बल्कि यह पहले से 1976 से था। इस सम्बन्ध में सम्मानित विपक्षी सदस्य चिन्तित हैं, तो 1977 में उन्हें भी सरकार में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में नहीं सोचा कि पूंजीपति ठीकेदार जिनके लिए वह चिन्तित और समर्थक हैं वह चाहते तो इक्साइज मैनुअल की धारा 246 में संशोधन कर सकते थे जिसमें यह फीस निर्धारित है और वह चाहते तो इसे मुक्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का इसमें संशोधन नहीं किया था और वही 1976 का नोटीफिकेशन एमेंड होकर इक्साइज मैनुअल में आज भी मौजूद है। यह 23 मार्च, 1983 की अधिसूचना में रह गया था उसे 25 मई, 1983 की अधिसूचना में लागू किया गया है, कोई नई चीज उसमें जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय, एक स्पष्टीकरण मन्त्री जी से चाहता हूं कि पहले जब लाइसेन्स दिये तो 23 मार्च, 1983 की अधिसूचना में कहा गया था कि लाइसेन्सधारियों को मुक्त करने की बात कही गई थी और बाद में 25 मई, 1983 को अधिसूचना हुई कि निर्धारित फीस लेंगे। यह तो जो नई सूचना है, यह कहां से आपको इल्हाम हुआ। जब लाइसेन्स दिया था तब इसे आपने क्यों नहीं दिया था, जब ऐक्ट में मौजूद था ?

श्री सीताराम निषाद—

जो अनुबन्ध और शर्तें हैं, पहले से ही उसका प्राविधान था तथा वही शर्तें आज भी हैं और उसी के अनुसार लाइसेन्स दिया जाता है और उसी में यह निहित है। माननीय, वर्मा जी ने दो तरीके की नीतियां यहां पर चलाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। वह चाहते हैं कि जिस तरह से विदेशी शराब के लाइसेन्स देने की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से देशी शराब के बारे में भी उसका ठेका नीलाम न करके उसका लाइसेन्स दे दिया जाये। इसके बारे में माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं। अभी तक शासन की जो नीति निर्धारित हुई थी, उसके अनुसार ही यह वर्तमान व्यवस्था चल रही है और उसमें भी जिनको नीलाम में लोग लेते हैं, नीलाम की जो धनराशि वह देते हैं; उसे लाइसेन्स फीस के रूप में ही जमा किया जाता है। उसे लाइसेन्स फीस ही कहा जाता है। इसमें पिछले साल 1983-84 में 212 करोड़ रुपया इस प्रदेश को प्राप्त हुआ था और चालू वर्ष 1984-85 में आबकारी विभाग से 216 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। जो इस प्रदेश के संसाधन हैं, आमदनी के साधन हैं, उसमें यह दूसरे नम्बर पर आता है इतनी बड़ी धनराशि इस विभाग से प्राप्त हो रही है जिससे इस प्रदेश की योजनायें पूरी हो सकें और कार्य पूरे हो सकें। उसी में इसको लगाया जा रहा है।

माननीय सदस्य बलिया अवैध शराब के धन्धे को लाइसेन्स दिये जाने के पक्ष में हैं और उन्होंने इस पर बल दिया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह के एक जागरूक विधायक ने, माननीय रेवतीरमण सिंह जी को गवाही में पेश करते हुये इस पर बल दिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अवैध शराब का कहीं निर्माण नहीं होता है। यह जरूर है कि जब मैं इलाहाबाद के चुनाव में गया था, जहां से रेवतीरमण जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके क्षेत्र के लोगों ने हमको यह जरूर बताया था [× × ×]

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में या मेरा कोई सम्बन्धी शराब नहीं बनता है, और न मैं पीता हूं, मेरे यहां किसी प्रकार का शराब बनाया जाता है। इसके साथ में सदन से अनुरोध करूंगा कि यह जो विधेयक है, स्वीकार करने योग्य है उसे पारित किया जाय। इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समय ही बर्बाद होगा। आशा है यह सदन इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास करेगा। और मैं संकल्प तथा विरोध पक्ष को प्रवर समिति को भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह--

अभी सीताराम निषाद, जो आबकारी राज्य मन्त्री हैं, ने मुझ पर कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किया है। इसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि इनमें दमखम हो, तो आपके निर्देशन में एक कमेटी बना दी जाए, जो इस सारे मामले-आक्षेपों की जांच कर ले। अगर मेरे खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो सीताराम निषाद दे दें। मैं तो इस पर बोल भी नहीं रहा हूं। इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने से...

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, व्यक्तिगत आरोप निकाल दिये जायेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह--

मैं चुनौती देता हूं, उनमें हिम्मत हो तो आप एक कमेटी बना दें।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, एक मेरा अनुरोध है। अभी माननीय मन्त्री जी के बोलने से पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि माननीय मन्त्री जी के क्षेत्र में अवैध शराब बनती है। मेरा ख्याल है उनको भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद माननीय मन्त्री जी ने कहा, तो दोनों अंशों को आप कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता—

इन दोनों अंशों को निकाल दिया जायगा।

माननीय वर्मा जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं।

(श्री राम स्वरूप वर्मा ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त समझा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, 1910 की धारा 77 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 77 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खन्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में या किसी संविदा, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3842-ई/तेरह--512-83, दिनांक 25 मई, 1983, पहली अप्रैल, 1983 को और उसी दिनांक से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायेगी ।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड–2, खंड–3 खंड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री जी काफी अनुभवी व्यक्ति हैं । लेकिन जो विधेयक उन्होंने पेश किया है वह बहुत निराशाजनक है । मान्यवर, इसमें देखें । उद्देश्य और कारण में लिखा है कि व्यापारियों द्वारा प्रतिभूति जमा करने की व्यवस्था करना जिससे ऐक्ट के अधीन देय या देय योग्य कर, अर्थ–दंड या अन्य धनराशियों की समुचित वसूली हो सके ।"

तो मान्यवर, यह कैसे मालूम पड़ेगा की कि किसके ऊपर मुकदमा होगा और कितना दंड लगाया जायगा, इसलिये प्रतिभूति जमा कराना व्यर्थ की बात है ।

पहला एतराज हमारा प्रतिभूति यानी जमानत पर है, जमानत किस बात के लिए देना चाहिए, जब व्यापारी आपके यहां लाखों रुपया टैक्स देता है और वह वसूल किया जाता है, तो फिर अगर उस पर कोई दन्ड लगता है, तो उसे वसूल करने के लिए जमानत की क्या जरूरत है ? अगर आज इस सिद्धान्त को हम मान लें, तो हम सबको जमानत देनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं हममें से कौन जुर्म हो जाय और उसके लिए जमानत पहले से देनी पड़े । इसके लिए कोई सदन का सदस्य तैयार नहीं होगा तो फिर व्यपारियों को क्यों मजबूर किया जाय ? यह कुत्सित भावना को छिपाने का दुष्प्रयास है, छिपता तो नहीं, पर छिपाने की कोशिश है । इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी ही नहीं चाहिए । इसीलिए सारे व्यापारियों ने इसका विरोध किया था और बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, भले ही उनकी संख्या कम रही हो, पर उनके आंदोलन में तर्क था । जब रेवन्यू की तरह टैक्स और अर्थ दन्ड वसूल होते हैं, तो उसके लिए जमानत जमा कराने की जरूरत क्या है ? अतः यह सर्वथा अनुचित, अवांछनीय और अनैतिक है । इससे स्पष्ट है कि सदन इसको पास नहीं करेगा ।

मान्यवर, दूसरी आपत्ति हमारी यह है कि नई औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बिक्री कर की छूट देने या उसकी दर में कमी करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करना भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को छूट देना है । यदि आप छूट देना चाहते हैं, तो 7 वर्ष की दे दीजिए,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जितने सालों की छूट देना चाहते हैं, उतने सालों की छूट दे दीजिए, ताकि औद्योगिक इकाइयों को मालूम रहे कि कानून के तहत इतने दिन की छूट है। अब यह अधिकार सरकार लेने जा रही है। जो सरकार को रिश्वत देगा, चुनाव के लिए चन्दा देगा, उसको छूट दे दी जायगी या दर में कमी कर दी जायगी। जो नहीं देगा, उसे छूट भी नहीं मिलेगी और न दर में कमी होगी। यह शक्ति देना सरकार को भ्रष्ट करना होगा और उस पर पूंजीपति का आरोप निश्चित रूप से लगेगा। अतः इस आदरणीय सदन के सदस्यगण को ऐसी शक्ति सरकार को देने के लिए कभी राजी नहीं होना चाहिए।

तीसरी आपत्ति यह है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों द्वारा, जिनके पास उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गयी पात्रता का प्रमाणपत्र हो, देयों का भुगतान का दिनांक बढ़ाने के लिए या उसके भुगतान के लिए अधि-स्थान स्वीकृत करने के लिए और तत्पश्चात देयों का किस्तों में भुगतान करने के लिए अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को प्राधिकृत करना अनुचित होगा, जिसकी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है यह सर्वथा अनुचित और अनैतिक है। इससे घूसखोरी पनपेगी और सरकार बदनाम हो जायगी। ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें सरकार को वीटो चूज का अधिकार रहे, सरकार को भ्रष्ट कर सकती है। अतः कानून का ऐसा अधिकार सरकार को नहीं लेना चाहिए, जो प्रस्तुत अध्यादेश में लिया गया है।

चौथा एतराज यह है कि इस अध्यादेश में व्यवस्था है कि ऐसे वर्ग के निर्माताओं के मामले में जिनका वार्षिक विक्रय धन 5 लाख रुपये से अधिक न हो, विस्तृत लेखा रखने की आवश्यकता को शिथिल करने के लिए बिक्री कर कमिश्नर को शक्ति प्रदान करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि यह घूसखोरी और पूंजीपति के अलावा मनमानी को बढ़ावा देगा। अतः ऐसी शक्ति कभी कमिश्नर को नहीं दी जानी चाहिए। यदि आपको कुछ करना है, तो स्पष्ट व्यवस्था कीजिए कि 5 लाख तक की बिक्री वाले व्यापारियों को विस्तृत लेखा रखने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था ऐक्ट में साफ कर देनी चाहिए। कमिश्नर को शिथिल करना या न शिथिल करने का अधिकार नहीं देना चाहिए, ताकि व्यापारी निश्चिन्त रहें कि उन्हें कानून के अनुसार क्या करना है, वह कमिश्नर की इच्छा पर न रखे जायं।

मान्यवर यह शक्ति देने से सरकार बदनाम हो जायेगी, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो। जो सरकार का मापदण्ड है कम से कम वह ठीक रहे। इसलिये पहला एतराज तो हमारा यह है। दूसरा ऐसी औद्योगिक इकाइयों द्वारा जिनके पास उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया पात्रता का प्रमाण-पत्र हो, देयों के भुगतान का दिनांक बढ़ाने के लिये या उसके भुगतान के लिये अधिस्थगन स्वीकृत करने के लिये और तत्पश्चात देयों का किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने के लिये राज्य सरकार को प्राधिकृत करना। कोई नियम नहीं है जिससे यह पता लगे कि व्यापारी किस नियम के तहत शासित हैं। किस नियम के अन्तर्गत बिक्री-कर दे रहा है, वह भी कोई नियम नहीं है। जिसके पास उद्योग निदेशक का प्रमाण-पत्र होगा, उसके बारे में सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि सरकार किसके ऊपर टैक्स लगाये, किसके ऊपर न लगाये। छूट देनी है तो दीजिये नहीं देनी है तो न दीजिये लेकिन इस अधिकार को सरकार के हाथ में देना कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि अव्यवस्था की हद है। जनता को यह मालूम न पड़े कि कानून क्या है। कानून मंत्री की इच्छा पर निर्भर हो जायेगा तो मंत्री के जो निकट होंगे, कुलीन होंगे, जो भाई भतीजावाद और जातिवाद इससे पनपेगी और इससे सरकार बदनाम हो जायेगी। इसलिये कानून साफ होना चाहिये।

इस प्रकार से घूस और रिश्वत-खोरी बढ़ेगी । शासन द्वारा टैक्स प्रणाली साफ बननी चाहिये किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करना चाहिये । इस प्रकार शक्ति किसी के हाथ में देने से भ्रष्टाचार के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा आप आइटम नम्बर 7 देखें । ऐसे वर्ग के निर्माताओं के मामले में जिनका वार्षिक विक्रय-धन पांच लाख रुपये से अधिक न हो विस्तृत लेखा रखने की आवश्यकता को शिथिल करने के लिये बिक्री-कर कमिश्नर को शक्ति प्रदान की जा रही है । फिर बिक्री-कर कमिश्नर को शक्ति मिल गई । 5 लाख तक बिक्री करने वालों को लेखा रखने में शिथिलता देनी है तो कमिश्नर को आप क्यों अधिकार दे रहे हैं । ऐसे लोगों का आप एक फ्लेट रेट तय कर दें कि इतना टैक्स दें । यह अधिकार कमिश्नर को देना उचित नहीं है । इससे पक्षपात होगा । वह अपनी इच्छानुसार मनमानी करेगा । हम सरकार के हाथ ऐसी चीजों के बारे में अधिकार सौंपते हैं, जहां कोई चीज तय न हो । यह तो तय है 5 लाख तक छूट देनी है । सरकार अगर देना चाहती है तो छूट दे, नहीं देना चाहती है तो न दे । लेकिन कमिश्नर को यह अधिकार देकर, उसकी मनमानी की हैसियत नहीं होनी चाहिये । सारी शक्ति राज्य सरकार में आना, कानून और न्यायालय कोई चीज नहीं है, इससे मंत्री जी सरकार बदनाम होगी ।

मैं भी वित्त मंत्री रहा इस सूबे का 9 महीने तक मैंने एक भी किश्त नहीं दी । इसका तर्क साफ है । तर्क यह है कि बिक्री-कर व्यापारी वसूल लेता है और वह उसका न्यास बन जाता है । बिक्री-कर इनकम टैक्स नहीं है कि घाटा हो गया है तो अगले साल एडजेस्ट हो जायेगा । बिक्री-कर तो व्यापारी वसूल करता है और तीन महीने पर जमा करता है । चूंकि उसको सूद नहीं देना पड़ता है और तीन महीने तक वह उसका उपयोग करता है, यह उसके परिश्रम का यही उसको फायदा है । जब व्यापारी बिक्री-कर वसूल कर लेता है तो फिर किश्त किस बात की । टाटा बिड़ला जैसे बड़े-बड़े व्यापारी जो इस देश के हैं उनको अगर बिक्री-कर की किस्त दे दी जाय तो बैंक से पैसा निकालने की जरूरत नहीं होगी । तो सरकारी धन जो बिक्री-कर का वसूल करते हैं वह लगा लेते हैं और रुपया उनके पास रह जाता है और सरकार रिश्वत ले लेती है । यह जो किश्तों की बात है यह सही नहीं है । जो इनकी नीति है यह दुविधा की नीति है । इसमें सारी बातें दुविधा वाली हैं । मान्यवर, यह तो साधी सी बात है इसलिए मैंने कभी स्टे और इन्सटालमेन्ट नहीं दिया । इन दोनों कामों को रोके रखा था । क्योंकि यह दोनों काम होंगे तो सरकार को रिश्वत मिलेगी ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने कहा कि यह इसलिए किया जाता है कि रिश्वत मिले । माननीय वर्मा जी स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनका यह व्यक्तिगत अनुभव है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा -

मान्यवर, मैंने नौ महीने के शासनकाल में कोई इन्सटालमेन्ट नहीं दिया । आप इसे यहां अदर्श कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके दल में बेईमानी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध

करता हूं और मैं चाहता हूं इस अध्यादेश का अननुमोदन होना चाहिए ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ एतराज किए हैं माननीय सदस्य इस प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि जो यह एतराज हैं यह सब आशंका पर आधारित हैं । सबसे पहले जमानत पर कहा गया है । हमने जमानत की राशि उनसे मांगी । मान्यवर, बिक्री-कर 10 लाख से ऊपर है लेकिन आज तक उन लोगों में से एक आदमी ने यह नहीं कहा कि हमें इसमें परेशानी है । दूसरा एतराज यह है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी आप पहले प्रस्ताव पेश कर दें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाए ।

मान्यवर, दूसरा एतराज इन्होंने कहा कि पक्षपात करना चाह रहे हैं । मान्यवर, मेरा अभिप्राय यह है इसमें कोई किसी

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

चीज की कमी बताकर कारखाना लगाना चाहता है तो हम कहते हैं कि छूट नहीं है । हमारे प्रदेश में बहुत जगह कारखाने हैं और बहुत जगह नहीं है । कई जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं । इसी में माननीय सदस्य का जिला कानपुर देहात भी है । वहां कोई औद्योगिक कारखाना नहीं है । अगर हम कहें कि हम छूट या अनुदान या मदद देंगे तो प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिये कहा जा सकता है । आपने उसके बाद कहा कि सरकार की पूरी शक्ति अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये । सरकार एक यंत्र है । वह कानून के जरिये से अपना काम करती है । उस पर अदालत का नियंत्रण रहता है । यह एक सामान्य प्रक्रिया है । इसके बारे में 1983 में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, उसी के स्थान पर यह विधेयक आया है ।

मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के संसाधन बढ़ाने वाला है, पिछड़े इलाकों में उद्योगों को बढ़ाने वाला है और छोटे व्यापारियों को, जो हिसाब-किताब के लिये एकाउन्टेन्ट नहीं रख सकते, उनको राहत देने वाला है । किश्तों की बात पर उन्होंने कहा है, बहुत से छोटे केस आते हैं, आदमी की स्थिति बदल जाती है, लेकिन उसको छूट नहीं दे सकते । यह व्यवस्था होनी चाहिये कि किश्तें होनी चाहिये । बहुत से विधायक किश्तों के लिये संस्तुति करते हैं । बहुतों की किश्तें बंधने की हैं । हो सकता है कि माननीय सदस्य को कोई कटु अनुभव रहा हो । हमको आज तक किसी ने पैसे के लिये नहीं कहा । इसका कोई प्रश्न नहीं है । हां, थोड़ा ध्यान हमको जरूर देना है । अफसरों को 12 किश्तों तक करने के लिये और राज्य सरकार को 24 किश्तों तक करने का अधिकार दिया गया है । किसी व्यक्ति विशेष को यह अधिकार नहीं दिया गया है । राज्य सरकार के माध्यम से ही दिया गया है । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रखा है, उसको वापस ले लें ।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

श्रीमन्, बहुत सारी बातें माननीय वर्मा जी ने कहीं । एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई नियम बनता है और किसी अधिकारी को विवेक का अधिकार दे दिया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना बढ़ जाती है कि उसका विवेक पैसे के आधार पर घट बढ़

सकता है। चुनाव का वर्ष है अतः चुनाव लड़ने के लिये जरूर व्यापारियों से रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये 2-3 ऐसे खाने छोड़ दिये गये हैं ताकि आवश्यकता के समय पैसा वसूल कर लिया जाय। मैं एक कहानी कहना चाहता हूं कि एक राज्य में, एक डिपार्टमेन्ट में एक मुंशी था जो गड़बड़ कर रहा था। जब शिकायत हुई तो राजा ने कहा कि गड़बड़ी वाले डिपार्टमेंट से उसको हटा कर समुद्र के किनारे लहरें गिनने पर लगा दिया जाय। वह समुद्र के किनारे लहरें गिनने लगा और जो जहाज आता उसको दूर से ही रोक कर कहता कि मैं अपनी ड्यूटी पर हूं और लहरें गिन रहा हूं, इसलिये वहीं खड़े रहो। जब जहाज वाले कुछ पैसा दे देते थे तो वह कहता था कि जाइये मैं बाद में लहरें टोटल कर लूंगा। इस विधेयक को देखकर लगता है कि मंत्री जी वही डिपार्टमेंट के मुंशी हो गये हैं और आपके अधिकारी बिक्री-कर के नाम पर लहरें गिनने का काम कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके लिये तमाम व्यापार मण्डल समय-समय पर आन्दोलन चालता रहा है।

मुझे पक्की जानकारी है कि बिक्री कर को समाप्त करने के लिए शायद मंत्री जी ने और भारत सरकार के वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया था। अखबारों में भी हमने इसे पढ़ा। श्री राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि बिक्री कर बड़ा अनुचित है, इसको हम खत्म करने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि व्यापारी कोई सरकार के नौकर तो नहीं हैं, वे जनता से पैसा वसूल करते हैं, और उसको आपके यहां जमा करते हैं। आपने कहा कि "10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण करेंगे।" यदि उद्ग्रहण का अर्थ वसूल करना है। जबकि आज तक यह परम्परा रही थी कि जिसका जैसा वित्तीय माडल होगा, उसी के हिसाब से उससे टैक्स लिया जायेगा। इस बिक्री-कर के नाम पर आपने एक और कर लगा दिया, जिसमें आपने कहा कि 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण करेंगे। इससे तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आपने व्यापारियों को जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के विपरीत यह है।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि व्यापारियों से प्रतिभूति जमा करने की व्यवस्था। इस सन्दर्भ में जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा कि जब आप लाइसेन्स देते हैं, तो जमानत करवा लेते हैं, परन्तु अब आप उसमें एक तीसरी व्यवस्था करने जा रहे हैं, वह यह है कि उस लाइसेन्स की फीस की जगह पर आप पूरा पैसा उससे जमा करवा लेंगे। यदि किसी ने पैसा विलम्ब से दिया तो, उसकी जमानत की धनराशि में से आप उसे वसूल कर लेंगे। यह बिलकुल गलत है। आपने उनसे बाण्ड भरवा लें, किन्तु उन्हें हर स्तर पर बांधा न जाय।

मान्यवर, तीसरी बात कही गई है नये औद्योगिक उत्पादन को प्रारम्भ करने की। इसमें आपने कहा है कि "नये औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन करने के दिनांक से 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए व्यापार की छूट देने या उसकी दर को कम करने के लिए।" मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप औद्योगीकरण को वर्गीकृत करने का कष्ट करें। आप यह छूट किसे देना चाहते हैं। कुटीर उद्योगों को देना चाहते हैं, मझोले उद्योगों को देना चाहते हैं या फिर बड़े उद्योगों जैसे टाटा और बिड़ला आदि जैसे बड़े व्यापारियों को देना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी, जो पूंजीपतियों से बात करते थे टाटा और बिड़ला जैसे व्यापारियों से कहा कि हमारे स्टेट में आइये और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। हमें आपत्ति सिर्फ इस पर है, जो आपने लिखा है उनकी दर कम

करेंगे या छूट देंगे । इसे आप स्पष्ट कर दें । यदि आप को छूट मझोले व लघु उद्योगों को देनी है, तो वह लिखिये और यदि आप बड़े व्यापारियों को यह छूट देना चाहते हैं तो हैवी इन्डस्ट्रीज लिखिये । जिससे आगामी चुनावों में आप करोड़ों रुपए उनसे ले सकें ।

मान्यवर, चौथी बात इसमें कही गयी है "कमिश्नर को ज्यादा पावर देने की । "इसमें लिखा गया है" ऐसे वर्ग के निर्माताओं के मामले में, जिनका वार्षिक विक्रय घन 5 लाख रुपये से अधिक न हो, विस्तृत लेखा.जोखा रखने की आवश्यकता को शिथिल करने के लिए विक्रय कमिश्नर को शक्ति प्रदान करना ।" आपने कमिश्नर को अधिक शक्तियां दे दी छूट की । मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 आदि व मंत्री की सिफारिश पर या धनसम्बन्धी भ्रष्टाचार के कारण वह तय करेगा कि इसको कितनी छूट देनी है और कितनी नहीं देनी है । साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह भी स्पष्ट करें कि यदि 5 लाख रु0 से बिक्री कम होगी तो इतना-इतना रु0 आप छूट देंगे । विवेक के आधार पर फैसला लेने के लिए अधिकार नीचे के किसी अधिकारी को नहीं देने चाहिए। अब मैं दूसरी बात की ओर कुछ कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि बिक्री कर के सम्बन्ध में जब आपका पैसा किसी के ऊपर बाकी होता है तो उसके वसूलने के लिए आपने पूरी मशीनरी तैयार कर रखी है और उससे वसूल भी लेते हैं लेकिन जब आपके ऊपर किसी का पैसा बाकी हो तो उसके लिए यहां आप विधेयक लाना चाहते हैं कि वह आसानी से पैसा वसूल न कर सके इसकी अनुमति आप यहां चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, नियत आपकी साफ होनी चाहिए और ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि आपके ऊपर यदि किसी का बकाया हो तो वह भी उसी आसानी से पैसा पा जाए जिस तरह आप दूसरों से वसूल लेते हैं ।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि बिक्री कर का मामला प्रदेश में एक चुनाव का मुद्दा बन गया है । कोई दल अगर चुनाव से पहले यह कहता है कि हमारी सरकार यदि बन गयी तो हम बिक्री कर हटा देंगे तो इस मामले में सरकार को साफ राय बन लेनी चाहिए । इस विषय में क्या करना है, बिक्री कर को खत्म करना है या इसकी जगह कुछ और करना है बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन टैक्स का नाम देना है । यह तो प्रदेश का व्यापारी स्वयं जानता है कि बिक्री कर हटाया नहीं जा सकता है, यह है कि इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टैक्स का दे दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार को राजस्व की भी आवश्यकता होती है और अगर यह व्यवस्था खत्म कर दी गयी तो टैक्स मुद्रा कहां से आयेगा । लेकिन इसको दूसरा रूप देने के लिए माननीय मंत्रिगण की बैठक हुई, किसी उच्च नेता के राय के अनुसार यह तय हुआ कि अब यह बिक्री कर नहीं हटाया जा सकता । यह इसलिए किय गया कि जब केन्द्र सरकार के सामने ऐसी कोई बात आए तो वह यह आसानी से कह सके कि हम क्या करें, हम तो करना चाहते थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेन्ट नहीं करना चाहती है । इसलिए मैं अपना वायदा पूरा नहीं कर सकता । तो इस तरह वायदा करना और वायदा करके मुकर जाना ठीक नहीं है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जैसा कि अभी श्री गौरी शंकर भइया ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बिक्री कर संशोधन विधेयक में जो आया है जिसको देखने से प्रतीत होता है कि बिक्री कर वसूलने की जो प्रक्रिया है, इसको जटिलता से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारा व्यापारी आज परेशान है और दूसरी जटिलता यह है कि सत्तारूढ़ दल ने जब पिछला चुनाव था, तब बिक्री कर समाप्त करने की इन्होंने घोषणा की थी और इसके बाद भी इनके नेताओं ने समय-समय पर इसकी घोषणाएं की । लेकिन अब सारे वायदे समाप्त हो गये, बिक्री कर समाप्त करने की बात तो समाप्त हो ही गयी, बिक्री कर में सरलीकरण करने की जो बात थी उसमें भी अवरोध पैदा कर दिया गया है । हालांकि व्यापारी भी इस बात को समझता है जैसा कि गौरी शंकर भैया ने भी यही कहा कि व्यापारी यह बात अच्छी तरह समझता है कि बिक्री कर समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी राजस्व की आवश्यकता होती है, परन्तु बिक्रीकर वसूली की जो जटिलता है, उसको समाप्त नहीं कर सकती है तो कम से कम सरलीकरण तो कर ही सकती है । इस सिलसिले में मैं कमलापति त्रिपाठी कमेटी की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें यह कहा गया कि इस रिपोर्ट का इम्प्लीमेन्ट किया जायेगा, लेकिन आज तक वह भी नहीं किया जा सका अब इसमें दो आदमियों की जमानत पर विरोध किया गया है, इस सिलसिले में एक तर्क देना चाहता हूं कि जिस समय वह इसका लाइसेन्स लेते हैं, उसी समय सिक्योरिटी भी ले लेते हैं, इसलिए जमानत के लिए उससे दुबारा टैक्स लेने की जरूरत नहीं है । इसके पीछे जो साजिश है, केवल बहाना यही है कि टैक्स डिपाजिट हो, वह भी एक कर हो जाय । जब इयूरटी दे दी, उसका अर्थ दन्ड हो जायेगा, बकाया हो जायेगा तो बकाया वसूल किया जाय । तो, उसके बाद दोबारा करने की क्या चेष्टा है । उसके ऊपर आपने कहा कि जो पैसा जमा करेगा उसके पैसे के बदले में उसे इन्टरेस्ट मिलेगा । सरकार ने इसमें व्यवस्था की कि जो डाकघर में इन्टरेस्ट मिलता है, देंगे । अगर आपका पैसा होगा, तो आप हमसे 18 प्रतिशत इन्टरेस्ट लेंगे । लेकिन, देते कितना है यह देखने वाली बात है । तो इसमें एक इस एनामिली पर भी विचार करना है प्रवर समिति में, ताकि इसको ठीक करने का प्रयास किया जाय । एक व्यवस्था सरकार की ओर से गयी है कि जो निगम हैं, जो सरकारी संस्था हैं, उनको बिक्रीकर सेक्शन दे देने का प्राविधान आपने किया है ।

मान्यवर, यह सब जानते हैं कि अपनी कुव्यवस्था और कुप्रबन्ध के कारण निगम घाटे में चलते हैं । इस तरह से उनको आप एक मौका देने जा रहे हैं बिक्री कर से छूट देकर बने रहने का इसमें आपने कुछ नये उद्योगों को छूट की बात कही है । यह अच्छा है, सिद्धान्त में इसे स्वीकार करता हूं । लेकिन, जहां तक उसके व्यवहार पक्ष का सवाल है, उसमें थोड़ी कठिनाई आने वाली है । मैं समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसमें कहा गया कि नयी फैक्ट्री लगायी जाय, वहां पर नयी मशीन आ जायं । लेकिन, यह वहां भी लग सकती है जहां पुरानी हैं । मान्यवर, मैं सीतापुर से निर्वाचित हो कर आता हूं । सीतापुर में तेल की ईकाई डेढ़-दो सौ थीं, लेकिन वह उद्योग नष्ट हो गया । अब आपने कहा कि नये उद्योग बनायेंगे । अब मान लें कि कोई ऐसा व्यापारी है, बड़ा उद्योगपति है जो खुद पैसा लगाकर फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसको कम्पटीशन में लाभ होने लगेगा, और जो वहां पर पेराने लगे हैं, उनको दिक्कत हो जायेगी । ऐसी कोई परिभाषा बना दें जिससे उन सभी नये उद्योगों को फायदा हो । नहीं तो यह हो जायेगा कि एक सिचुरेशन प्वाईंट पर कोई उद्योगपति उद्योग लगा देगा, नयी मशीन लगा देगा और उसके बगल में स्थापित दूसरे उद्योग को दिक्कत हो जायेगी । इस पर भी सोचने की जरूरत है ।

मान्यवर, इसमें सेल्फ ऐसेसमेन्ट स्कीम की चर्चा की गयी है । जनता पार्टी की सरकार में यह सेल्फ ऐससमेन्ट स्कीम की गयी थी । मान्यवर,

मैंने इसकी बाबत विधान सभा में सवाल भी किया था। मान्यवर, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेल्फ एसेसमेंट स्कीम की क्या प्रक्रिया है कि सरकारी अधिकारी खुद दुकान पर जायेंगे और वहां बैठ कर एसेसमेंट करेंगे। एक उदाहरण आपके पास है, जब असेसमेंट के लिये गये हों। प्रक्रिया आपने वही दे दी है, जो पहले थी। बिक्री कर के नियमों में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। बिक्री कर की जटिलता के कारण ही व्यापारी परेशान है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आपके यहां प्रथम अपील में विवादग्रस्त कर का 2 प्रतिशत शुल्क जमा किया जायेगा, विवादित कर का 2 प्रतिशत या ढाई सौ रु0 जमा किया जायेगा। इनकम टैक्स में 50 पैसे के टिकट पर अपील पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। उसी तरह से ट्रिब्यूनल में द्वितीय में 7 1/2 प्रतिशत या 500 रु0 जमा होते हैं, जबकि इनकम टैक्स में 200 रु0 में काम हो जाता है। आप अपील की सुविधा दीजिए और सरलता के साथ दीजिये। उसमें जो फीस जमा करनी पड़ती है, उसके कारण कोई आदमी बेचारा जाकर अपील कर ही नहीं सकेगा। दूसरा उदाहरण है, बिक्री कर विभाग के कार्यालय की क्या स्थिति है, आप देखिये किस तरह से वसूल करते हैं। आपका नियम है कि किसी भी रा मेटिरियल और फिनिश गुड के ऊपर दोनों पर टैक्स नहीं पड़ना चाहिये। बाल पर नहीं लेते हैं। अगर अरहर खरीदता है, दाल बनाकर देगा, तो टैक्स नहीं पड़ता है। चावल और धान पर टैक्स नहीं पड़ता है, आटे पर 4 प्रतिशत लेते हैं और गेहूं पर भी लेते हैं, इस प्रकार यह डबल हो जाता है। जो बड़े मिल हैं प्रदेश में, उन पर 4 प्रतिशत टैक्स लगा हुआ है, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों में यह नहीं है। इसका नतीजा यह है कि जो आसपास के स्टेट्स हैं, उनके मुकाबले में हमारे यहां तेज पड़ता है।

मैं इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जूतेवालों की समस्या के सम्बन्ध में। आपने उनको परचेज टैक्स से छूट दी, लेकिन आपके कार्यालय की ड्राफ्टिंग का परिणाम यह हुआ है कि आदेश आगरा तक नहीं पहुंचे और वहां के व्यापारियों के केसेज अपील में लगे हुए हैं। उनके ऊपर बिक्रीकर लग गया। नये उद्योगों के बारे में आपने कहा कि जिन लोगों ने फलां तिथि के बाद काम शुरू किया है, उनको छूट देंगे। इससे यह होगा कि यदि किसी ने कच्चा माल पहले खरीद लिया है और काम बाद में शुरू किया है, तो उसको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि कच्चा माल खरीदना भी उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि जो पुराने मामले बिक्रीकर के पड़े हुये थे, उनमें से किसी में 25 प्रतिशत और किसी में 50 प्रतिशत छूट देकर आपने उनको खत्म करने की चेष्टा की। आपने कहा कि 68–69 और 1970 वालों को अमुक छूट देंगे और उनके बाद वालों को अमुक छूट देंगे। इससे 1974 वालों को तो छूट मिली नहीं। आपका यह कैटेगराइजेशन ठीक नहीं है, जब तक आप छोटे दुकानदारों को छूट नहीं देंगे, तब तक व्यापारियों को वास्तविक राहत नहीं मिल पायेगी।

मैंने जनता सरकार का उदाहरण दिया था। सरलीकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई थी, वह आपके आते ही रुक गयी। स्वतः कर निरूपण योजना के अन्तर्गत 500 रु0 वार्षिक तक देने वाले व्यापारियों को एसेसमेन्ट से छूट दिये जाने की बात कही गयी थी। मेरा कहना यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें क्योंकि जब तक बिक्रीकर की जटिलता नहीं समाप्त हो जाती है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। केवल एक महीने की बात है। मैं सिद्धान्ततः

इस बात के विरुद्ध हूं कि जहां पर टैक्स हो या करारोपण हो, ऐसा कोई मामला आर्डीनेन्स के द्वारा नहीं होना चाहिये। आर्डीनेन्स के द्वारा लागू होने के बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होना चाहिये। तर्क के लिए मान लेते हैं कि इतने पुराने मामले समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक महीने का मौका देकर इसका परीक्षण करा लें ताकि इसकी जटिलता दूर हो सके।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, हमारे दोनों विद्वान सदस्यों ने कुछ बात कह कर इस विधेयक को प्रवर समिति को सौपने की बात कही है। उन्होने पंडित कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी की बात भी की। केन्द्रीय सरकार का यह प्रयास रहा है कि बिक्रीकर का कोई विकल्प ढूंढा जाय और उसकी शुरुआत इस तरह से की गयी कि कमेटी गठित की गयी। इसमें 5 चीजें छोड़ी गयीं---कागज, दवा, पेट्रोल और पेपर बोर्ड वगैरह और यह कहा गया इसके ऊपर उत्पादन शुल्क हम लगा देंगे, एक्साईज ड्यूटी तो यहां लगती ही है, यदि इसे लगाते हैं तो हमने इस पर अपनी सहमति दे दी और कहा कि ठीक है।

दिल्ली में जब मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक हुई तो हमें यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो दल बिक्री कर को हटाने की बात करता है हमेशा उन्हीं दलों के प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने और उनकी सरकार ने इसका विरोध किया जिसमें कर्नाटक, आन्ध्र और पश्चिमी बंगाल प्रदेश के लोग थे जब हम लोगों ने कहा कि इसमें सहमति कर ली जाय तो उन्होंने बिक्री कर के मामले में कहा कि हम नहीं बैठेंगे और कोई विचार नहीं करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह बात नहीं हुई, उन लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों ने कहा और यह शंका प्रकट की कि केन्द्र सरकार यदि बिक्री कर वसूल करेगी तो उसका बटवारा युक्तिसंगत न हो सकेगा जब तक यह नहीं सुनिश्चित होता कि उसका बटवारा कैसे होगा तब तक हम सहमत नहीं होंगे, किसी ने बिक्री कर का विरोध नहीं किया था।

श्री ब्रह्मदत्त—

उन्होंने यही कहा, मैं तो वहां मौजूद था मैंने स्वयं सुना कि उन्होंने इसका विरोध किया। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मंत्रियों के भाषण को उनके पास भेज दूंगा।

आमतौर पर बड़े उद्योग वाले बिक्री कर की छूट नहीं चाहते हैं, वह यह चाहते हैं कि उन्हे पांच, छः या सात साल इसे अदा न करने की छूट दे दी जाय, वह केवल सबसीडी चाहते हैं। जबकि छोटे उद्योग वाले, जो छोटी यूनिट्स हैं, वो छूट देने की बात करते हैं।

पहले हमने यह किया कि 5 लाख तक वाले 500 रु0 को अपनी जमानत देंगे और उसके बदले, 10 लाख के जो ऊपर वाले हैं वह नेशनल सेविंग्स सार्टीफिकेट के रूप में दे देंगे। तो नेशनल सेविंग्स सार्टीफिकेट्स तो सभी खरीदते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आयी।

अभी माननीय सदस्य, सीतापुर ने जटिलता की बात कही। मुझे तो चार साल से वित्त मंत्रालय सम्भालने का मौका मिला तो जब मैंने इसको संभाला तो मैंने जनता पार्टी की जटिलता को देखा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने इस मंत्रालय को संभाला तो उससे पहले यह 50 हजार रु0 के हिसाब से लगता था जिसे कि हमने बढ़ा कर 1 लाख रु0 कर दिया है।

अभी सेल्फ असेसमेन्ट की बात कही गयी है। कोई भी व्यापारी जो सेल्फ

असेसमेन्ट करना चाहता है उसका विस्तृत हिसाब-किताब हम नहीं देखते हैं, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे ।

बिक्री-कर के बारे में दिल्ली की बात कही गयी । मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की अर्थ व्यवस्था दूसरे तरह की है, वह उपभोक्ता और व्यापारी की अर्थ-व्यवस्था है जबकि हम लोग उत्पादक हैं कृषि के क्षेत्र में । दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के साथ मिल करके हम व्यवस्था करते हैं, जटिलता तो हमारे पहले की है, हम उसमें सरलता लाने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं और इस बारे में हमने एक कमेटी गठित की है जो अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने के सम्बन्ध में 7वीं योजना के लिए रिपोर्ट देगी । उसमें अर्थ विशेषज्ञ रखे गये हैं और अर्थशास्त्री रखे गये हैं । हमें जो उस कमेटी के सुझाव मिलेंगे उन पर हम विचार करेंगे । चूंकि यह विधेयक ऐसा है जो 12 अक्तूबर, 1983 को प्रख्यापित किया गया था, इसलिए इसको एक महीने तक टालने में असमर्थ हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं, क्या ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

गौरी शंकर भैंट्या, आप ।

श्री गौरी शंकर भैंट्या--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 18, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, 1984

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

(2) यह 12 अक्तूबर, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, सन् 1948 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री–कर ऐक्ट, 1948 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ग) धारा 3–घ के अधीन विज्ञापित माल की बिक्री के विक्रय–धन, जहां ऐसा माल राज्य के भीतर क्रय न किया गया हो;"

नई धारा 3–ङ का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3–ध के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"3–ङ–कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर—(1) प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, जिसके विक्रय–धन का कुल योग, जैसा कि धारा 3 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट है, किसी कर–निर्धारण वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक हो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन देय कर के अतिरिक्त, अतिरिक्त कर का देनदार होगा जिसकी गणना इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन उस कर निर्धारण वर्ष के लिए उसके द्वारा देय कर के पांच प्रतिशत की दर से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी द्वारा देय अतिरिक्त कर की गणना करने में, घोषित माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(2) व्यापारी द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान उस मास का, जिसमें कर–निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ से संगणित ऐसा विक्रय-धन दस लाख रुपये से अधिक हो जाये, विवरण–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व या उसके साथ किया जायगा और जहां उस मास का विवरण–पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया हो, वहां अतिरिक्त कर का भुगतान तत्पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम विवरण–पत्र के पूर्व या उसके साथ किया जाएगा ।

इस प्रकार देय कर, कर निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे विवरण-पत्र के अन्तर्गत आने वाली अवधि के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए होगा और व्यापारी उस कर-निर्धारण वर्ष में समस्त अनुवर्ती अवधि के लिए कर-निर्धारण वर्ष के अन्त तक अतिरिक्त कर का देनदार बना रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर केवल 1 अक्तूबर, 1983 को प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए देय होगा ।"

धारा 3-छ का प्रति-स्थापन

4--मूल अधिनियम की धारा 3-छ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्--

"3-छ--कतिपय बिक्री पर कर की विशेष दर--(1) धारा 3-क या धारा 3-ध में किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (2) के उपबन्धों और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या गठित किसी निगम या उपक्रम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को (जो कोई नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, जिला परिषद्, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, कोई विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था या किसी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा तत्समय प्रबन्धित कोई संस्था न हो) बेचे गये माल के विक्रय-धन पर कर, यदि व्यापारी ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी से प्राप्त घोषणा-पत्र कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप-पत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जैसी निर्धारित की जाये, प्रस्तुत करे, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर या ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, किसी बिक्री के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, लगाया और दिया जायगा, जब तक कि माल इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उक्त दर से कम दर पर कर लगाने योग्य न हो ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे माल की बिक्री पर लागू नहीं होंगे जिसे ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी द्वारा फिर से बेचने के लिए या बिक्री के लिए किसी माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिए क्रय किया जाये, या यदि ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी का कोई कार्यालय या अधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो ।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के प्रति माल क्रय करने के पश्चात्, कोई ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या

कम्पनी अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए उनका उपयोग न करे बल्कि उनका उपयोग या निस्तारण उपधारा (2) में उल्लिखित रीति से या किसी अन्य प्रकार से करे तो इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर, जिसके अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया जाना भी है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी क्रय-कर के रूप में उतनी धनराशि का देनदार होगा जितनी इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर अन्यथा प्रयोज्य दर पर और उपधारा (1) के अधीन प्रयोज्य दर पर संगणित कर के अन्तर के बराबर हो।"

धारा 4-क का प्रति-स्थापन

5--मूल अधिनियम की धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"4-क-विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कतिपय माल को बिक्री-कर से छूट--(1) धारा 3 या धारा 3-क में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए या सामान्य रूप से राज्य में या विशेष रूप से किसी जिले या उसके भाग में उद्योग के विकास की प्रोन्नति के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह प्रार्थना-पत्र देने पर या अन्यथा, विज्ञप्ति द्वारा, किसी माल के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि उस माल के निर्माता का विक्रय-धन, ऐसे निर्माता द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से सात वर्ष से अनधिक अवधि के दौरान, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विनिर्दिष्ट की जायं, बिक्री-कर से मुक्त रहेगा या उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।

(2) राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में यह विनिर्दिष्ट करे कि कर से छूट या कर की दर में कमी निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनुमन्य होगी :--

(क) सामान्यतया समस्त ऐसे माल के सम्बन्ध में जो ऐसी विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् निर्मित किया गया हो; या

(ख) उनमें से केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो किसी नई इकाई में निर्मित किये जायं जिसके उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक पहली अक्तूबर, 1982 को या उसके पश्चात् पड़ता हो; या

(ग) केवल उस स्थिति में जब निर्माता ने किसी कर-निर्धारण वर्ष में लगातार छः मास से अधिक अवधि के लिए ऐसे माल का उत्पादन बन्द न कर दिया हो।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(1) "नई इकाई" का तात्पर्य किसी ऐसे कारखाने या कर्मशाला से है जिसमें ऐसी मशीन, साधित्र या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में न तो पहले से ही प्रयोग में लए गए हों और न हो उसमें प्रयोग किए जाने के लिए अर्जित किए गए हों, किन्तु इसके अंतर्गत वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला या किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में कोई परिवर्धन या प्रसार नहीं है; और

(2) "उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जब विनिर्दिष्ट माल के निर्माण में या पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित कोई कच्चा माल प्रथम बार क्रय किया जाये या बिजली का कनेक्शन, जहां आवश्यक हो, लगने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो ।"

धारा 8 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(2-क)--उपधारा (1), (1-क), (1-ख), (1-ग) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसी औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में जिसको उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग स्थापित करने के लिए पात्रता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, ऐसी इकाई के प्रार्थना-पत्र पर, धारा 4-क के अधीन छूट के बदले में, देयों के भुगतान का दिनांक बढ़ा सकती है या भुगतान के लिये अधिस्थगन स्वीकृत कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी निर्धारित की जायं, देयों का किस्तों में भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकती है ।"

धारा 8-क का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्--

"(3) किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किसी क्रेता से कर वसूलने के प्रयोजनार्थ, व्यापारी द्वारा बेचे गये माल के मूल्य को निकटतम रुपयों में पूर्णांकित किया जाएगा, अर्थात् पचास पैसे या उससे अधिक के भाग को एक रुपया गिना जाएगा और किसी अन्य भाग को छोड़ दिया जाएगा । जहां वसूल किये जाने वाले कर की धनराशि एक रुपये का ऐसा भाग हो जो पाँच पैसे का गुणित न हो, वहां उसे पाँच पैसे के निकटतम गुणित में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् ढाई पैसे से अधिक गुणित को पांच पैसे के अगले गुणित में पूर्णांकित किया जायेगा और किसी अन्य भाग को छोड़ दिया जायेगा ।"

धारा 8-ग का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 8-ग में,--

(क) उपधारा (1) से (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(1) प्रत्येक व्यक्ति--

(क) जो 12 अक्तूबर, 1983 को या उसके पश्चात् धारा 4-ख, 8-क या 8-ख के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए प्रार्थना-पत्र देता है; या

(ख) जिसका ऐसी मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने का प्रार्थना-पत्र ऐसे दिनांक को विचाराधीन हो; या

(ग) जिसके पास ऐसे दिनांक के पूर्व से मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र हो, इस अधिनियम के अधीन देय या देय योग्य कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिये निर्धारित रीति से और, यथास्थिति, ऐसे दिनांक से या उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र देने के दिनांक से तीन मास के भीतर, यदि कर निर्धारण वर्ष के लिए उसका धारा 3 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट वास्तविक या अनुमानित विक्रय-धन दस लाख रुपये से अधिक हो तो नकद या बिक्री कर कमिश्नर के पक्ष में गिरवी रखे गये राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में एक हजार रुपये की प्रतिभूति देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यापारी से, जो केवल धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल का व्यापार करता हो और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित किसी रूप-पत्र का उपयोग न करता हो, इस उपधारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(1-क) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति व्यापारी के, यथास्थिति, मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र प्रवृत्त रहने तक और तत्पश्चात् उस समय तक जब तक इस अधिनियम के अधीन देय कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के कारण या अन्यथा, उस पर बकाया रहती है, धृत रहेगी । नकद दी गई प्रतिभूति पर डाकघर बचत बैंक लेखा में जमा धनराशि पर तत्समय प्रयोज्य दर पर साधारण ब्याज दिया जाएगा ।

(2) जहां कर निर्धारिक अधिकारी को--

(क) इस अधिनियम के अधीन देय या देययोग्य किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिए, या

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित रूप-पत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिए, या

(ग) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकरण करने या उसको प्रभावी बने रहने के लिए एक शर्त के रूप में,

ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वहां वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे प्रमाण-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण के पूर्व या किसी समय जब ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत्त हो, निदेश दे सकता है कि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति निर्धारित रीति से और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार से भिन्न किसी प्रकार की ऐसी प्रतिभूति या, यदि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति ने प्रतिभूति पहले ही दे दी हो तो, ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किसी प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट की जाए :

प्रतिबन्ध यह कि यदि व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति ऐसा चाहे तो वह मांगे गये प्रकार की प्रतिभूति देने के बजाय उसे उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दे सकता है ।

(3) कर निर्धारिक अधिकारी द्वारा किसी व्यापारी, सम्बद्ध व्यक्ति से उपधारा (2) के अधीन कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर न दिया गया हो, और ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि, कर निर्धारिक अधिकारी के अनुमान से उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये, जिसमें ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाए, व्यापारी के विक्रय-धन पर देय कर से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी ।";

(ख) उपधारा (4) में, शब्द और अंक "उपधारा (1) या" निकाल दिए जायेंगे,

(ग) उपधारा (5) में, खण्ड (ख) में, शब्द और अंक "उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे; और

(घ) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्--

"(7) कर-निर्धारिक अधिकारी, किसी ऐसे व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के उपबन्धों या उपधारा (2)

के अधीन किसी आदेश या उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का पालन न किया हो--

(क) मान्यता का प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या रजिस्टीकरण का अनन्तिम प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है, या

(ख) पहले से जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र निलम्बित कर सकता है, या

(ग) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किन्हीं रूप-पत्रों को जारी करने से इन्कार कर सकता है,

जब तक व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे आदेश या ऐसे उपबन्धों का पालन न करे :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश व्यापारी या सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।"

धारा 9 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (1) और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(1) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से, जो धारा 10-क में उल्लिखित आदेश से भिन्न हो, क्षुब्ध कोई व्यापारी या अन्य व्यक्ति आदेश की प्रति तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि एक हजार रुपये से अधिक न हो, वहां अपीलकर्ता, अपने विकल्प से, अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिए लिखित रूप में अपील सुनने वाले अधिकारी से अनुरोध कर सकता है जिस पर अपील सुनने वाला अधिकारी तद्नुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है ।

(1-क) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए ।

(1-ख) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने कम से कम--

(क) जहां कर-निर्धारण वर्ष के लिये सभी विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हो, अपीलकर्ता द्वारा, प्रस्तुत विवरण पत्रों में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किए गए, इसमें जो भी अधिक हो, यथास्थिति, क्रय धन या विक्रय धन पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या

(ख) जहां कर निर्धारण वर्ष के लिए कुछ विवरण-पत्र प्रस्तुत न किए गए हों, या ऐसे वर्ष के लिये कोई भी विवरण-पत्र प्रस्तुत न किया गया हो, अपीलकर्त्ता द्वारा, प्रस्तुत विवरण-पत्रों में, यदि कोई हो, या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर, स्वीकार किए गए, यथास्थिति, क्रय धन या विक्रय धन पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि या निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि के बीस प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो,

का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी, ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, खण्ड (ख) की निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि का बीस प्रतिशत जमा करने से सम्बन्धित अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है ।";

(ख) उपधारा (3) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जाएगा; अर्थात्—

"अपील सुनने वाला अधिकारी सुसंगत अभिलेख मंगाने और उनकी जांच करने के पश्चात् और अपीलकर्ता और बिक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, या, यथास्थिति, उपधारा (1-क) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्";

(ग) उपधारा (3-क) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी; अर्थात्—

"(3-क) अपील सुनने वाला अधिकारी,—

(क) ऐसे मामले में, जिसमें अपीलकर्ता उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अनुरोध करता है, अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील का निस्तारण किये जाने तक स्थगित करेगा, और

(ख) किसी अन्य मामले में, अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर और बिक्री कर कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपीलकर्ता द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील का निस्तारण किए जाने तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) खण्ड (ख) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ या तत्पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाय और जब तक कि अपीलकर्ता ने उपधारा (1-ख) के अधीन उसके द्वारा जमा किए जाने के लिये अपेक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त, यथास्थिति, कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की

कम से कम एक-तिहाई के भुगतान का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(2) अपील सुनने वाला अधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड को एक-तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है;

(3) इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलकर्ता ने उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उस धनराशि के भुगतान के लिये, जिसकी वसूली स्थगित की गयी हो, कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो ।

स्पष्टीकरण:--किसी अधिकारी द्वारा स्थगन के लिये उसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र को अधिकारिता के अभाव में अस्वीकार किये जाने मात्र से अपील सुननेवाला अधिकारी ऐसे प्रार्थना-पत्र को ग्रहण करने से प्रवारित नहीं होगा ।

(4) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

(4-क) ऐसी अपील में, जिसका संक्षिप्त निस्तारण कर दिया गया है, दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा ।"

धारा 10 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्--

"(2) अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा धारा 9 के अधीन दिये गये आदेश से, जो उस धारा की उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट आदेश से भिन्न हो या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा धारा 10-ख के अधीन दिये गये आदेश से या धारा 35 के अधीन बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा दिये गये विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय की प्रति उस पर तामील किए जाने के दिनांक से छः मास के भीतर अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि एक हजार रुपये से अधिक न हो, वहां अपीलकर्ता, अपने विकल्प से, अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिये अधिकरण से लिखित अनुरोध कर सकता है जिसके उपरान्त अधिकरण तदनुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बिक्री-कर कमिश्नर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में पद 'कोई व्यक्ति, के अन्तर्गत बिक्री-कर कमिश्नर भी है।

(2-क) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाय ।"

(ख) उपधारा (5) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्--

"अधिकरण, यदि उसने उपधारा (4) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात् और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या, यथास्थिति, उपधारा (2-क) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ।"

धारा 11 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 11 में,

(क) उपधारा (1) और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(1) धारा 10 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो, या अधिकरण द्वारा धारा 22 के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा आदेश तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है कि मामले में विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "उक्त दिनांक के ठीक पूर्व थी" के स्थान पर शब्द और अंक "27 अप्रैल, 1978 के ठीक पूर्व थी जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है" रख दिये जायेंगे ।

धारा 12 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) में, अन्त में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन (:) रख दिया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे वर्ग के निर्माताओं की स्थिति में, जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में विक्रय-धन का कुल योग, जैसा कि धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ध) में निर्दिष्ट है, पांच लाख रुपए से अधिक न हो, बिक्री-कर कमिश्नर इस उपधारा की अपेक्षाओं को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करना उपयुक्त समझे, शिथिल कर सकता है ।"

[धारा 13-क का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 13-क में,--

(क) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(6) माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति पर लिखित आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जाएगी, जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो

आरोपित किए जाने के लिये संभाव्य अर्थदन्ड को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, जिसके नकद (जिसमें बैंक ड्राफ्ट भी है) जमा करने पर, इस प्रकार अभिग्रहीत माल को, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में छोड़ा जा सकता है :

प्रतिबंध यह है कि बिक्री-कर कमिश्नर या असिस्टेन्ट बिक्री-कर कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, निदेश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किए या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या ऐसे प्रकार से जो नकद से भिन्न हो, जैसी वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाए ।"

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्—

"(10) यदि उपधारा (6) के अधीन जमा की गई धनराशि उपधारा (4) के अधीन आरोपित अर्थदन्ड की धनराशि से अधिक हो तो इस प्रकार जमा की गई अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, यथास्थिति, व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जाएगी ।"

धारा 24 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (5) निकाल दी जाएगी ।

धारा 36 का प्रतिस्थापन

15—मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्—

"36—किस्त मन्जूर करने का अधिकार—(1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के, जिसके अन्तर्गत कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति देने से सम्बन्धित शर्त भी है, अधीन रहते हुए, जैसी आरोपित किए जाने के लिये उपयुक्त समझी जाएं,—

(क) राज्य सरकार ऐसे किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदन्ड या अन्य देय की धनराशि बकाया हो, चौबीस से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है, और

(ख) बिक्री-कर कमिश्नर, उसी तरह, ऐसे किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदन्ड या अन्य देय की धनराशि जिसका कुल योग एक लाख रुपए से अधिक न हो, बकाया हो, बारह से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है ।

(2) जहां ऐसा व्यापारी या अन्य व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के साठ दिन के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त

प्रतिभूति देने में असफल रहता ह या ऐसे आदेश में आरोपित शर्तों या निर्बन्धनों का पालन करने में असफल रहता है, वहां देय धनराशि तुरन्त वसूल की जा सकेगी ।"

अनुसूची का संशोधन

16--मूल अधिनियम की अनुसूची में,--

(क) क्रम संख्या 63 के सामने स्तम्भ-2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्:--

"सोडावाटर, लेमनेड, फल का रस (फ्रट जूस) और अन्य मृदु पेय और शरबत (सीरप), स्क्वैश, जैम और जेली ।", और

(ख) क्रम संख्या 74 के उपमद (4) के सामने स्तम्भ-2 की प्रविष्टि मे, अन्त में, शब्द "और ऐसे उपकरण, यन्त्र और साधित्र के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामन" बढ़ा दिए जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन ।

17---उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिए जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

18--(1) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम और धारा 17 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीनकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 से 18, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

ओबरा तापगृह में हुए गोली काण्ड से राज्य के विद्युत कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज सुबह से माननीय वित्त मन्त्री जी और विद्युत मन्त्री जी की खिंचाई हो रही है, इस लिए मैं इनको तंग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर बड़ी गम्भीर स्थिति है। ओबरा एशिया के जितने बड़े तापीय विद्युत घर हैं उनमें से एक है और उसमें अब तक 3 बार तीन तरह के और तीन कान्ड हुए हैं। एक बार तो मजदूरों की हड़ताल हुई, उसमें आग लगी और अब सुरक्षा दल और ओबरा के कर्मचारियों में संघर्ष हुआ। मान्यवर, इस तापीय विद्युत घर की बहुत अहमियत है। इसमें 1,550 मेगावाट बिजली पैदा होती है और आज उसके अन्दर अशान्ति का महौल है लेकिन इस समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया है। 90 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, एक सिपाही मारा गया, दो कर्मचारी मारे गए। इतना भयंकर कान्ड हुआ है। हरदुआगंज, पनकी और सारी जो उत्पादक इकाइयां थीं, उनमें काम बन्द है। 6 दिन तक हड़ताल चली, विद्युत उत्पादन बन्द है और उधर उत्तर प्रदेश सूखे की गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है। एक और किसान सरकार से अपने खेतों के लिये पानी मांग रहा है। उनके ट्यूबवेल्स बन्द हो गये, सूखा पड़ गया है, करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो गई, उद्योग धन्धे बन्द हो गये और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमांचल प्रदेश से बिहार से, राजस्थान से जो कि हमारे प्रदेश से छोटे सूबे हैं, उनसे बिजली लेनी पड़ी है। तब जाकर इनका काम चला है। 6 दिन तक हड़ताल रही है और उससे 436 करोड़ रुपये का घाटा हो गया, इतनी बिजली की बरबादी हो गई और इतनी गम्भीर समस्या का सामना ओबरा से हमको करना पड़ा है। यह बड़े अफसोस की बात है। उत्तर प्रदेश के अन्दर लम्बी चौड़ी योजनायें बनाई जाती हैं। मुख्य मंत्री जी ने एक महीने के अन्दर 60–70 योजनाओं की घोषणा कर दी। पूंजीपतियों से कहा जाता है, औद्योगिक संस्थानों से कहा जाता है, केन्द्रीय सरकार से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये यहां पर वे उद्योग लगायें, कारखाना खोलें लेकिन जो आपका विद्युत उत्पादन है, जो आपका विद्युत विभाग है वह इतना निकम्मा है कि उसमें आग लगा दी जाती है, उसमें मारपीट होती है, तोड़–फोड़ होती है तो किस आधार पर वे यहां पर उद्योग लगायेंगे। इस सम्बन्ध में मेरे पास एक भारत सरकार के महालेखाकार की रिपोर्ट है जिसके अन्दर कहा गया है कि विद्युत विभाग के अन्दर जबरदस्त घाटा है। इसको रोकने के लिये आज तक आपकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस हड़ताल के कारण अकेले ओबरा में 5 सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह मामूली राशि नहीं है। इन घटनाओं से निरन्तर विद्युत उत्पादन पर आंच आती है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर पिछले सत्र में ओबरा कांड को मैंने उठाया था और यह आश्वासन दिया गया था कि सारे मामले की जांच की जायेगी लेकिन क्या कारण है कि ओबरा के अन्दर जहां हड़ताल होती है, मार–पीट होती है, झगड़ा होता है वहां के तनाव को हल करने के लिये मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है। यह इस सरकार का निकम्मापन है। ओबरा के अन्दर पिछले 6 सालों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई ऐसा जनरल मैनेजर नहीं है जो 3 साल रह सके । एक साल के अन्दर या 6 महीने के अन्दर उसको हटा दिया जाता है । मनमाने ढंग से वहां पर नियुक्ति की जाती है । यह इसलिये कया जाता है कि बड़े-बड़े मिल मालिकों से यह सरकार पैसा लेती है, चुनाव के लिये चन्दा लिया जाता है और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के नाम पर पूंजीपतियों के हित में काम हो रहा है। एक तरफ हिन्डालको का कारखाना है और वह कहता है कि हम अपने कारखाने के लिये खुद विद्युत पैदा करेंगे । इससे उनकी पैदावार शत प्रतिशत बढ़ी है । वही कोयला है, वही आदमी हैं, वही इंजीनियर हैं, वही काम करने वाले हैं उनका ही क्यों उत्पादन बढ़ा है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सिर्फ तीन सुझाव देना चाहता हूं । यदि उनकी मूढ़ बुद्धि में हमारी बात आ जाय तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ओबरा के अन्दर जो जनरल मैनेजर का पद है उसको रेगुलर किया जाय । टेम्पोरेरी पोस्टिंग से काम चलने वाला नहीं है ।

पिछली बार जब वहां पर अग्निकांड हुआ था तथा कोई सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं था । 6 घन्टे तक ओबरा जलता रहा । जब विनाश हो गया तब अधिकारी पहुंचे । जब गोली कांड हुआ तब भी कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था वरना सुरक्षा बल के लोग जो झगड़ा कर रहे थे तो किसी तरह से उसका तय किया जा सकता था । उसके पहले भी वहां पर उनकी झड़पें हो चुकी हैं, वह रोक सकते थे । लेकिन उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया । इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां पर ऐसा जनरल मैनेजर नियक्त किया जाय जो ईमानदार हो, कर्मठ हो । दूसरी बात यह है कि जो यहां पर एक चेयरमैन हैं विद्युत परिषद् में, उन्हें आप महाराष्ट्र से लाये हैं—मिश्रा जी को। मिश्रा जी यहां से चले गये लेकिन अपना वारिस मिश्रा जी को यहां पर छोड़ गये । उनकी हालत यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनको इनके पद से हटा दिया था । जब उनको वहां पर नियुक्ति नहीं मिली तो उनको यहां पर रख लिया गया । ऐसे व्यक्ति को आप उत्तर प्रदेश में ले आये । जो उत्तर प्रदेश के बिजली घरों के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है उनको ले आये हैं । वह सिर्फ परचेज का का काम करते हैं क्योंकि परचेज में कमीशन मिलता है । सारा पैसा खरीददारी में लग रहा है जो फैक्ट्रीज इंस्यूलेटर बनती हैं या जो मोटर बनाती हैं बिना मतलब के उनसे खरीद हो रही है । दूसरा काम कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्फर करने का है । बड़े-बड़े इंजीनियर हर 6 महीने में बदलते रहते हैं । तो दूसरा काम उनका तबादलों का रह गया है । उनका अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है तो उन्हें हटा दीजिये । अगर आप यह सब नहीं कर सकते हैं तो यह गोमती बहती है उसका पानी कम पड़ता है तो देहरादून जहां से आप आते हैं वहां गंगा बहती है अगर चुल्लू भर पानी कम पड़ता है तो वहां से ले लीजिये ।

*श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आज ओबरा में 23 अगस्त को हुई घटना के बारे में चर्चा हो रही है । लेकिन मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान तथा ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान किस तरह से पिछले एक साल से ओबरा में जो घटनायें हो रही हैं उनकी ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, ओबरा एशिया का सबसे बड़ा तापीय विद्युत घर है । हमारे प्रदेश के 37 सौ मेगावाट विद्युत उत्पादन में ओबरा का साढ़े 18 सौ मेगावाट का योगदान है 1550 तापीय और 300 जल विद्युत दोनों मिलाकर 1850 मेगावाट बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का उत्पादन ओबरा से होना चाहिये। वहां हो कितना रही है कभी ढाई सौ कभी तीन सौ और ज्यादा हुआ तो 400 मेगावाट यही ओबरा का उत्पादन ह। इसका कारण क्या है इसको भी आप देखें। पहले ओबरा में आग लगी और उसके बाद 23 अगस्त को लाठी चार्ज हुआ उसमें कर्मचारी मरे और पुलिस का सिपाही मरा। वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है उसका कारण यह है कि वहां जो जनरल मैनेजर भेजे जाते हैं उनको कोई अनुभव नहीं होता है। पहले कोई मिस्टर के0 डी0 माथुर थे जिनको तापीय विद्युत् गृहों की जानकारी नहीं थी जिन्होंने सदा जल विद्युत् में काम किया था। स्थिति यह हुई कि उनको हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद कोई जैन साहब भेजे गये वे कंस्ट्रक्शन के अलावा कभी तापीय विद्युत् गृहों में नहीं रहे। तो अनुभव शून्य आदमी को जो हमेशा कंस्ट्रक्शन के काम में रहे उनको तापीय विद्युत् गृह भेज दिया गया है तो इससे कैसे सफलता मिलेगी। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन वहां महाप्रबंधक नहीं थे दो अतिरिक्त महाप्रबंधक मौजूद थे, लेकिन वह निर्णय नहीं कर पाये कि क्या फैसला करें जिसका नतीजा यह हुआ। आज पूरे प्रदेश में कटौती चल रही है सरकार की तरफ से कोई घोषणा उसकी नहीं हुई है लेकिन उद्योगों को रात में 6 बजे से 10 बजे तक बिजली नहीं मिलती है इस प्रकार 4 घंटे की कटौती रहती है और गांवों में जिनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा 6 घंटे बिजली दे रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रही ह। हमारे उधर बैठे हुए साथी सही बात कहेंगे 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। जो बिजली जाती भी है उसमें बीच-बीच में ट्रिपिंग होती रहती है उससे किसान काम नहीं कर सकता है। माननीय बिमल प्रसाद तिवारी जो कल जोर-जोर से बोल रहे थे कि बहुत बिजली मिल रही है।

मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का प्लांट लोड फैक्टर 30, 31 प्रतिशत है, अगस्त में यह केवल 23 प्रतिशत था। आप हिंडालको की बात छोड़िये वह तो निजी क्षेत्र में है लेकिन आपके पास ही एन0 टी0 पी0 सी0 का भारत सरकार का प्रतिष्ठान है उसमें 70, 80 फीसदी बिजली पैदा हो रही है।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

कोयला जो उनको मिल रहा है वही आपको भी मिल रहा है, तो फिर क्या कारण है कि आप उनके बराबर बिजली नहीं बना पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है। श्री विमल प्रसाद तिवारी जो कल कर रहे थे तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि 600-700 मेगावाट बिजली आप एन0 टी0 पी0 सी0 से न लें तो दो घंटे बिजली भी आप न दे पायें। आज हमारा कुल तापीय विद्युत् गृहों से 400 मेगावाट और कभी 250 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता है। श्री विमल प्रसाद तिवारी जो हमारे समय में तो 800-900 मेगावाट तापीय विद्युत् का उत्पादन होता था।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह बिजली दूसरों से उधार लेकर जो काम चला रहे हैं तो वह कब तक आप चलायेंगे। ट्रान्समीशन की लाइनें मुरादनगर, कानपुर के आगे नहीं बनी हैं और जिस दिन वह दिल्ली तक बन जायेगी तो सारी बिजली नेशनल ग्रिड में चली जायेगी तो जो प्रदेश का हिस्सा होगा वही मिलेगा। यही स्थिति विद्युत् उत्पादन की रही तो जैसा मुख्तार अनीस जी ने कहा सूखे में 23 प्रतिशत बिजली गांवों में मिली और कभी-कभी कई-कई दिनों तक बिजली नहीं गयी, और यही स्थिति रही तो रबी की फसल में मौजूदा विद्युत् परिषद् बिल्कुल नाकाबिल और असफल होगा। चेतावनी के रूप में मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि रबी

की बोआई कराना चाहते हैं तो मौजूदा बिद्युत् परिषद् को भंग करके उसका पुनर्गठन करें और ऐसे अधिकारी को न लें कि श्री सान्याल गये तो महाराष्ट्र से रिटायर्ड आदमी को बुलकर चेयरमैन बना दिया । जब वह महाराष्ट्र में थे तो वहां भी बिजली की अपने प्रदेश जैसी हालत थी । इसलिये विद्युत् परिषद् में जो आदमी लायें तो वह यू0 पी0 में जो काबिल हैं उनको लें, अच्छे-अच्छे इंजीनियर यहां हैं, जो सक्षम हैं उनको चेयरमैन बनायें ।

मान्यवर, आज स्थिति गंभीर है । ओबरा में 23 तारीख को गोली चली लेकिन आपके चेयरमैन यहीं से मानेटरिंग करते रहे। जब से वह चेयरमैन बने हैं, शायद एक बार ओबरा गये हैं, आपने उनको छूट दे रखा है कि यहीं से कंट्रोल कर लें, तो समझ में नहीं आता कि जितनी तापीय योजनायें आने वाली थीं वह समय से नहीं आ रही हैं, 2-4 साल का विलम्ब हो रहा है जिससे इस प्रदेश का करोड़ों रुपये बरामद हो रहा है । आपके चेयरमैन परियोजना पर नहीं जाते हैं जहां काम हो रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा । रिटायर्ड आदमी को पेंशन देना है तो एडवाइजर बनाकर पेंशन दें लेकिन इतने बड़े प्रतिष्ठान, जहां 3 हजार करोड़ रुपया लगा है, एक डिफंक्ट आदमी को चेयरमैन बनायेंगे तो जो रहा है उससे गम्भीर नतीजा होगा ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मेम्बर जेनरेशन ऐसे आदमी को बनाया है जो प्लानर डिजाइनर तो थे लेकिन एक थरमल पावर स्टेशन में काम नहीं किया था, तो ऐसे आदमी को आप क्यों रखते हैं जो अनुभवहीन है और ऐसे आदमियों को रखेंगे तो विद्युत् परिषद् जो प्रदेश की अर्थनीति से जुड़ी है उसका नतीजा यही होगा जो आपके सामने आ रहा है । इसलिये यदि यही स्थिति रही तो नवम्बर से जनवरी तक ऊर्जा मन्त्री के कोशिश करने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की 8-10 घंटे की आवश्यकता होगी किन्तु यह 4-5 घंटे भी नहीं दे पायेंगे और और बीच बीच में कटौती, टिपिंग, होगी । ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रदेश के हित को देखते हुये चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो उसको 3 महीने का समय दें जिसमें विद्युत उत्पादन में वह सुधार लाये अन्यथा उसके प्रति कार्यवाही करें । मैं चाहूंगा कि विद्युत् परिषद् बोर्ड को आप ओबरा भेजें और वहीं से वह फंक्शन करे, वहीं पर निर्णय करे । वहां पर जो कर्मचारियों में असन्तोष है, या वहां पर जो व्याप्त धांधलियां हैं या उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वह उसको वहां बैठकर देखें और वहीं पर उनके बारे में निर्णय करें । यही मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है ।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया । आज बिजली से जनजीवन इतना जुड़ गया है कि गांवों में बिजली बिना सिंचाई के नहीं हो सकती है, खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा, उद्योग नहीं चल सकते हैं और बिना बिजली के सदन भी नहीं चल सकता है । जब जनजीवन से उसका इतना लगाव है और हुआ है वह निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष को इस बात के लिए चिंतित होना आवश्यक है कि इस प्रदेश में बिजली का उत्पादन निर्बाध रूप से हो और वह अधिक से अधिक बढ़े । जो ओबरा में हो रहा है और हुआ है वह परस्पर विरोधी हितों का टकराव है । वहां पर सी0 आर0 पी0 हमने इसलिए लगाई कि वहां पर जो भीषण अग्निकांड हुआ था उसकी पुनरावृत्ति न हो । इसके अलावा तरह-तरह की शिकायतें होती थीं कि वहां से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामान चोरी हो जाता है या घटिया किस्म का माल सप्लाई होता है, जिसके फलस्वरूप बिजली का उत्पादन दिन प्रति दिन गिरता चला जा रहा है । यदि हम अपने प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो जहां बिजली पैदा हो रही है, वहां पर अनुशासित तरीके से बिजली पैदा हो, पावर हाउस निर्वाध गति से और अनुशासित ढंग से संचालित हो यह बहुत आवश्यक है । और इसके साथ-साथ जो बिजली की चोरी है वह रुके और बिजली उत्पादन सम्बन्धी जो सयंत्रों की जो आपूर्ति है, उसमें कोई घटिया किस्म की सामग्री न मंगाई जा सके । इसलिए वहां पर सी० आर० पी० लगायी गयी है । अब उनकी उपस्थिति से जिनके हितों को चोट पहुंच रही है, वह यह प्रयास कर रहे हैं कि छोटे कर्मचारियों और सी० आर० पी० के लोगों के बीच टकराव हो जाए, कन्फ्रन्टेशन हो जाए । ऐसे ही लोग हर तरह से इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि वह कैसे अपने मंसूबों में सफल हो जायं । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बिजली बोर्ड और सरकार इस चीज को देखें कि ओबरा में इस प्रकार की कोई परिस्थिति न पैदा हो और कर्मचारियों और सी० आर० पी० के जवानों में इस तरह का कोई टकराव न हो और निहित स्वार्थी तत्व अपने टकराव करने में इरादे में सफल न हों ।

जो कर्मचारियों की वहां पर समस्या है या कोई असन्तोष है तो उसका भी हल बातचीत करके निकाला जाना चाहिए । और हमें इस बात की चेष्टा करनी चाहिए जिससे छोटे कर्मचारी जो वहां पर काम से लगे हुए हैं यह अनुभव कर सकें कि हम इस देश के नागरिक हैं और बिजली का उत्पादन देश हित में बढ़ाना जरूरी है । अगर वह रोज अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहेंगे और अधिकारियों के साथ टकराते रहेंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा । इसलिए इन समस्याओं का हल बातचीत के द्वारा निकाला जाए और यह होना चाहिए जिससे कर्मचारियों और सी० आर० पी०, जो चोरी रोकने और अनुशासन बनाये रखने के लिए है, में कोई टकराव न हो सकें और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, ओबरा के बारे में अनेक सदस्यों ने यहां पर अपने विचार रखे हैं । ओबरा सचमुच में ही इस प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत और समस्या हो गया है । गत वर्षों में ओबरा में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं ।

मान्यवर, दो बार वहां पर अग्निकांड हो गया । मजदूरों के ऊपर गोलियां चलीं और मान्यवर, कल की खबर यह है कि इस ताप गृह में पानी भर जाने की वजह से सारे का सारा कोयला गीला हो गया है । जब यह नौबत आ गयी है तो कई महीने यह ताप विद्युत घर विद्युत उत्पादन के लिए सक्षम नहीं रहेगा और विद्युत उत्पादन बन्द हो जायगा । तो जो इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं इसके लिये गम्भीरता से सोचने की जरूरत है क्योंकि हमारे इस प्रदेश को बिजली की सप्लाई के लिये हम ओबरा पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं । हमारी जो विद्युत परिषद है उसकी कार्यप्रणाली के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है । इसकी कार्य प्रणाली बहुत ही असन्तोषजनक है । यहां पर जो कार्य होता है वह बहुत ही निम्न स्तर का होता है और वह विद्युत उत्पादन के हित में नहीं होता है ।

मान्यवर, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि विष्णु प्रयाग परियोजना जो यह बना रहे हैं उसके बारे में जो पानी की माप की गयी कि कितना पानी 420 मेगावाट के लिये आवश्यक होगा तो उनकी माप 262 किलोमीटर नीचे रामबाला में की गयी और वह भी

सावन के महीने में को गयो जब नदी में बहुत अधिक पानी रहता है । अब जब योजना में लाखों रुपये खर्च कर दिये गये हैं तो पता चल रहा है कि 420 मेगावाट की जो 4 टरबाइन हैं उनको चलने के लिये जितने क्यूसेक पानी की आवश्यकता है वह वर्ष भर नहीं उपलब्ध होगा । वर्ष में सिर्फ एक महीने ही 4 टरबाइनें चल पायेंगी और बाकी 11 महीनों में सिर्फ एक टरबाइन चल पायेगी । तो इस प्रकार से कागजी योजनायें बनती हैं और जो गलत नियोजन यह करते हैं उसका कारण है कि इतनी परेशानी हो रही है । यह भी एक मुख्य बात है कि जो ताप विद्युत् गृह हैं उनमें अधिकारीगण जाना नहीं चाहते हैं, वह जल विद्युत् गृहों को जाना पसन्द करते हैं । जो अधिकारी वहां स्वेच्छा से नहीं जाना चाहते और उनको जबरदस्ती भेजा जाता है तो वह वहां पर रुचि लेकर काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से भी संकट पैदा होता है ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, विद्युत् के सम्बन्ध में जब चर्चा चलती है तो सभी माननीय सदस्य और आदरणीय सदन अत्यंत गम्भीरता से इस विषय को लेता है । जैसा हमारे मित्र दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जनजीवन से सम्बन्धित है, जो चीज जनजीवन से सम्बन्धित है उसमें आज उसके एक पहलू को लेकर यह उठाया गया है । इसमें उठाया गया है कि कर्मचारियों में असन्तोष है और जो गोली कांड हुआ तो अब यह सोचना पड़ेगा कि कर्मचारियों में असंतोष किन कारणों से है और यह गोली कांड क्यों हुआ है और विद्युत् परिषद् की स्थिति क्या है । लेकिन चर्चा में माननीय सदस्यों ने अपने को इस बात से जोड़ा नहीं है । माननीय मुख्तार अनीस जो अभी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने असन्तोष के नाम पर बहाने से शासन को इसको दे दिया लेकिन उसको चर्चा नहीं की ।

(5 बजकर 20 मिनट पर)

इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी अपने भाषण में नहीं कहा कि कर्मचारियों में कहीं असंतोष है ।

मैं दो-तीन बातों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह बार-बार ओबरा में गड़बड़ी राष्ट्रीय विरोधी तत्व करवा रहे हों और हम सब उस गहराई में न जाकर ऊपरी बातों में ही पड़े रह जाते हों ? मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत् मन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, आपके विभाग के विद्युत् उत्पादन, खास-कर ओबरा में राहु-केतु लगा है और इसलिए बार-बार तोड़-फोड़ होती है और विद्युत् उत्पादन में कमी आ जाती है । जो आपके विद्युत् उत्पादन तापीय केन्द्र हैं, उनकी मरम्मत जनता पार्टी के शासनकाल में ठीक नहीं हुई और माननीय रेवती रमण सिंह जो जब मन्त्री थे, तब इन्होंने उसका कोई ख्याल नहीं किया । वह अपनी पार्टी की मरम्मत में लगे हुए थे । इसके कारण उत्पादन क्षमता दिनों-दिन गिरती गयी, जिसको अब सुधारने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ।

श्री मुख्तार अनीस--

इनको जानकारी नहीं है कि हर साल मशीनों की मरम्मत होती है, अपनी अज्ञानता का परिचय क्यों दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इनकी जानकारी को मैं अपना आधार बनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि इनकी जानकारी पर ही इनकी यह दुर्दशा हुई है और ये उधर बैठे हैं । मैं इनकी जानकारी को अपना आधार नहीं बनाना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुख्तार अनीस--

तो आपकी दुर्दशा न होती, साल भर में आप काले पड़ गये ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कभी-कभी कड़वी बात भी आपको सुनना चाहिए । आपको इसलिए कह रहा हूं कि शायद कभी आपको मौका मिले, तो आप इसका ख्याल रखें । लेकिन भविष्य में जल्दी वह मौका मिलने वाला नहीं है । जनरेशन और ट्रान्समिशन दोनों को अलग-अलग करने का प्रयास किया गया था । लेकिन उस ओर कोई कारगर कार्यवाही हुई प्रतीत नहीं होती है । ट्रांसमिशन में सभी इंजीनियर जाना चाहते हैं और जनरेशन में कोई रहना नहीं चाहते । इसलिए आप इसके लिए कठोर नियम बना दें कि कम से कम 10 वर्ष तक जनरेशन में रहने के बाद ट्रान्समिशन में भेजे जायं । शासन की ओर से एक भूल हो गयी है कि टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट के झगड़े में विद्युत परिषद् को फंसा दिया गया है । इस ओर भी निर्भीकतापूर्वक सही निर्णय लेना पड़ेगा । इस रस्साकसी में विद्युत उत्पादन बहुत सीमा तक प्रभावित हुई है । यह कठोर निर्णय है ।

इस कठोर निर्णय के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे मिश्रा जी की चर्चा करें, चाहे दूसरे साहब, जिनको विरोध पक्ष के लोग लाये हों, सभी टेक्नोक्रेट की परिधि वाले हो आये । लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए । कृपया विभाग की इन्वेंटरीज की भी जांच करा लें, तभी विद्युत परिषद् को नुकसान से बचाया जा सकेगा । श्रीमन् मैं एक बात और कह देना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण के सम्बन्ध में इलाहाबाद की हंडिया तहसील की ओर आप ध्यान दें । हमारे यहां शाम को बिजली जलाने के लिए अभी नहीं दी जा रही है, जब कि मुख्य मन्त्री और आपने स्वयं आश्वासन दिया था कि टी0 पी0 एम0 की व्यवस्था करके अक्तूबर तक रात्रि में जलाने के लिए आपकी तहसील में पूरी तहसील में बिजली दी जायेगी । लेकिन अभी उस ओर कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई है । मान्यवर, अक्तूबर आ रहा है अगर वह काम नहीं हुआ, तो हमको विवश होकर गांधीवादी अहिंसात्मक लड़ाई लड़नी पड़ेगी ।

श्री ऊदल--

यह हमारे प्रदेश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आये दिन हमारे बिजली घरों में आग लगती है । मशीन जल जाती है, मारपीट होती है और महीनों-महीनों बिजली का उत्पादन ठप हो जाता है । श्रीमन्, पिछले वर्ष ओबरा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ । स्वीच पावर जल गया, काफी नुकसान हुआ और हमारा प्रदेश विद्युत की परेशानी में पड़ा रहा । श्रीमन्, पनकी में आग लगी, हरदुआगंज में आग लगी और अभी 23 अगस्त को ओबरा में पुनः इस तरह की घटना घट गयी, जिससे कई दिन तक हमारा प्रदेश अंधकार में डूबा रहा और श्रीमन् बाहर से बिजली जो है वह लेनी पड़ी ।

एक बात मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं । महाराष्ट्र बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है और उनके रख-रखाव की व्यवस्था अपने सुरक्षा दल द्वारा होती है । मैं जानना चाहता हूं माननीय वित्त मन्त्री जी से कौन सी ऐसी कठिनाई आ गई कि ओबरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को देनी पड़ी । क्या विद्युत परिषद् अपने कारखानों के लिये अपनी सुरक्षा दल की नियुक्ति नहीं कर सकता है । इस नई व्यवस्था के चलते 23 अगस्त को यह घटना हुई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कारण यह घटना घटी । मेरा मन्त्री जी से

निवेदन है कि इसको वापस किया जाय। सरकार स्वयं सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं इस बिजली के बारे में ओबरा के बारे में बहुत बड़ी चर्चा इस सदन में हुई थी। मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे कितने इंजीनियर, विद्युत् परिषद् के शक्ति भवन में बैठकर लेखा का काम कर रहे हैं जिनको टेक्निकल काम करना चाहिये, जिस काम को लेखाधिकारी या एकाउन्टेंट कर सकता है उसको हमारे इंजीनियर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। ओबरा का उत्पादन बहुत कम है और इस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हरिद्वार में जो हमारा कारखाना है, ओबरा का विद्युत्गृह है या अन्य विद्युत् गृह है उनको फेल करने की साजिश राष्ट्रीय और प्रदेशीय स्तर पर चल रही है। आज इस तरह की भावना पैदा हो गई है। कुछ लोगों का ऐसा प्रयास चल रहा है कि बाहर से सामान मंगाया जाय और हमारे देश की विदेशी मुद्रा उस पर खर्च हो। कुछ लोग बाहर से मशीनों को मंगाना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री जी इस बात पर भी आपको विचार करना होगा।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ओबरा विद्युत् गृह में जो गोली काण्ड हुआ, वहां कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है, इसकी चर्चा पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तार अनीस ने बहुत विस्तार से ओबरा की स्थिति पर प्रकाश डाला। लेकिन कर्मचारियों के असन्तोष की बात नहीं आयी। लेकिन फिर भी एक पहलू तो सामने आया। माननीय रेवती रमण जी ने कहा कि मैंने कल कहा था कि विद्युत् आपूर्ति बहुत अच्छी है। मैंने तुलनात्मक बात कही थी, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में विद्युत् की आपूर्ति उद्योगों को 33 प्रतिशत थी, उसके मुकाबले में आज विद्युत् आपूर्ति अच्छी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा था कि आज सारी आवश्यकता पूरी हो गई है। दूसरी बात जो मैंने कही थी वह यह कही थी कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत् की आपूर्ति करने के लिये अपने प्लान का 34 प्रतिशत व्यय करने जा रही है जहां तक ओबरा का प्रश्न है, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ओबरा में घटी, एक के बाद एक और तीसरी घटना 23 अगस्त को घटी, चाहे साहूपुरी बिजली घर की बात हो या ओबरा की बात हो, ओबरा वास्तव में कोढ़ा हो गया है और प्रदेश को खा रहा है।

आज विद्युत् परिषद् के इन्जीनियर्स इस कदर भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता में लिप्त हैं और सारे प्रदेश का जन-जीवन उनके हाथों त्रस्त है। माननीय, ओबरा में हड़ताल हुई। माननीय ऊर्जा मन्त्री ने स्वयं वहां जाकर अपनी कर्मठता का परिचय दिया है। उन्होंने वहां जाकर हड़ताल समाप्त कराई। अखबार में दो-तीन दिन बाद निकला कि सारी कटौतियां समाप्त कर दी गईं। लेकिन मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी राज्य के अधिकांश जनपद आकस्मिक और आपातकालीन विद्युत् कटौती के शिकार हैं।

मैं कुछ अपने जनपद की कठिनाइयां बताना चाहता हूं। माननीय, पांच तारीख को माननीय ऊर्जा मन्त्री जी वहां जाना चाहते थे, दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन किन्हीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारणोंवश वह वहां नहीं जा सके। फिर खुर्शीद आलम खां जो ने उस दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन किया। मान्यवर, जैसे ही वह दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन करने लगे, विद्युत आपूर्ति ठप हो गई और कई घंठे तक ठप रही। मान्यवर, अखबारों में निकल रहा है कि विद्युत कटौती समाप्त कर दी गई है। श्रीमन्, दूसरे दिन अखबार में निकला कि फर्रुखाबाद में जो दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन हुआ है उसे फर्रुखाबाद की जनता 6.40 पर फर्रुखाबाद दूरदर्शन केन्द्र पर देखें। मान्यवर, अधिकांश लोग 6.40 पर अपने जनपद का उद्घाटन समारोह देखने के लिए अपना टेलीविजन खोल कर बैठ गये। लेकिन 6 30 पर बत्ती चली गई और रात 9.30 बजे बत्ती आई। आज स्थिति यह है कि फर्रुखाबाद जनपद की सारी जनता में आक्रोश व्याप्त है। वहां की उत्तेजित जनता ने वित्त विभाग के एस0 डी0 ओ0 के स्कूटर को आग लग दी। रोज वहां 6–7 घंटे बत्ती गायब रहती है जिससे रोज प्रदर्शन होते हैं, जुलूस निकलते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जो मुख्तार अनीस साहब ने सूचना दी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, 23 अगस्त को ओबरा संघर्ष हुआ। आठ घंटे तक आग जलती रही। इससे पहले 30 अक्तूबर को जो आग लगी उस समय ओबरा में आपस में गुटबाजी चल रही थी और आज तक वह गुटबाजी है। मान्यवर, श्रमिकों और अधिकारियों में एक अलगाववाद हो गया है, पहले भी ओबरा में आग लगी थी करीब आठ घंटे तक ओबरा जलता रहा। इस समय जो ओबरा में गोलीकाण्ड हुआ उसमें श्रमिक यह मांग कर रहे थे कि हमको भी लंच का मौका मिलना चाहिए अधिकारी कहते थे कि लंच का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इसी बात पर विवाद बढ़ता गया और अन्त में गोलीकांड हो गया, जिसमें उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। मान्यवर महाराष्ट्र के श्री एस0 एन0 मिश्रा जो चेयरमैन बुला लिये गये हैं उन्हें जैनरेशन के बारे में जानकारी नहीं है, उनको विद्युत के बारे में जानकारी नहीं है मन्त्री जी से लेकर चेयरमैन तक ज्यादातर इंजीनियर आमदनी की जगह कार्य करना चाहते हैं। मान्यवर, कोई भी इंजीनियर ओबरा जैसे जैनरेशन में नहीं जाना चाहता। इसके लिए उन्हें अतरिक्त प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही पूरे प्रदेश में जहां पर ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों की बहुत चोरी होने के बाद अधिकारी लापरवाही करते हैं। वह नहीं होनी चाहिए। यह चोरी भी लाखों रुपयों की होती है।

मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन में कोयला और पानी की अत्यन्त आवश्यकता होती है। ऐसे समय में पानी और कोयले को अच्छी तरीके से सुरक्षित रखना ओबरा के लिए अनिवार्य है। एक बात और है कि तमाम ट्रान्सफार्मर चोरी होते हैं और बिजली के तार चोरी होते हैं। कम से कम मेंटीनेंस लाइन के बारे में देखना पड़ेगा। अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। ओबरा में कम से कम ओवर–हालिंग दृष्टिकोण से एक समिति बनाने का मैं बार–बार अनुरोध कर चुका हूं और मान्यवर, मेम्बर आफ जैनरेशन दूसरा भेजने का कष्ट करें।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ओबरा में एक संकट पैदा हुआ और आग लगी। लेकिन, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि वे कारण जिनसे बिजली की आपूर्ति नहीं होती,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कठिनाइयां होती हैं, आज ट्रेड यूनियनिज्म की भावना बहुत तेज हो गयी है। इसलिये झगड़ा कोई एक स्थान पर नहीं है। केवल ओबरा में ही नहीं, हर जिले में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच झगड़े हो रहे हैं। केवल उसी जगह नहीं और स्थानों पर भी तोड़फोड़ हो रही है। केवल बिजली के ही नहीं अन्य कर्मचारियों में भी यह भावना पैदा हो गयी है। इस पर अंकुश की आवश्यकता है। हर चीज पर, चाहे कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर दे दी जाती है। कोई चीज खुद नहीं सोचना चाहते। जो कुछ हुआ सरकार के द्वारा हुआ यह मनोभावना उचित नहीं है। उसके कारण में जाना चाहिये, उसको दूर करने की आवश्यकता है। अभी मुख्तार अनीस साहब ने एक स्वीपिंग रिमार्क अफसरों के ऊपर कहा है कि कूड़ा बढ़ाया है। इस तरह की बात ठीक नहीं है, बहुत खराब है। इन्हीं अफसरों ने अनेक डैम और योजनाएं बनायी हैं। कारखाने बनाये हैं। उनमें खराब भी हो सकते हैं, लेकिन सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। एक क्लास के लिये इस तरह के रिमार्क कहना उचित नहीं है। मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं कि बिजली की हालत अच्छी रही देहात और शहर दोनों में कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन कुछ न कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं मेरे शहर में भी हुई। इसकी जिम्मेदारी वहां के कर्मचारियों पर है। वहां दो-दो ट्रेड यूनियनें हैं और आये दिन झगड़ा होता रहता है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि काम आगे बढ़े तो इस क्षेत्र में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के अंकुश की आवश्यकता है।

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमन्, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो ओबरा में हुई रोकी जा सकती थी। वहां पर दो गेट हैं ए और बी। वहां पर 4 कैन्टीन हैं अन्दर। वहां बाहर से अन्दर सस्ता सामान मिलने के बजाय महंगा सामान मिलता है, महंगी चीजें मिलती हैं। भोजन नहीं मिलता है। वहां एक नये डिप्टी मैनेजर आये हैं उन्होंने आदेश कर दिया उनको लगातार बन्द रखा जाय, सिवाय जब शिफ्ट बदलता है। कुछ मजदूर गेट बी पर खड़े थे, वे चाय पीने के लिए बाहर जाना चाहते थे, किन्तु उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। जब 2 बजे शिफ्ट छूटी तो दूसरे शिफ्ट के मजदूर अन्दर आने लगे। वहां पर दोनों में झगड़ा हुआ। सी0 एस0 आई0 एफ0 के जवानों ने उनको लाठियों से पीटा और गेट नम्बर-ए तक उन्हें लाये। गेट-ए पर सी0 एस0 आई0 एफ0 के जवान पोजीशन लिये हुए थे। जब उन्होंने गोली चलाई तो उसमें एक रुस्तम अली ड्राइवर मारा गया और एक ट्रेड यूनियन का वर्कर मार दिया गया।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे प्रदेश के अन्दर बिजली उत्पादन के संयत्र हैं, उनमें सस्ती चीजें देने की व्यवस्था की जाय।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं यह समझता था कि 23 अगस्त को ओबरा में जो घटना हुई है, उसके सम्बन्ध में होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उस दिन की घटना पर बहस करने के बजाय विद्युत विभाग पर सामान्य चर्चा यहां पर की गई। जिस माननीय सदस्य ने इसे शुरू किया था, शायद उनको इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

शिष्य तो आपके ही हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्म दत्त--

यह जरूरी नहीं है शिष्य काबिल ही निकल जाय । आप भी मेरे मित्र हैं । मान्यवर, आज कल तो यह फैशन बन गया है कि यदि किसी को चेयरमैन बनाया जाय या मेम्बर बनाया जाय, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है । यहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जो जो चेयरमैन लाये हैं, उसके पीछे "मिश्रा" लिखा हुआ था, इसलिए उसे लाये हैं । मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एस0 एन0 मिश्रा को यहां लाने में मेरा सुझाव था, जिसे कृपापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी ने मान लिया था । उनको लाने का एक कारण था । वह यह था कि महाराष्ट्र के विद्युत परिषद प्रबन्ध बहुत कुशल है । खैर, इस घटना में कसूर किसका है और किसका नहीं है, इसे मैं नहीं बताना चाहता हूं । जब वहां पर यह घटना हुई तो मैं भी वहां पर गया । उस वक्त हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी वहां पर गये थे । उनके इस सहयोग के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । वहां पर मैंने सबसे बात की । हमने यह निर्णय लिया कि इस पर जुडीसियल इन्क्वायरी होगी । इसमें दो आदमी मारे गये और एक सी0 ए0 आई0 एफ0 का जवान भी मारा गया । जितना फण्ड्स से पैसा मिल सकता था, उतना हमने देने की कोशिश की । यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपये मिल जाय, इस बात को हमने कोशिश की । वहां की स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जनरल मैनेजर, ओबरा और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई । स्टेट लेबल पर भी हम इसका प्रबन्ध कर रहे हैं । माननीय श्री विद्या-सागर नौटियाल जी ने जो कैन्टीन की व्यवस्था के बारे में प्रश्न उठाया है, उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि कैन्टीन की व्यवस्था की जाय । इस घटना के होने के बाद मैं वहां पर दो दफा जा चुका हूं, तीसरी दफा जाने की तैयारी है ।

मान्यवर, वहां जो मूल दिक्कत है, वह है बहुत वर्षों से आ रही अनुशासन-हीनता । जहां 3-4 हजार आदमी होने चाहिए थे, वहां पर 8-10 हजार आदमी काम करते हैं । इसके अलावा ओबरा में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह हो नहीं रही है, इसलिए मैंने यह सिफारिश की थी कि वहां का प्रशासनिक ढांचा और विकास का ढांचा सुदृढ़ किया जाय, साथ ही यह भी अपील की थी कि जितनी भी यूनिटस हैं, चाहे राबर्ट्सगंज हो, डाला हो, पर्क हो, रेनूकोट, रिहण्ड पावर हाउस हो, चाहे सिंघरौली कोल माइन्स हो, सभी का सामयिक विकास होना चाहिए । दूसरे वहां का प्रशासक भी ठीक होना चाहिए दूसरी बात यह कही गयी कि ओबरा में जनरल मैनेजर ठीक नहीं है जनरल मैनेजर पहले माथुर थे, उनके बारे में कहा गया कि यह इस काम के इक्सपर्ट नहीं हैं फिर एम0 के0 जैन को वहां भेजा गया, इनको कहा गया कि यह इस काम की टेक्निक नहीं जानते हैं तो इस कार्य के एक इक्सपर्ट वहां भेजे गये मिस्टर टन्डन ।

इसलिए मैं एक बात अवश्य अपील के रूप में कहना चाहता हूं जैसा कि यह कहा गया कि जैनरेशन बिजली का कम है, मैं मानता हूं, विद्युत परिषद् में सुधार की आवश्यकता है, इसको भी मैं मानता हूं । लेकिन इस ओर हमारा बराबर प्रयास रहा है कि हम हर जगह पर्याप्त मात्रा में बिजली दें, लेकिन बीच में हमारे सामने हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर और रिहण्ड में एक मुसीबत सामने आ खड़ी हुई कि जहां से कोयला सप्लाई होता है, वहां पर पानी भर गया, इस लिए यह सारी गड़बड़ी जो कुछ हुयी, उसके सारे कारण यही थे । अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि अक्तूबर और दिसम्बर तक इन सारी परेशानियों

पर काबू पा लिया जायेगा और जनरेशन अपनी पूरी स्टेज पर आ जायेगा । साथ ही एक अपील में और करना चाहूंगा बड़े दुख: के साथ कि जो काम हम करना चाहते हैं, जो आदमी जिस लायक हैं, उससे वह काम हम लेना चाहते हैं, लेकिन इस काम में हमारे ही साथी रोड़ा लगाते हैं, तो इससे स्थिति पर काबू पाना कभी-कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है ।

एक सदस्य--

उधर के ही लोग आपके काम में रोड़ा बनते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मेरे पास सभी के पत्र मौजूद हैं और मुख्तार अनीस के तो बहुत से हैं, तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह से जब इस तरफ के या उस तरफ के बैठने वालों की सिफारिशें आ जाती हैं तो फिर कहीं न कहीं दबना पड़ता ही है, इस लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि इतनी कृपा अवश्य करें कि 6 महीने तक जिससे हम जो काम लेना चाहते हैं वह करने दिया जाए ताकि हम बिजली की आपूर्ति में कामयाबी हासिल कर सकें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

*श्री मुख्तार अनीस--

हमारा एक सवाल है कि आपकी थर्मल पावर की कुल जनरेशन 1,550 मेगावाट है और इसकी 200 मेगावाट की कई मशीनें जो पिछले तीन सालों से काम नहीं कर रही हैं, उनकी मरम्मत क्यों नहीं अब तक हो पायी है या हो पा रही है और पिछले साल जो अग्निकाण्ड हुआ था, उसमें जो मशीनें खराब हुई थीं, उनकी मरम्मत में क्यों देरी हो रही है । इसकी क्षमता जो 425 मेगावाट रह गयी है, इसको बढ़ाने के लिये आपने क्या काम किया है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

एक अक्लमन्दी की और अच्छी बात आपने कहीं है, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा । मैं मान्यवर, यह मानता हूं कि हमारी सारी मिला कर 27 मशीन्स हैं, उनमें से 20 का रिनोवेशन जरूरी है । अभी एक सदस्य ने कहा कि बी0 एच0 ई0 एल0 को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है । यह फैसला किया गया है, उसकी बाबत केन्द्र सरकार ने योजना बनायी इन मशीनों को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रुपये की और हमारी योजना 100 करोड़ रुपये की है । मैंने स्वयं बी0 एच0 ई0 एल0 के अध्यक्ष से कहा है, इस काम के बाबत 100 करोड़ रु0 का काम हम बी0 एच0 ई0 एल0 को दे रहे हैं, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे इससे बी0 एच0 ई0 एल0 भी शक्तिशाली बनेगा । अगर जापान और फ्रांस से मशीनें लेंगे, तो आत्म निर्भर नहीं बन पायेंगे । उनके ओवरहाल की स्कीम बना रहे हैं । दो मशीन के चलने का सवाल है, उसकी बाबत भी कार्यवाही हो रही है । उसमें कोई देरी नहीं हुई है, जो शेड्यूल प्रोग्राम है, उसके अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री अधिष्ठाता--

अब ओबरा तापगृह में गोली काण्ड से सम्बन्धित चर्चा समाप्त । अब हम मद संख्या 21 पर आते हैं ।

प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चली जा रही है । मैं कुछ बातें आंकड़े के तौर पर कह कर बाकी बातें कहूंगा। मुझको जो गृह और पुलिस से आंकड़े मिले हैं, उनको मैं उद्धरित करना चाहता हूं । 1983 में प्रदेश में डकैतियां पड़ी हैं 1223 और 1547 डकैती 1984 में पड़ीं । अभी वर्ष 1984 पूरा नहीं है इस बीच डकैती का प्रतिशत 26·49 प्रतिशत बढ़ा है । लूट की संख्या बढ़ी है, 1983 में 2728 लूट की संख्या थी जबकि 1984 में 3649 लूट की संख्या हुई । लूट का भी प्रतिशत 33,76 बढ़ा । हत्या में भी वृद्धि हुई, 3297 वर्ष 1983 में हुई और 3540 वर्ष 1984 में, इसमें भी 1983 की अपेक्षा 1984 में वृद्धि का जो प्रतिशत है वह 7·37 है । दंगों में भी वृद्धि हुई 15·77 प्रतिशत की, गृह भेदन में भी 12·97 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह कुछ ऐसे मोटे आंकड़े हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि जहां हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर शासन का अंकुश और नियन्त्रण होना चाहिए, वहीं सम्पूर्ण प्रशासन निरंकुश की तरह ऐसा आचरण कर रहा है कि कानून और व्यवस्था के ऊपर से पकड़ शासन की समाप्त होती जा रही है । और पिछले 2–3 महीनों में सामूहिक हत्याओं का कीर्तिमान स्थापित हुआ ।

मान्यवर, इतनी सामूहिक हत्यायें विगत वर्षों में हुई नहीं, जितने पिछले तीन महीनों में सामूहिक हत्यायें हुई । डेढ़ दो सौ से अधिक मौतें हुईं । 4–5 हृदय विदारक घटनाएं हुई जिसमें से एक घटना लखमीपुर जौनपुर में मई महीने में हुई । जिसमें 13 व्यक्तियों की हत्या हो गयी । दूसरी घटना उसी महीने में 26 तारीख को हुई अरथा गांव में, जहां 15 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या की गयी । तीसरी घटना 26 तारीख को जुलाई महीने में हुई रायबरेली में, जो वी0 आई0 पी0 लोगों का जिला है और प्रधान मन्त्री का जिला है, उस जिले में 11 हरिजनों की सामूहिक हत्या हुई । मुजफ्फरनगर में इसी महीने में 13 तारीख को 12 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या हुई । इसी प्रकार मेरठ उन्नाव और बाराबंकी में भी दर्जनों लोगों की सामूहिक हत्याएं हुई हैं । इस तरह से सामूहिक हत्याओं का जो एक कीर्तिमान पिछले तीन महीनों में स्थापित हुआ, उसका कहीं भी दृष्टांत इतिहास के पन्नों को पलटने में नहीं मिलता है । इसी के साथ साथ श्रीमन् इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि सामान्य लोगों को सुरक्षा देने की बात तो कौन कहे स्वयं इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको मैं अब चुनाव प्रताप सिंह की संज्ञा भी दे सकता हूं क्योंकि इस प्रदेश में चुनाव कराने की ही मंशा से कांग्रेस अध्यक्ष बना कर इनको भेजा गया है । उनकी स्वयं की पत्नी श्रीमती सीता देवी चलती हैं दिल्ली से इलाहाबाद को । उनके डिब्बे में घुस कर किसी ने उनके हीरे और जवाहारात के जेवर लूट लिये, कानपुर में वह एफ0 आई0 आर0 लिखाती हैं । कौन से चोर घुसे उनके डिब्बे में ? कितने का सामान था ? पुलिस कोई खुलासा नहीं कर सकी । इसी प्रदेश की सरकार के एक मन्त्री हैं, उनकी पत्नी जाती हैं महानगर में उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां सबसे अधिक सुरक्षा की बात की जाती है, दिन के 12 बजे जौहरी की दुकान से बदमाश उनका पर्स लेकर भाग जाते हैं । पुलिस कोई पता नहीं लगा पाती है । इस बात को कहते हुये मुझे बड़ा अफसोस है कि जब कानून व्यवस्था पर चर्चा चल रही है तो मुख्य मन्त्री जी यहां विराजमान नहीं है, लेकिन उनकी खड़ाऊं विराजमान है, जिसे राज्य गृह मन्त्री कहते हैं ।

(हंसी)

यह स्वयं जब रेल में यात्रा करते थे, 3–4 घटनाओं में यह स्वयं लूटे गये हैं। कोई सुरक्षा उन लोगों की भी, जिन्हें वी0 आई0पी0 कहते हैं, नहीं रह गयी

हैं। सुरक्षा के लिये तैनात उत्तर प्रदेश की पुलिस, उसके दो-दो सब-इंस्पेक्टर इसी राजधानी में मारे गये, दिन में। यह 2 जुलाई की घटना है। एक तो गृह राज्य मन्त्री के घर के नजदीक मारा गया। 2 जुलाई बीत गयी, आज ढाई महीने से अधिक हो गया, किन्होंने मारा, पुलिस खुलासा नहीं कर सकी। एक के बाद एक घटनाओं की चर्चा करके सदन का समय जाया करना नहीं चाहता, लेकिन यह घटनायें कलंक हैं इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। इससे ऐसा आभास होता है कि उत्तर प्रदेश में शासन में बैठे हुए लोगों की अपराधी तत्वों से सांठ-गांठ है और उनको उनका संरक्षण प्राप्त है।

(शोर)

एक समय था जब पुलिस को बदमाशों को ढूढ़ने के लिये चम्बल में जाना पड़ता था, आज बदमाशों को ढूढ़ने के लिए बीहड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है, मन्त्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के घर में पुलिस घुसे तो बदमाश मिल जायेंगे।

(शोर)

समाचार पत्रों की बात कहना चाहता हूं। इसमें कितनी सत्यता है, इसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन उनका खुलासा नहीं हुआ। बदमाश पकड़े गये हजरतगंज, लखनऊ में खबर छपी, यहीं के भूतपूर्व मन्त्री का टेलीफोन जाता है कि यह आदमी अच्छा है, इसको जबर्दस्ती गिरफ्तार किया गया है, इसको छोड़ दिया जाय। प्रदेश के डायरेक्टर जनरल के घर में जाकर एक विधायक गाली-गलौज करते हैं, अखबारों में खबर छपती है, प्रशासन की मर्यादा भंग होती है।

आस्ता की घटना के बाद अखबारों में खबर छपी थी कि प्रशासन का दुश्मन नं0 1 श्री राम है, दुश्मन नं0 2 लालाराम है और दुश्मन नं0 3 कुसुमा नाइन है। कहां है दुश्मन नं0 1, कहां दुश्मन नं0 2 और कहां है दुश्मन नं0 3? यह प्रदेश की पुलिस और गृहमन्त्री पूरे प्रदेश को बताने की कृपा करें? जिन निर्दोष लोगों को मारा उन बदमाशों के गिरोह ने, जिनके बारे में खुले आरोप थे कि लाला राम को पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। जब घटना हुई थी तब बेहमई काण्ड के बाद आरोप लगाये थे पिछले तीन वर्षों से वह गिरोह उस जगह में घूम रहा है और उसने 15 आदमियों की सामूहिक हत्या कर दी और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे दुश्मन नं0 1, दुश्मन नं0 2 और दुश्मन नं0 3 कह कर छुट्टी पा ली। यदि आप उनको नहीं मार सकते हैं तो हम इतने बड़े प्रशासन पर इतना रुपया क्यों खर्च करते हैं? हम पुलिस प्रशासन के ढांचे को मजबूत करते चले जा रहे हैं। स्टेट रिफार्मेशन कमीशन ने कहा कि प्रोन्नति के अवसर बढ़ाने के नाम पर नये पद नहीं सृजित किये जाने चाहिये लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 24 आई0 जी0, 3 डी0 आई0 जी0 हो गये क्योंकि तर्क यह दिया जाता है कि आई0 ए0 एस0 कैडर में 33 से 44 आई0 ए0 एस0 हैं, कनिष्ठ हैं तो इसी होड़ में यह प्रोन्नतियां की गयी हैं, जबकि आई0 जी0 रैंक के लोग एडहाक पर हैं। एक आई0 पी0 एस0 अफसर सुना जाता है कि आई0 जी0 रैंक का 5 लाख रुपया लेकर दिल्ली में डी0 जी0 बनने के लिये टहल रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी।

अभी थोड़े दिन पहले एक अखबार में यह खबर छपी कि एक आई0 जी0 रैंक का आफिसर एक लड़की को अपनी पत्नी बना कर कहीं बाहर से ले आया, इस बात की जांच कराने की और उसने इस तथ्य को सही पाया। आज आपने उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोगों को आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश में 12 एस0 पी0 ऐसे तैनात हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, तो फिर कैसे प्रशासन में आप सुधार लायेंगे?

हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या कर दी गयी। यह हत्या एक मुख्य मन्त्री के भाई की नहीं की गयी बल्कि एक ईमानदार जस्टिस की यह हत्या थी। इस सम्बन्ध में एक अपराधी जगतपाल यादव, जो पकड़ा गया वह सबके सामने कहता है कि हम अपराध करने के लिए एस0 पी0 को 10 हजार रुपया दिया करते थे। आपने उसको बलिया का एस0 पी0 बनाया और बलिया वाले को हटा कर बस्ती भेज दिया। बस्ती वाले को गाजीपुर भेज दिया एस0 पी0 बना कर। एक एस0 पी0 पर तीन-तीन घर बनाने की की जांच चल रही है उसको आपने बलिया का एस0 पी0 बना दिया। जिसके खिलाफ आरोप हों उसको आपने खीरी-लखीमपुर में तैनात कर दिया एस0 पी0 बना कर। जिसके शासन का यह हाल है जिनके ऊपर रिश्वत लेने के आरोप हैं क्या उनके हाथ में प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दी जायेगी ?

आप इस तरह से प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं, यह मेरा आरोप है। डिप्टी एस0 पी0 रैंक पर आपने 375 इंस्पेक्टर तैनात कर दिये और आज लगभग 650 व्यक्ति कार्यरत हैं उत्तर प्रदेश में इंस-पेक्टर रैंक में इसमें प्रमोट हो कर उसमें 375 व्यक्ति आये हैं और वे कन्फर्म नहीं किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में हमारे डी0 जी0 ने कहा कि कोई व्यक्ति, जो पुलिस प्रशासन में कांस्टेबिल के रूप में आता है उसको हम जीवन में तीन प्रमोशन देंगे। जब आप उन्हें कन्फर्म ही नहीं करेंगे तो प्रमोशन कैसे दे देंगे ? हमारी स्टेट में जो आई0 पी0 एस0 आते हैं वो तो आल इण्डिया लेविल के होते हैं, तो यह सोचने की बात है कि क्या हम इस तरह से प्रमोशन के एवन्यूज खोल रहे हैं ?

आज प्रदेश के अन्दर डी0 जी0, आई0 जी0, डी0 वाई0 एस0 पी0 सब वी0 आई0 पी0 को निजी सुरक्षा के लिये परेशान हैं और इस कार्य के लिये शंडो के रूप में पुलिस के तीन हजार आदमी लगे हुए हैं। उनका सुख-सुविधा का विरोध न करने से पूरा प्रशासन असहाय हो गया है और प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, सरकार अपंग हो गयी है। मान्यवर, गुन्डा ऐक्ट में मुकदमें चल रहे हैं, लेकिन जो कभी गुन्डा नहीं रहा, उन पर मुकदमें चल रहे हैं। जिनको नहीं बन्द होना चाहिये वह बन्द किये गए हैं और जिनको बन्द किया जाना चाहिये वह बन्द नहीं किये जाते हैं। यही कारण है कि शान्ति और व्यवस्था के नाम पर पूरे प्रदेश में अशान्ति है और जो साधारण जनता है वह अपने को असहाय महसूस करती है। आपके जो पुलिस अधि-कारी हैं, मारे जाते हैं। गोरखपुर का डी0 वाई0एस0पी0 मारा गया, के0पी0 सिंह। इस सदन में घोषणा हुई कि 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उसके परिवार वालों को दी जायेगी, लेकिन मान्यवर, 2 वर्ष से अधिक हो गया है, वह सहायता उसके परिवार वालों को नहीं मिली है।

मेरे साथ का पढ़ा हुआ, शिव बरन सिंह, एस0 ओ0 है, उसको एनकाउन्टर में गोली लगी। उसकी टांग टूट गयी। मैंने उसके बारे में 15 पत्र लिखे, 12 महीने से उसको तलब नहीं मिल रही है। इसी सदन के बाहर घोषणा की गयी कि जो एस0 आई0 मारा जाये। उसके परिवार वालों को ग्रेचुटी, लाइफ इन्श्योरेन्स देने की व्यवस्था की जायेगी। लेकिन यह सुविधायें उनको कहां मिलती हैं, आप बतायें। उनके परिवार वालों को कोई देखने वाला नहीं है, उसको देखने के लिये कोई नहीं गया। यह ऐसा शासन है जो आम जनता को शान्ति नहीं दे सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बहस की शुरुआत करता हूं।

(मुख्य मन्त्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम कुमार भार्गव--

पहले माननीय सदस्य बोल लें, तब माननीय मन्त्री जी सभी का उत्तर दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

नियमानुसार माननीय मन्त्री जी का बोलना है। वह संक्षेप में अपना उत्तर दे दें।

*गृह राज्य मन्त्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य माननीय मोहन सिंह जी ने जो चर्चा का विषय उठाया है और सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, जहां तक आपने जो सुझाव दिये हैं उनका प्रश्न है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनको मैं निश्चित रूप से समावेश करूंगा। जहां तक आपने जो कुछ बिन्दु उठाये हैं, उनका सम्बन्ध है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति पहले से सुधरी है। आंकड़ों के अनुसार जो डकैतियों की संख्या है वह घटी है।

(कई माननीय सदस्य--यह सब माननीय मन्त्री जी बाद में बता दें।)

श्री अधिष्ठाता--

आप संक्षेप में जबाब दे दें।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, शान्ति व्यवस्था में सुधार आया है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी भगोड़े सिख लोग, 1,500 लोग, जिनको पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ कर सराहनीय कार्य किया है। मैं गाजियाबाद गया था वहां पर ढाई लाख रुपये की डकैती जो बैंक में पड़ी, उसमें बीरेन्द्र शर्मा सी० ओ० ने बड़ी बहादुरी का काम किया। इस तरह के कार्य पुलिस कर रही है। अब माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर लें मैं उनका उत्तर बाद में दे दूंगा।

श्री भीखा लाल--

अधिष्ठाता महोदय, जब मोहन सिंह जी बोल रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी अपनी सफाई में आंकड़े पेश करेंगे कि जुर्म घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। वही बात माननीय राज्य मंत्री जी ने कही कि जुर्म घट रहे हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में घट रहे हैं या नहीं। जुर्म घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, यह आप और हम सब जानते हैं। मान्यवर, शांति व्यवस्था की आज यह स्थिति है कि कत्ल अब एक-दो नहीं होते हैं। जैसा कि मोहन सिंह जी ने बताया दर्जनों की तादाद में कत्ल होते हैं और शांति व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है।

(इस समय 6 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आज केवल निरपराध लोग ही नहीं मारे जाते हैं, गरीब लोग ही नहीं मारे जाते हैं बल्कि कत्ल को रोकने वाले जो लोग हैं जो पुलिस के लोग हैं वे मारे जाने लगे हैं। क्या कानपुर में दो थानेदारों की पिस्तौलें मार-पीट करके बदमाशों ने नहीं छीन ली और उसी गिरोह के सरगना को जब लखनऊ में मारा गया तो दो घन्टे के अन्दर लखनऊ में दो थानेदारों को नहीं मारा गया ? तो शांति व्यवस्था की इस स्थिति को आप अच्छा कहेंगे ? यह स्थिति अच्छी नहीं है ?

आज जो प्रश्न है वह पूरे प्रदेश की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में है। इसकी गहराई में जाकर चिन्तन करना पड़ेगा कि शांति व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ रही है। उसका एक कारण यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि आज बदमाशों को, अराजक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और उसी के कारण शान्ति व्यवस्था भंग हो रही है। उनका इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया जाता है। मैं इसके लिये शासन पर चार्ज लगाता हूं, शासक दल के लोगों पर लगाता हूं कि आज इनके हर नेता की जेब में 10-10 और 20-20 गुंडे पड़े हुए हैं। अगर उनका प्रयोग चुनाव के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जायेगा तो आंकड़ों से चाहे आप जितना भी साबित कर लें, इससे शांति व्यवस्था में कमी नहीं आयेगी। हमको आपको बैठकर गहराई से चिन्तन करना पड़ेगा। हमें अपने लिए एक आचार संहिता पर विचार करना पड़ेगा और सबको उसका पालन करना होगा जिससे हम राजनीतिक जीवन को स्वच्छ कर सकें और असामाजिक तत्वों का बहिष्कार कर सकें। चुनाव आने वाले हैं। हिस्ट्री शीटर्स को टिकट बांट दिये जायेंगे तो उससे शांति व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

आपका लाहौर से प्लेन हाइजेक होता है, विदेश के लोग उनको पकड़कर आपको वापस करते हैं, उन पर मुकदमा चलाते हैं लेकिन आप अपने प्रदेश के हाईजैकर्स को सम्मानित करके यहां बिठा देते हैं। तब आप शांति व्यवस्था ठीक करने की बात कहते हैं।

(व्यवधान)

*श्री भोला पांडेय—

जनता पार्टी ने हमारे ऊपर मुकदमा चलाया था...

श्री भीखा लाल—

आप गुंडों को शरण देते हैं, अराजक तत्वों को शरण देते हैं। अगर इस पार्टी के लोग एक-एक करोड़ की हीरोइन की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जायेंगे तो इस प्रदेश की पुलिस, इस प्रदेश के डी0 जी0, इस प्रदेश के आई0 जी0 शांति व्यवस्था को कायम रख सकेंगे? शासन के लोग शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की खुद जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, शासक दल जिम्मेदार है। यही लोग उसका बढ़ावा दे रहे हैं। अराजक और असामाजिक तत्वों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, विधान सभा में बिठाया जा रहा है, पार्लियामेंट में बिठाया जा रहा है। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, इसके लिए आचार संहिता नहीं बनेगी तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। पुलिस के लोगों को कोसा जाता है कि पुलिस निकम्मी है।

मैं कहता हूं कि उसको निकम्मा किसने बनाया है। इस सरकार ने और शासन ने उसको निकम्मा बनाया है अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। उसके ऊपर दबाव पड़ता है। इस स्थिति पर तब कैसे पुलिस कंट्रोल कर सकेगी। आज जो वारदातें बढ़ रही हैं, उसका एक कारण यह भी है। आंकड़े देने से स्थिति सुधर नहीं सकती। आप दैनिक जीवन में महसूस करें कि क्या शांति व्यवस्था ठीक है। मंत्री जी स्वयं महसूस करें कि क्या जब तक उनके बीबी के जेवर चोरी न हो जायं तब तक यहां पर शांति व्यवस्था ठीक है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। मैं पुनः कहता हूं कि असामाजिक और अराजक तत्वों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए।

श्री भोला पांडेय—

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन की आज सबसे बड़ी दुर्घटना सबसे बड़ी हास्यास्पद घटना मैं समझता हूं। इस आदरणीय सदन की है कि जो व्यक्ति खुद में हत्यारा रहा हो वह आज ला-एण्ड आर्डर की बहस करे। देवरिया में अटल की हत्या का मुकदमा माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मोहन सिंह के ऊपर चला है यह सब जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप नाम लेकर नहीं कहेंगे ।

श्री भोला पांडेय—

मैंने हास्यास्पद बात कही इस बात से वह इनकार नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

उधर से भी अभी नाम लिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

भोला पांडेय जी का नाम नहीं लिया गया ।

श्री भोला पांडेय—

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर सुनिश्चित जानकारी है तो फिर नाम क्यों नहीं लिया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नाम नहीं ले सकते हैं ।

श्री भोला पांडेय—

मान्यवर, आप मेरी बात सुनें । 1980 में जब कांग्रेस पार्टी का शासन आया और जनता पार्टी के शासन का मलबा मिला ला–एण्ड आर्डर की जो बिगड़ी हुई हालत मिली उसको सुधारने का पूरा प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया इसकी नजीर आपके सामने है । दुनिया के किसी इतिहास में आपने नहीं देखा होगा कि किसी मुख्य मंत्री ने ला–एण्ड आर्डर की बिगड़ी हुई स्थिति में अपना इस्तीफा दिया हो । यह कांग्रेस हुकमरानों की नैतिकता है, लोकदल या जनता शासन में कहीं ऐसा नहीं हुआ । यह कांग्रेस शासन की जिम्मेदारी है जिसने कानून व्यवस्था को सुधारा है । माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है । हम इस बात को कबूलते हैं लेकिन उसको हमने सुधारा है । उन्होंने अखबारों का जिक्र किया । मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस के यहां एक मामले में गया । वह बनारस की घटना है । आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों, अनियमितता के आरोप हों उस व्यक्ति को फील्ड में नहीं जाना चाहिए लेकिन वहां ऐसा हुआ । इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बनारस के एस0 एस0 पो0 चाहे शासन सी0 बी0 आई0 से इन्क्वायरी करा ले, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि यह एस0 एस0 पी0 थानों को बेचता है । यह बात सब जानते हैं कि वहां के एस0एस0पी0 के साले से भेलूपुर के इंस्पेक्टर द्वारा पान मंगाने पर वहां के एस0 एस0 पी0 ने रात के एक बजे उसका ट्रांसफर कर दिया । इस बात को वहां के तमाम लोग जानते हैं और अखबारों में भी यह बात आई, वहां के छात्र नेताओं ने और कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया उन्होंने हमसे इस बात को कहा कि तुम लखनऊ जा रहे हो इसलिए इस बात का जिक्र वहां जरूर करना ।

मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि जहां इस तरह की बात होगा वहां भोला पांडे पीछे नहीं रहेगा । मैंने इस बात को गृह सचिव से कहा, उनको अखबारों की कटिंग भी दी उन्होंने इस बात को कबूल किया कि कुछ गलतियां हुई हैं । गृह सचिव ने कहा मैंने आदेश डी0 जी0 पी0 को भेज दिए हैं कि वहां उनको न रहने दिया जाय ।

(व्यवधान)

आप मेरी बात को सुनें मैं आपसे ज्यादा जवाब दे सकता हूं । तो श्रीमन्,

में यह बात करने के लिए डी० जी० पी० के यहां गया था ।

(व्यवधान)

मैं दावे के साथ आज भी कहने की हैसियत रखता हूं, आपसे अधिक क्षमता मेरे में है । मैंने उनसे कहा कि उस इंस्पेक्टर के साथ एस० एस० पी० ने ज्यादती की है ।

(व्यवधान)

जहां अन्याय होगा वहां मैं खड़ा हूंगा । माननीय मोहन सिंह जी मैं आपसे ज्यादा क्षमता रखता हूं, क्वालिफिकेशन में भी मैं आपसे ज्यादा हूं । मैंने कभी डी० जी० पी० से अपशब्द नहीं कहे । मैंने वहां के एस० एस० पी० के बारे में कहा कि वह इस तरह की बात कर रहा है और डी० जी० पी० ने आदेश भेजे थे कि उस इंस्पेक्टर को वहीं रहने दिया जाय । पुनः हेड आफ दि डिपार्टमेंट के आदेश को कैसे वापस ले लिया गया ।

(व्यवधान)

यह बात तमाम अखबारों में भी आई है । आज फोर्सेज को डिमोरलाइज किया जा रहा है छोटे कर्मचारियों को डिमोरलाइज किया जा रहा है । मैं इससे इनकार नहीं करता कि केसेज का मिनिमाइजेशन हो रहा है ।

(6 बजकर 20 मिनट)

केवल अपनी छवि बनाने के लिये, केवल अपने हेड आफ डिपार्टमेंट की कुर्सी बनाने के लिए ।

मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि आज फोर्स के साथ ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इसलिए जो थाने में छोटा आदमी काम करता है उसके साथ ह्यूमिलेट न करने की व्यवस्था की जाये । माननीय, जनता पार्टी के शासन में जो कुकर्म होते थे और उनको जिस तरह से दबाया जाता था वह किसी से छिपा नहीं है । लखनऊ में ए० पी० सेन रोड पर जनता शासन में हत्या करायी गयी लेकिन होम सेक्रेटरी के माध्यम से 302, का मुकदमा हटा लिया गया । इसलिए मैं श्री मोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि चाहे तो उसकी इंक्वायरी करा लें तो वास्तविकता सामने आ जायेगी । जनता शासन में रहे लोग जो विपक्ष में बैठते हैं उनका दामन किसी भी तरह से साफ नहीं है । सत्ता पक्ष पर आरोप लगते हैं और मेरे बारे में कहते हैं तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी वह जन्म कुंडली उठा कर देख लें तो यह नहीं कह सकते हैं कि भोला पांडेय के दामन में कोई दाग लग सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त । आप बैठें ।

श्री भोला पांडेय—

मान्यवर, श्री मोहन सिंह जी ने अपनी एक नजीर बलिया के एस० पी० के बारे में दी । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बलिया का एस० पी० जितने दिन वहां रहा तो उसने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाये रखा ।

मान्यवर, लखनऊ की राजधानी में सड़कों पर वाहन चोरी या ट्रेनों में लूट का सवाल हो, यदि जांच करायें तो जनता शासन से कम मिलेगी । मुलायम सिंह के ऊपर हमला हो और उसका हत्या का आरोप मंत्री पर लगायें, तो यह हमारे शासन की नैतिकता है कि सी० बी० आई० से जांच करा लें लेकिन उनमें दमखम नहीं था कि जांच के लिए कहते क्योंकि कोतवाली में बैठकर हत्या यदि न करायी हो तो सिद्ध कर दे तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । आपका समय बहुत पहले समाप्त हो चुका है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं चूंकि मेरा नाम लिया गया है। हमारे विद्वान साथी जिनके पास डाक्टरेट की डिग्री है उन्होंने हत्या के सिलसिले में मेरा नाम लिया। मैं उतनी ही सत्यनिष्ठा से कह सकता हूं कि रेल की पटरी उखाड़ने, झगड़ा करने, काला झंडा दिखाने के कई मुकदमे मेरे खिलाफ चले, लेकिन किसी की हत्या में साजिश करने की है या की है, ऐसा कोई मुकदमा आजतक मेरे जीवन में सौभाग्य या दुर्भाग्य से नहीं चला है। इसलिए उनके मुंह से ऐसा कहना ठीक नहीं है।

*श्री फखरे आलम--

अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, सदन में ऐसा होता है :--

बवक्ते मुस्तहद ऐसा भी होता है

जमाने में,

कि रहजन को अमीरे कारवां

कहना ही पड़ता है।

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले तो यह शेर था लेकिन अब यह वाक्य है कि रहजन को अमीरे कारवां कहते-कहते इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उस दिन की सोचें जब यह रहजन जो अमीरे कारवां बनाये गये हैं और बनाये जाने वाले हैं, वह पूरी तरह से हावी हो जायंगे। तो इस मुल्क का क्या हाल होगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, महात्मा गांधी जिन्दा थे, तो उन्होंने कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान में घी-दूध की नहरें बहने लगेंगी, हर आदमी को रोटी और मकान मिलेगा, हर बीमार को दवा मिलेगी। लेकिन आज उसके उल्टे हर जगह डाकू, चोर और राहजन भरे हुए हैं। पहले तो यह कहा जाता था कि हर शाख पर.....बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? आज हालत यह है कि हर स्थान पर चोर, डाकू और राहजन मुस्तैदी से बैठे हुए हैं। जिस वक्त श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, जो बड़े ईमानदार मुख्य मन्त्री थे, उनके बारे में मैंने जब वह थे तब भी कहा और आज भी कहता हूं कि वह बहुत ईमानदार मन्त्री थे। उस ईमानदार मुख्य मन्त्री के समय में ला एण्ड आर्डर की जो स्थिति थी, डाकुओं का जो हाल था, उस हालात को पैदा किया गया था, ताकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी नाकामयाब हो जायें। उसके चलते हालत यह हुई कि उन्हीं के भाई की हत्या हो गई अब वह हट गये हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रेसीडेन्ट बनाकर भेजे गये हैं। मैं समझता हूं अब वह राहजनों, चोरों और डाकुओं को बढ़ावा देंगे क्योंकि वह अपने को अब बचाने की चेष्टा करेंगे...

(व्यवधान)

मान्यवर, आपको मालूम होगा कि यहां एक जज का अपहरण कर लिया गया था और 19 दिनों तक उसका पता नहीं चला था।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर उनके नाम के बारे में यहां चर्चा क्यों की जा रही है?

श्री अध्यक्ष--

बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री फखरे आलम--

(व्यवधान)

तो 19 दिन बाद उस जज को मैं ले और फटे हुए कपड़े पहने सड़क के किनारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाया गया। जहां एक जज की यह हालत है वहां पर दूसरे लोगों और सामान्य जनता की क्या हालत होगी, यह कल्पना करने की बात है। इसी लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है, दिनदहाड़े लल्लू सिंह वकील का अपहरण कर लिया गया और फिर उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या हो रही है जो ला ऐण्ड आर्डर को मेन्टेन करने वाले लोग हैं और जो अपराधियों को सजा देने वाले शासन के खास लोग हैं। इनका जब यह हाल है तो अब क्या बाकिया होगा, उसकी कल्पना कीजिए। हम यह समझते थे कि आजाद भारत में यह होगा कि हर आदमी, हर परिवार सुरक्षित होगा। अंग्रेजों के जमाने में, जिसको हम बुरा कहते हैं, अगर रात को दो बजे भी कोई बच्चा रुपये से भरा थैला लेकर सड़क से गुजर जाए तो उसको कोई छूने वाला नहीं था। आज जो हुकूमत में हैं, वह यह न समझें कि वह सुरक्षित हैं, क्योंकि—

असुर्द साहित तो है,

मगर शायद यह तुझे मालूम नहीं,

साहिल से भी मौजें उठती हैं,

खामोश भी तूफां होते हैं।

उत्तर प्रदेश में और पूरे हिन्दुस्तान में जो तूफान आने वाला है, उसका आप अभी से अंदाजा लगाइये। ला ऐण्ड आर्डर की हालत न ठीक हुई तो पब्लिक उसे खुद ठीक करेगी और हम शासन में आ जायेंगे तो हम खुद ठीक करेंगे।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, यह संयोग है कि फखरे आलम साहब के बाद मुझे मौका मिला है....

श्री अध्यक्ष—

क्या आप भी शायरी पढ़ेंगे।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं नहीं सुनूंगा। उनकी शायरी का जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि समय सीमित है। श्रीमन्, आदरणीय सदन प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार कर रहा है और दोनों पक्षों के माननीय सदस्य अपनी तरह की भावनायें व्यक्त कर रहें हैं। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, या विरोध पक्ष के सदस्य हों, कानून व्यवस्था अच्छी रहे, अच्छ हो इसमें सब एक राय हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे आदरणीय एवं सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय भोलालाल जी ने एक तरफ इशारा किया है मैं उनके इशारे की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात स्पष्ट है, कानून व्यवस्था चाहे किसी भी शासन को हो उसकी आप तुलनात्मक विवेचना कर सकते हैं। कानून व्यवस्था पहले क्या थी और अब क्या है यह देखना चाहिये। क्या आप भूल गये हैं। माननीय मोहन सिंह जी, आपने भी अखबार का सहारा लिया है। उन दिनों जब आप इधर बैठते थे और हम उधर बैठते थे तो अखबार देखते थे। अखबार में निकला था, इटावा में एक मन्त्री और एक डकैत मंच पर बैठे हुए थे। जनता ने इशारा किया कि यह डकैत है। तो क्या आप इसे भूल गये हैं। अखबार हमने भी पढ़े थे। क्या आपको वह वक्त याद नहीं है जब आपके कुकर्मों के कारण कांग्रेस को सत्ता मिली। जनता ने आपका तिरस्कार किया और ठुकराया तथा देश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में पुनः सौंप दी तो कांग्रेस को क्या-क्या देखना पड़ा। 1977 में मीसा के अन्दर भयानक अपराधियों को आपने ताला खोलकर छोड़ दिया। डकैतों के 37 सूत्रीबद्ध गिरोहों को आपने कांग्रेस शासन को विरासत में दिये क्या आप इसको भूल गये हैं। अगर आपने यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीजें दी थीं तो इसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिये । यह कह देना कि कांग्रेस की गलती है यह ठीक नहीं है । कांग्रेस की एक परम्परा है, महात्मा गांधी की कांग्रेस की यह परम्परा रही है कि अपनी गलती को सुधारो उसके लिये प्रायश्चित करो ।

में निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर अपराधियों को संरक्षण कौन देता है क्या केवल सत्ता वाले । नहीं । वह विधायक चाहे आपकी तरफ बैठे हों या कहीं और बैठे हों, इसमें भी कहीं सांठगांठ जरूर है । एक तरीका है कि अपराध तंत्र के जरिये वोट पर कब्जा करो और चुनाव के परिणाम को अपने पक्ष में लाओ । यह अपराधी और 302 के मुलजिम जब सदन में आ जाते हैं तो आप भी उनको माननीय सदस्य कहते हैं और हमें भी माननीय सदस्य कहकर पुकारना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष—

हमको भी माननीय सदस्य कहना पड़ता है ।

(हंसी)

(मेजों के थपथपाने की आवाजें ।)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आप तो हमारे संरक्षक हैं आप तो कहेंगे ही । मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं माननीय भोखालाल जी की इस बात की ताईद करता हूं कि समय आ गया है हम आचार संहिता बनावें । सब राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर आचार संहिता बनायें । पहले मुख्य मन्त्री श्रीपति मिश्र जी थे जिन्होंने घोषणा की थी कि वह सब लोगों की मीटिंग बुलाकर कोई आचार संहिता बनायेंगे । मैं नहीं जानता कि वह संहिता बनी कि नहीं । अब हमको निश्चित करना पड़ेगा कि शासन का तरीका क्या हो । हम नीचे के लोगों को बहुत ईमानदार कहें और ऊपर के लोगों को बहुत बेइमान कहें तो शासन नहीं चलेगा । एक दरोगा की आप तारीफ करेंगे और एक डी० जी० की बुराई करेंगे तो दोनों में कैसे तारतम्य होगा ।

में निवेदन करना चाहूंगा कि बेइमान जिस रूप में हो उसकी नकाब उठाइये और अपराधियों की नकाब राजनीतिक ताकत से उठ सकती है । अब समय आ गया आदरणीय सदन का इतिहास गवाह होगा, अगर आज आप चुप रहे तो आने वाले वक्त में तमाम जगहों पर 302, 396 के तमाम मुलजिम लोग विराजमान होंगे । अपराधियों से लड़ाई लड़ी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और हमारे दूसरे मुख्य मन्त्री ने और आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने आते-आते ही अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की । अब जब लोगों को एन० एस० ए० में बंद किया जाता है तो हर तरफ से जोर आ रहा है, तमाम विधायकों के दस्तखत से पत्र आता है कि यह बहुत अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है इसको मत बन्द करें । तो हमारे सामने सवाल उठता है कि कोड कारगर तरीके से कैसे अमल में लाया जाय । मैं पक्ष-विपक्ष की उन भावनाओं से ऊपर उठ कर निवेदन करना चाहता हूं कि ये चीजें तब बनेंगी, जब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें और उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण न दें । एक अपराधी को जब पुलिस इनकाउन्टर में मारती है, तो उसके लिए कानून की दोहाई विरोध पक्ष के लोग देते हैं । जब पुलिस जन मारे जाते हैं, तो उसके लिए हमदर्दी के दो शब्द भी नहीं कहते हैं । हमें अपराधियों के लिये 100 प्रतिशत कानून का संरक्षण नहीं देना चाहिये । कृपया अपराधियों और उनके सम्बन्धित लाइसेन्सों को भी रद्द करने के लिए शासन को विचार करना चाहिए ।

*श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अभी भाई मोहन सिंह ने जो बहस की शुरुआत की, उसके समर्थन में मैं अपनी बात कहते हुए जो सैनी जी ने दो तीन लाइन में अपराध की कमी की बात कह कर आंकड़े पेश कर दिये कि अपराध घट रहे हैं, चाहे डकैती के हों, चाहे लूट के हों, चाहे कत्ल के हों, चाहे राहजनी के हों, हर एक के आंकड़े बता दिये कि अपराध कम हुए हैं, केवल कत्ल बढ़े हैं, इसको इन्होंने स्वीकार किया है। मान्यवर, अगर आंकड़े से चलेंगे, तो आज जो स्थिति है, वही बनी रहेगी। इनके आंकड़े में अपराध घट रहे हैं, जैसे एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री की पत्नी के साथ हुआ, कांग्रेस (आई) की महामंत्री ट्रेन से सफर कर रही थीं, उनकी जंजीर छीन ली गयी। जब वी० आई० पी० लोगों के साथ यह हो रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा, यह उसका नमूना है। रायबरेली में 11 हरिजनों को दिन दहाड़े जला दिया गया और जिस ठाकुर ने इनकी हत्या करवाई, जिनके खेत में ये हरिजन काम नहीं करते थे, उनको आज भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह आपका इन्तजाम है। आप बार-बार कहते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोकना चाहिये। आप क्यों नहीं आदेश करते कि जो तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेन्स मिला हुआ है, चाहे राइफल हो, चाहे बन्दूक हो, चाहे अन्य कोई हथियार हो, उनको क्यों नहीं जब्त किया जाता ? उसकी जांच क्यों नहीं कराते ? आज शासन में बैठे हुए लोगों में इतनी नैतिक ताकत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। आपने देखा कि ब्लाक प्रमुख का चुनाव हुआ, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रीपति मिश्र ने स्वयं कबूल किया कि अराजक तत्वों का बोलबाला है। आज राजेन्द्र त्रिपाठी अभी बोल रहे थे, इनके स्वयं क्षेत्र में एक ब्लाक प्रमुख हैं, जो कि अपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। एन० एस० ए० लगा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं है एस० एस० पी० की कि उनको गिरफ्तार कर लें।

मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज ऐसे तमाम अराजक तत्व जो 307, 302 के मुलजिम हैं, जो नाजायज धंधा करते हैं, नाजायज शराब बिकवाते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ती। मुझे याद है कि भीखा लाल जी ने कहा था कि सरकार की पुलिस आती है, तो वहां पर बेचारा जो फंसा रहता है किसी दुर्घटना में, वह अपराधी से ज्यादा पुलिस से घबड़ा जाता है कि पुलिस आ गयी। आज आपके तीन डी० जी० पी० हैं, 24 आई० जी० और 36 डी० आई० जी० हैं। इसके बावजूद भी आज क्या हो रहा है ? अगर कहीं डकैती हो, राहजनी हो, तो उसको चोरी में दर्ज कर दिया जाता है। अगर सी० आई० डी० के द्वारा जांच करा लें, तो जितना रिकार्ड है, उसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी, क्योंकि इस तरह कम आंकड़े दिखाकर आपने संतोष कर लिया, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, एक तरफ आपका स्वयं इस तरह का लूटा जाना, इस बात का द्योतक है कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो एक आम आदमी की जिन्दगी कितनी सुरक्षित है ? आज आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और महसूस यह कर रहा है कि प्रदेश में शासन तंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू है। गरीब आदमी और हरिजन इस कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा सताया जा रहा है। हरिजनों की दुहाई देने वाली इस सरकार के जमाने में सबसे अधिक कत्ल हरिजनों का हुआ है। यह सरकार उसकी देख-भाल और उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिये झूठे आंकड़े देने के लिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पर चर्चा करते वक्त माननीय मोहन सिंह ने कुछ घड़ियाली आंसू बहाये । मैं इनको इनकी पैदाइश की याद दिलाना चाहता हूं । जब सन् 1979 में इनकी पैदाइश हुई थी तो इनके नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जनता पार्टी में एक दल ऐसा शामिल हो गया है जिसकी दोहरी सदस्यता है । इनका साफ इशारा जनसंघ की ओर था । आज राजनीति तक गठबन्धन के चलते साम्प्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी के सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त आपके बगल में बैठे हैं । मैं समझ नहीं पाता कि आपकी नियति साम्प्रदायिकता को बढ़ाने की है या उसको कम करने की है । माननीय मोहन सिंह ने कहा कि अगर कुछ मंत्रियों के यहां चले जाइये तो आपको पेशेवर अपराधी मिल जायेंगे । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपके शासन काल में आपकी मंत्रिमंडल की बैठक में चला जाना चाहिये था अपराधी मिल जाते । क्योंकि आपके विद्युत मंत्री पर यह आरोप लगा था कि वह जानवरों की चोरी से लेकर बड़ी-बड़ी चोरियां कराते हैं, आपके सहकारिता मंत्री पर यह आरोप लगा था कि डाकुओं को संरक्षण देते हैं । कानून व्यवस्था की जितनी जिम्मेदारी शासन पक्ष की है उतनी ही आपकी भी है । आप उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं । प्रदेश की जनता की आंख आपकी ओर लगी हुई है । इस समय प्रदेश की सरकार बढ़ और सूखे से निपटने का प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ आप प्रदर्शन और जेल भरो आन्दोलन चला रहे हैं ताकि प्रशासन उस काम को ठीक से न करें । आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा । आपके शासन काल में कोई शासन नहीं था बल्कि जनता पार्टी का एक सर्कस था जिसमें बड़े-बड़े जोकर थे । जनता पार्टी के जमाने में जो सर्कस था अब वह गया तो आप उत्तर प्रदेश में महावीर, पोथी जैसे डाकू छोड़कर गये, छविराम और फूलन को छोड़कर गये जो फखरे आलम की प्रिय हैं ।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष मुझे अभी सूचना मिली है कि फूलन पार्क रोड पर एक भूतपूर्व मिनिस्टर के यहां रह रही हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

पार्क रोड पर मुख्तार अनीस और मोहन सिंह रहते हैं उनके यहां रह रही होगी । जब यह मिलने आयेंगे तो मैं डी० जी० को बता दूंगा ।

श्री फखरे आलम--

चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्री प्रमोद कुमार--

जिस समय 80 में आप इस प्रदेश को छोड़कर गये पूरा प्रदेश कानून की आग में जल रहा था । हमारे पुलिस के दो सौ जवानों ने अपने सीने पर गोली खाकर इस प्रदेश की स्थिति पर काबू किया । लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि एक घटना प्रदेश में ऐसी हुई है जिसके लिए इस प्रशासन की तारीफ करनी चाहिए वह घटना है हमारे पड़ोसी पंजाब में हजारों की तादाद में भगोड़े आए और प्रशासन ने बड़ी चुस्ती के साथ उनको गिरफ्तार किया । सान्यवर, आज अगर इनकी सरकार रही होती तो यह देश के टुकड़े-टुकड़े कर देते । एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार बहुत कृत संकल्प है कानून व्यवस्था सुधारने के लिए । लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि जो यह पाप कर गए हैं उनको धोने में हमें वक्त लग रहा है । जो यह बड़े-बड़े सूरमा छोड़ गए हैं हमारे लिए उनको ढूंढने में वक्त लग रहा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दीजिए। अभी तो मैंने अपना भाषण शुरू किया है।

*श्री अध्यक्ष--

आप तो कहते ही रहेंगे।

*श्री धर्मपाल सिंह गहलौत--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस चर्चा पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दुख प्रकट करना चाहता हूं। जो गम्भीर चर्चा थी जिसमें गम्भीर बातें आनी चाहिए थी, वह नहीं आई। इन्होंने ऐसी बात कह दी जो माननीय सदस्य मर चुके हैं जो इस सदन में सफाई नहीं दे सकते हैं। उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मान्यवर, मैं अखबार की बात नहीं करता हूं, व्यक्तिगत जानकारी पर कहता हूं आज प्रदेश के अन्दर ऐसी खराब स्थिति पैदा हो गई है। मान्यवर, आपको पता होगा यहां पर एक सदस्य हुआ करते थे चौधरी खूब सिंह, मैं जिस जिले बिजनौर का निवासी हूं उसी क्षेत्र जयनगर, परगना अफजलगढ़ चुनाव क्षेत्र अफजलगढ़, जिला बिजनौर के वह निवासी थे। वहीं से वह सन् 1951 से 1969 तक लगातार चुने जाते रहे। वह अन्तिम दिनों तक कांग्रेस में रहे। शुरू से आखिर तक वह इसी दल में रहे।

मान्यवर, एक बार वह बाहर गए हुए थे, उनके क्षेत्र में एक छोटे किसान को एक थानेदार ने मारा-पीटा, जब वह आए तो उन्हें पता लगा, तो उन्होंने थानेदार से कहा कि तुमने बड़ा अत्याचार किया है। मान्यवर, उस वक्त उस थानेदार ने सारे गांव के सामने 75-80 साल के वयोवृद्ध के साथ इतना अपमान-जनक व्यवहार किया कि उसको वह बर्दाश्त नहीं कर सके और वहीं मौके पर उनको हार्ट-अटैक हो गया और स्वर्गवास हो गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी उनको जानते थे, मैंने लिखित रूप से जांच करने के लिए लिखकर दिया था, मुख्यमंत्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं। राज्य गृह मंत्री जो इस समय मौजूद हैं, मैं चुनौती देता हूं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच करायें। मान्यवर, इन्होंने एस0 पी0 को भेज दिया। जितने एस0 पी0 हैं उनको थानेदार नीलाम करते हैं वह पैसों में बिके हुए हैं। मान्यवर, अब मैं अपने यहां की बात बताता हूं। मुझे सूचना मिली मैं वहां गया, सैकड़ों लोगों ने इस बात को कहा कि यह सही बात है। मान्यवर, एक शान्तिस्वरूप का बागवान है वह सब्जी बेचने आया हुआ था, पुलिस वाला उससे सब्जी लेने गया और कहा मुफ्त में सब्जी दो, उसने कहा मैं गरीब आदमी हूं ऐसे कैसे दे दूं। मान्यवर, उसको सरे बाजार में पिटाई की उसको इतना मारा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। वह अस्पताल गया और एक्सरे कराया तो पता लगा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है मान्यवर, यह अफजलगढ़ का किस्सा है लोगों ने जलसा किया और जुलूस निकाल रहे थे कि पुलिस ने उसके ऊपर निर्ममता से लाठियों से प्रहार कर दिया। शर्मिन्दा होने के बजाय लाठी चार्ज किया और बाकी सारे लोगों को पकड़कर बन्द कर दिया।

एक मंगलराम होटल वाले का कुछ पुलिस वालों को पैसा देना था, उसको पकड़ कर मारा, उसके बर्तन और फर्नीचर फेंक दिया फर्नीचर का सामान तोड़ दिया और उसके दोनों लड़कों को बन्द कर दिया एक पत्रकार जो उसके बारे में लिख रहा था उसको 40 पुलिस वालों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घेर लिया, उसके घर क दरवाजा तोड़ दिया । वहां एस0 डी0 एम0 आ गए नहीं तः पता नहीं क्या हो जाता । तो यह हालत हो गयी है । पुलिस प्रशिक्षण के तरीके को बदलने की आवश्यकता है यदि यह नहीं बदला गया तो कानून व्यवस्था रह ही नहीं जायगी । किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं रह जायगी, शरीफ आदमी सुरक्षित नहीं रह जायगा और पुलिस भी भले आदमियों के लिए है लेकिन आज भला आदमी ही थाना जाने से सबसे ज्यादा घबड़ाता है ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से आज यह जो कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा हुई और इसमें जिन पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, मैं उन सभी का आभारी हूं । सबकी बातें सुनने पर लगा कि आज सभी इस प्रदेश की बिगड़ती हुई हालत पर समान रूप से चिंतित हैं । कुछ एक अपने साथी जिसमें मेरे परम मित्र श्री राजेन्द्र त्रिपाठी का मैं स्मरण किए बिना नहीं रह सकता, उनकी बातों से ऐसा लगा कि मानों वे अब भी इस प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं और ऐसा लगा कि हम लोग सरकार में बैठे हुए हैं और ये हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं और अपनी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं । यहां जो कानून और व्यवस्था पर जो चर्चा हो रही है, वह मौजूदा सरकार के बारे में है । जब हमारी सरकार आए तो लानत मलामत कर लीजिएगा । यह शुभ अवसर, मैं शुभकामना करता हूं कि भाई राजेन्द्र त्रिपाठी जी को शीघ्र ही मिले और ये वह चर्चा कर सकें, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, मैं समझता था कि भाई मोहन सिंह जी ने जो सुझाव प्रस्तुत किए वे ऐसे होंगे जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था में उनका समावेश हो सके । मान्यवर, उनके हृदय की जो पीड़ा है, वह मैं जानता हूं । लेकिन भाई मोहन सिंह जो एक पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी हैं, जानते होंगे कि हमारी सभ्यता और तहजीब जैसे-जैसे आगे बढ़ती जाती है उसी तरह हत्याएं भी बढ़ती जाती हैं । मैं शिकागों का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां संसार की सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं । इन्होंने आंकड़े कहीं से प्रस्तुत कर दिए हैं हमारे यहां हत्याओं में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में और कहा कि रायबरेली में हत्यायें हुई । वहां जो घटना हुई वह पासी लोगों का मामला था, सवर्ण लोगों ने वे हत्यायें नहीं की थीं । इसी प्रकार जौनपुर में लोगों का आपसी झगड़ा हुआ । मैं समझता हूं आप जानते होंगे कि एक कुटुम्ब में, एक परिवार में झगड़े होते ही रहते हैं । आज बहुत से ऐसे विधायकगण यहां पर बैठे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे, जिनका अपने लड़के तक पर नियंत्रण नहीं है । उनके यहां भी यह शिकवा सुनने को मिलती है ।

मान्यवर, जहां तक हत्याओं का प्रश्न है, इनकी संख्या पहले वर्षों की तुलना में अर्थात् सन् 1980 की तुलना में घटा है । जिस समय आपने हमें सत्ता सौंपी थी, उस समय की हत्याओं और आज की हत्याओं में यदि आप तुलनात्मक दृष्टिपात करें तो, निश्चित ही हत्यायें बहुत कम हुई हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की पत्नी को लूट लिया गया, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के समाज विरोधीतत्व हैं, उनके लिए सभी लोग सामान्य होते हैं । यह भी कहा कि एक एस0 एस0 पी0 के खिलाफ जांच चल रही थी, किंतु उनकी प्रोन्नति कर दी गई । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, जिसके खिलाफ आरोप लगाये गये थे और उसके खिलाफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जांच चल रही थी, तो मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार निश्चित ही उस मामले पर समुचित कार्यवाही करेगी । उसकी जांच की जायेगी ।

मान्यवर यहां पर पी० पी० एस० की बात कही गयी । हम 33 प्रतिशत लोगों की पदोन्नति करते हैं । जहां तक आई० पी० एस० कैडर में उन्हें समावेश करने का प्रश्न है, इसके लिए हमने केन्द्र सरकार को फाइल भेज रखी है, ज्योंही वहां से इस फाइल पर अनुमति मिल जायेगी, तुरन्त उनकी पदोन्नति कर दी जायेगी और सेलेक्शन ग्रेड भी उनको दे दिया जायेगा । यहां पर यह भी कहा गया है कि 50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी, यदि इस प्रकार का कोई आश्वासन इस आदरणीय सदन में दिया गया हो, तो मैं निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहता हूं उनका भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायेगा ।

मान्यवर, माननीय श्री गहलोत जी ने किसी एक घटना की सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी, परन्तु उस प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । वैसे पहले तो उस पर कार्यवाही हो गई होगी, फिर भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उस पर कार्यवाही निश्चित ही होगी और आपके साथ न्याय होगा । हम तो जस्टिस करना चाहते हैं । हम जानते हैं कि जो दिल का दर्द आपका है वही दिल का दर्द हमारा भी है ।

मान्यवर, पहली बार हमने केश-रिपोर्ट का प्राविधान किया है । जहां भी रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, शत-प्रतिशत रिपोर्ट लिखी जायेगी । हो सकता है आज तक शतप्रतिशत रिपोर्ट न लिखी जाती हो, जिसकी वजह से माननीय सदस्यों को शिकायत रहती हो ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, आपका समय समाप्त हो गया है । जरा आप समय पर भी ध्यान दें ।

श्री राम सिंह --

नेशनल सेक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत जो सफेद पोश गुन्डे हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमको सफलता भी मिली है । क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिस्टल प्वाइंट पर ठेके ले लेते हैं और समाज विरोधी कार्यवाही करते हैं । अगस्त के महीने में हमने इस ऐक्ट के अन्तर्गत 119 लोगों को गिरफ्तार किया है ।

मान्यवर, जहां पुलिस के कर्मचारियों की बात कही जाती है, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उनकी बहादुरी भी आप देखिये । मेरे यहां एक सब-इंसपेक्टर और एक कान्सटेबल को गोली मार दी गई । इसके बावजूद भी उन्होंने डकैतों को मारा । पिछले 6-7 महीनों में 37 पुलिस कर्मी मरे गये और 70 घायल हुए । यही नहीं उन्होंने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद किए और सैकड़ों की संख्या में डकैतों को पकड़ा है और सैकड़ों डकैतों को मारा भी है । हमारे प्रदेश में आज यदि आप देखें पहले से शान्ति और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और इसमें पहले के मुकाबले में आज बहुत कुछ सुधार हुआ है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को बैठक में दिनांक 14 सितम्बर, 1984 के सदन के कार्यक्रम को निम्न-

लिखित रूप में निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है :—

शुक्रवार 14 सितम्बर, 1984	1—आधा दिन	असरकारी कार्य
	2—आधा दिन—	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण ——
		क—उत्तर प्रदेश होम्यो-पैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—आधा घंटा
		ख—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) विधेयक, 1984, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—आधा घंटा
		ग—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984—आधा घंटा

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडिएट बोर्ड की वर्ष 1983-84 की परीक्षा के अधूरे एवं गलत परिणाम के प्रकाशन के सम्बन्ध में नियम 54 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री कुंवर सिंह नंगी—

माननीय, आज सारे प्रदेश के लोगों की निगाहें यहां की इस चर्चा पर लगी हुई हैं। हमारे प्रदेश के सात लाख से भी ज्यादा छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठे थे, जिनके परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं निकले, जिसकी वजह से वे सारे छात्र टकटकी लगाकर एक आशा से देख रहे हैं कि उनकी इस समस्या का, उनके भविष्य का आज इस पत्र में शायद कुछ समाधान निकल आए। माननीय, बहुत दुःख की बात···

(इस समय 7 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भोलालाल पीठासीन हुए।)

कि हमारे प्रदेश में इस वक्त उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षा हुई, उसमें हाई स्कूल के परीक्षार्थी जो लगभग ढाई लाख के करीब होंगे, उनका परीक्षा-फल विभिन्न कारणों से अभी तक घोषित नहीं हो पाया है और इसी प्रकार से इन्टरमीडिएट के लगभग डेढ़ लाख परीक्षार्थियों के परिणाम रुके हुये हैं और लगभग ढाई लाख रिजल्ट्स कम्प्यूटर की गलती की वजह से रुके हुए हैं। व्यक्तिगत जो परीक्षार्थी हैं, उनके भी 60 प्रतिशत से ज्यादा परिणाम रुके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए हैं । मान्यवर, इन परिणामों के रुकने की वजह से छात्रों का एक साल तो बर्बाद हो ही गया, परन्तु जिन छात्रों के मेडिकल व अन्य स्थानों में चुनाव के प्रवेश होने थे, उन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित न होने से, वे इस प्रवेश से भी वंचित रह गये ।

मान्यवर, प्रदेश की सूचना है कि कितने लड़कों ने, जब उनके गलत परिणाम की उन्हें सूचना मिली, तो उन्होंने आत्महत्यायें तक कर दी । मान्यवर, जो रिजल्ट्स कुछ निकले भी हैं, और जिस गति से यह रिजल्ट्स निकल रहे हैं, एक दिन में एक हजार छात्रों के निकल रहे हैं, अगर यही गति बनी रही तो पूरे रिजल्ट के प्रकाशित होने में वर्षों लग जायेंगे, मान्यवर, यू० पी० बोर्ड में इतनी धांधली है कि लड़के वहां जा रहे हैं, मनमाने ढंग से उनके नम्बर बढ़ाये जा रहे हैं । परीक्षा-फल की जो कापियां हैं, उनका तो पता ही नहीं है कि कहां चली गई हैं । ऐसी कुव्यवस्था वहां पर है कि परीक्षा की कापियों का तो पता नहीं है और दूसरी तरफ मनमाने ढंग से लड़कों के नम्बर बढ़ाये जा रहे हैं । जो अच्छे लड़के हैं, उनके तो किस्मत की बात है कि उनको अच्छे नम्बर मिले या नहीं । वहां पर मान्यवर, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि प्रत्येक दिन लड़के वहां जा रहे हैं और रुपया देकर वहां पर रिजल्ट निकल रहा है । मान्यवर, यह जो गम्भीर परिस्थिति आज वहां बन गई है, वह शासन के लिये इस शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ा कलंक है । इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का भविष्य खराब कर दिया है और उनको परेशानी और दिक्कत में रख दिया है । मान्यवर, इससे अधिक शर्मनाक बात शासन के लिये और कोई हो ही नहीं सकती । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यह जो रुके हुए नतीजे हैं इनकी घोषणा शीघ्र से शीघ्र कराने की व्यवस्था हो और भविष्य के लिये ऐसी नीति बनाई जाय ताकि इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो सके ।

*शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुनीता चौहान)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, रिजल्ट के बारे में माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं मानती हूं कि उसमें कुछ त्रुटि जरूर हुई है । लेकिन उसके तहत मैं आपको बताऊंगी कि यह त्रुटियां किन वजह से हुई हैं और किन कारणों से रिजल्ट रुका है ।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी कम्प्यूटर की बात कही यह बात सही है कि कम्प्यूटर की गलती की वजह से रिजल्ट रुका है । लेकिन, उसी के साथ-साथ अनेक प्रदेश स्तर पर हमको दिक्कत पड़ती गई शासन को दिक्कत पड़ती गई, जिसमें इम्तिहान भी देरी से हुए और इम्तिहान देरी से होने के कारण मान्यवर, रिजल्ट का रुकना स्वाभाविक है । इसमें कम्प्यूटर का मामला है, कुछ केन्द्रों का प्रश्न है, वह सब मैं विस्तार से बाद में कहूंगी । कम्प्यूटर की बावत जो माननीय सदस्य ने कहा, उसे मैं स्वीकार करती हूं । बाकी जो माननीय सदस्य कहेंगे, उसके बारे में विस्तार से मैं बाद में कहूंगी ।

*श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि प्रदेश के जनजीवन को आज सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर प्रदान किया । मान्यवर इस प्रदेश के इतिहास में परीक्षार्थियों के साथ इतने बड़े खिलवाड़, इतने बड़े भ्रष्टाचार, की कल्पना शायद ही प्रदेश की जनता ने की होगी ? माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में हाई स्कूल संस्थागत में 8 लाख और व्यक्तिगत में साढ़े तीन लाख तथा इंटरमीडिएट संस्थागत में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3 लाख और व्यक्तिगत में डेढ़ लाख इस तरह से कुल मिलाकर 16 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। माननीया मन्त्रा जी का आधकारियों ने यह तो सूचना दे ही दी कि परीक्षाएं देर से हुई, इसलिए परीक्षाफल देर से प्रकाशित किया गया।

मान्यवर, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि परीक्षायें 20 मार्च से शुरू हुई थीं। इस प्रदेश में जब 2 और 4 अप्रैल से परीक्षायें होती थी तब भी परीक्षाफल जून में प्रकाशित हो जाते थे। यह पहला अवसर है कि 20 मार्च से परीक्षायें हुई और परीक्षाफल जुलाई के अन्त तक प्रकाशित हुए, हो भी गये या नहीं यह भी प्रश्न चिन्ह है। जिस दिन इण्टरमोडिएट का परीक्षाफल पहली बार प्रकाशित हुआ था, लिखित सूचना दी गयी थी कि 29 हजार लड़कों का परीक्षाफल रिजल्ट अधूरा है जबकि 2 लाख लड़कों का अधूरा था। इतना बड़ा विश्वासघात जिस अधिकारी ने किया है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर मोटे तौर पर यह मान लिया जाय कि 7 लाख लड़कों का परीक्षाफल अधूरा था, तो एक आदमी के इलाहाबाद जाने-आने में कम से कम 100 रु0 तो व्यय हो ही जाता है। इस हिसाब से 7 लाख में अगर 100 का गुणा कर दिया जाय तो 7 करोड़ रु0 इस प्रदेश का गरीब जनता का बर्बाद हो गया। कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण लगभग इतना ही रुपया प्रति छात्र इस बात पर भी खर्च हो गया होगा कि हमारा रिजल्ट जल्द ही पूरा हो जाय। हुआ क्या? कापी जांचने का तरीका यह है कि कापी जिलों से जांच केन्द्र पर जाती थीं। कुछ अधिकारियों को पागलपन सवार हुआ और साढ़े चार लाख लड़कों की कापियां उन्होंने मुख्यालय पर मंगा लीं। इण्टर की कापियां हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों ने जांची हैं। गणित में दो-दो तीन-तीन पर्चे दिये गये, एक पर्चे से दूसरे पर्चे की कापी जांची गयी। जिस छात्र को 40 नम्बर मिलने थे उसे शून्य मिला। कम्प्यूटर मशीन तो ऐसी चीज है कि उसको जैसे हैण्डल करेंगे, वही रिजल्ट देगी। मैं कम्प्यूटर के खिलाफ हूं, लेकिन कम्प्यूटर की गलती नहीं है गलती मनमानी और भ्रष्टाचार करने वालों की है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाय एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री यदुनाथ सिंह—

ऐसी तो पहले भी गड़बड़ी होती थी लेकिन इस साल जो बोर्ड में बैठे थे हाई स्कूल संस्थागत 8 लाख, व्यक्तिगत साढ़े तीन लाख, इण्टरमीडिएट के प्राइवेट 3 लाख और व्यक्तिगत डेढ़ लाख और परीक्षाफल जिस दिन निकला डायरेक्टर ने कहा 29 हजार रुका है, परन्तु सवा दो लाख अधूरा रहा। जो कहा जाता है कि कम्प्यूटर में गड़बड़ी हुई, जैसा पंचानन राय जी ने कहा, मैं उससे राजी हूं की उसको जैसा हैण्डिल किया जायगा वैसा ही रिजल्ट देगा। कम्प्यूटर मशीन की मदद से बोर्ड में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आये। 3-4 हजार लोगों को जो काम मिलता था, नहीं मिला। आज भी लगभग 2 लाख के आस-पास रिजल्ट अधूरा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि रिजल्ट निकालने का काम ऐसे तरीके से किया जाय जिससे लोगों के जन-जीवन में सामान्य स्थिति हो। बहुत से छात्र घरों से भाग गये हैं बहुत से बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। वाराणसी का एक छात्र राजेश कुमार गुप्ता घर से निकल गया है और वह आत्महत्या की स्थिति में है। बहुत से विद्यार्थियों के संरक्षक और माता-पिता परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारी बोर्ड पर है और शासन पर है उन लोगों की जो आत्महत्या कर रहे हैं और घर से भाग गये हैं, वे टीनएजर्स छात्र हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है आज जिस तरीके से बोर्ड में

गड़बड़ी हुई, ऐसी पिछले समय में इस तरीके से कभी नहीं हुई थी। इसकी जिम्मेदारी पहले शिक्षा केन्द्र पर होती थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कम्प्यूटर के कारण से हुई है। मैं कहता हूं कि इलाहाबाद बोर्ड नियमों का पालन ठीक तरीके नहीं करता है जिसके कारण से यह गड़बड़ियां हो रही हैं।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम्प्यूटर मशीन और कम्प्यूटर मशीन को हैण्डिल करने वाले लोग ठीक प्रकार से काम करें ताकि इस तरह से छात्रों को मायूस न होना पड़े।

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने के लिये केवल दो मिनट का समय दिया है तो मैं इस सीमित समय में माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव दूंगा और उनसे अपेक्षा करूंगा कि वे उन पर विचार करके देखें तो शायद उन्हें भविष्य में परीक्षाफल जल्दी प्रकाशित करने में कुछ मदद मिल सके और छात्रों को और उनके अभिभावकों को इस व्यवस्था से कुछ राहत महसूस हो सके और शिक्षा पद्धति में कुछ सुधार हो सके।

एक सुझाव तो मेरा यह है कि जब स्पष्ट नियम है कि मूल्यांकन केन्द्र पर कापियां जायेंगी तो जिस अधिकारी के आदेश से बोर्ड के आफिस में साढ़े चार लाख कापियां मंगायी गयीं, उसको आप दण्डित कीजिये।

दूसरी बात यह है कि आप इसके लिये विधान सभा के सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी बनाइये या फिर शिक्षा विशारदों की कोई कमेटी बनाइये कि जो 16 लाख विद्यार्थियों के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा लेने में सक्षम हों। यदि नहीं, तो फिर जिस उद्देश्य के लिये यह व्यवस्था की गयी थी कि बोर्ड को बाईफरकेट कीजिये। जब तक आटोनामस बोर्ड नहीं बन जाते हैं या बनाये जाते हैं तब तक इतनी तादाद में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के भाग्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। यदि आटोनामस बोर्ड बन जाते हैं तो इससे छात्रों को फायदा होगा और उनके संरक्षकों को भी फायदा होगा।

मेरी जानकारी में है कि आज अभिभावक दो-दो बार इलाहाबाद और मेरठ जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। जब बोर्ड का बाईफरकेशन हो गया है तो क्या यह सम्भव नहीं है कि मेरठ और बनारस को अलग से आटोनामस बोर्ड बना दिया जाय? हर बोर्ड में चार-पांच लाख विद्यार्थी तक मिल जायेंगे।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि सब्जेक्टस कुछ कम किये जांय। जितने सब्जेक्टस हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट में हैं उनको कम किया जा सकता है। इसमें सब्जेक्टस इतने ज्यादा हैं, इतने पेपर्स होते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप परीक्षा प्रणाली को सरल बनाइये और विद्यार्थियों पर बोझ को कम कीजिये। अब हाईस्कूल की परीक्षा कोई बुनियादी परीक्षा नहीं रह गयी है क्योंकि हाई स्कूल पास को आप कोई सेवा नहीं प्रदान करते हैं, अब इण्टरमीडिएट पास लेते हैं हर जगह पर। तो सब्जेक्टस कम कर दिये जांय तो विद्यार्थियों को कुछ लाभ होगा और परीक्षा प्रणाली भी सरल हो जायेगी और कापियों का ढेर भी कम हो जायेगा।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विद्यार्थियों का परीक्षाफल आज तक नहीं पहुंच पाया है। इसके कारण से कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर ली, इसका पाप मंत्रि मंडल पर पड़ेगा ही पड़ेगा और उन अधिकारियों को जिन्होंने यह कर्म काण्ड किया है केवल पैसा कमाने के लिये, उनको दण्डित किया जाय। अगर आप उन्हें दण्डित नहीं करेंगे तो आप भी उस पाप के भागी होंगे।

श्री मारकण्डेय चन्द--

क्या आप भी जनता पार्टी से मिल गये हैं?

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मैं किसी भी पार्टी का होऊं, लेकिन मैं इस सम्मानित सदन का एक सदस्य हूं ?

(7 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया है, चरम सीमा पर पहुंच गया है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुबह आज मेरे पास एक अभिभावक आये, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ इलाहाबाद चलिए। फर्स्ट क्लास बच्चा है, मैंने उसको केवल 15 नम्बर मिले हैं। मैंने कहा कि स्कूटनी करायी है, तो कहा कि करायी है। तो मान्यवर, जो थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं वह अच्छे नम्बर पा जाते हैं और जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह कम नम्बर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। यह क्या व्यवस्था बन गयी है। आज से पूर्व भी परीक्षायें होती थीं, कापियां जांची जाती थीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था। माननीय पंचानन राय जी ने ठीक ही कहा कि 15 करोड़ रुपया आपने खींच लिया। तो वह ऐसे कौन से लोग हैं वह कौन से मुजरिम हैं, उनको खोज निकालना इस शासन का काम है। जो कम्प्यूटर की व्यवस्था है, उसके विरोध में हम हैं। जन मानस की संख्या बढ़ी है, हमारे आदमी बेकार हैं उनको काम चाहिए, यह अमेरिकन सिस्टम हमारे ऊपर लादा गया है। यह मशीनरी सिस्टम गलती करेगा। मैं आपसे इन शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि जो पापी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

*डाक्टर बृज किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। प्रभो हमारे सम्मानित सदस्य बोल रहे थे, उनको बड़ा दर्द है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक साथी का इस सम्बन्ध में पीड़ा है, लेकिन पीड़ा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हमको विचार करना चाहिए। जब बच्चों के एक्जामिनेशन का समय आया तो उस समय हमारे इस प्रदेश के गुरूजन लोगों ने एक ऐसा संघर्ष छेड़ दिया कि सरकार के सामने एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि उनकी परीक्षा कैसे ली जाये, परीक्षा की व्यवस्था कैसे की जाये। वह हम लोगों के गुरू हैं और आज के बच्चों के भी गुरू हैं। जिस समय बच्चे परीक्षा के लिए तैयार बैठे हुए थे, उनकी परीक्षा शुरू होने वाली थी, ऐसी नाजुक स्थिति में उन लोगों ने आन्दोलन छेड़ दिया, एक्जामिनेशन का बहिष्कार कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों की परीक्षा ली, लेकिन सवाल पैदा होता है कि परीक्षा तो ले ली गयी लेकिन अब सरकार के सामने यह प्रश्न आता है और एक भीषण परिस्थिति पैदा हो गयी कि उनका परीक्षाफल नहीं निकल पाया। बच्चे 2-3 महीना बीत जाने के बाद परेशान हैं, उनके सामने अब यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि कि उनका एडमीशन कहां पर होगा। जिसने हाई स्कूल की परीक्षा दी है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वह इन्टरमीडिएट की परीक्षा में बैठ पायेगा कि नहीं जिसने इन्टरमीडिएट की परीक्षा दी है वह विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा कि नहीं । यह चीज बहुत ही दुखदायी है ।

मैं माननीय मंत्री जी, से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन परिस्थितयों का मुकाबला करके आपने बच्चों की परीक्षा ली, आप उसी तरह से बच्चों का परीक्षाफल भी शीघ्र से शीघ्र घोषित करें, ताकि बच्चे अपनी अग्रिम पढ़ाई शुरू कर सकें । मान्यवर, 1952 व 53 में एक बोर्ड था, जिसका सारा काम चलता था, लेकिन जनसंख्या के आधार पर आप और बोर्ड स्थापित कर दें जिससे परीक्षा समय से हो सके, और परीक्षाफल समय से घोषित हो सके । आपको विभाजन करना पड़ेगा और बोर्डों की स्थापना करनी पड़ेगी जिससे परीक्षा सुचारू रूप से हो सके । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस गम्भीर विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार यहां पर रखे हैं । यह एक गम्भीर समस्या है । सारे प्रदेश के हमारे जितने ऐसे छात्र हैं जिनका परीक्षाफल रुका हुआ है, उनके अभिभावक बहुत चिंतित हैं और वे आशा लगाये हुये हैं कि आप सदन के इस बहस के द्वारा इस गम्भीर समस्या का समाधान निकल सकेंगे । तो हम माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि वे यहां पर स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि किस निश्चित तिथि तक इन रुके हुये परीक्षा-फलों के परिणाम निकल जायेंगे । आज पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें मंत्री जी की इस घोषणा पर लगी हुई है कि वे यह बतायेंगे कि किसी निश्चित तिथि तक परीक्षाफल घोषित हो जायेंगे । इस पर हम स्पष्ट आश्वासन मंत्री जी चाहते हैं ।

श्रीमती सुनीता चौहान—

मान्यवर, रिजल्ट की देरी के लिये जो विचार व्यक्त किये गये हैं उसके ऊपर सरकार का अच्छी तरह से ध्यान है । यह आज इसी वर्ष हुआ है और हमेशा रिजल्ट समय से निकाले जाते रहे हैं, समय से दाखिले होते रहे हैं । कुछ कमियों की वजह से हमको आज उत्तर-दायी होना पड़ा है । दो-तीन बातों की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है । बच्चों के एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग वगैरह में हम उन्हें सूचना दे रहे हैं, हमने सूचना केन्द्र भी बनाये हैं, माइक से कहा जा रहा है, वे सब जगह घूम रहे हैं, बोर्ड के जो हमारे अधिकारी हैं वे भी पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

भ्रष्टाचार की बात भी यहां पर कही गयी और कहा गया कि वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है । अब इसके बारे में मैं क्या कहूं । जो व्यक्ति रिश्वत लेता और जो देता है तो उससे जब दुबारा पूछा जाता है, जांच की जाती है तो उसके लिये कोई गवाही नहीं मिल पाती है कि किसने पैसा दिया और किसने लिया । जहां तक भ्रष्टाचार को दूर करने की बात है वह हम सब मिलकर इसे दूर कर सकते हैं । यही नहीं, कोई भी मामला हो, यह तो एजूकेशन की बात है, देहातों में कत्ल के मामले में भी गवाह नहीं मिल पाते हैं और इसी वजह से ऐसे केसेज छूट जाते हैं । तो जहां तक इस बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात है यदि एक भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित हो गया तो अवश्य तुरन्त उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, मैं एक रिकार्ड दे दूं क्योंकि इसके बारे में कई बातें कही गई हैं । हाई स्कूल संस्थागत परीक्षा में 37,531 हैं, व्यक्तिगत परीक्षा में 34,561 हैं । इन्टरमीडिएट में संस्थागत परीक्षा में 2,642 हैं और व्यक्तिगत परीक्षा में 10,988 हैं । यह कोई खास

बात नहीं है । यह मैं इसलिये रख रही हूं कि कहीं फीगर गलत न हो । क्योंकि इस फीगर के बारे में कुछ लोग दो लाख बता रहे हैं । इसलिये यह फीगर मैंने आपके सामने रखी ।

माननीय, इम्तिहान समय से होने का भी जिक्र बहस में किया गया । अध्यापकों के बारे में किसको चिन्ता नहीं होगी कि उनका सम्मान न हो । जो हमारी नीति है यह सरकार की नीति है और प्रतिपक्ष में बैठे हुये लोग भी चाहते हैं कि अध्यापकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाय । लेकिन एक अपील मैं आप लोगों से और अध्यापकों से करना चाहूंगी कि जब बच्चों के इम्तहान होने लगे उस समय समस्या न उत्पन्न करें । जनतन्त्र में हमेशा मांगों के लिए हड़तालें आधार बनाने की बात होती है, उनको रोकने की मंशा हमारी हरगिज नहीं है लेकिन जब पूरे साल में 8, 9 महीने होते हैं उस समय जो मांग वह करे उसमें सरकार जो भी होगा मानने की कोशिश करेगी । सरकार चाहती है कि हम उनको सुविधायें दें लेकिन इम्तहान के समय समस्या पैदा करना सरकार के लिए कठिन हो जाता है हालांकि दूसरे प्रबन्ध किये जाते हैं और प्रबन्ध करने की बात की गयी है । लेकिन फिर भी मेरा अध्यापकों से अनुरोध है उनका हम आदर करते हैं, हमारा अनुरोध अभिभावकों से भी है तथा प्रतिपक्ष से भी है कि हमें सहयोग दें और जितनी बात आप यहां कहते हैं उसके हमें सबूत दें उस पर जरूर कार्यवाही की जायेगी । अगर रिजल्ट के मामले में किसी का दोष होगा तो उसे सजा दी जायेगी और जो सुधार की कार्यवाही होगी वह की जायगी । इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं एक आश्वासन चाहता था कि किस तारीख तक रिजल्ट घोषित कर देंगे ।

श्रीमती सुनीता चौहान—

हमारी कोशिश है कि जल्दी हो जाय लेकिन अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह तक रिजल्ट आउट हो जायेगा ।

श्री लल्ल सिंह चौहान—

मैंने दो और आटोनामस बाडी बनाने के लिए कहा था ।

श्री अधिष्ठाता—

अब चर्चा समाप्त हो गयी है ।

नियम 52 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 की जो सूचनायें मिली हैं वह इस प्रकार हैं—

एक माननीय यशपाल सिंह की, शिवाली कोआपरेटिव टैक्स-टाइल मिल बुलन्दशहर को बन्द किये जाने से श्रमिकों के समक्ष भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री श्यामनारायण तिवारी की, दिनांक 29-8-1984 को गोरखपुर जिले के नौतनवा थाने के सी० ओ० तथा कुछ असा-माजिक तत्वों द्वारा डकैती डालने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री मोहन सिंह की, सी० पी० एम० टी० की परीक्षा में पर्चे आउट होने के कारण परीक्षा रद्द किये जाने से छात्रों के भविष्य को खतरा ।

चौथी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम में करीब एक करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के सिलसिले में है । इस पर सरकार का ध्यान पहले ही आकृष्ट किया जा चुका है ।

पांचवीं सूचना श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन की, दिनांक 8-9-1984 को रामपुर के थाना टांडा ग्राम सेमाकुंड में दो गुटों के झगड़े में 4 भाइयों के मरने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री शंकर सिंह की, 2 जुलाई 1984 को लखनऊ में दो पुलिस उपनिरीक्षकों की हत्या से जनमानस में व्याप्त भय के सम्बन्ध में है।

इन सब सूचनाओं में केवल माननीय यशपाल सिंह की सूचना को स्वीकार किया है बाकी सब अस्वीकार की गयी हैं।

ग्राम बीरेपुरवा, जनपद रायबरेली के थाना क्षेत्र डीह में हरिजनों को जिन्दा जलाकर मारने विषयक दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को पूछे गये अल्पसूचित तारां-किंत प्रश्नसंख्या 2 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम बीरेपुरवा रायबरेली में गत 6 जुलाई को 11 हरिजनों को जला दिया गया जिसके सम्बन्ध में यह चर्चा है। मान्यवर, इस सरकार की समाजवादी व्यवस्था जब तक इस तरह चलेगी जिसमें सशस्त्र लोगों का इस प्रशासन में कब्जा है और उन्हीं के गिरोह के अधिकार में जिले के कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 और थाना रहते हैं जिनसे वह लोग आतंकित रहते हैं, गिरोह से मेरा मतलब बड़े जमींदारों से है जो सामंती हैं जो पैसे के बल पर शासन को प्रभावित करते हैं, इस तरह की घटनायें होती रहेंगी। जिस गिरोह ने खुद आग लगायी और उसमें हरिजनों के नाम रिपोर्ट कर दी जिसमें 15 हरिजन मारे गये, उन्हीं के घर जलाये गये और उन्हीं लोगों के खिलाफ रिपोर्ट हो गयी। इसको माध्यम बनाकर मैं कुछ सूचना आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं। 26-27 जुलाई को एक भोजराज, मेहतर, गांव कछुवाई, थाना एटा, जिला मैनपुरी का मर्डर हुआ। जिसने मारा उसने स्वयं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और जब मृतक की बीबी रिपोर्ट लिखाना चाहती थी जो दो घंटे पहले से बैठी थी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और मृतक की बीबी से कहा कि आपकी रिपोर्ट लिख ली गयी है, लाश का पोस्ट-मार्टम एटा में होगा इसलिये तुम लाश के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाओ। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस कातिल की रिपोर्ट पर मरने वाले के घर के मुल्जिम बना दिये गये हैं, यह स्थिति आज पुलिस प्रशासन की है।

श्री सुन्दर सिंह—

माननीय, यह विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप विषय पर ही बोलें।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

इस घटना में भू-स्वामी तत्व हैं और मैनपुरी की जो घटना मैंने बतायी उसमें भी भू-स्वामी तत्व शामिल हैं, इसलिए इस घटना का सम्बन्ध उस घटना से है।

माननीय, आज हरिजन से हरिजन को भिड़ाने की बात यह लोग कर रहे हैं जिससे हरिजन का नुकसान हो रा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और हजारों की संख्या में हरिजन शिकार बन रहे हैं। मान्यवर जब देहुली और साढूपुर में कांड हुए थे, तो प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति वहां गये थे लेकिन इस घटना में प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि राज्य गृह मंत्री गये थे और 5–5 हजार रुपये पीड़ित व्यक्तियों के परिवार वालों को दिये गये जबकि देहुली में 50 लाख रुपये दिये गये थे और एक–एक हरिजन परिवार को दुकानें दी गयीं, सड़क बनायी गयी, स्पेशल टयूबवेल लगाये गये। इसलिये वास्तव में यदि हरिजनों की मदद करना चाहते हैं तो जितने घर उजड़ गये हैं उनको बनवायें।

मान्यवर, यह शासन सुव्यवस्थित रूप से हरिजन टार्चर कर रहा है और एक–एक जिले में 20–20 घटनायें हो रही हैं। इसी तरह यह लोग हरिजनों को पिटवाते हैं और हरिजनों के नाम रिपोर्ट करवाते हैं और यह पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है। वास्तव में सिपाहियों में कुछ हमदर्दी है किन्तु एक–एक थाने पर 4–5 सिपाही और 4–5 ही थानेदार रखे जाते हैं और आई0 जी0 प्रदेश में 40 और डी0 आई0 जी0 इससे काफी अधिक हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि थानों में सिपाहियों की संख्या को बढ़ायें और अधिकारियों को न बढ़ायें, इससे आरक्षण में उनके आदमी आयेंगे और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पी0 ए0 सी0 की संख्या आज बढ़ायी जा रही है तो इसकी आवश्यकता कम है और सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इस मेरे सुझाव पर आप विचार करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ग्राम बीरेपुरवा, जनपद रायबरेली के थाना क्षेत्र डीह में 11 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। मान्यवर, यह भी बड़ी विडम्बना की बात है कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति खराब है। समाजिक व्यवस्था के तौर पर सामाजिक रूप से वह इतने पिछड़े हैं जिसके कारण पुराने जमींदार जिन्होंने वर्षों से उनसे बेगारी का काम लिया इसलिए वह आज भी उसी तरह जी रहे हैं और इस घटना के पीछे भी बेगार मुख्य कारण है। घटना इस प्रकार है कि पुराने एक सामंत, जमींदार, हैं उनके कहने पर कुछ हरिजनों ने बेगार करने से मना कर दिया जो वर्षों से काम करते आ रहे थे।

(इस समय 7 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठ सीन हुए।)

जब उनमें कुछ जागरूकता आई, स्वाभिमान आया तो उसके कारण उन्होंने बेगार करने से मना कर दिया। जमींदारों के नाराज होने का यही कारण था। उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा कि इसको कैसे करायें, बल्कि यह काण्ड कर डाला। उन्होंने हरिजनों में दो ग्रुप कराये और वह एक के पीछे स्वयं आए और उनसे कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम लोग आग लगा दो और जो साथ में उन्होंने गाली गलौज दी, उसको मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वह शिष्टाचार के विरुद्ध है। इस प्रकार की शब्दावली के साथ जब उन्होंने उन्हें इस कुकृत्य के लिए प्रेरित किया तो उसके कारण से, वह ग्रुप जिनमें आपस में पहले से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, उसको जमींदार ने माचिस दी और कहा कि आग लगा दो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो वह ग्रुप जाता है और आग लगा देता है। उनका एक कमरा था, उसमें एक दरवाजा था उसमें आग लगने से उसमें धुआं पूरी तरह से घुस जाता है, जिससे घुट–घुट कर 11 हरिजनों की जान चली जाती है। इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं, इस पर हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष को बड़ी संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे कांग्रेस के सत्ता काल में ही यह हुआ है। हमारे प्रतिपक्षी दलों के शासनकाल में भी इससे बड़ी और दर्दनाक घटनायें हुई हैं। लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण हो है कि जिस समय केन्द्र में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे बेलछी काण्ड हुआ था और उस समय जब रामधन जी ने खून से सने हुए पीड़ितों के कपड़े सदन में दिखाए थ तो उन्होंने (चौधरी चरण सिंह) कहा था कि यह इंसान के खून से रंगे हुये कपड़े नहीं हैं, यह तो बकरे के खून से सने हुए कपड़े हैं

(व्यवधान)

यहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है, मैं केवल शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक अत्यन्त गम्भीर घटना है। अब इसके बाद शासन को चाहिये कि वह पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता दे, लेकिन वहां पर केवल 500 रुपया प्रति परिवार के हिसाब से दिया गया है और जब आगे कुछ कहा गया तो 1 हजार रुपया और दिया गया। इस हिसाब से प्रति परिवार डेढ़ हजार रुपया केवल उन परिवारों को मिला है। इसमें मैं शासन से जानना चाहता हूं कि जब अब कीमत बढ़ गई है और पुराने मामलों में हरिजन के जान की कीमत 5 हजार रुपया निर्धारित कर दी गई है, तो उनको इतना कम क्यों दिया गया है। इतनी कम राशि यहां पर देने से यह स्पष्ट हो गया है कि एक हरिजन के जान की कीमत जो पहले 5 हजार रुपया निश्चित की गई थी, वह घटा कर अब उसकी कीमत डेढ़ हजार रुपया मात्र कर दी गई है। इस से शासन की छवि बिगड़ती है। कृपया आप इस तरह की कोई स्थिति न पैदा होने दें। इससे हरिजन समाज में उत्तेजना व्याप्त है। इस पर आपको सोचना चाहिये कि यह चुनावी वर्ष है, और हरिजन समाज आपकी पूंजी है, इसको आप अपने साथ प्रेम से रोक सकें तो अच्छा है, आपका लाभ होगा

(व्यवधान)

अतः इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिये और अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मोहन सिंह जी द्वारा उठाये गये प्रश्न पर शान्ति और व्यवस्था की स्थिति पर बात हो रही थी उस समय यह बात कही गई थी कि अपराधों को बढ़ावा इसलिए मिलता है कि अपराधों को राजनतिक संरक्षण मिला हुआ है।

मान्यवर, यह घटना बीरेपुरवा की बिल्कुल इसी प्रकार की है और वहां पर आज अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। वहां पर 11 हरिजन जलाये गये और एक सामंत जिसके इशारे पर जलाया गया आज उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। वह वहां का पुराना सामन्त है, मुझे कहने में संकोच नहीं है, मैं सिर्फ आक्षेप के लिये नहीं कह रहा हूं, वह कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक है इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जिनका वह चुनाव क्षेत्र है तो जब जनता पार्टी के राज्य में बेलछी कांड हुआ था और बरसात में उनकी कार नहीं जा सकती थी तो वह हाथी पर सवार होकर वहां कीचड़ में देखने और घड़ियाली आंसू बहाने गयीं। जब नारायणपुर कांड हुआ तो वह भी श्रीमती इन्दिरा गांधी पहुंच गई थीं। इन्दिर गांधी बीरेपुर नहीं गई। रायबरेली राजीव गांधी हर हफ्ते आते थे। लेकिन बीरेपुरवा में कोई नेता घड़ियाली आंसू बहाने नहीं गया। आप वहां क्यों नहीं गये, क्योंकि इस कांड का जिम्मेदार वहां का सामन्त इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी तथा कांग्रेस का समर्थक है। राज्य मंत्री जो वहां गये, उनका वहां जाना उनक कर्तव्य था, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन क्या यह बड़ी घटना नहीं है और क्या प्रधान मंत्री का

जो चुनाव क्षेत्र था उनको वहां नहीं जाना चाहिये था। हम लोगों के क्षेत्र में यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो हम दौड़कर जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि असलियत क्या है। जो व्यक्ति मारे गये हैं वह 5–6 परिवारों के हैं। आपने 5–5 हजार रु0 की सहायता दी है। आदमी मर गये, घर जल गये, उनका गृहस्थ उजड़ गयी। उनकी जान की कीमत केवल 5 हजार रुपया। अभी लल्लू सिंह जो कह रहे थे कि आपने दूसरी जगहों पर 50–50 हजार रुपये दिये हैं, घर बनवाये हैं, रोजगार के लिये दूकानें बनवायी हैं। लेकिन हरिजनों के साथ यह भेदभाव किया जा रहा है। मेरी मांग है कि उनको समुचित सहायता दी जानी चाहिये कि परिवार 50 हजार रुपये, मकान और रोजगार दिलाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये ताकि वह ठीक तरह से रह सकें और ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिये कड़े कदम उठायें और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण न दिया जाय वरना शान्ति और व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता और हरिजनों पर होने वाले अत्याचार नहीं रुक सकते।

*श्री राम स्वरूप निम—

माननीय अध्यक्ष जी, जब जनता पार्टी की सरकार में चौधरी चरण सिंह जी गृह मन्त्री थे, तो जो बेलछी कांड हुआ था, तो उस पक्ष के माननीय सदस्य जो यह कह रहे हैं उन्होंने बकरे का खून बताया था यह बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट की कार्यवाही उठाकर देख लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

जैसे–जैसे आप कोट करते हैं, अखबार की सुर्खियों को हमने कोट किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम स्वरूप निम—

चौधरी चरण सिंह जी ने पार्लियामेन्ट में यह कहा था कि बेलछी जैसी कोई भी घटना किसी देश के वासियों के लिये शर्म की बात है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह बकरे का खून है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर देखने गयीं थीं। उसके बाद इस सरकार के जमाने में बेहमई में ठाकुरों को डकैतों ने मारा। हर ठाकुर के परिवार को 10–10 हजार रुपये दिये गये।

(कुछ माननीय सदस्यों के अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर बैठने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह सीटों का आदान–प्रदान कैसे हो रहा है?

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, ऐसे गम्भीर विषय पर ऐसा हो रहा है, यह सत्तापक्ष के लिये शर्म की बात है। तो मैं कह रहा था कि बेहमई में 10–10 हजार रुपये दिये गये तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से और मुख्य मंत्री जी से कि क्या जो लोग मारे गये हैं वह हरिजन नहीं थे। तो उनको 10–10 हजार रुपये की बजाय पहले सरकार ने घोषणा कर दी कि प्रति परिवार 500–500 रुपये दिये जायेंगे और प्रधान मन्त्री कोष से एक–एक हजार रुपये दिये जायेंगे।

मान्यवर, हरिजनों की कीमत गिर रही है इस सरकार के जमाने में, दूसरे लोगों की कीमत बढ़ रही है इस सरकार के जमाने में। ये कहते हैं कि हरिजनों का उत्पीड़न नहीं है। तो मैं यह कहता हूं कि यह इन्द्र बहादुर सिंह कौन था, जिसके पीछे डाक्टर संजय सिंह का हाथ है। 18 तारीख के ब्लिट्स पेपर में बाकायदा यह है कि डाक्टर संजय सिंह का उसमें हाथ है इसलिए यह दबाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उनमें दम है, तो उन्हें किसी पेपर में इसका

खंडन करना चाहिए था । लेकिन उन्होंने किसी पेपर में इसका खंडन नहीं किया है । इस मामले को दबाने के लिए माननीय संजय सिंह काम कर रहे हैं । इसलिए उनको कुछ भी अधिक सहायता नहीं दी जा रही है और न उनकी रक्षा की जा रही है। जब इस तरह का मामला उठता है, तो सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की हंसी और मजाक उड़ाते हैं । इनको मालूम नहीं है कि जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्य मंत्री थे, 10–10 हजार रुपये की घोषणा बेहमई गांव के ठाकुर जो मरे थे, उनके लिए की गयी थी । आज 6 जुलाई से 13 सितम्बर हो रहा है माननीय मन्त्री जी वहां पर गये क्या ? घोषणा करके आये ? माननीय मुख्य मन्त्री या कोई कैबिनेट स्तर का कोई मन्त्री वहां पर नहीं गया । अगर कांग्रेस के लोगों का उसके पीछे हाथ नहीं है, तो फिर इस तरह की दोहरी नीति क्यों हो रही है ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

सब लोक बल वाले करवा रहे हैं ।

श्री राम स्वरूप निम—

आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आती है ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

लोक बल की यह सकूनत है ।

श्री राम स्वरूप निम—

जब हरिजनों को जलाया जायगा और वह जल जायेंगे, तब भी इस सरकार को शर्म नहीं आयेगी । इस तरह की बात कांग्रेस की है । आज 11 हरिजन बोरेपुरवा गांव, रायबरेली में जला दिये गये, माननीय मन्त्री जी या मुख्य मंत्री जी या कैबिनेट स्तर का कोई मन्त्री वहां पहुंचा नहीं । असली घटना का विवरण जब कल मन्त्री जी दे रहे थे, तो उसमें वह तीन ठाकुरों का नाम ले रहे थे । जब तीन ठाकुर उसमें शामिल हैं, तो क्या यह हरिजन उत्पीड़न नहीं है ? जब यह हरिजन उत्पीड़न है, तो उन मृतकों के जो आश्रित हैं, उनको क्यों नहीं 10–10 हजार रुपया मिल रहा है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के अन्दर जरा भी दम और शर्म है, तो सरकार यह घोषणा करे कि इसके बारे में वह क्या कार्यवाही कर रही है ।

गृह राज्य मन्त्री (श्री राम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से जो घटना रायबरेली में घटी है हृदय विदारक है और मैं यह मान करके चलता हूं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए । लेकिन जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जो विचार यहां पर व्यक्त किये गये, वह कुछ सत्य से परे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जब इधर से चर्चा हुई, कुछ शुरुआत हुई, तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा ?

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, सत्य से परे क्या चीज है, वह बता दें ?

श्री राम सिंह—

सत्य से परे यह चीज है कि माननीय डाक्टर संजय सिंह ने हत्या कराई । यह सत्य से परे है ।

श्री राम स्वरूप निम—

आप यह कह रहे हैं, वह भी मन्त्री हैं, वह क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि उन्होंने यह हत्या नहीं कराई है ।

श्री राम सिंह—

जिसने आग लगाई वह पासी था 15 अभियुक्त हैं, उनमें हरिजन हैं ।

(व्यवधान)

जहां तक सहायता की बात है 5 सौ रुपया पहले दिया गया, बाद में एक हजार और बाद में 5 हजार दिया गया है। साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी ने कांग्रेस सहायता कोष से 10 हजार रुपया एक-एक आदमी को दिया है। मकान बनाने के लिये जमीन दी गई है। सुमेर जो राजाराम की पत्नी हैं वहां नहीं रहना चाहती थी उनको दूसरे गांव में जमीन दी गई है और 4 हजार रुपये की सहायता दी गई है। आसामी पट्टे किये गये हैं

(व्यवधान)

मान्यवर, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं वह सत्य से परे है। जितने मृतक थे उनके आश्रितों को 5 हजार रुपया और डेढ़ हजार रुपया अलग से दिया गया है। जहां तक घटना पर कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कहना चाहता हूं कि राज्य मन्त्री के नाते मैं एक महीने का वेतन दे रहा हूं। आपके हृदय में अगर दया हो तो एक दिन का वेतन दीजिये। जहां इस घटना में राजनैतिक दल का हाथ होने की बात कही जा रही है मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि पी0 एस0 पण्डेय ने इसकी विवेचना की और विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल हो चुकी है। उसमें 15 अभियुक्त बनाये गये हैं। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप निम--

गलत बयानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

बाद में स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा।

श्री राम सिंह--

जो न्यायालय का फैसला होगा वह मान्य होगा। इसमें किसी राजनैतिक दल का हाथ नहीं है और न राजनैतिक दबाव में कोई कार्य किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जब मन्त्री जी बोल रहे हैं तो आप लोग बैठें।

श्री राम सिंह--

उन परिवारों की आपसी रंजिश के के कारण ऐसा हुआ है। पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसमें किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का हाथ नहीं है।

(व्यवधान)

कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इस प्रकार घृणित कार्य नहीं कर सकता है। इसमें डा0 संजय सिंह का भी हाथ नहीं है।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

आपका आभारी हूं कि इतना समय होने के बाद भी प्रश्न पूछने का मौका दिया। जब एफ0 आई0 आर0 चैलेन्ज हो गई और स्पष्ट आरोप है कि इसमें साजिश है तो इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से करायेंगे ?

श्री राम सिंह--

चार्जशीट दाखिल हो गई है।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

ऐसे उदाहरण हैं जब चार्जशीट के बाद जांच हुई है।

श्री राम सिंह--

इसकी आवश्यकता क्या है ?

(व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत आज स्वीकृत सूचना पर वक्तव्य न होने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना देना चाहता हूं। नियम 51 के अन्तर्गत श्री यशपाल सिंह की सूचना स्वीकृत हुई थी उस पर वक्तव्य नहीं हो सकेगा। इस बारे में मैंने माननीय मंत्री जी से बात करने के बाद और माननीय नेता सदन से बात करने के बाद यह निर्णय लिया हूं कि 18 तारीख को 11 बजे बैठक में इस समस्या को सुलझाने के लिए जो अधिकारी लोग हैं, जिनको इस बारे में सूचना भेजी जायेगी तब इसमें निर्णय लिया जायेगा। इसमें वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। बैठक में आपसी वार्ता के द्वारा बाद में समस्या का समाधान किया जायेगा।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन रात्रि के 8 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ।

13 सितम्बर, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 10 पर)

तारांकित प्रश्न संख्या 2 का संलग्नक

सांडी नगर के मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं का माह जुलाई, 1983 से जनवरी, 1984 तक प्रत्येक माह आवंटित मिट्टी के तेल की मात्रा का विवरण निम्नवत् है :

माह का नाम	आवंटित मिट्टी तेल मात्रा (लीटर में)
(1) जुलाई, 1983	24,000
(2) अगस्त, 1983	28,500
(3) सितम्बर, 1983	16,500
(4) अक्तूबर, 1983	32,500
(5) नवम्बर, 1983	32,500
(6) दिसम्बर, 1983	41,000
(7) जनवरी, 1984	34,000

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

सदस्यों की सूची जिनसे जांच अधिकारी मिले ।

सर्वश्री	ग्राम	
1—भगौती पुत्र धूर	परसौहिया	
2—कल्लू पुत्र शिवनारायण	नावडीह	चेक
3—बच्चू पुत्र राम नाथ	रौहनीभारी	
4—श्याम प्रसाद पुत्र जगदेव	नावडीह	चेक
5—राम नाथ पुत्र मथुरा	नावडीह	बेबाक हैं
6—कल्लू पुत्र उमराव	नावडीह	चेक
7—परजू पुत्र बेनी माधव के पुत्र राम खेवर ने बयान दिया	नावडीह	चेक
8—चन्द्रिका पुत्र उमगर	नावडीह	चेक
9—अयोध्या पुत्र सितई	सिकौथा	स्वीकार हैं
10—जुगुन पुत्र निरहू	सिकौथा	,,
11—अजगत पुत्र अब्दुल	सिकौथा	
12—अक्षैबर पुत्र मनोक	सिकौथा	
13—राम प्रसाद पुत्र भरोसे	सिकौथा	
14—नसीरुद्दीन पुत्र जब्बर	कानभारी	ऋण नहीं हैं
15—आत्माराम पुत्र शम्भूदत्त	सिकन्दरपुर	,,
16 बुधई पुत्र राम लाल	सिकन्दरपुर	,,
17 जोखू पुत्र कल्पू	सिकन्दरपुर	,,
18 इदरीस पुत्र जमादार	सिगराजीत	,,
19 सज्जाक पुत्र परदेश की स्त्री नाबदा देवी	सिगारजीत	मास्टरप्लान
20 छेदी पुत्र चेतू	सिगारजीत	चेक
21 बासदेव पुत्र बच्चू	सिगारजीत	चेक प0अ0लि0
22 रमजान पुत्र घिराहूं	सिगारजीत	,,
23 तीरथ पुत्र विश्राम	सिगारजीत	चेक
24 गया पुत्र मेढ़ई	जानकीनगर	चेक

	सबंधी	ग्राम
25	मोहम्मरजा पुत्र बहादुर	सिगारजोत चेक
26	फरई पुत्र सुमिरन के चाचा साधू ने बयान दिया	दखिनहवा सवस्य नहीं है
27	गया प्रसाद हरद्वार (मृतक) इनके पौत्र श्री बस्चारांम मिश्र पुत्र राम पल्टन	सकियापुर
28	सत्य नारायन पुत्र पदारथ	सकियापुर
29	बली मुहम्मद पुत्र हूकुमदार	मनकौर
30	बलराम पुत्र राम अवध के चाचा श्री ठाकुर पुत्र बेंजू ने बयान दिया	मनकोरा
31	रामकरन पुत्र धुरे	परसौहिया तिवारी
32	राम करन पुत्र झिनकन	परसौहिया तिवारी
33	मोती पुत्र राम शब्द	रोहांव बुजुर्ग
34	दासे पुत्र दुर्गा	रोहांव बुजुर्ग
35	मटेश्वरी पुत्र राम लोचन	रोहांव बुजुर्ग
36	रामगोबिन्द गिरि पुत्र चिकन	परसौहिया तिवारी
37	चेतू पुत्र छोटू	परसौहिया तिवारी
38	बदलू पुत्र नेपाल इसकी मामी श्री बनता देवी ने बयान दिया	परसौहिया तिवारी
39	गौरी पुत्र फागू (मृतक) इनके पुत्र अयोध्या का बयान	परसौहिया तिवारी
40	गयादीन पुत्र सूरजबली (मृतक) इनके पुत्र शुद्धे ने बयान दिया	परसौहियां तिवारी
41	रामहित पुत्र गुप्तार	रोहांव बुजुर्ग
42	शिवमंगल पुत्र छाडू	रोहांव बुजुर्ग
43	राम भरोसे पुत्र छाड़ू, उसकी स्त्री महराजी ने बयान दिया	रोहांव बुजुर्ग
44	जहरुद्दीन पुत्र मोहम्मद इसहाक	परसोहिया तिवारी
45	गौरी पुत्र छोटकन	परसोहिया तिवारी

सर्वश्री	ग्राम
46 हरिहर पुत्र सन्तू	मनकोरा
47 साधू पाठक पुत्र महीप	मनकोरा
48 राममिलन पुत्र ब्रज मोहन	गंगापुर
49 ब्रह्म दत्त पुत्र महादेव	गंगापुर
50 जगरनाथ पुत्र जगमोहन (मृतक) इनके पुत्र कृष्ण मोहन ने बयान दिया	गंगापुर
91 राम लखन पुत्र परमेश्वर	गंगापुर
52 मोहम्मद शफीक पुत्र नौरंग	गंगापुर
53 टीकाराम पुत्र अवधराम	रोहांव बुजुर्ग
54 सोभाराम पुत्र राम किसुन	रोहांव बुजुर्ग
55 अंगद पुत्र स्वामी नाथ	मनकोरा
56 दशरथ पुत्र सन्तू	मनकोरा
57 छत्तू पुत्र भगौती (मृतक) इनके पुत्र राजेश्वरी ने बयान दिया	मनकोरा
58 श्याम लाल पुत्र जगमोहन	मनकोरा
69 श्रीमती महातम पुत्र श्याम लाल	मनकोरा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विभिन्न प्रबन्ध निदेशकों के कार्यकाल में क्रय किये सामान में अवशेष स्टाक तथा उस पर ब्याज का विवरण

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0सं0	प्रबन्धक निदेशक/ सचिव का नाम	कार्यकाल	कार्यकाल वार अवशेष स्टाक जो बिक नहीं पा रहा है	कुल सामान जिस पर ब्याज देय है	ब्याज की दर 12 प्रतिशत	ब्याज की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री आर0 बी0 त्रिपाठी, सचिव	16-2-71 से 30-4-76	0·018	0·018	12 प्रतिशत	0 002
2	श्री धीर सिंह वर्मा, प्रबन्ध निदेशक	27-4-76 से 2-12-77	0·034	0·072	,,	0·009

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
3	श्री सी0 पी0 शुक्ला, प्रबन्ध निदेशक	4-2-78 से 24-10-78	0·005	0·077	12 प्रतिशत	0·009
4	श्री आर0बी0एल0 माथुर, प्रबन्ध निदेशक	24-10-78 से 22-11-79	3·387	2·464	,,	0·295
5	श्री एस0आर0एस0 यादव, प्रबन्ध निदेशक	22-11-79 से 31-7-80	0·292	2·756	,,	0·331
6	श्री बी0एन0पी0 डंगवाल, प्रबन्ध निदेशक	11-8-80 से 18-4-81	1·485	4·241	,,	0·508
7	श्री आर0पी0 श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक	18-4-81 से 21-7-82	8·234	12·475	,,	1·497

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	श्री बी0एस0 सक्सेना, प्रबन्ध निदेशक	20-7-82 से 30-6-83	0·526	13·001	,,	1·560
9	श्री आर0बी0 त्रिपाठी, प्रबन्ध निदेशक	1-7-83 से 9-7-84	0·357 (अनुमानित)	13·358	,,	..
	योग	..	13·358			

नोट—उपरोक्त अवधि में कुल क्रय 24,603·669 लाख रु0 का कुल बिक्री 25,021·91 लाख रु0 तथा अवशेष स्टाक 13·358 लाख रु0 का है जो कुल व्यवसाय का 0·053 प्रतिशत है।

(2) प्रबन्धक निदेशक बार तैयार किया गया विवरण लगभग सही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या

चावल वितरण विकास खण्ड

क्र0सं0	नाम समिति	अप्रैल 1983	मई 1983	जून 1983	जुलाई 1983	अगस्त 1983
1	2	3	4	5	6	7
1	पतिला गौसपुर	..	6	..	..	42
2	बिलरियागंज	..	..	..	..	..
3	बनकट बाजार	15	..	..	..	..
4	खानपुर भगत पट्टी	..	..	..	..	..
5	पिपरहा कांखभार	..	..	..	..	..
6	भगतपुर	..	..	..	..	..
7	मदनापार	..	..	..	..	..
8	पटवध कौतुक	..	..	..	..	..
9	ऊंचाडीह केशवपुर	15	..	..	..	..
10	जैराजपुर	..	..	..	..	..
11	आखापुर मंझरिया	..	..	..	..	..
12	मिरिया बिजुली	..	..	..	..	..
13	पचखोरा हरीराम	..	20	..	..	..
14	मंडुरी	..	..	..	..	..
15	गौरी नरायनपुर	..	..	..	..	..
	कुल योग ..	30	26	..	..	42

38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

बिलरियागंज, वर्ष 1983-84

सितम्बर 1983	अक्टूबर 1983	नवम्बर 1983	दिसम्बर 1983	जनवरी 1984	फरवरी 1984	मार्च 1984	अप्रैल 1984	कुल योग
8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	..	..	..	..	..	..	..	78
स0 पालाकपुर ..		..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	15
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	..	..	..	..	..	..	..	15
..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	..	..	..	..	..	..	..	30
सम्बद्ध पतिला ..		..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	.
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	20
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
60	..	.	..	..	..	..	..	158

चावल वितरण विकास खण्ड

क्र0सं0	नाम समिति	अप्रैल 1983	मई 1983	जून 1983	जुलाई 1983	अगस्त 1983
1	2	3	4	5	6	7
1	जोकहरा	..	..	..	..	..
2	बरडीहा	..	..	..	..	..
3	खोजोली तालुका मेंनीजोर	..	..	..	..	..
4	हरैया	..	..	..	..	..
5	हाजीपुर	..	..	..	..	..
6	रामनगर कुकरौछी	..	..	..	..	..
7	चकलाल चन्द	..	..	..	..	..
8	बाल नरायन मंझरिया	..	..	..	..	..
9	बछउर खिल्लू	..	..	..	66	35
10	रोहुआर बंबोली	..	..	..	..	..
11	भैसाड	..	..	..	..	..
12	देवाराखासराजा	..	..	..	36	36
13	अजगरामशकी	..	..	..	..	..
14	करखिया रुस्तम सरांय	..	..	..	36	36
15	हैदराबाद	..	..	..	..	..
16	रौनापार	..	..	..	36	36
17	चांद पट्टी	..	..	..	36	36
	कुल योग	..	..	..	210	179

हरैया, वर्ष 1983-84

	सितम्बर 1983	अक्तूबर 1983	नवम्बर 1983	दिसम्बर 1983	जनवरी 1984	फरवरी 1984	मार्च 1984	अप्रैल 1984	कुल योग
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	27	..	..	..	..	..	..	..	27
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	101
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	.	..	..	..	..	..	..	..	..
	2	..	..	..	..	..	..	..	74
	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..	72
	..	.	..	..	..	..	..	..	..
	..	15	..	..	..	..	..	..	87
	..	20	..	..	..	..	..	..	92
	29	35	..	..	..	..	..	..	453

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर ।)

जांच रिपोर्ट—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर के डा0 के0 पी0 गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1983 जो कि श्री मुरारीलाल गुप्ता, निरीक्षक द्वारा की गई है, के जांच के सम्बन्ध में :—

श्री मुरारीलाल गुप्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1983 की जांच मेरे द्वारा की गई जांच के दौरान जो तथ्य सामने आये हैं उसकी प्रस्तरवार आख्या निम्नलिखित है :—

आरोप संख्या 1—

श्री मुरारीलाल गुप्ता, खाद्य निरीक्षक (तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर) का मुख्य आरोप यह है कि "उन्हें माह मार्च, 1983 का वेतन अकारण रोक दिया गया है" इस सम्बन्ध में मैंने पे बिल रजिस्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर का अवलोकन किया उसके आधार पर श्री मुरारी लाल गुप्त, को 1-3-83 से 14-3-83 एवं 30-3-83 से 31-3-83 तक का ड्यूटी पेय निकाला गया है जिसे श्री गुप्ता दिनांक 30-4-83 को प्राप्त कर लिय है शेष वेतन, जो दिनांक 15-3-83 से 29-3-83 तक नहीं निकाला गया है इस सम्बन्ध में मैंने डाक्टर से पूछताछ किया तो उन्होंने अपने बयान में बताया है कि श्री गुप्ता उक्त अवधि में अपने ड्यूटी से अनुपस्थित रहे जिससे उक्त अवधि का वेतन नहीं निकाला गया है । डाक्टर ने यह भी बताया कि उक्त अवधि में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में श्री गुप्ता से लिखित पूछा या उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । इसके सफाई में श्री गुप्ता ने अपने बयान में यह दर्शाया है कि दिनांक 14-3-83 को प्रातः 9·30 बजे भ्रमण पंजिका अनुसार ग्राम पड़रहवा दर्शाया और वहीं पर हाल्ट किये हैं और दिनांक 15-3-83 को वापसी 9·30 बजे शाम को दिखाया गया है जो कि उपस्थित पंजिका में दिनांक 15-3-83 को गोरखपुर लिखा हुआ है सत्यता स्पष्ट नहीं होती है इसी प्रकार अनेकों उदाहरण उन्होंने दिया है जो कि भ्रमात्मक एवं संदेहप्रद विदित होता है । डा0 के0 पी0 गुप्ता ने श्री मुरारीलाल गुप्ता का उक्त अवधि का वेतन उनके अनुपस्थित रहने पर ही रोका है ।

प्रसार शिक्षक के वेतन निकालने में जो आरोप लगाया गया है वह आधारहीन है क्योंकि प्रसार शिक्षक अपने कार्य को किया है और वेतन उसे ड्यूटी का मिला है । भ्रमण पंजिका में डा0 ओ0 पी0 ओझा के साथ प्रसार शिक्षक ने लेप्रोस्कोपिक कैम्प के प्रचार हेतु देहातों का भ्रमण किया है ।

आरोप संख्या 2—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर में चेचक उन्मूलन में मात्र तीन पद सृजित हैं जबकि चार कार्यरत हैं इस सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी का कोई दोष नहीं है जितना पद स्वीकृत है उतने ही व्यक्ति कार्य करेंगे यह कहना उनका

गलत है वेतन आहरित करने का जो प्रश्न उठाया है वह नियमानुसार ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया है । जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनहित में हुआ है उसे यात्रा भत्ता अनुमति ।

आरोप संख्या 3—

श्री कैलाश नाथ राम, चेचक पर्यवेक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर सरकारी आवास में 1-8-81 से अनधिकृत रूप से रह रहे थे । मकान का किराया प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उनके आहरित एरियर पैसे दिनांक 1-8-81 से 30-6-83 तक मु0 रुपया 569·80 काट कर ट्रेजरी चालान नं0 13-बी, दिनांक 22-7-83 को जमा कर दिया । प्रा0 चिकित्साधिकारी ने यह भी बताया कि शेष रुपया श्री कैलाश नाथ राम नहीं लिये जिसे भी खजाने में जमा कर दिया गया । इस सम्बन्ध में श्री कैलाश नाथ राम ने अपने एरियर के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर के यहां धारा 409, भारतीय दंड संख्या के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया है जो विचाराधीन है ।

आरोप नं0 4—

प्रसार शिक्षक के आवास में जो सरकारी है श्री कैलाश नाथ राम अनधिकृतरूप से कब्जा किये थे उन्हें अनेकों बार लिखने के बावजूद भी उन्होंन मकान खाली नहीं किये ऐसी स्थिति में प्रसार की अन्य स्थान में मकान किराये पर ले कर रह रहें अतएव किराया वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आरोप नं0 5—

जांच के दौरान कोई भी सत्यता प्रकाश में नहीं आई ।

आरोप नं0 6—

कम्पाउन्डर श्री नूर मोहम्मद मलिक की पुरानी शिकायत इस शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है, हां, मैंने मेडिसीन स्टाक-बुक को देखा और वह ठीक पाया गया ।

आरोप नं0 7—

डा0 के अनुपस्थिति में श्री जे0 पी0 शर्मा, द्वारा किस अधिकार से आउट-डोर रजिस्टर में लिखा गया, इस सम्बन्ध में मैंने डा0 से पूछताछ किया तो उन्होंने कहां कि यह गलत है ।

आरोप नं0 8—

यह शिकायत आधारहीन है ।

आरोप नं0 9—

दाई प्रशिक्षण में ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई रिकार्ड के आधार पर जैसे इसकी जांच उच्चाधिकारियों द्वारा चल रही है ।

निष्कर्ष

जांचोपरान्त यह तथ्य सामने आया कि श्री मुरारी लाल गुप्ता को दिनांक 14 मार्च, 1983 से 29 मार्च, 1983 तक का वेतन उनके अनुपस्थित रहने के कारण डाक्टर द्वारा नहीं निकाला गया है । श्री गुप्ता ने दिनांक 14 मार्च, 1983

से 29 मार्च, 1983 तक जो भी साक्ष्य अपने सफाई में दिया वह संदेहात्मक है । श्री गुप्ता का मुख्य कारण उक्त अवधि के वेतन न पाने के कारण शिकायत उठाई, शिकायत का मुख्य मुद्दा जो आरोप नं0 1 है वह श्री गुप्ता से सम्बन्धित है शेष अन्य शिकायतें उनसे सम्बन्धित नहीं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर के केवल दो स्टाफ को छोड़ कर डा0 के0 पी0 गुप्ता से किसी को कोई शिकायत नहीं । डा0 गुप्ता एवं श्री मुरारी लाल का आपसी मतभेद होने से ऐसी शिकायत श्री गुप्ता ने उठाई है जिसका उदाहरण श्री मुरारी लाल गुप्त ने डा0 के विरुद्ध कोर्ट में भी मामला उठाया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री मुरारी लाल गुप्ता का आपसी मतभेद है । चेचक पर्यवेक्षक का मामला मकान किराये को लेकर श्री गुप्ता ने ही कोर्ट में पहुंचाया है यह कोर्ट के विचाराधीन है । शेष बिन्दुओं पर जो आरोप गुप्ता द्वारा उठाया गया है वह सत्य प्रतीत नहीं होती है । श्री मुरारी लाल गुप्ता खाद्य निरीक्षक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर से अपने निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण मई 1983 में रिक्त स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गगहा में करा लिया इनके चले जाने के बाद अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर में कोई तनाव नहीं है । यदि डा0 द्वारा उक्त दिनांक का कोई वेतन निकाल दिया गया होता तो ऐसी शिकायत श्री मुरारी लाल गुप्ता नहीं करते ।

डा0 के0 पी0 गुप्ता के बारे में मैंने और स्टाफ से जानकारी चाही तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। जहां तक मेरा सवाल है डा0 के0 पी0 गुप्ता का कार्य एवं व्यवहार अच्छा है ।

भवदीय,

के0 सी0 गोविल,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

गोरखपुर ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर ।)

मथुरा जनपद मे गेहूं खरीद केन्द्रों के केन्द्र प्रभारियों/ठेकेदारों आदि पर भ्रष्टाचार के आरोप में माह मई, 1984 मे कायम किये गये मुकदमों का विवरण

क्रम-सं0	केन्द्र का नाम	आरोप
1	प्रान्तीय सहकारी संघ का क्रय केन्द्र, मगोर्रा	काश्तकारों से तोल में 2 किलो प्रति बोरी तक अधिक गेहूं तौलने का आरोप था ।
2	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का क्रय केन्द्र, पलसों	इस क्रय केन्द्र पर काश्तकारों से नाजायज पैसा लेने का आरोप था ।
3	प्रान्तीय सहकारी संघ का क्रय केन्द्र, छाता	इस क्रय केन्द्र पर व्यापारियों से गेहूं खरीदने का आरोप था ।
4	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का क्रय केन्द्र, छाता	इस क्रय केन्द्र पर व्यापारियों से गल्ला खरीदने का आरोप था ।
5	प्रान्तीय सहकारी संघ का क्रय केन्द्र, बलदेव	इस क्रय केन्द्र पर काश्तकारों का गेहूं 100 किलो प्रति बोरी के बजाय अधिक तोलने का आरोप था ।
6	मार्केटिंग शाखा का क्रय केन्द्र, साबाबाद	इस क्रय केन्द्र पर भ्रष्टाचार करने के विषय में किसानों की लिखित शिकायतें जैसे रिश्वत लेने, व्यापारियों का माल गलत नाम से लेने आदि थी ।
7	भारतीय खाद्य निगम का क्रय केन्द्र, सौनई	इस क्रय केन्द्र पर एक कांटे में 200 ग्राम का पसंगा था जिससे प्रत्येक तौले जाने वाले बोरे पर 200 ग्राम गेहूं अधिक तौल कर लिया जा रहा था । दूसरे कांटे पर तौले गय 28 बोरों में 750 ग्राम गेहूं अधिक पाये जाने तथा पर्ची काश्तकार आदि जारी न करने के आरोप थे ।
8	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का क्रय केन्द्र, नौझील	इस क्रय केन्द्र पर 600 ग्राम प्रति बोरा के हिसाब से गेहूं अधिक तोलने का आरोप था ।

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये आशंकित प्रश्न संख्या 83 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर।)

क्रम-सं0	नाम न्याय पंचायत	नाम दुकानदार	दी गयी मात्रा (लीटर में)
1	बोहली	1--जोखू	1800
2	धनौरा मुस्तहकम	1--राम चरन	4260
		2--जब्बार	4640
		3--हैदर अली	400
3	पिपरसन	1--अब्दुल जब्बार	1600
		2--अब्दुल सलाम	800
		3--कासिम अली	800
		4--केसरी पांडेय	400
4	बर्डपुर नं0 6	1--जैनुदीन	2000
		2--चिन्नू प्रसाद	400
		3--मोहम्मद खलील	1600
		4--शमशुल हक	1200
5	दुल्हाशुमाली (दुल्हादर मियानी)	1--सुकदेव राम	200
		2--मुहम्मद याकूब	800

अनुबंध 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर ।)

क्रम-सं0	नाम न्याय पंचायत	नाम दुकानदार	दी गयी मात्रा (लीटर में)
1	वर्डपुर नं0 8	1—राम अचल	8600
		2—दुर्गा राम	17000
		3—अवध राम	10800
		4—जगदीश पांडेय	14000
		5—क्षेत्रीय सहकारी समिति, वर्डपुर ।	12000
		6—अब्दुल गफार	8400
		7—घनश्याम जायसवाल	6000
2	वर्डपुर नं0 10	1—क्षेत्रीय सहकारी समिति वर्डपुर	12000
		2—मिठाई लाल	19800
		3—इब्राहीम	8950
		4—राम	3400
		5—मोती लाल	3000
		6—सहकारी समिति लि0	10400
3	शिव पतिनगर	1—पारसनाथ	8600
		2—सहकारी समिति लि0	10800
		3—राम लखन	7000
		4—मु0 सम्पाती	2400
		5—क्षेत्रीय सहकारी समिति, शिवपति नगर	15600
4	वेल्टीकर	1—सहकारी समिति, महदेवा	12200
		2—अख्तर खां	16000
		3—कोईल	18000
5	पटनी जंगल	1—मोती लाल	26000
		2—जाखन	22000

नत्थी

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 89

क्रम सं0	अस्पताल की स्वीकृति का स्थल	स्थापना की तिथि	क्या सभी सामग्री क्रय कर ली गई
1	2	3	4
			एलोपैथिक
1	ग्राम जंघई (पुरुष)	28-5-84	हां
2	ग्राम असरांवकता ,,	तदेव	हां
3	ग्राम घूरपुर	तदेव	हां
4	ग्राम बारा ,,	तदेव	हां
5	ग्राम देवरा ,,	तदेव	हां
6	ग्राम देवरिया ,,	अभी स्थापित नहीं हुआ है	हां
7	ग्राम बैंशकाटो (महिला)	28-5-84	हां
8	ग्राम भारतगंज ,,	तदेव	हां
9	ग्राम बरांव ,,	तदेव	हां
			आयुर्वेदिक
1	ग्राम चाका	12-3-84	हां
2	ग्राम मवैया	22-3-84	हां
			होम्योपैथिक
1	ग्राम मदरा	7-4-84	दवायें क्रय कर ली गयी
2	विलता मोहानी	तदेव	तदेव
3	देवघाट	तदेव	तदेव
4	बक्सी खुर्द	3-3-84	तदेव
5	मुट्ठीगंज	अभी स्थापित नहीं हुआ है	तदेव

'ग्र'

का उत्तर पीछे पृ0 56 पर ।)

किराये पर स्थान से लिया गया	डाक्टर कम्पाउन्डर तथा वार्ड ब्वाय आदि की नियुक्ति की स्थिति	यदि स्टाफ नियुक्त नहीं है, तो उसका कारण तथा पूर्ण स्टाफ की व्यवस्था कब तक की जायगी
5	6	7
हां	सभी नियुक्त हैं	प्रश्न नहीं उठता
हां	तदेव	तदेव
हां	तदेव	तदेव
हां	तदेव	तदेव
हां	तदेव	तदेव
अभी उपलब्ध नहीं हो सका	तदेव	तदेव
हां	केवल डाक्टर नियुक्त नहीं हैं	नियुक्ति की गयी है किन्तु कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ।
हां	तदेव	तदेव
हां	सभी नियुक्त हैं	प्रश्न नहीं उठता ।
हां	तदेव	तदेव
हां	तदेव	तदेव
हां	तदेव	तदेव
हां	केवल कम्पाउन्डर नहीं है	व्यवस्था शीघ्र की जायेगी
हां	सभी नियुक्त हैं	प्रश्न नहीं उठता ।
हां	तदेव	तदेव
अभी उपलब्ध नहीं हो सका	तदेव	स्थापित होने के बाद ही नियुक्ति की जा सकेगी ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

	किसके विरुद्ध	शिकायत का सारांश
1--शिकायती पत्र दिनांक 5-4-84 जो सर्वश्री रामजी राम आदि विधायक द्वारा दिया गया	श्री देवदत्त तिवारी पूर्ति निरीक्षक, वजीरगंज क्षेत्र, लखनऊ	सस्ते गल्ले की दुकान पर फर्जी यूनिट सम्बद्ध करने तथा मिट्टी के तेल को अनधिकृत रूप से फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं को बिला कर अवैध धन कमाने का आरोप ।
2--शिकायती पत्र दिनांक 5-4-84 जो सर्वश्री प्रियदर्शी जेतली आदि विधायक द्वारा दिया गया	श्री शम्भू नाथ श्रा, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, वजीरगंज हसनगंज, लखनऊ	लखनऊ में मिट्टी तेल की वितरण व्यवस्था में, थोक विक्रेताओं की सांठ-गांठ से, गड़बड़ी करके अवैध रूप से धन कमाने से सम्बन्धित आरोप आदि ।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

प्रतिलिपि

गुलाम हुसैन, अ0शा0प0 सं0 एफ0पी0 6014/16-11-76
आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-11
लखनऊ : दिनांक 4 अगस्त, 1976

प्रिय महोदय,

कुछ जिलाधिकारियों ने शासन को सूचित किया है कि उनके जिले के लिये चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग तथा शिक्षा विभाग के लक्ष्य तो निर्धारित करके उन्हें सूचना दे दी गई है परन्तु अन्य विभागों को जिलेवार लक्ष्य विभागाध्यक्षों द्वारा उनको अभी तक बताये नहीं गये हैं जिसकी वजह से वह अपने जिले का पूरा लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाये हैं। कृपया शासन के रेडियोग्राम संख्या 5324/16-11, दिनांक 30-6-76 को संदर्भित करें। जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप अपने जिला स्तरीय समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक बुला कर उनके विभाग का अलग-अलग लक्ष्य उनसे विचार-विमर्श करके निश्चित कर दें। साधारणतया नीति यह हो कि क्षेत्रीय स्तर पर जितने कार्यकर्ता हैं वह हर 3 साल में कम से कम एक नसबन्दी का केस अवश्य प्रेरित करें। इस प्रकार अन्य विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों का लक्ष्य उनकी संख्या का चार गुना होगा।

2--राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अलग-अलग अधिकारियों से विचार-विमर्श करके प्रत्येक विभाग के राज्य स्तरीय लक्ष्य निर्धारित किये गये है। विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे उन्हें जिलेवार बांट कर जिला अधिकारियों को सूचित कर देंगे। परन्तु कुछ विभागाध्यक्षों जैसे मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, चेयरमैन, राज्य विद्युत् परिषद् इत्यादि ने ऐसा करने में यह कठिनाई बताई है कि उन्होंने अपने लक्ष्य अपने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों के बीच में बांट दिये हैं और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों ने अपने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के बीच में बांट दिए हैं। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के डिविजन कहीं-कहीं पर एक ही जिले तक सीमित नही है बल्कि उनमें एक से अधिक जिले भी आते हैं। इसलिए इन विभागाध्यक्षों को राज्य स्तर पर जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस लिए जिला अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने स्तर से समस्त जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ले और उनसे विचार विमर्श करके उनके लक्ष्य निर्धारित कर दें। लक्ष्य निर्धारित करने का उसूल वही रहेगा कि प्रत्येक 3 मास में कम से कम एक नसबन्दी का केस प्रत्येक कार्यकर्त्ता द्वारा कराया जाये। ऐसा करने में उन लक्ष्यों में जो किसी विभाग के लिए राज्य स्तर पर निर्धारित किये गये हैं और विभागाध्यक्षों द्वारा अपने जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचित किये गये हैं और उन लक्ष्यों में जो जिलाधिकारी अपने स्तर पर विभिन्न विभागीय जिलाधिकारियों के परामर्श से निर्धारित करेंगे, कुछ अन्तर हो सकता है। ऐसी दशा में वह लक्ष्य माना जायेगा जो जिलाधिकारी

अपने स्तर पर तय करेंगे । आपसे अनुरोध है कि कृपया यदि आपने अब तक अपने जिले के विभागों का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस सिद्धांत के आधार पर तुरन्त निर्धारित करके अपने जिले का सम्पूर्ण लक्ष्य निश्चित करके राज्य परिवार नियोजन अधिकारी को तथा मुझे सूचित कर दें ।

3--कुछ जिलाधिकारियों ने यह जानना चाहा है कि क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों से क्या मतलब है और किन्हें क्षेत्रीय स्तर का कर्मचारी माना जाये । क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारी का मतलब उन कर्मचारियों से है जो अपनी ड्यूटी के सिलसिले में साधारण जनता के सम्पर्क में आया करते हैं । जैसे लेखपाल, ग्रामसेवक, पंचायत सेवक, पत्रोल इत्यादि ।

4—कुछ जिलाधिकारियों ने सूचित किया है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें क्षेत्रीय स्तर पर कोई कर्मचारी नहीं है परन्तु वह भी परिवार नियोजन में अच्छा योगदान दे सकते हैं । जैसे रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर, सेल्स टैक्स आफीसर इत्यादि जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वह ऐसे समस्त अधिकारियों को बुला कर उनसे बातचीत करके उनके भी लक्ष्य निर्धारित कर दें ।

5--कुछ जिलाधिकारियों ने यह जानना चाहा है कि क्या दफ्तर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को, चपरासियों को, ड्राइवरों को, अन्य इसी प्रकार के कर्मचारियों को जो जनता के सम्पर्क में सीधे तौर पर नहीं आते हैं, के भी लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों के लक्ष्य निर्धारित करने का शासन का कोई विचार नहीं है । कुछ जिलाधिकारियों ने यह जानना चाहा है कि क्या यदि कोई कर्मचारी ऊपर पैराग्राफ 3 की श्रेणी में नहीं आता है स्वयं नसबन्दी के लिये लोगों को प्रेरित करता है तो उस पर भी वह प्रोत्साहन जो शासन द्वारा अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित किये गये हैं लागू होंगे अथवा नहीं । इसके बारे में यह स्पष्ट करना है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से नसबन्दी के लिए लोगों को प्रेरित करता है तो उस पर भी वह सब प्रोत्साहन लागू होंगे जो अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित किये गये हैं यानी उसको भी प्रेरणा शुल्क मिलेगा । यदि वह 12 नसबन्दी करा लेता है तो उसको भी एक विशेष वेतन वृद्धि मिलेगी । आप से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट कर । यदि अब भी कोई शंका किसी बात पर हो तो कृपया मुझे तुरन्त सूचित करके उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें ।

समस्त जिलाधिकरी,

उत्तर प्रदेश

भवदीय,

(ह0 गुलाम हुसेन)

नत्थी 'ठ'।

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 114 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

क्रम सं0	रजिस्टर सीरियल नम्बर	नाम आवेदक	स्थान	मात्रा	परमिट नं0/तिथि
1	2	3	4	5	6
1	578	श्री शिवनारायण सिंह	सुरियावां	6 बोरी	823049/14-9-82
2	706	श्री करामुल्ला हाशमी	,,	3 बोरी	823779/13-12-82
3	725	श्री राम लाल गुप्ता	,,	15 बोरी	823603/18-12-82
4	726	श्री पारस नाथ चौरसिया	,,	20 बोरी	823604/18-12-92
5	727	श्री भगौती प्रसाद वर्मा	,,	25 बोरी	823605/18-12-82
6	728	श्री राम लाल पाल	,,	20 बोरी	823606/18-12-82
7	729	श्री श्याम लाल गुप्ता	,,	20 बोरी	823607/18-12-82
8	825	श्री मुन्नी हाशमी शमी हाशमी	,,	10 बोरी	823908/5-3-83
9	842	श्री जगदीश उपाध्याय	,,	25 बोरी	823930/4-4-83
10	843	श्री विश्वनाथ यादव	,,	25 बोरी	823931/4-4-83
11	844	श्री राम जी मौर्या	,,	25 बोरी	923932/4-4-83
12	845	श्री रामदेव गुप्ता	,,	25 बोरी	823933/4-4-83
13	855	श्री राम	,,	30 बोरी	823943/12-5-83
14	856	श्री केशरी प्रसाद	,,	25 बोरी	823944/12-5-83
15	858	श्री रामजी उमर	,,	20 बोरी	323946/16-5-83
16	859	श्री किशोरी लाल	,,	25 बोरी	823947/16-5-83
17	884	श्री जवाहिर लाल	,,	20 बोरी	823977/22-6-83
18	1058	श्री जमील हाशमी	,,	15 बोरी	813560/28-10-83
19	1202	श्री मुन्नी हाशमी	,,	3 बोरी	218716/28-2-84

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नरथी

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 124 का

जनपद बरेली के ब्लाक शेरगढ़ की सहकारी समितियों एवं निजी डीलरों को राशनकार्डों से सम्बन्धित सूचना (मात्रा चीनी क्विन्टल में एवं मिट्टी तेल

क्रम सं0	ग्राम सहकारी समिति/ ग्राम निजी डीलर	जनवरी 1984,			फरवरी, 1984		
		कार्ड	चीनी	मि0 तेल	कार्ड	चीनी	मि0 तेल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधन सहकारी समिति, धुनका	835	6	660	835	6	880
2	साधन सहकारी समिति, नगरया कला	849	6	660	849	6	880
3	साधन सहकारी समिति, बसुधरन जागीर	815	6	660	815	6	1000
4	साधन सहकारी समिति, गुनाहटू	899	6	660	899	6	1320
5	साधन सहकारी समिति, रोहली	1023	6	660	1023	6	1320
6	साधन सहकारी समिति, शाहपुर, बासखेडा	845	6	660	845	6	880
7	साधन सहकारी समिति, सहोडा	1180	6	660	1180	6	880
8	साधन सहकारी समिति, गुलडयाकला	923	6	660	923	6	800
9	साधन सहकारी समिति, औरंगाबाद	1440	6	660	1440	6	880
10	अनोखे लाल, शेरगढ़	407	10	660	407	10	660
11	श्री रमेश चन्द्र, शेरगढ़	404	10	660	404	9	660
12	श्री मथुरा प्रसाद, शेरगढ़	408	10	660	408	10	660
13	श्री मेंहदी शाह, शेरगढ़	405	10	660	405	9	660
14	श्री राम स्वरूप, शेरगढ़	345	9	660	345	8	660

'ख'

पर पीछे पृष्ठ 68 पर)

जनवरी, 1984 से मई, 1984 तक चीनी/मिट्टी तेल का आवंटन एवं सम्बंधी लीटर में है) :

मार्च, 1984			अप्रैल, 1984			मई, 1984		
कार्ड	चीनी	मि0 तेल	कार्ड	चीनी	मि0 तेल	कार्ड	चीनी	मि0 तेल
9	10	11	12	13	14	15	16	17
835	6	880	835	6	800	835	9	700
849	6	800	849	6	800	849	9	700
815	6	800	815	6	1000	815	9	700
899	6	..	899	6	1000	899	9	1000
1023	6	1320	1023	6	1100	1023	9	1100
845	6	880	845	9	800	845	9	700
1180	6	700	1180	6	700	1180	9	700
923	6	700	923	6	700	923	9	700
1440	6	700	1440	6	700	1440	9	700
407	10	660	407	10	660	407	20	660
404	9	660	404	9	660	404	19	660
408	9	660	408	9	660	408	19	660
405	9	660	405	9	660	405	20	660
345	8	660	345	8	660	345	17	660

1	2	3	4	5	6	7	8
15	श्री जगदीश सरन, शीशगढ़	454	10	700	454	10	700
16	श्री इम्तियाज अहमद, शीशगढ़	336	10	700	336	10	700
17	श्री अब्दुल मजीद, शीशगढ़	431	10	700	431	10	700
18	श्री रियाज अहमद, शीशगढ़	448	10	700	448	10	700
19	श्री अख्तर अली, शीशगढ़	455	10	700	455	10	700
20	श्री शराफत हुसैन, शीशगढ़	454	10	700	454	10	700
21	श्री अमर सिंह, शीशगढ़	451	10	700	451	10	700
22	श्री रमेश चन्द्र, मदनपुरा	435	6	660	435	6	800
23	श्री सूरेन्द्र वीर, डकिया	506	6	440	635	6	440
24	श्री भरत सिंह, मलसा खेडा	425	6	440	425	6	660
25	श्री बाबू राम, बुनका	440	8	350	440	8	440
26	श्री शंकर अहमद, जाफरपुर	404	6	440	404	6	440
27	श्री छोटे लाल, हल्दी कला	489	6	440	489	6	660
28	श्री नत्थू लाल, रास	413	6	440	413	6	440
29	श्री होरी लाल, सिहोर	404	6	440	404	6	440
30	श्री जगदीश चन्द्र, बुनका	मार्च, 1984 से कार्य किया					

9	10	11	12	13	14	15	16	17
454	10	700	434	10	700	454	22	700
836	10	700	336	10	700	336	21	700
431	10	700	431	10	700	431	21	700
448	10	700	448	10	700	448	22	700
455	10	700	455	10	700	455	22	700
454	10	700	454	10	700	454	22	700
451	10	700	451	10	700	451	22	700
435	5	800	435	5	800	435	6	660
506	5	440	506	5	440	506	6	440
425	5	440	425	4	440	425	6	440
440	6	800	440	4	800	440	6	800
404	4	440	404	4	440	404	6	440
489	4	660	489	4	660	489	6	660
413	5	660	413	4	660	413	6	660
404	5	440	404	4	440	404	6	440
389	4	440	389	4	440	389	6	440

1	2	3	4	5	6	7	8
31	श्री महेश चन्द्र, सिया नगला	माह अप्रैल, 1984 से कार्य किया					
32	श्री अब्दुल गफूर, दुनका						
33	श्री राम प्रकाश गुप्ता, बससलपुर	माह फरवरी से कार्य			445	..	440
34	श्री इन्द्रपाल सिंह, लखीमपुर	404	6	660	404	6	440
35	श्री रघुवीर सिंह, गुन नगला	407	6	660	407	5	440
36	श्री रामचरन लाल, गहलुइया	508	5	660	508	5	440
37	श्री रामचन्द्र, बरमनगर	440	6	880	440	6	660
38	श्री फतहशेर खां, बरमनगर	521	6	880	521	6	660
39	श्री नसीब खां, गाटि यानरमा	402	5	880	402	9	440
40	श्री प्रेमराज, निर्मइया	568	6	880	568	6	800
41	श्री अफसर खां, सालेहपुर	405	5	880	405	5	660
42	श्रीराम कुमार, बरोपुरा	410	5	660	410	5	660
43	श्री भोपालराम, नगरयाकला	390	5	880	390	5	800
44	श्री अब्दुल वाहिद, टांडा	408	6	660	408	6	440
45	श्री आत्माराम, कुमारगढ़ा	माह अप्रैल, 1984 से कार्य किया					
46	श्री अफसर अली खां, भीकमपुर	425	5	660	425	5	880
47	श्री गंगाराम असदुल्ला, भुडया	फरवरी से कार्य			415	..	800

9	10	11	12	13	14	15	16	17
485	4	440	485	4	440	485	6	440
			400	4	660	400	6	440
445	4	440	445	4	440	445	6	460
404	5	660	404	5	660	404	5	660
407	5	660	407	5	660	508	6	660
508	5	660	508	5	660	508	6	660
440	5	660	440	5	660	440	5	660
521	5	660	521	5	660	521	5	660
402	5	660	402	5	660	402	6	660
568	5	800	568	5	800	568	7	880
405	5	660	405	5	660	405	6	660
410	5	660	410	5	660	410	6	660
390	5	660	390	5	800	390	6	800
408	5	660	408	5	660	408	6	660
			405	..	660	405	6	660
425	5	800	425	5	800	425	6	800
415	5	800	415	5	800	415	6	800

1	2	3	4	5	6	7	8
48	श्री सज्जाद खां, कमालपुर	390	फरवरी से कार्य		390	..	980
49	श्री मो0 हुसैन अशफाक अहमद, नगला	447	6	880	447	6	660
50	श्री मोहन लाल, चिरया		फरवरी से कार्य		440	..	660
51	श्री रतन लाल इटौआ	507	5	800	507	5	800
52	श्री अख्तयार हुसैन, मानपुर	393	5	880	393	5	800
53	श्री रिफाकत खां, पूरवा	486	5	880	486	5	800
54	श्री इकबाल अहमद, सेढा	456	5	880	456	5	660
55	श्री बंचे लाल, नगराखुर्द	412	5	830	412	5	660
56	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, दयोबा	431	6	880	431	6	800
57	श्री जमील अहमद, आसपुर खेड़ा	445	5	880	445	5	660
58	श्री सत्यपाल, मनकरा	442	5	880	442	5	800

9	10	11	12	13	14	15	16	17
390	5	980	390	5	980	390	6	980
447	5	660	447	5	660	447	5	660
440	5	660	440	5	660	440	6	660
507	4	800	507	4	880	507	5	800
393	5	800	393	5	880	393	6	800
486	5	800	486	5	800	486	6	800
456	5	660	456	4	660	456	6	660
412	4	660	412	5	660	412	6	660
431	5	800	431	5	800	431	6	800
445	4	660	445	5	660	445	6	660
442	5	800	442	5	800	442	6	800

नत्थी '

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या

जनपद बरेली के ब्लाक मीरगंज की सहकारी समितियों एव निजी डीलरों र शनकार्डों से सम्बन्धित सूचना (मात्रा चीनी की कुन्तल में एवं मिट्टी के तेल

क्र0 सं0	नाम सहकारी समिति/ निजी डी र/ग्राम	जनवरी, 1984			फरवरी, 1984		
		कार्ड	चीनी आवंटन	मिट्टी तेल आवंटन	कार्ड	चीनी आवंटन	मिट्टी तेल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहकारी समिति, गुल्डिया	2205	12	600	2025	6	800
2	सहकारी समिति, गहवरा	603	12	800	603	6	1000
3	सहकारी समिति, तिलमारा	663	12	1000	663	6	1000
4	सहकारी समिति, सिधोजी	2958	12	800	2958	6	1000
5	सहकारी समिति, नन्दगांव	3325	13	600	3325	6	800
6	सहकारी समिति, सिमरया	896	12	800	896	6	800
7	सहकारी समिति, मुगलपुर	386	13	..	386	6	1000
8	सहकारी समिति, नथपुरा	683	12	600	683	6	600
9	सहकारी समिति, आनन्दपुर	740	12	600	740	6	800
10	सहकारी समिति, मीरगंज	480	18	1000	489	18	1000
11	श्री सोमपाल सिंह, परौरा	350	9	600	350	6	600
12	श्री सुरेश चन्द्र, पहुवा बुजुर्ग	900	..	..	900	6	600

'ढ़'

125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

को जनवरी, 1981 से मई, 1984 तक चीनी/मिट्टी तेल का आवंटन एवं सम्बद्ध की लीटर में)

मार्च, 1984			अप्रैल, 1984			मई, 1984		
कार्ड	चीनी आवंटन	मिट्टी तेल आवंटन	कार्ड	चीनी आवंटन	मिट्टी तेल आवंटन	कार्ड	चीनी आवंटन	मिट्टी तेल आवंटन
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2025	..	..	2025	6	1000	2025	25	1500
603	..	..	603	5	1000	603	15	600
663	..	..	663	7	1000	663	15	800
2958	..	..	2958	7	1000	2958	15	1000
3325	.	..	3325	6	800	3325	28	1000
896	..	..	896	6	800	896	20	700
386	..	..	386	6	1000	386	28	..
683	..	..	683	5	..	683	12	500
740	..	..	740	5	800	740	12	700
489	..	..	495	16	1000	495	28	800
350	7	1000	350	4	600	350	15	600
900	7	1000	900	3	.	900	15	800

1	2	3	4	5	6	7	8
13	श्री सुभाष चन्द्र, गुल्डया	700	9	600	700	6	600
14	श्री कुन्दन लाल, मो0 गंज	518	..	800	518	..	600
15	श्री जानकी प्रसाद, गहवरा	390	..	800	390	..	800
16	श्री कमर जहाँ, तिलमास	506	..	..	506	..	..
17	श्री शंकर लाल, सैंजना	1475	..	600	1450	..	..
18	श्री हीरा लाल, पैंगानगरी	1175	..	600	1175	6	600
19	श्री जगदीश प्रसाद, जाम	543	..	600	543	6	600
20	श्री राम कुमार गुप्ता, अंगदपुर	282	..	600	282	6	600
21	श्री रामेश्वर दयाल नासना	1348	..	1000	1348	6	800
22	श्री रामपाल सिंह, सयसपुर	597	..	600	597	.	600
23	श्री रियाज अहमद, कंधाखुर्द	325	..	..	325	6	800
24	श्री ओम प्रकाश, गगई	875	..	..	875	..	..
25	श्री इफितखार अहमद, शाजातपुर	675	..	..	675	7	600
26	श्री रतन लाल, अब्दुल्लागंज	1000	..	1000	1100	..	1000
27	श्री चन्द्र सेन, खमरिया	784	..	..	784	6	600
28	श्री नत्थू लाल, मंडवा बंसीपुर	813	9	600	813	6	..
29	श्री उमेश चन्द्र, बहादुरपुर	677	..	..	677	..	..

9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	7	1000	700	..	..	700	15	800
518	7	1000	518	3	600	518	10	500
390	7	1000	390	3	..	390	13	600
506	7	1000	506	7	..	506	14	600
1450	7	..	1450	3	..	1450	15	600
1175	10	1000	1175	3	500	1175	13	1000
243	7	1000	543	5	600	543	10	500
282	7	1000	282	3	600	282	10	1500
1348	7	1000	1348	6	600	1348	20	1500
597	7	1000	597	3	508	517	12	700
325	7	1000	325	3	600	325	10	400
875	7	.	875	4	..	875	13	..
675	7	1000	675	3	600	675	14	700
1100	7	1000	1100	3	800	1100	18	800
784	7	1000	784	3	..	384	14	700
813	7	1900	813	4	600	813	12	700
677	7	..	677	2	..	677	12	600

1	2	3	4	5	6	7	8
30	श्री बद्री प्रसाद, बौथम नगला	290	..	..	290	9	1000
31	श्री मो0 यूसुफ, चुरई दन्पतपस	637	..	.	637	6	600
32	श्री युवक मंगलपंत, न0 सौदात	479	11	600	479	7	600
33	श्री अगन लाल, ठि0 ब्रहमनान	235	..	400	235	..	600
34	श्री राजेश पाल सिंह, दिवना	182	.	..	182	..	..
35	श्री सिराजउद्दीन, परोरा	300	..	..	300	..	..

8	9	10	11	12	13	14	15	16
290	7	1500	219	2	500	290	12	590
637	7	1000	637	5	..	637	12	500
479	7	1000	479	..	500	479	..	500
232	..	..	235	3	600	235	12	500
182	..	..	182	3	..	206	..	..
300	..	..	300	4	..	300	12	..

सत्यमेव जयते

नत्थो 'ण'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर ।)

जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा की सहकारी समितियों के हानि एवं लाभ का ब्यौरा

वर्ष	जनपद पिथौरागढ़				जनपद अल्मोड़ा			
	हानि		लाभ		हानि		लाभ	
	धनराशि लाखों में	समितियों की संख्या	धनराशि लाखों में	समितियों की संख्या	धनराशि लाखों में	समितियों की संख्या	धनराशि लाखों में	समितियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80-81	0·98	39	4·13	124	2·44	65	4 12	76
81-82	2·45	50	3·81	113	3·38	66	4·35	73
82-83	2 19	39	5 99	119	3·99	64	4 74	68

समितियों की संख्या, जो बिना लाभ-हानि के रही

वर्ष	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा
80-81	34	54
81-82	34	56
82-83	39	63

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर।)

क्रम-संख्या	न्याय पंचायत का नाम	नाम दुकानदार	बी गई मिट्टी तेल मात्रा (लीटर में)
1	2	3	4
1	वोहली	1--राधेश्याम	13,200
		2--साधन सह0 स0	11,000
		3--मो0 इदरीस	14,000
		4--जोखू	13,400
		5--ननकूराम	14,400
2	पिपरसन	1--अब्दुल जब्बार	9,400
		2--कासिम अली	8,600
		3--अब्दुल कलाम	10,000
		4--केसरी पान्डेय	8,000
3	वडंपुर नं0 6	1--मो0 खलील	13,000
		2--जैनुद्दीन	16,400
		3--चिनू प्रसाद	10,000
		4--शमशुल हक	14,600
		5--कमरुद्दीन	12,000
		6--मीरहमजा	10,000
4	बुल्हाशुमाली (बुल्हादर0)	1--सुकदेव	12,600
		2--कृष्णा प्रसाद	11,400
		3--अधारे राम	13,000
		4--मो0 इदरीस	11,000
		5--मो0 याकूब	12,800
		6--बद्री प्रसाद	11,200
5	धनौरा मुस्तहकम	1--जब्बार	21,200
		2--रामचरन	18,400
		3--हैदर अली	17,400
		4--मुस्तफा	10,000

नत्थी 'घ'

(देखिये आतारांकित प्रश्न संख्या 136 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर।)

क्रम-संख्या	न्याय पंचायत का नाम	नाम दुकानदार	दिया गया मात्रा (लीटर में)
1	2	3	4
1	बर्डपुर नं0-8	1--दुर्गाराम	20,200
		2--क्षे0 सह0 संघ, बर्डपुर	14,000
		3--राम अचल	17,200
		4--अब्दुल गफार	18,600
		5--जगदीश	16,400
		6--अवधराम	18,600
		7--घनश्याम	15,000
2	बर्डपुर नं0-10	1--चुन्नी लाल	17,000
		2--पराग	16,400
		3--सह0 सं0 बर्डपुर	12,000
		4--मिठाई लाल	20,600
		5--इब्राहीम	18,000
		6--मोती लाल	18,600
		7--हबीब	17,600
3	शिवपति नगर	1--राम लखन	19,200
		2--पारसनाथ	14,400
		3--सह0 संघ, शिवपतिनगर	14,400
		4--साधन सह0 संघ	28,000
		5--सम्पत्ति	5,600
4	वेल्डीकर	1--अख्तर	19,200
		2--कोईल	14,400
		3--सा0स0स0, वेल्डीकर	14,400
5	पटनीजंगल	1--जोखन	52,800

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 137 का उत्तर पीछे 72 पर।)

ब्लाक का नाम	न्याय पंचायत का नाम	नाम बुकानदार
1	2	3
1—वडंपुर	1—परसा	1—क्षेत्रीय सहकारी समिति, आदिलपुर।
	2—पिपरसन	1—सहकारी संघ, वडंपुर से सम्बद्ध।
	3—वडंपुर नं0—2	1—साधन सहकारी समिति, ककरहवा से सम्बद्ध।
	4—बूड़ा	
	5—वडंपुर नं0—6	1—क्षेत्रीय सहकारी समिति, वडंपुर से सम्बद्ध।
	6—हरवंशपुर	1—साधन सहकारी समिति, हरिवंशपुर।
	7—दुल्हादरमियानी	1—साधन सहकारी समिति, ककरहवा।
	8—वडंपुर नं0—8	1—क्षेत्रीय सहकारी समिति, वडंपुर।
	9—वडंपुर नं0—10	1—क्षेत्रीय सहकारी समिति, वडंपुर।
	10—पल्टादेवी	1—क्षेत्रीय सहकारी समिति, आदिलपुर।
	11—गढ़मौर	1—सहकारी संघ, गढ़मौर।
2—बढ़नी	1—पकड़िहवा	1—साधन सहकारी समिति, पकड़िहवा।
	2—पथरदेइया	1—सहकारी संघ, खुरहुरिया।
		2—साधन सह0 समिति, ढेकहरी।
	3—देवरूआ	1—साधन सहकारी समिति, देवरूआ।
	4—रेड़बरिया	1—साधन सहकारी समिति, औदही।
	5—सिसवा बुजुर्ग	1—सहकारी संघ, परसा।
		2—साधन सह0 सं0 सिसवा बुजुर्ग।
	6—बोहली	1—साधन सह0 स0, बोहली।
	7—बसहियां	1—श्री राम रक्षा दुबे।
	8—घनौरा	1—साधन स0 स0, घनौरा मुस्तहकम।
	9—मड़वा	1—साधन सहकारी समिति, मड़वा।
	10—परिगवां	1—साधन सहकारी समिति, कोटियादीगर।
	11—डोहरिया	1—सहकारी संघ, रमवापुर।
	12—चेतरा	1—साधन सहकारी समिति, जुगरौलिया।
	13—मड़िला	1—सहकारी संघ, रामदत्तगंज।

1	2	3
3—उस्काबाजार	1—रेहरा बाजार	1—श्री जंत्री प्रसाद मिश्र।
		2—श्री बलराम प्रसाद ।
		3—श्री सीताराम ।
		4—श्री राधेश्याम ।
		5—श्री गोपाल प्रसाद ।
		6—क्रय विक्रय सहकारी संघ, रेहरा बाजार ।
		7—साधन सह० स०, रेहरा बाजार ।
		8—सहकारी संघ, उस्का बाजार ।
	2—खेखरा खुर्द	1—सा० सह० स०, खेखरा खुर्द ।
	3—केसारी	1—सा० सह० स०, केसारी ।
	4—मुड़िला अदायी	1—सा० सह० स०, मड़िला अदाई ।
	5—सेमरहना	1—सा० सह० स०, सेमरहना ।
	6—महुलानी	1—सा० सह० स०, कुंआ हाटा ।
	7—मदनपुर	1—सहकारी संघ, मदनपुर ।
	8—तेतरी खुर्द	1—साधन सह० स०, तेतरी खुर्द ।
	9—पकड़ी	1—साधन सह० स०, देवलहवा ग्रान्ट ।
	10—सोहास	1—साधन सह० स०, सोहास ।
	11—बनियाडीह	1—साधन सहकारी स०, बनियाडीह ।
		2—साधन सहकारी स०, लोटन ।
	12—बरदहा	1—श्रीमती चम्पा देवी
4—जोगिया	1—जखबलिया	1—साधन सह० स०, जखबलिया ।
	2—जिम्हरिया	1—साधन सह० स०, जिम्हरिया ।
	3—संतोरा	1—साधन स० स०, पिपरी बाजार ।
	4—महला	1—साधन सहकारी समिति, सेहुड़ा ।
	5—नगपरा	1—साधन सहकारी समिति, नगपरा ।
	6—हड़कौली	1—साधन सहकारी समिति, हड़कौली ।
	7—देउरा बाजार	1—क्षेत्रीय सह० समिति, सेहुड़ा ।
	8—जोगिया	1—साधन सह० स०, जोगिया ।

1	2	3
	9—टड़िया बाजार	1—साधन सह0 स0, डोहरिया ।
	10—पटखौली	1—साधन सह0 स0, पटखौली।
5—नौगढ़	1—कपिया प्रान्ट	1—किसान क्षेत्रीय सहकारी समिति, चिल्हाया से सम्बद्ध ।
	2—पटनी जंगल	टाउन एरिया, नौगढ़ की दुकानों से सम्बद्ध ।
	3—भीमापारा	
	4—रेहरा	
	5—कपिया मिश्र	
	6—महदेवा	
	7—कड़ाकुल	1—साधन सह0 स0, महदेवा ।
	8—टेकनार	1—किसान क्षेत्रीय सह0 स0, चिल्हिया ।
	9—शिवपतिनगर	1—क्षेत्रीय सह0 स0, शिवपतिनगर ।
		2—सहकारी संघ, शिवपतिनगर ।
	10—वेलटीकर	1—साधन सह0 समिति, वेलटीकर ।
	11—सिरवत	1—साधन सह0 स0, सिरवत ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

संलग्नक (1)

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, वाराणसी के लिपिक–कम–कैशियर के रिक्त पदों के विपरीत वरिष्ठताक्रमानुसार चयनित अभ्यर्थियों की परिणाम सूची :

जिला सहकारी बैंक लि0, वाराणसी द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र का पत्रांक	सामान्य अभ्यर्थी
1	2
	सर्वश्री—
870–74	1—अरविन्द कुमार गुप्त पुत्र श्री रामचन्द्र गुप्त, 5/12, महोबिया टोला, औरैया, इटावा ।
865–69	3—शचीन्द्र नाथ तिवारी पुत्र श्री गया प्रसाद तिवारी द्वारा राजेश प्रसाद मिश्रा, 84–बी/1, नयागांव अल्लापुर, इलाहाबाद ।
860–64	3—राधेश्याम पाल पुत्र श्री रामदीर पाल, ग्राम व पोस्ट गोनार (वाया–लालगंज), जिला बस्ती (यू पी0) ।
875–79	4—सुनील मिश्र पुत्र श्री भूपाल मिश्र, म0 नं0 1477/1740, नई कालोनी, देवरिया ।
880–84	5—तेजपाल सिंह पुत्र श्री कल्लू सिंह द्वारा मै0 चण्डी प्रसाद राजेन्द्र कुमार, बड़ी मण्डी, धामपुर, बिजनौर ।
885–83	6—सुरेश चन्द्र मिश्र पुत्र श्री बुद्धिराम मिश्र, ग्राम–धनीपुर (खजोहरी), पोस्ट–कटरी, मेदनीगंज, जिला प्रतापगढ़ ।
829–33	7—प्यारे मोहन शुक्ल पुत्र श्री जगदीश नारायण शुक्ल, ग्राम तेनुहारी, पोस्ट सहजनवा, जिला गोरखपुर ।
912–16	8—विश्वनाथ मिश्र पुत्र श्री राम सिंहासन मिश्र, ग्राम ढोढवली, पत्रालय–छाता, जिला बलिया ।
917–21	9—गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव पुत्र श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, द्वारा डा0 सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्राध्यापक दर्शन विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
890–94	10—सुभाष चन्द्र पुत्र श्री आलम सिंह, ग्राम व पोस्ट अस्ना, जिला मेरठ ।

1	2
	पिछड़ी जाति
922-26	1—हृदय नारायण भारतीय पुत्र श्री बंजनाथ भारतीय द्वारा श्री के० पी० सिंह, भदौरिया, जिला सहकारी बैंक लि०, वाराणसी शाखा, औराई, पोस्ट औराई, जनपद वाराणसी ।
834-38	2—विनोद कुमार मौर्य पुत्र श्री रामचन्द्र मौर्य, ग्राम मीरपुर (निकट रेलवे स्टेशन), पोस्ट सदर, जौनपुर (यू० पी०) ।
839-45	3—समर बहादुर मौर्य पुत्र श्री लालता प्रसाद मौर्य, लक्ष्मण पट्टी ज्ञानपुर, वाराणसी ।
	अनुसूचित जाति
844-48	1—बालकरन पुत्र श्री फागूराम, बी/10, राम सागर मिश्र नगर, लखनऊ ।
849-53	3—मांगे राम पुत्र श्री सुखबीर सिंह, ग्राम जसौला, डा० खतौली, जिला मुजफ्फरनगर ।
895-99	3—ओम प्रकाश पुत्र श्री रामलोटन, ग्राम कोड़री, पत्रालय जनियाजोत, जनपद बस्ती ।
900-4	4—शत्रोहन लाल पुत्र श्री शिवचरन प्रसाद द्वारा अयोध्या प्रसाद जिलेदार, राजा रामकुमार प्रेस, हजरतगंज, लखनऊ ।
905-9	5—मंगरे लाल पुत्र श्री गिरधारी लाल, ग्राम व पोस्ट खानपुर, गुरेला, जिला खीरी ।
	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
854-58	1—सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ पाण्डेय, ग्राम नसीराबाद, पोस्ट सागरपाली, जिला बलिया ।

संलग्नक (2)

जिन बारह अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया उनकी सूची

सूची अनुसार क्र0 सं0	नाम अभ्यर्थी	योगदान की तिथि
	सर्वश्री—	
1—पिछड़ी जाति–3	समर बहादुर मौर्य	8–8–84
2—सामान्य–7	प्यारे मोहन शुक्ला	10–8–84
3—पिछड़ी जाति–2	विनोद कुमार मौर्य	10–8–84
4—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी–1	सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय	14–8–84
5—अनुसूचित जाति–1	बाल करन	14–8–84
6—सामान्य–8	विश्वनाथ मिश्र	17–8–84
7—अनुसूचित जाति–3	ओम प्रकाश	21–8–84
8—अनुसूचित जाति–2	मांगे राम	21–8–84
9—सामान्य–3	राधेश्याम पाल	21–8–84
10—सामान्य–1	अरविन्द कुमार	22–8–84
11—अनुसूचित जाति–5	मंगरे लाल	22–8–84
12—अनुसूचित जाति–4	शत्रोहन लाल	22–8–84

पी0 एस0 यू0 पी0—26 वि0 सभा—1984 (पी0 डी0)